Drishti IAS

एडिटोरियल

(संग्रह)

फरवरी
2024

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar,
Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440,
Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- राजकोषीय नीतियाँ और आर्थिक अनुकूलन 6
- सरकार की दीर्घकालिक राजकोषीय रणनीति 11
- भारत-म्याँमार संबंध: मुक्त आवागमन पर नियंत्रण 16
- WTO के अपीलीय निकाय में सुधार 21
- SBM-ग्रामीण को और अधिक रचनात्मक बनाना 25
- भारत में राजकोषीय केंद्रीकरण संबंधी चिंताएँ 31
- छठी अनुसूची में लद्दाख: स्थानीय मांगों को मानना 42
- राजकोषीय नीतियाँ और आर्थिक अनुकूलन 50
- सरकार की दीर्घकालिक राजकोषीय रणनीति 55
- भारत-म्याँमार संबंध: मुक्त आवागमन पर नियंत्रण 59
- WTO के अपीलीय निकाय में सुधार 65
- SBM-ग्रामीण को और अधिक रचनात्मक बनाना 69
- भारत में राजकोषीय केंद्रीकरण संबंधी चिंताएँ 74
- छठी अनुसूची में लद्दाख: स्थानीय मांगों को मानना 86
- भारत-UAE रणनीतिक सहयोग 90
- MSP संबंधी कानून: सड़कों पर किसान आंदोलन 94
- भारत के आर्थिक संवृद्धि मॉडल पर पुनर्विचार 98
- मासिक धर्म के सवैतनिक अवकाश संबंधी दुविधाएँ 102
- सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड पर लगाईं रोक 111
- 'मेरिटोक्रेसी' पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव 117
- सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका 121
- पंचायती राज में राजकोषीय हस्तांतरण 125
- संधारणीयता के साथ आवास विस्तार का संतुलन 129
- रक्षा भर्ती में सुधार 134
- सर्वोच्च न्यायालय सुधार: क्षेत्रीय पीठों का मामला 137
- उत्तराखंड के UCC विधेयक का विश्लेषण 140
- सतत् विकास हेतु भूमि प्रबंधन की पुनर्कल्पना 144
- दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न 156

दृष्टि The Vision

नोट :

दावोस शिखर सम्मेलन, 2024 में भारत का वैश्विक आर्थिक प्रभाव

जनवरी 2024 में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum-WEF) की बैठक में दुनिया भर के वैश्विक राजनेताओं, तकनीकी क्षेत्र के नवप्रवर्तकों और चिंतकों (thought leaders) ने भाग लिया और विश्व के समक्ष विद्यमान सबसे गंभीर आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक चुनौतियों से निपटने पर विचार-विमर्श किया। इन चर्चाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) की अहम् भूमिका रही। जहाँ इसमें AI की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला गया वहीं नवोन्मेषी एवं विवेकपूर्ण शासन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

WEF की पिछली बैठक और इस बैठक के बीच विश्व को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिनमें भूराजनीतिक आपात स्थिति, जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रों के विकास प्रक्षेपवक्र में गिरावट और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के खतरे जैसे कई विषय शामिल रहे। इन वैश्विक चुनौतियों के बीच, दावोस 2024 में भारत अपने विकास प्रक्षेपवक्र में बेहतर प्रदर्शन करता हुआ और सफलता दर्शाता हुआ दिखा।

विश्व आर्थिक मंच (WEF):

- **परिचय:**
  - WEF एक स्विस गैर-लाभकारी फाउंडेशन है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में हुई थी।
  - इसे स्विस प्राधिकार द्वारा सार्वजनिक-निजी सहयोग की अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
- **उद्देश्य:**
  - यह वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देने के लिये व्यापार, राजनीति, शिक्षा एवं समाज के अन्य नेताओं को संलग्न करते हुए विश्व की स्थिति में सुधार लाने के लिये प्रतिबद्ध है।
  - संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष: क्लाउस श्वाब (Klaus Schwab)
- **WEF द्वारा प्रकाशित कुछ प्रमुख रिपोर्टें हैं:**
  - ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (Energy Transition Index)
  - वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (Global Competitiveness Report)
  - वैश्विक आईटी रिपोर्ट (Global IT Report)
    - विश्व आर्थिक मंच INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यह रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
  - वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report)
  - वैश्विक जोखिम रिपोर्ट (Global Risk Report)
  - वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट (Global Travel and Tourism Report)

दावोस सम्मलेन, 2024 की मुख्य बातें:

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):**
  - इस वर्ष WEF की बैठक में यह मुद्दा केंद्र में रहा। बैठक में मानव कल्याण के लिये इसकी विभिन्न परिवर्तनकारी क्षमताओं पर चर्चा के साथ ही विनियमन की आवश्यकता, रोज़गार हानि के भय, प्रतिरूपण एवं भ्रामक सूचना के जोखिम और असमानताओं की वृद्धि में इसके संभावित योगदान पर भी चर्चा की गई।
  - हालाँकि समग्र अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि सकारात्मकताएँ, नकारात्मकताओं से अधिक हैं और मानव बुद्धि को AI की ओर से किसी बड़े खतरे का सामना नहीं करना पड़ा है।
- **युद्ध और अनिश्चितता:**
  - वैश्विक नेताओं ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में संवेदनशील भू-राजनीतिक स्थितियों—मध्य पूर्व एवं यूरोप में युद्ध, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिये खतरे और खाद्य सुरक्षा के संबंध में अनिश्चितता से उत्पन्न जोखिमों के बारे में चर्चा की।
    - हालाँकि इज़राइल-गाज़ा हिंसा के बारे में शांति के लिये कोई योजना या रोडमैप पेश नहीं किया गया।
- **जलवायु:**
  - व्यवसायों के जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने और मतभेदों के बावजूद इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिये देशों के एकजुट होने की आवश्यकता भी बैठक में चर्चा का प्रमुख विषय रहा।
    - विश्व बैंक के अध्यक्ष ने व्यवसायों द्वारा संवहनीय प्रक्रियाओं को अपनाने से प्राप्त होने वाले अंतिम लाभ और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष में संसाधनों को सही ढंग से आवंटित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

नोट :

- ◆ इसमें इस बात पर बल दिया गया कि विकसित देशों को, विकासशील देशों की जलवायु कार्रवाई के वित्तपोषण में सहायता करनी होगी, अन्यथा असमानता में वृद्धि होगी।
- **चीन की अर्थव्यवस्था:**
  - ◆ मंद होती अर्थव्यवस्था का सामना करते चीन ने पश्चिम से अधिक निवेश आकर्षित करने की कोशिश की, जिसमें कुछ नरमी देखी गई है।
    - ■ वर्ष 2023 में चीन की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5.2% रही जो अभी भी महामारी के पूर्व के स्तर से नीचे है और वह उसे अलग-थलग करने के अमेरिकी प्रयासों (जैसा कि सेमीकंडक्टर व्यापार गतिरोध में नज़र आया) से जूझ रहा है।
  - ◆ बैठक में कहा गया कि चीन अत्यंत महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पश्चिम की बहुत-सी कंपनियाँ अब चीन में अतीत की तरह निवेश नहीं कर रही हैं।
    - ■ लेकिन चीन में 3%-4% की वृद्धि भी WEF शिखर सम्मेलन में भागीदार कई कंपनियों के लिये अभी भी बेहद सार्थक है।
- **भारत की संभावनाएँ:**
  - ◆ दावोस की बैठक ने रेखांकित किया कि भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में द्रुत गति से बदल रहा है। बैठक में भारत ने अपनी आर्थिक क्षमता के अलावा अन्य तरीकों से भी अपनी उपस्थिति महसूस कराई।
    - ■ प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 2024 और उसके आगे भारत के भविष्य पर नज़र रहेगी।
- **महिला स्वास्थ्य में निवेश:**
  - ◆ इस वर्ष WEF में चर्चा किये गए विषयों में से एक यह था कि महिलाओं के स्वास्थ्य में निवेश से वर्ष 2040 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक कैसे बढ़ावा मिल सकता है।
  - ◆ 'ग्लोबल गुड एलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी':
    - ■ WEF और भारत सरकार के सहयोग एवं समर्थन से 'ग्लोबल गुड एलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी' लॉन्च करने की घोषणा करना, बैठक की प्रमुख उपलब्धियों में से एक रहा।
    - ■ इस गठबंधन का विचार G20 नेताओं की घोषणा (G20 Leaders' Declaration) और महिला-नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत की स्थायी प्रतिबद्धता से उभरा।
    - ■ इसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम के चिन्हित क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण और निवेश को एक साथ लाना है।

दावोस सम्मलेन, 2024 में AI पर विशेष फोकस क्या था?

दावोस, 2024 में अर्थव्यवस्थाओं और समाज को नया आकार दे सकने में AI की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित करते हुए AI के व्यापक प्रभाव पर बल दिया गया। विमर्श में AI के लाभों के दोहन के लिये संतुलित शासन, नैतिक विचारों और कौशल विकास के महत्त्व को रेखांकित किया गया।

- **AI संबंधी रोज़गार बाज़ार पर ध्यान केंद्रित करना:**
  - ◆ दावोस बैठक में प्रस्तुत की गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की "जेन-एआई: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क" (Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work) रिपोर्ट एक चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत करती है जहाँ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 60% तक नौकरियाँ AI के कारण खतरे में हैं।
    - ■ इस चिंताजनक आँकड़े ने कार्य के भविष्य के बारे में गहन चर्चा को जन्म दिया है और कौशल प्रशिक्षण एवं अनुकूलन की तात्कालिकता को रेखांकित किया है।

- इस रिपोर्ट में AI के जोखिमों का प्रबंधन करते हुए इसके लाभों का दोहन कर सकने के लिये लोगों को आवश्यक कौशल से लैस करने के महत्त्व पर बल दिया गया है।
- IMF की रिपोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को भी उजागर किया है कि वास्तविक चुनौती मशीनों द्वारा नौकरी प्रतिस्थापन की नहीं, बल्कि AI में कुशल लोगों द्वारा प्रतिस्थापन की है।
  - इसने AI द्वारा संवर्द्धित विश्व के लिये नागरिकों, विशेषकर युवाओं को तैयार करने के लिये AI शिक्षा के एकीकरण की वकालत की है।
  - शिखर सम्मेलन में रोज़गार सृजन (विशेष रूप से हरित क्षेत्रों में) की आवश्यकता और AI-संचालित श्रम बाज़ार की मांगों को पूरा करने के लिये शिक्षा प्रणालियों के अनुकूलन पर बल दिया।
- यह बैठक AI-सृजित कंटेंट की कॉपीराइटिंग और मानव एवं मशीन द्वारा कंटेंट निर्माण के बीच अंतर जैसे जटिल मुद्दों को संबोधित करने पर भी लक्षित रही।
  - भागीदार नेताओं ने अंतर-संचालनीयता (interoperability) मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करने के लिये सहयोगात्मक प्रयासों की वकालत की, जो एक अधिक एकीकृत AI सिस्टम की ओर वैश्विक रुझान को प्रकट करता है।
- इसने अधिक विचार-केंद्रित भूमिकाओं की ओर एक बदलाव का भी अनुमान लगाया, जो रोज़गार कार्यों को अमूर्तता के उच्च स्तर तक बढ़ाने की AI की क्षमता से सुगम हुआ है।
  - WEF शिखर सम्मेलन ने GPT-3 से GPT-4 तक महत्त्वपूर्ण प्रगति को देखते हुए AI मूल्य संरेखण के बारे में भी आशा प्रकट की।

- **AI के नैतिक एवं उत्तरदायी उपयोग का आह्वान:**
  - इस बैठक में AI से संबद्ध गहन नैतिक प्रश्न भी उठाए गए, जहाँ मानव प्रामाणिकता पर इसके प्रभाव और आभासी एवं वास्तविक मानव संपर्क के बीच धुंधली रेखाओं पर विचार किया गया।
    - इन चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के साथ हमारे संबंधों पर गहन चिंतन किया गया।
  - पूरी बैठक के दौरान उत्तरदायी AI प्रशासन की आवश्यकता प्रतिध्वनित हुई, जहाँ ऐसे संतुलित दृष्टिकोण की मांग की गई जो जोखिमों को कम करते हुए नवाचार को बढ़ावा दे।
    - चीन के प्रधानमंत्री ने वैश्विक AI शासन तंत्र के महत्त्व पर बल दिया।
    - माइक्रोसॉफ्ट ने AI नियमों में अभिसरण पर चर्चा की, जिसमें बुनियादी मुद्दों और उन्हें संबोधित करने की रणनीतियों की आम समझ पर प्रकाश डाला गया।

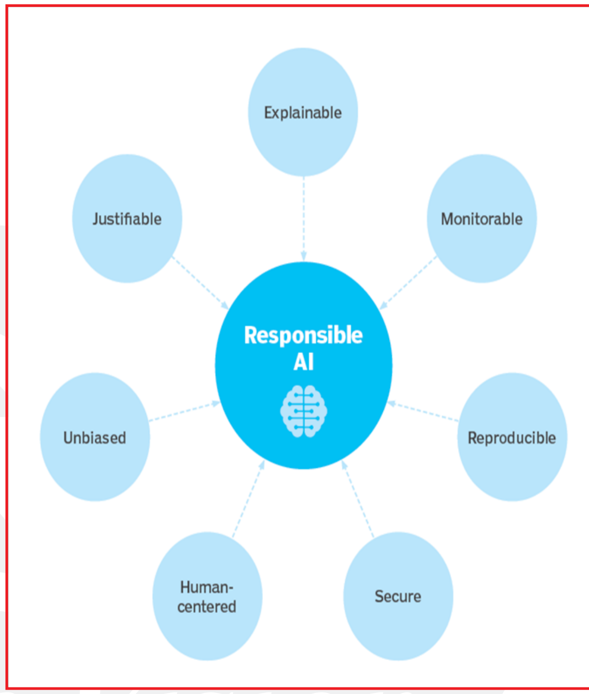

दावोस में आयोजित WEF शिखर सम्मेलन, 2024 में भारत की उपलब्धियाँ:

- **CII इंडिया बिज़नेस हब से जुड़ी मुख्य बातें:**
  - दावोस में CII इंडिया बिज़नेस हब में उल्लेखनीय गतिविधि देखी गई जहाँ व्यवसायी आगंतुकों ने आगामी अवसरों की पड़ताल की। इसने भारत को अपनी सफलताओं को प्रदर्शित करने के लिये एक मंच प्रदान किया।
- **भारत पर भू-राजनीतिक प्रभाव:**
  - एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था का अंग होने के रूप में भारत भू-राजनीतिक घटनाओं के प्रभाव को चिह्नित करता है और एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका पर बल देते हुए व्यावसायिक एवं भू-राजनीतिक रूप से विश्वास को सुरक्षित करने का प्रयास करता है।
- **सरकारी सुधार और प्रौद्योगिकी:**
  - भारत ने स्थिर और सक्रिय सुधार घोषणाओं के माध्यम से शासन में प्रौद्योगिकी के अपने प्रभावी उपयोग का प्रदर्शन किया।

नोट :

- दावोस में चर्चा AI पर केंद्रित थी, जहाँ AI से संबंधित जोखिमों को कम करते हुए लाभ को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया और भारत भी इस क्षेत्र में गहरी पैठ बना रहा है।

- **महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक भागीदारी:**
  - भारत ने वैश्विक मुद्दों (विशेषकर महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक भागीदारी) पर चर्चा में प्रमुखता से भाग लिया। उल्लेखनीय है कि स्वयं सहायता समूहों के रूप में भारतीय महिला उद्यमी सालाना 37 बिलियन डॉलर के व्यवसाय का प्रबंधन करती हैं, जिससे महिला-स्वामित्व वाले व्यवसायों में निवेश वृद्धि हेतु आकर्षण उत्पन्न होता है।
- **ऊर्जा संक्रमण की चुनौतियाँ:**
  - जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही ऊर्जा और प्रौद्योगिकी पर समानांतर रूप से चर्चा हुई। भारत ने हरित हाइड्रोजन जैसे समाधानों पर विचार करते हुए ऊर्जा संक्रमण से जुड़ी तीन चुनौतियों—उपलब्धता, वहनीयता और संवहनीयता, पर बल दिया।
- **भारत का समतामूलक विकास:**
  - अनुमान किया गया है कि वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि विश्व में तीव्रतम में से एक होगी। देश भर में अवसंरचना के विकास, रोज़गार एवं उद्यमिता में लैंगिक समावेशिता और वंचित वर्गों के लिये सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से समतामूलक विकास को बढ़ावा मिला है।
- **'पॉकेट ऑफ रेज़िलियेंस' के रूप में भारत:**
  - मूडी के इन्वेस्टर्स सर्विस ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को 'पॉकेट ऑफ रेज़िलियेंस' के रूप में देखा है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिये पहचाने जाने वाले भारत का सुदृढ़ विकास प्रक्षेपवक्र और इसका घरेलू बाज़ार इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाता है।
- **वैश्विक मान्यता और आर्थिक कौशल:**
  - भारत, जो कभी हाशिये पर रहा था, अब अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिये वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है। 1.4 बिलियन से अधिक की आबादी, एक गतिशील कार्यबल और सहायक सरकारी नीतियाँ भारत की जीडीपी में नियमित वृद्धि में योगदान करती हैं।
- **भारत एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में:**
  - दावोस में भारत की भागीदारी एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार और प्रत्यास्थी अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति को मज़बूत करती है। सहयोगात्मक वैश्विक उन्नति के लिये देश की प्रतिबद्धता विश्व के लिये एक उज्ज्वल, संवहनीय भविष्य को आकार देने में इसकी भूमिका को परिलक्षित करती है।

निष्कर्ष:

दावोस, 2024 ने वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के उल्लेखनीय विकास प्रक्षेपवक्र को प्रदर्शित किया। देश में प्रौद्योगिकी के रणनीतिक उपयोग (विशेष रूप से AI क्षेत्र में) और सक्रिय शासन सुधारों पर प्रकाश डाला गया, जिससे एक डिजिटल नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की छवि स्थापित हुई। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिये चिह्नित भारत, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 'पॉकेट ऑफ रेज़िलियेंस' के केंद्र के रूप में उभर रहा है। सहयोग और समावेशिता की प्रतिबद्धता के साथ, भारत की वृद्धिशील अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रगति के लिये एक प्रकाशस्तंभ और एक संवहनीय भविष्य को आकार देने के लिये एक मॉडल प्रस्तुत करती है।

■■■

राजकोषीय नीतियाँ और आर्थिक अनुकूलन

आर्थिक नीतियों, विशेष रूप से राजकोषीय नीति, ने महामारी के बाद विकास सुधार को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजकोषीय नीति महामारी के दौरान कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने से अब सार्वजनिक निवेश-संचालित विकास रणनीति की ओर परिवर्तित हो गई है ताकि अवसंरचना के निर्माण में तेज़ी लाई जा सके। राजकोषीय घाटे/सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को कम करने के मार्ग पर बने रहते हुए यह हासिल किया गया।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के पहले अग्रिम जीडीपी अनुमान से संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में 7.3% की वृद्धि करेगी, जो जनवरी 2023 में आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित 6.5% से अधिक तेज़ है। इस संदर्भ में, हाल ही में प्रस्तुत अंतरिम बजट को पूर्वानुमानित विकास गति को बनाए रखने के लिये अनसुलझे रह गए विभिन्न मुद्दों को समायोजित करने की आवश्यकता है।

अंतरिम बजट

- अंतरिम बजट एक ऐसा विवरण है जिसमें नई सरकार के सत्ता में आने तक आगामी कुछ माहों में सरकार द्वारा किये जाने वाले हर खर्च और सरकार द्वारा प्राप्त हर पैसे का विस्तृत दस्तावेज शामिल होता है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का विवरण भी शामिल होता है।

- यह निम्नलिखित पहलुओं में नियमित बजट से भिन्न होता है:
  - अंतरिम बजट में आगामी चुनाव होने तक के खर्चों का दस्तावेजीकरण शामिल होता है, जबकि नियमित बजट में पूरे वर्ष के खर्च का अनुमान शामिल होता है।
  - इसके अलावा, आम तौर पर अंतरिम बजट में बड़े नीतिगत बदलावों की घोषणा नहीं की जाती है।
- कार्यकाल के अंतिम चरण में सरकार केवल अंतरिम बजट प्रस्तुत करती है या लेखानुदान (Vote on Account) की मांग करती है।
  - अंतरिम बजट 'लेखानुदान' के समान नहीं है। जबकि 'लेखानुदान' केवल सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, अंतरिम बजट खातों का संपूर्ण समुच्चय होता है, जिसमें व्यय और प्राप्तियाँ दोनों शामिल होती हैं।

भारत के विकास पथ का वर्तमान परिदृश्य क्या है?

- **सरकार की निवेश रणनीति:** निवेश ने जीडीपी वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है, जो इस वर्ष 34.9% तक पहुँच गया है। हालाँकि, सरकार से वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% के लक्षित राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने के लिये पूंजीगत व्यय के लिये बजटीय समर्थन को मध्यम करने का आह्वान किया गया है।
- **चुनावी वर्ष में राजकोषीय समेकन:** चुनावी वर्ष में राजकोषीय समेकन हासिल करना सरकार के लिये महत्त्वपूर्ण है। वित्त मंत्रालय के समीक्षा दस्तावेज़ में अगले वित्त वर्ष में लगभग 7% की वृद्धि की उम्मीद है, जहाँ दशक के अंत तक भारत के 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है।
- **स्वस्थ मध्यम-आवधिक पूर्वानुमान:** स्वस्थ मध्यम-आवधिक विकास की संभावनाएँ बहुपक्षीय एजेंसियों के पूर्वानुमानों में भी परिलक्षित होती हैं। वैश्विक विकास की धीमी गति और विश्व स्तर पर एवं घरेलू स्तर पर सख्त वित्तीय स्थितियों के कारण, अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 6.4% होने की उम्मीद है, जिसमें बाद में फिर तेज़ी आएगी।
- **मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएँ:** उन्नत देशों के विपरीत, भारत में कोर मुद्रास्फीति (core inflation) तेज़ी से घटकर 3.8% हो गई है और ईंधन मुद्रास्फीति -1% के स्तर पर है।
  - भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति (headline inflation) को अभी तक नियंत्रण में नहीं लाया जा सका है, जिसका एकमात्र कारण उच्च खाद्य मुद्रास्फीति है। उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के साथ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का खराब प्रदर्शन चिंताजनक सिद्ध हो सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन और आर्थिक प्रभाव:** वर्ष 2023 में दर्ज इतिहास का सबसे अधिक वार्षिक तापमान देखा गया, जो बढ़ते जलवायु जोखिम की याद दिलाता है। भारत जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील देशों में से एक है।
  - वित्त मंत्रालय की समीक्षा में आर्थिक विकास से समझौता किये बिना जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अनुसंधान, विकास एवं उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- **मानसून:** जबकि मानसून के दौरान कुल वर्षा अपेक्षित से 6% कम रही (अगस्त 2023 में 36% कम वर्षा के कारण), इसका स्थानिक वितरण व्यापक रूप से समान रहा। 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से 29 में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई।
  - SBI मानसून प्रभाव सूचकांक (जो स्थानिक वितरण पर विचार करता है) का मान वर्ष 2023 में 89.5 रहा, जो वर्ष 2022 में पूर्ण मौसम सूचकांक मान 60.2 से पर्याप्त बेहतर है। बेहतर मानसून का अर्थ है बेहतर कृषि उत्पादकता।
- **पूंजीगत व्यय पर निरंतर बल:** वर्ष 2023 के पहले पाँच माहों के दौरान, बजटीय लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में राज्यों का पूंजीगत व्यय 25% था, जबकि केंद्र के लिये यह 37% था, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक था और नवीकृत पूंजी सृजन को दर्शाता है।
- **नई कंपनी पंजीकरण:** नई कंपनियों का सुदृढ़ पंजीकरण मज़बूत विकास इरादों को दर्शाता है। वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में लगभग 93,000 कंपनियां पंजीकृत हुईं, जबकि पाँच वर्ष पूर्व यह संख्या 59,000 थी।
  - यह देखना दिलचस्प है कि नई कंपनियों का औसत दैनिक पंजीकरण वर्ष 2018-19 में 395 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 622 (58% की वृद्धि) हो गया।
- **भारत की विनिमय दर व्यवस्था का पुनर्वर्गीकरण:** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की विनिमय दर व्यवस्था को पुनर्वर्गीकृत किया है, जहाँ इसे 'फ्लोटिंग' के बजाय 'स्थिर व्यवस्था' (stabilised arrangement) का लेबल दिया है। यह इस धारणा में बदलाव का संकेत देता है कि भारत अपनी मुद्रा का प्रबंधन कैसे करता है।
  - एक स्थिर व्यवस्था में सरकार विनिमय दर तय करती है, जबकि फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली में यह विदेशी मुद्रा बाजार में मांग एवं आपूर्ति बलों द्वारा निर्धारित की जाती है।
- **चालू खाता घाटा (CAD) में गिरावट:** भारत का CAD वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 1% हो गया, जो पिछली तिमाही में 1.1% और वर्ष 2022 में 3.8% रहा था।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 की सितंबर तिमाही में CAD घटकर 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो इसके पूर्व के तीन माह में 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था।
- वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में चालू खाता बैलेंस ने 30.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा दर्ज किया था।

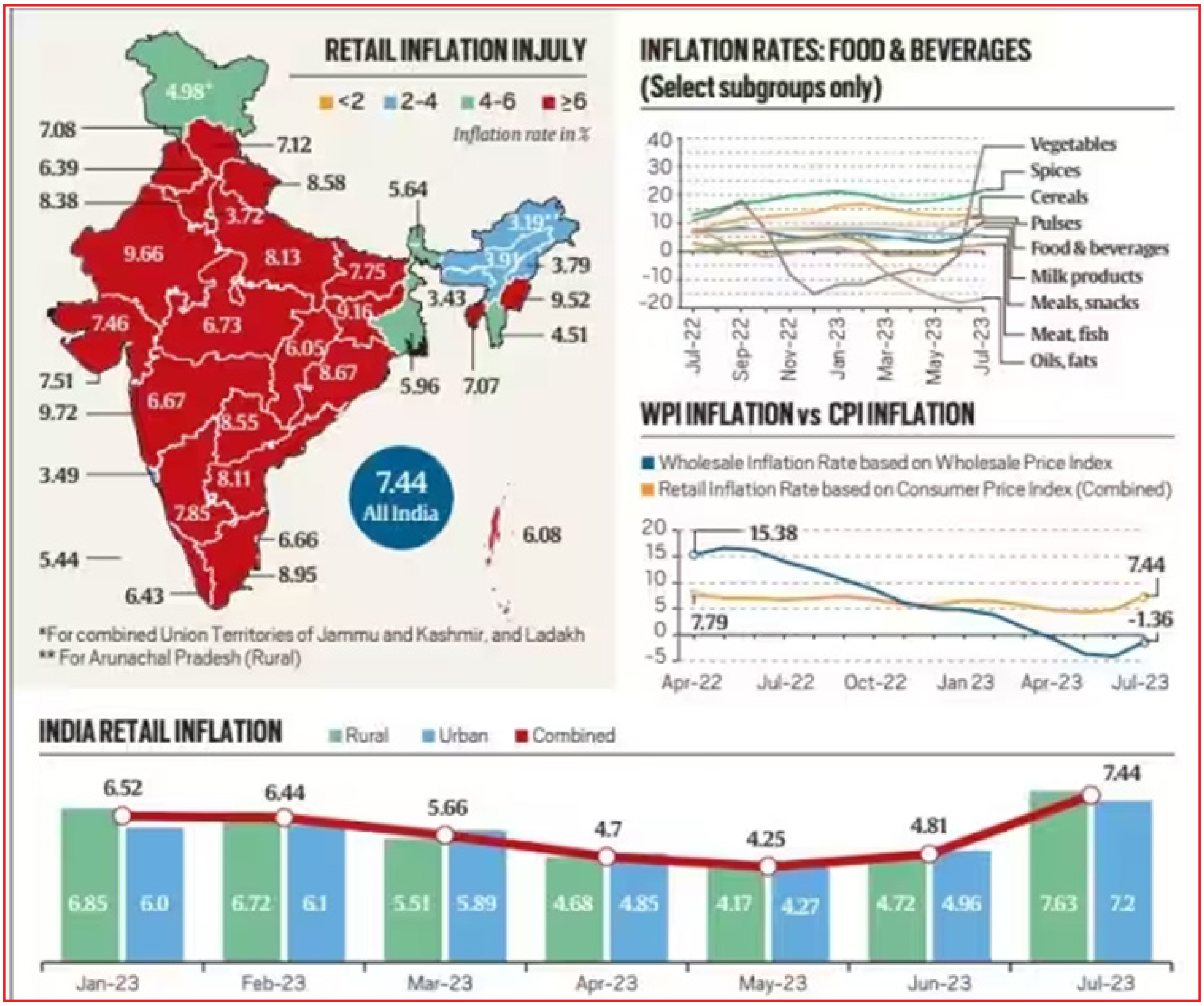

वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **वैश्विक आर्थिक एकीकरण:** भारत की वृद्धि न केवल घरेलू कारकों से निर्धारित होती है बल्कि वैश्विक विकास से भी प्रभावित होती है। इसलिये, बढ़ती भू-राजनीतिक घटनाएँ भारत के विकास के लिये खतरा सिद्ध हो सकती हैं।
  - बढ़ते भू-आर्थिक विखंडन और अति-वैश्वीकरण (hyper-globalisation) की मंदी के परिणामस्वरूप आगे फ्रेंड-शोरिंग (friend-shoring) और ऑनशोरिंग (onshoring) की स्थिति बन सकती है, जिनका पहले से ही वैश्विक व्यापार और अनुक्रमिक वैश्विक विकास पर प्रभाव पड़ रहा है।
- **ऊर्जा सुरक्षा बनाम ऊर्जा संक्रमण:** ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक विकास बनाम जारी ऊर्जा संक्रमण के बीच एक जटिल 'ट्रेड-ऑफ' की स्थिति मौजूद है। भू-राजनीतिक, प्रौद्योगिकीय, राजकोषीय, आर्थिक और सामाजिक आयामों से जुड़े इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

- ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अलग-अलग देशों द्वारा की गई नीतिगत कार्रवाइयों का अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर 'स्पिल-ओवर' प्रभाव पड़ सकता है।

General government debt and fiscal indicators, as a percentage of GDP

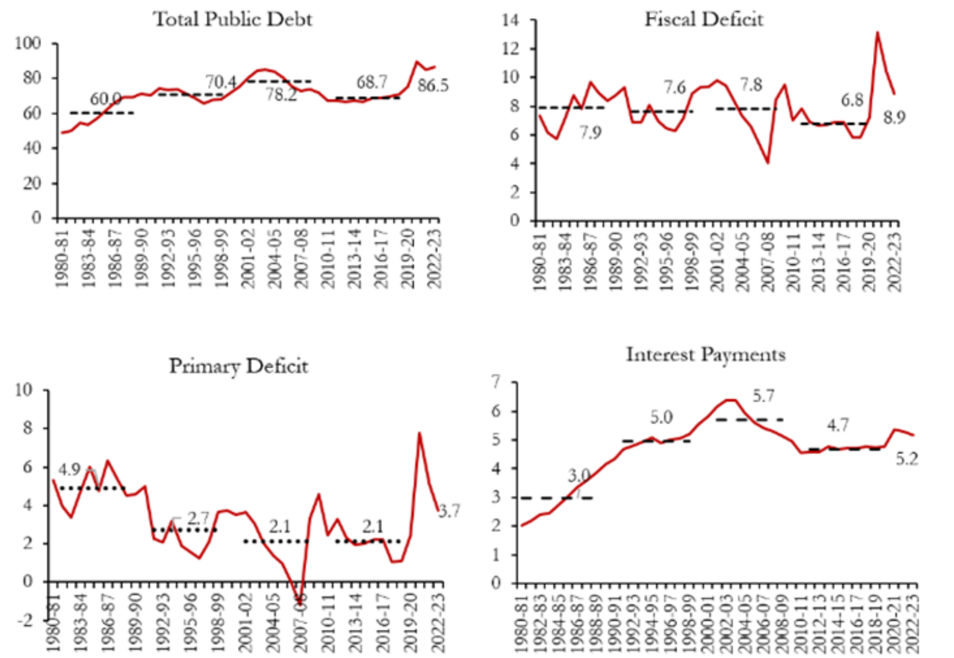

Notes: i) Total public debt in India includes debt issued and other liabilities in the Public Account consisting of National Small Saving Fund (NSSF), Provident Fund, Deposit and Reserve funds, securities issued to finance subsidies on oil, food and fertilisers, etc. ii) Dashed horizontal lines are decadal averages from 1980-81 to 1989-90, 1990-91 to 1999-2000, 2000-01 to 2009-10, and 2010-11 to 2019-20, respectively.

- **AI से जुड़ी चुनौतियाँ:** AI का उदय भी एक बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में, जैसा कि IMF के एक पेपर में उजागर किया गया है और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) की रिपोर्ट में भी यह बात प्रस्तुत की गई है।
  - IMF पेपर में अनुमान लगाया गया कि 40% वैश्विक रोज़गार AI के प्रभाव में है, जहाँ विस्थापन के जोखिमों के साथ-साथ पूरकता के लाभ भी शामिल हैं।
- **बढ़ती मुद्रास्फीति:** सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती व्यापक अर्थव्यवस्था पर बढ़ती मुद्रास्फीति का प्रभाव है।
  - मुद्रास्फीति श्रम आपूर्ति एवं मांग को बदलकर विकास को प्रभावित करती है और इस प्रकार उस क्षेत्र में कुल रोज़गार को कम करती है जो बढ़ते रिटर्न के अधीन है। रोज़गार के स्तर में कमी से पूंजी की सीमांत उत्पादकता में कमी आएगी।
- **कुशल कार्यबल की आवश्यकता:** उद्योग के लिये प्रतिभाशाली एवं उचित रूप से कुशल कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सभी स्तरों पर स्कूलों में आयु-उपयुक्त अधिगम प्रतिफल (learning outcomes) और एक स्वस्थ एवं सेहतमंद आबादी महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकताएँ हैं, जो आने वाले वर्षों में एक चुनौती बनी रहेगी। एक स्वस्थ, शिक्षित और कुशल आबादी आर्थिक रूप से उत्पादक कार्यबल को बढ़ाती है।
  - 'व्हीबॉक्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट' (Wheebox National Employability Test) के निष्कर्षों के अनुसार अंतिम-वर्ष और पूर्व-अंतिम-वर्ष के छात्रों की रोज़गार क्षमता प्रतिशत (employable percentage) वर्ष 2014 में 33.9% से बढ़कर वर्ष 2024 में 51.3 प्रतिशत हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** मौजूदा समय में देश के लिये उच्च निर्यात को बनाए रखना आसान नहीं होगा क्योंकि लाल सागर में हाल की घटनाओं सहित लगातार भू-राजनीतिक तनाव के कारण वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार में धीमी वृद्धि हुई है।

- ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हौथी (Houthi) के हमले ने भारत सहित कई देशों को अपने माल को संकटग्रस्त मार्गों से दूर लंबे और महंगे मार्गों पर मोड़ने के लिये विवश कर दिया है।
- कुछ अनुमानों में कहा गया है कि लाल सागर में संकट के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत का निर्यात 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम हो सकता है।

वर्ष 2024 में मज़बूत आर्थिक विकास के लिये कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

- **राजकोषीय समेकन की ओर आगे बढ़ना:** वर्ष 2022-23 में भारत का सामान्य सरकारी ऋण-जीडीपी अनुपात (debt to GDP ratio) जीडीपी का 82% था, जहाँ ब्याज भुगतान कुल व्यय का लगभग 17% था। इससे अधिक उत्पादक सरकारी व्यय के लिये सीमित गुंजाइश ही बचती है। इसलिये, यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि सरकार राजकोषीय समेकन पर ध्यान केंद्रित करती रहे और एक संवहनीय ऋण प्रक्षेप पथ की ओर आगे बढ़े।
  - मज़बूत प्रत्यक्ष कर संग्रह और RBI एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उच्च लाभांश हस्तांतरण से इस वर्ष निम्न विनिवेश की भरपाई होने की संभावना है।
  - कर में स्वस्थ उछाल के साथ, वर्ष 2024-25 के लिये 5.3% के बजटीय राजकोषीय घाटे का लक्ष्य अपेक्षित है क्योंकि सरकार वर्ष 2025-26 के लिये 4.5% के राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने के पथ पर आगे बढ़ रही है।
- **पूंजीगत व्यय (Capex) पर फोकस बनाए रखना:** विकास पर पूंजीगत व्यय के मज़बूत गुणक प्रभाव को देखते हुए आगामी वर्षों में पूंजीगत व्यय पर फोकस बनाये रखना चाहिये। आधारभूत संरचना पर निरंतर ध्यान बनाये रखने के साथ पूंजीगत व्यय के 10% बढ़कर लगभग 11 ट्रिलियन रुपए होने की उम्मीद है।
  - महामारी के बाद सरकार ने विकास को गति देने के साधन के रूप में पूंजीगत व्यय का लगातार उपयोग किया है। वर्ष 2023-24 में सरकारी पूंजीगत व्यय और जीडीपी अनुपात को बढ़ाकर 3.4% करने का बजटीय लक्ष्य रखा गया।
  - पिछले दो वर्षों में सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिये राज्य सरकारों को 2.3 ट्रिलियन रुपए के ब्याज मुक्त ऋण के लिये भी बजट प्रावधान किया है।
- **उपभोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता:** उपभोग में पुनरुद्धार अपेक्षाकृत कमज़ोर रहा है और यह उच्च-आय वर्ग की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। जबकि वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू उत्पाद (अग्रिम अनुमान के अनुसार) 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, उपभोग वृद्धि केवल 4.4% ही अनुमानित है।
  - कमज़ोर बाह्य मांग परिदृश्य को देखते हुए घरेलू मांग में पुनरुद्धार और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। राजकोषीय सीमाओं से अवगत होते हुए भी, उपभोग मांग को बढ़ाने के उपाय करने की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिये, पेट्रोल/डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2-3 रुपए प्रति लीटर की छोटी कटौती से खपत को कुछ बढ़ावा मिलेगा और राजकोषीय समीकरण को प्रभावित किये बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
- **मानव पूंजी पर व्यय की वृद्धि:** कई यूरोपीय देशों के लिये, सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद के पाँचवें हिस्से से अधिक है। यह देखते हुए कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन सेवाओं के लिये सरकार पर निर्भर है, इन सेवाओं पर व्यय बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है।
  - भारत एक ऐसे समय बड़ी कार्यशील-आयु आबादी का लाभ उठा सकने की अनूठी स्थिति में है, जब अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ वृद्ध होती कार्यशील आबादी की समस्या से जूझ रही हैं। हालाँकि, अर्थव्यवस्था के लिये इस जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग कर सकने के लिये सरकार को मानव पूंजी में निवेश करना होगा।
  - इसके लिये स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल पर वृहत व्यय की आवश्यकता है ताकि कार्यशील-आयु आबादी सार्थक रूप से नियोजित होने के लिये तैयार हो सके।
- **कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान देना:** ग्रामीण भारत में देश की 65% आबादी निवास करती है और कृषि क्षेत्र पर व्यापक निर्भरता रखती है। सकल मूल्यवर्द्धित (GVA) के संदर्भ में भारत की कृषि उत्पादकता चीन की तुलना में एक तिहाई और अमेरिका की तुलना में लगभग 1% है। क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार के उपायों से ग्रामीण आय में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
  - नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने और ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ावा देने के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। ग्रामीण कार्यबल को उचित कौशल प्रदान करने और उन्हें विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में जाने में सक्षम बनाने से कृषि क्षेत्र पर ग्रामीण कार्यबल की बड़ी निर्भरता को कम करने में भी मदद मिलेगी।

- **समसामयिक मुद्दों पर ध्यान देना:** व्यवसायों को फलने-फूलने के लिये एक सक्षम वातावरण प्रदन करना, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और समाज के हाशिये पर स्थिति वर्ग का उत्थान करना, कुछ अन्य मुद्दे हैं जिन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये।
    - यह उपयुक्त समय है कि विकास की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि सुनिश्चित हो कि विकास समतामूलक, संवहनीय और हरित हो।

निष्कर्ष:

पहले अग्रिम जीडीपी अनुमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की मज़बूत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद पहले के पूर्वानुमानों से अधिक है। सरकार की राजकोषीय नीतियों ने, महामारी-केंद्रित कल्याण से सार्वजनिक निवेश की ओर आगे बढ़ते हुए, आर्थिक क्षमता में वृद्धि की है, जो निवेश में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है।

हालाँकि, राजकोषीय समेकन के लिये पूंजीगत व्यय में बजटीय समर्थन को मध्यम करने की आवश्यकता है। खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होना और मैक्रोइकॉनोमिक बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखना निरंतर विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो नीतिनिर्माताओं के लिये एक चुनौतीपूर्ण लेकिन अनिवार्य कार्य है।

■■■

सरकार की दीर्घकालिक राजकोषीय रणनीति

आर्थिक सिद्धांत सुझाव देता है कि सरकारों को तब अधिक व्यय करना चाहिये जब निजी कंपनियों एवं परिवारों में आत्मविश्वास की कमी हो और वे व्यय नहीं कर रहे हों। निजी कंपनियों एवं परिवारों में आत्मविश्वास की बहाली और उनके द्वारा पुन: व्यय बढ़ाने के बाद सरकार को अपने व्यय को रोक लेना चाहिये। यह प्रति-चक्रीय राजकोषीय रणनीति (counter-cyclical fiscal strategy) विकास को सुचारू बनाती है और इसे अधिक संवहनीय बनाती है।

हालाँकि सरकारें, विशेषकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें, पहली भूमिका (व्यय बढ़ाना) को तो आसान मानती हैं, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाता है तो वे आमतौर पर कदम पीछे खींचने (व्यय रोकने) के प्रति अनिच्छुक होती हैं। भारत सरकार अपने अंतरिम बजट 2024 के माध्यम से ठोस राजकोषीय रणनीतियों को अपनाकर इस प्रवृत्ति को कम करती नज़र आ रही है।

राजकोषीय नीति की चक्रीयता क्या है?

- राजकोषीय नीति की चक्रीयता (Cyclicality of the Fiscal Policy) आर्थिक स्थितियों के आधार पर सरकारी व्यय और कराधान की दिशा में बदलाव को संदर्भित करती है।
- ये आर्थिक विकास में उतार-चढ़ाव के आधार पर नीतिनिर्माताओं द्वारा लिये गए निर्णयों से संबंधित हैं। चक्रीय राजकोषीय नीतियाँ दो प्रकार की होती हैं- प्रति-चक्रीय (counter-cyclical) और चक्रीय (procyclical)।
    - प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति (Counter-cyclical Fiscal Policy):
        - प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति से तात्पर्य सरकार द्वारा उठाये गए उन कदमों से है जो आर्थिक या व्यावसायिक चक्र की दिशा के विरुद्ध जाते हैं।
        - इस प्रकार, मंदी या गिरावट में, सरकार ऐसी मांग पैदा करने के लिये व्यय बढ़ाती है और करों को कम करती है जो आर्थिक उछाल ला सकती है।
        - मंदी की स्थिति में:
    - सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति (expansionary fiscal policy) का मार्ग अपनाती है, यानी सरकारी व्यय बढ़ाया जाता है और कर कम किये जाते हैं। इससे अर्थव्यवस्था की उपभोग क्षमता बढ़ती है और मंदी को कम करने में मदद मिलती है।
        - आर्थिक उछाल की स्थिति में:
    - सरकार संकुचनशील राजकोषीय नीति (contractionary fiscal policy) का मार्ग अपनाती है, यानी सरकारी व्यय कम कर दिया जाता है और कर बढ़ा दिये जाते हैं। इससे अर्थव्यवस्था की उपभोग क्षमता कम हो जाती है और उछाल को कम करने में मदद मिलती है।
    - चक्रीय राजकोषीय नीति (Procyclical Fiscal Policy):
        - प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति के विपरीत चक्रीय राजकोषीय नीति मौजूदा आर्थिक रुझानों को बढ़ा देती है।
        - मंदी की स्थिति में:
    - सरकारी व्यय कम किया जाता है और कर बढ़ाया जाता है। इससे कुल मांग में और कमी आती है, मंदी बढ़ती है, उच्च बेरोज़गारी उत्पन्न होती है और आर्थिक विकास धीमा होता है।

- जब समय पहले से ही कठिन हो तो इस दृष्टिकोण को कटौती (cutting back) के रूप में देखा जा सकता है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिये उबरना कठिन हो जाता है।
  - आर्थिक उछाल की स्थिति में:
- सरकारी व्यय बढ़ाया जाता है और कर घटाया जाता है। इससे आर्थिक उछाल को बढ़ावा मिलता है, जिससे संभावित रूप से 'ओवरहीटिंग' (overheating), मुद्रास्फीति (inflation) और 'एसेट बबल्स' (asset bubbles) की स्थिति बनती है।
- अनुकूल समय में अतिरिक्त व्यय का उपभोग करना आकर्षक लग सकता है, लेकिन यह कमजोरियाँ पैदा कर सकता है और अपरिहार्य मंदी/गिरावट को और भी गंभीर बना सकता है।

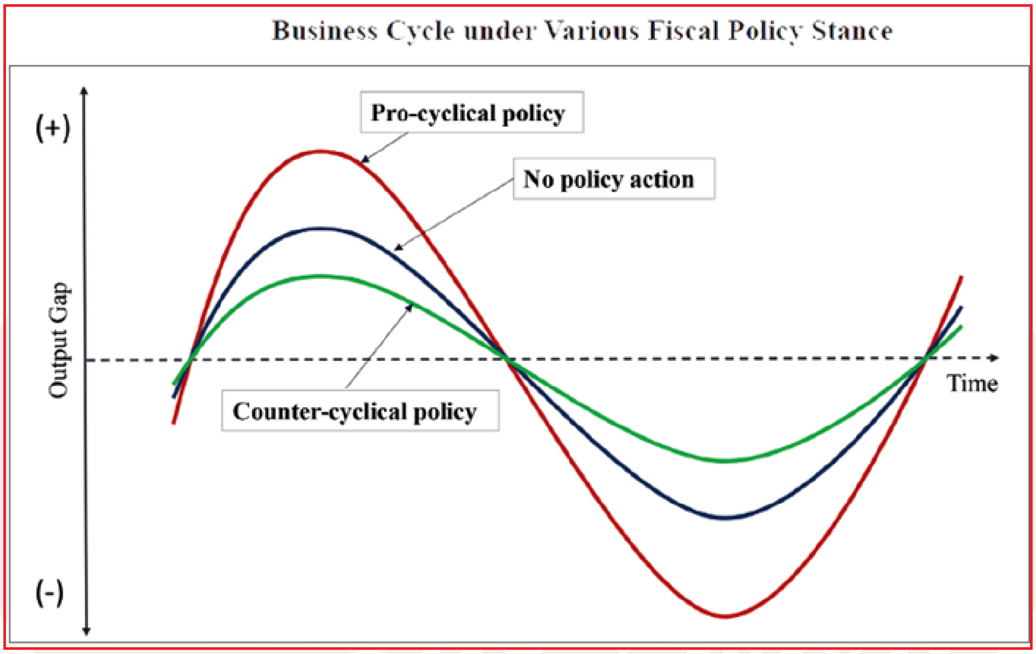

वर्ष 2024 में सरकार के लिये प्रति-चक्रीय राजकोषीय प्राथमिकताएँ क्या हैं?

- **राजकोषीय अनुशासन लक्ष्य (Fiscal Discipline Targets):**
  - वित्त वर्ष 2024-25 के लिये 5.1% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और वित्त वर्ष 2025-26 तक इसे और कम करने की प्रतिबद्धता के साथ, सरकार राजनीतिक संकेतों पर मैक्रोइकॉनोमिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है। यहाँ तक कि वित्त वर्ष 2024 के लिये भी राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.8% (बजटीय अनुमान 5.9% के मुकाबले) तक कम होने का अनुमान है।
    - यह वित्त वर्ष 2014 में 10.5% की बजटीय वृद्धि के मुकाबले 8.7% की अत्यंत कम नॉमिनल जीडीपी वृद्धि के साथ भी हासिल किया गया है।
    - वित्त वर्ष 2015 के लिये कर उछाल 1.1 माना गया है, जो वित्त वर्ष 24 के लिये अनुमानित 1.4 की कर उछाल को देखते हुए व्यापक रूप से प्राप्त करने योग्य नज़र आता है।
- **ब्याज लागत से निपटना (Dealing with Interest Costs):**
  - महामारी के दौरान ऋण-जीडीपी अनुपात (debt-to-GDP ratio) में उल्लेखनीय उछाल के कारण उच्च ब्याज लागत (जो पूर्व के घाटों को परिलक्षित करती है) बनी रहेगी और इसके लिये कई वर्षों तक राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता होगी।
    - सकल बाजार उधारी को वित्त वर्ष 2025 के लिये बजट में 14.1 ट्रिलियन रुपए रखा गया है, जो वित्त वर्ष 2024 के लिये 15.4 ट्रिलियन रुपए अनुमानित था।

- इससे सरकारी बॉण्ड यील्ड को कम करने में मदद मिलेगी और अंतत: कॉरपोरेट्स के लिये समग्र उधार लागत कम हो जाएगी, जो फिर निजी निवेश के लिये सकारात्मक सिद्ध होगी।

- **व्यय की गुणवत्ता (Quality of Spending):**
  - उच्च ऋण-जीडीपी अनुपात को कम करने के लिये व्यय की गुणवत्ता में सुधार अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह तीव्र कटौती से बचने (इस प्रकार जीडीपी वृद्धि को हानि पहुँचाने से बचने) पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास को समर्थन देने की राज्य की क्षमता को सीमित करने में योगदान कर सकता है।
- **राजकोषीय सख्ती को अंशांकित करना (Calibrating Fiscal Tightening):**
  - सरकार धीरे-धीरे राजकोषीय नीतियों को सख्त कर रही है क्योंकि आर्थिक सुधार में विश्वास बढ़ रहा है (वित्त वर्ष 2013 में 0.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2015 में 0.7%); इस प्रकार, विकास एवं ऋण कटौती की आवश्यकता संतुलित की जा रही है।
- **पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करना (Encouraging Capital Expenditure):**
  - पूंजीगत व्यय (capex) में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (11%) का कुल व्यय (6%) से अधिक होना सकारात्मक है, जो अनुसंधान के लिये ब्याज मुक्त ऋण सहित मध्यम अवधि के विकास चालकों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।
    - अंतरिम बजट में पूंजीगत व्यय पर बल देना जारी रखा गया है, जो इस समय आवश्यक है जब निजी क्षेत्र निवेश के मोर्चे पर पिछड़ रहा है।
    - बजट में वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय बढ़कर 11.1 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान रखा गया है। विकास पर पूंजीगत व्यय के मज़बूत गुणक प्रभाव को देखते हुए सरकार पिछले कुछ वर्षों से इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- **अवसंरचना पर फोकस:**
  - हाल के वर्षों में भारत की राजकोषीय नीति को अवसंरचना के विकास पर रणनीतिक फोकस के लिये चिह्नित किया गया है, जहाँ परिवहन, ऊर्जा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों के लिये बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है।
    - पूंजीगत व्यय और जीडीपी अनुपात (capex to GDP ratio) को वित्त वर्ष 2025 में 3.4% के उच्च स्तर पर बनाए रखा गया है, जो महामारी से पहले के वर्षों में 2% से भी कम रहा था। बजट में प्रावधान किये गए कुल पूंजीगत व्यय का लगभग 47% वित्त वर्ष 2025 में सड़क और रेलवे के लिये होगा।
- **सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना (Rationalising Subsidies):**
  - अधिक लक्षित संसाधन वितरण सुनिश्चित करने के लिये, विशेष रूप से ईंधन और खाद्य सब्सिडी जैसे क्षेत्रों में, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने हेतु एक ठोस प्रयास किया गया है।
    - वित्त वर्ष 2025 के लिये कुल सब्सिडी व्यय को वित्त वर्ष 2024 के लिये अनुमानित 4.4 ट्रिलियन रुपए से घटाकर 4.1 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया है। इससे सब्सिडी-जीडीपी अनुपात (subsidy-to-GDP ratio) वित्त वर्ष 2021 के महामारी वर्ष में 3.8 के चरम स्तर और वित्त वर्ष 2024 में 1.5 से घटकर 1.3 रह गया है।
    - मुख्य रूप से उर्वरक सब्सिडी में कमी के कारण कुल सब्सिडी का बोझ कम हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2024 की तुलना में खाद्य और पेट्रोलियम सब्सिडी में मामूली कमी आई है।
- **ग्रामीण मांग को बढ़ावा देना (Boosting Rural Demand):**
  - ग्रामीण विकास के लिये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) को 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं जो वित्त वर्ष 2024 के संशोधित अनुमान के बराबर है, लेकिन वित्त वर्ष 2024 के लिये बजट राशि 60,000 करोड़ रुपए से अधिक है।
  - ग्रामीण आवास को और बढ़ावा दिया गया है, जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले पाँच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएँगे। आवास क्षेत्र के मज़बूत गुणक प्रभाव को देखते हुए, यह ग्रामीण विकास के लिये सही दिशा में उठाया गया कदम है।

नोट :

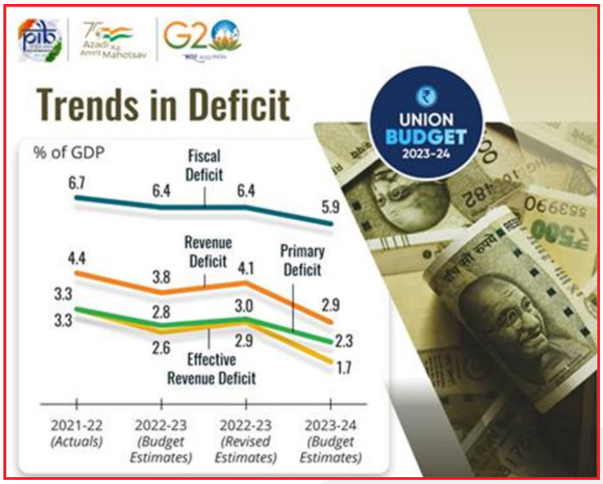

प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति का पालन करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **ऋण स्थिरता से संबद्ध मुद्दे (Issues in Debt Sustainability):**
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का यह निष्कर्ष उपयुक्त है कि जीडीपी वृद्धि भारत में ऋण स्थिरता के लिये निर्णायक कारक होगी, न कि ऋण स्थिरता जीडीपी वृद्धि के लिये।
  - इसने उस बौद्धिक आधार को तोड़ने का आह्वान किया जिसने राजकोषीय नीति के विरुद्ध एक असममित पूर्वाग्रह पैदा किया है और एक कीनेसियन प्रति-चक्रीय नीति प्रतिक्रिया की वकालत की है जो भारतीय संदर्भ में एक विस्तारित अवधि में काफी हद तक अनुपस्थित नज़र आता है।
- 'प्रो-साइक्लिकल' और 'काउंटर-साइक्लिकल' नीति के बीच संतुलन का अभाव:
  - भारत में, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (GFCE) के बीच तुलना पिछले कुछ वर्षों में लघु एवं दीर्घावधि दोनों में प्रति-चक्रीयता के तत्व का संकेत देती है।
    - लेकिन समस्या यह है कि भारत में अनुकूल या अच्छे समय में आजमाई गई राजकोषीय नीतियाँ कभी भी बुरे समय में पूरी तरह से संतुलित नहीं हुई हैं और इसलिये, गलत घाटे के पूर्वाग्रह के परिणामस्वरूप ऋण स्थिरता को खतरा उत्पन्न होता है। मैक्रोइकॉनोमिक स्थिरता के दृष्टिकोण से यह संभावित रूप से हानिकारक है।
- **भारतीय राज्यों के समक्ष विद्यमान राजकोषीय चुनौतियाँ:**
  - राजकोषीय घाटे में कमी के बावजूद, भारतीय राज्यों को अभी भी राजकोषीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से अपने राजस्व घाटे को नियंत्रित करने के विषय में, जिसमें राजकोषीय घाटे के अनुरूप गिरावट नहीं आई है।
  - राजस्व संबंधी चुनौतियाँ:
    - आर्थिक गतिविधि और कर संग्रह पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव।
    - जीएसटी राजस्व और मुआवजे की अनिश्चितता एवं अस्थिरता।
    - संघ से कर हस्तांतरण और उसके सूत्र-आधारित आवंटन पर निर्भरता।
    - जीएसटी के तहत विभिन्न करों के समाहित होने से राजकोषीय स्वायत्तता का क्षरण।
    - यूजर चार्ज, फ़ीस जैसे गैर-कर राजस्व जुटाने की सीमित गुंजाइश।
    - संपत्ति कर, स्टांप शुल्क जैसे स्वयं के करों को एकत्र करने में अनुपालन एवं प्रशासन संबंधी समस्याएँ।
- **उपभोग मांग में गिरावट:**
  - निजी उपभोग, जो भारत की जीडीपी में लगभग 55-60% का योगदान करता है, घटता जा रहा है।
    - जबकि परिवारों की आय वृद्धि में कमी ने शहरी उपभोग को कम कर दिया है, पिछले पाँच वर्षों में से तीन में सूखे या सूखे जैसी स्थिति के साथ-साथ खाद्य कीमतों में गिरावट ने ग्रामीण उपभोग पर भारी असर डाला है।
- **घाटे की वित्त व्यवस्था संबंधी चिंताएँ:**
  - जबकि एक विकास करती अर्थव्यवस्था में अपरिवर्तित राजकोषीय घाटा कम चिंताजनक है, घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing) के दो प्रमुख स्रोत—बाज़ार उधारी (market borrowings) और लघु-बचत योजनाएँ (small-savings schemes) संभावित चुनौतियाँ पैदा करते हैं।
- **नकदी शेष संबंधी चिंताएँ:**
  - लघु-बचत योजनाओं में प्रवाह बढ़ने से अनुमान से अधिक नकदी शेष (Cash Balance) की स्थिति बन सकती है, जिससे संभावित रूप से बैंकिंग प्रणाली में तरलता तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे राजकोषीय लाभ प्रभावित हो सकता है।

- जैसा कि हाल ही में देखा गया है, सामान्य से अधिक सरकारी नकदी शेष से अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, तरलता तनाव बढ़ सकता है और मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है।

आगे की राह

- **विवेकपूर्ण रुख:**
  - राजकोषीय समेकन प्राप्त करना: FRBM पर एन.के. सिंह समिति ने केंद्र सरकार के लिये 40% और राज्यों के लिये 20% के ऋण-जीडीपी अनुपात की परिकल्पना की थी, जिसका लक्ष्य कुल 60% सामान्य सरकारी ऋण-जीडीपी अनुपात प्राप्त करना था।
  - राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधार: केंद्र सरकार राज्यों द्वारा विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों के अंगीकरण को प्रोत्साहित कर सकती है और राजकोषीय अनुशासन के लिये प्रतिबद्ध राज्यों को रिवॉर्ड या इंटेंसिव देकर अत्यधिक उधार लेने के प्रति हतोत्साहित कर सकती है।
- **अतिरिक्त राजस्व जुटाना:**
  - कर संग्रहण और अनुपालन बढ़ाना: सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिये कर प्रशासन और अनुपालन में सुधार किया जाए। जीएसटी और आयकर रिटर्न के क्रॉस-मैचिंग के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संग्रहण दक्षता को बढ़ाया जा सकता है और कर चोरी पर अंकुश लगाया जा सकता है।
  - प्रशासनिक सुव्यवस्थितता: प्रशासनिक सुव्यवस्थितता और नए करों के अंगीकरण एवं बेहतर प्रशासन के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व जुटाना।
  - विनिवेश और कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन: सरकारी संसाधनों को इष्टतम करने और अत्यधिक उधार लेने की आवश्यकता को कम करने के लिये विनिवेश एवं रणनीतिक परिसंपत्ति प्रबंधन को अपनाया जाए।
- **अवसंरचना और क्षमता निर्माण में परिव्यय को पुनःउन्मुख करना:**
  - अवसंरचनात्मक निवेश: आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिये भौतिक अवसंरचना, मानव पूंजी और हरित पहल में निवेश को प्राथमिकता दिया जाए।
  - घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों का निजीकरण: सरकार घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के निजीकरण पर विचार कर सकती है, जैसा कि एयर इंडिया के मामले में किया गया था।
  - सामाजिक योजनाओं में पीपीपी मॉडल: सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) जैसी सामाजिक योजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर विचार कर सकती है। इससे सार्वजनिक ऋण को कम करने में मदद मिल सकती है।
  - 'ग्रीन डेट स्वैप' की शुरुआत करना: ग्रीन डेट स्वैप (Green Debt Swaps) में एक देनदार राष्ट्र और उसके लेनदार मौजूदा ऋण के आदान-प्रदान या पुनर्गठन के लिये इस तरह से समझौता वार्ता करते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल और सतत परियोजनाओं के साथ संरेखित हो।
    - यह निम्न-आय देशों को अपने ऋण भुगतान का कुछ भाग जलवायु परिवर्तन, प्रकृति संरक्षण, स्वास्थ्य या शिक्षा से संबंधित उपायों में निवेश कर सकने में सक्षम बनाता है। लेनदारों की सहमति से ऐसी ऋण अदला-बदली से दुनिया के निम्न-आय देशों को डिफ़ॉल्ट से बचने में मदद मिल सकती है।
- **संस्थागत तंत्र का उपयोग करना:**
  - सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का लाभ उठाना: PFMS का पूरी क्षमता से लाभ उठाना राजकोषीय घाटे के प्रभावी प्रबंधन का अभिन्न अंग है, जिससे सरकारी व्यय में अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
  - सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) की स्थापना: PDMA एक केंद्रित एवं विशिष्ट दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से संबंधित विशेषज्ञता और ज़िम्मेदारियों को केंद्रीकृत करेगा।
    - इससे देश में सार्वजनिक ऋण की जटिलताओं से निपटने में अधिक प्रभावी निर्णयन और रणनीतिक योजना-निर्माण में मदद मिल सकती है।
- **बजटीय पहलुओं में सुधार करना:**
  - विश्वसनीय बजट अभिग्रह/धारणाएँ (Credible Budget Assumptions): बजट के अभिग्रह, जिनमें नॉमिनल जीडीपी वृद्धि और कर-जीडीपी अनुपात शामिल हैं, को विश्वसनीय माना जा रहा है, जहाँ व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट करों में सुधार (जो कोविड के बाद के आर्थिक सुधार को परिलक्षित करता है) नज़र आता है और यह 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - बजट आँकड़े में पारदर्शिता: अतिरिक्त-बजटीय व्यय को कम कर पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास जारी रहने चाहिये, जहाँ

वित्त वर्ष 2025 में प्राथमिक घाटे को पूर्व-कोविड स्तरों के करीब लाया जा सके और संभवत: वित्त वर्ष 2026 में इनसे भी नीचे लाया जा सके।

- मध्यम-आवधिक राजकोषीय प्रबंधन: राजकोषीय समेकन के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को मध्यम-आवधिक राजकोषीय प्रबंधन के साथ जोड़ा जाना चाहिये, जो निजी क्षेत्र और वित्तीय बाज़ारों को पूर्वानुमान प्रदान करता है।

निष्कर्ष

एक प्रति-चक्रीय राजकोषीय रणनीति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, मैक्रोइकॉनोमिक स्थिरता को प्राथमिकता देना और वित्त वर्ष 2024-25 के लिये अर्थशास्त्रियों के अनुमान से कम राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का पालन करना, मध्यम-आवधिक राजकोषीय प्रबंधन की दिशा में एक स्वागतयोग्य रुझान को दर्शाता है। बजट में अंतर्निहित विश्वसनीय अभिग्रह/धारणाएँ, जिनमें उचित जीडीपी वृद्धि अनुमान और कर-जीडीपी अनुपात में सुधार शामिल हैं, इसकी गुणवत्ता को और बढ़ाते हैं। हालाँकि, सरकार के वित्तपोषण विकल्पों का संभावित प्रभाव, विशेष रूप से उच्च नकदी शेष के प्रबंधन में, तरलता और मौद्रिक नीति प्रभावशीलता पर अनपेक्षित परिणामों से बचने के लिये सावधानीपूर्वक विचार की मांग रखता है।

■■■

भारत-म्याँमार संबंध: मुक्त आवागमन पर नियंत्रण

हाल ही में भारतीय गृह मंत्री ने लोगों की मुक्त आवाजाही को रोकने के लिये भारत-म्याँमार सीमा की पूरी लंबाई में बाड़ लगाने के निर्णय की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य मणिपुर, मिज़ोरम, असम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को स्पर्श करती 1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्याँमार सीमा पर लोगों की निर्बाध आवाजाही को नियंत्रित करना है।

इस पहल के एक भाग के रूप में म्याँमार के साथ वर्तमान में मौजूद मुक्त आवाजाही व्यवस्था (Free Movement Regime- FMR) समझौते की समीक्षा की जा रही है। बाड़ लगाने का भारत का यह प्रस्ताव स्पष्ट रूप से उसकी सुरक्षा चिंताओं में निहित है, लेकिन आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसे विरोध का सामना करना पड़ सकता है और इसका संभावित रूप से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

भारत-म्याँमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FRM):

- **परिचय:** FRM दोनों देशों के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था है जो सीमा के दोनों ओर रहने वाली जनजातियों (tribes) को बिना वीज़ा के दूसरे देश के अंदर 16 किमी. तक जा सकने की अनुमति देती है। इसे वर्ष 2018 में भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट' (Act East) नीति के एक अंग के रूप में लागू किया गया था।
- **इसकी तार्किकता:** भारत-म्याँमार सीमा के विभाजन का इतिहास वर्ष 1826 से शुरू होता है जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा स्थानीय निवासियों की राय पर विचार किये बिना सीमांकन किया गया था। इस सीमांकन के परिणामस्वरूप सीमा के दोनों ओर निवास करने वाली उस आबादी में विभाजन पैदा हुआ जो मज़बूत जातीय एवं पारिवारिक बंधन साझा करते हैं।
- **महत्त्व:** लोगों के परस्पर संपर्क को बढ़ावा देने के अलावा, स्थानीय व्यापार एवं व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये इस मुक्त आवाजाही व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। इस क्षेत्र में सीमा शुल्क और सीमा हाटों द्वारा सुगम बनाये गए सीमा-पार वाणिज्य की एक समृद्ध परंपरा पाई जाती है।

भारत-म्याँमार संबंध क्यों महत्त्वपूर्ण है ?

भू-राजनीतिक महत्त्व:

- **दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार:** म्याँमार दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाले भूमि सेतु के रूप में कार्य करता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से म्याँमार की निकटता एक रणनीतिक संबंध स्थापित करती है और क्षेत्रीय संपर्क (कनेक्टिविटी) की सुविधा प्रदान करती है।
- **बंगाल की खाड़ी में कनेक्टिविटी:** बंगाल की खाड़ी में भारत और म्याँमार द्वारा साझा की जाती समुद्री सीमा समुद्री सहयोग के अवसरों को बढ़ाती है तथा आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग को संपोषित करती है।

- **क्षेत्रीय शक्ति संतुलन:** क्षेत्र में विद्यमान भू-राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए, म्याँमार के साथ एक सुदृढ़ संबंध भारत को किसी भी ऐसे संभावित क्षेत्रीय शक्ति असंतुलन से बचने में मदद करता है जो अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के प्रभाव से उत्पन्न हो सकता है। म्याँमार के साथ भारत की सक्रिय संलग्नता इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति संतुलन का कार्य करती है।

रणनीतिक महत्त्व:

- **रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण पड़ोस:** म्याँमार एक बड़ा बहु-जातीय राष्ट्र है, जो भारत के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण पड़ोस में स्थित है। म्याँमार के भीतर के घटनाक्रम का इसके पाँच पड़ोसी देशों—चीन, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश और भारत पर प्रभाव पड़ता है।
- **'नेवरहुड फर्स्ट' नीति:** भारत की 'नेवरहुड फर्स्ट' (Neighbourhood First) नीति के तहत म्याँमार के प्रति इसका दृष्टिकोण एक सुदृढ़, सहकारी एवं पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग विकसित करने के महत्त्व को रेखांकित करता है।
- **'एक्ट ईस्ट' नीति:** म्याँमार भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का एक प्रमुख घटक है। यह नीति एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य की गई राजनयिक पहल है।
- **बहुपक्षीय संलग्नता:** सार्क (SAARC), आसियान (ASEAN), बिम्सटेक (BIMSTEC) और मेकांग-गंगा सहयोग (Mekong Ganga Cooperation) में म्याँमार की सदस्यता ने द्विपक्षीय संबंधों में एक क्षेत्रीय आयाम पेश किया है और भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के संदर्भ में अतिरिक्त महत्त्व प्रदान किया है।

सहकार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र:

- **द्विपक्षीय व्यापार:** भारत म्याँमार का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जहाँ वर्ष 2021-22 में दोनों देश का द्विपक्षीय व्यापार 1.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
  - दोनों देश कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों के लिये आर्थिक अवसर सृजित करते हुए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं।
- **ऊर्जा सहयोग:** म्याँमार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है। 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऊर्जा पोर्टफोलियो के साथ, म्याँमार दक्षिण-पूर्व एशिया में तेल एवं गैस क्षेत्र में भारत के निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।

नोट :

- **अवसंरचना निवेश:** कलादान मल्टी-मोडल पारगमन परिवहन परियोजना (Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project) और सितवे बंदरगाह (Sittwe Port) जैसी अवसंरचना परियोजनाओं का उद्देश्य संपर्क, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना है।
  - कलादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना: इस परियोजना का लक्ष्य पूर्वी भारत के कोलकाता बंदरगाह को म्याँमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ना है।
  - भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना: इस परियोजना का लक्ष्य तीन देशों के बीच सड़क संपर्क स्थापित करना है, जहाँ यह राजमार्ग भारत के मणिपुर राज्य के मोरेह (Moreh) से शुरू होकर म्याँमार से गुज़रते हुए थाईलैंड के माई सॉट (Mae Sot) पर समाप्त होगा।

- **रणनीतिक रक्षा साझेदारी:** भारत और म्याँमार गहन रक्षा साझेदारी रखते हैं, जहाँ भारत सैन्य प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है और म्याँमार सेना के साथ संयुक्त अभ्यास आयोजित करता है।
  - भारत-म्याँमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास (India-Myanmar Bilateral Army Exercise- IMBAX) का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के साथ घनिष्ठ संबंध का निर्माण करना और उसे बढ़ावा देना है।

क्षमता निर्माण के प्रयास:

- **विकासात्मक सहायता:** भारत ने 'सॉफ्ट लोन' के रूप में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विस्तार किया है। इसने म्याँमार के प्रति निर्देशात्मक होने के बजाय उसकी आवश्यकता एवं रुचि के क्षेत्रों में विकासात्मक सहायता देने की पेशकश की है।
  - भारत उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के लिये संस्थान स्थापित करने में भी सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें म्याँमार सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, उन्नत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र आदि शामिल हैं।
  - भारत ने आपदा जोखिम शमन में क्षमता निर्माण के साथ-साथ म्याँमार के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को सबल करने में सहायता प्रदान करने की भी पेशकश की है।
- **मानवीय सहायता:** संकट के दौरान म्याँमार को भारत की मानवीय सहायता (जैसे कि COVID-19 के दौरान प्रदत्त सहायता) द्विपक्षीय संबंधों की शक्ति को प्रदर्शित करती है और क्षेत्रीय कल्याण के प्रति भारतीय प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
  - भारत ने म्याँमार में चक्रवात मोरा (2017), कोमेन (2015) और शान राज्य में भूकंप (2010) जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता प्रदान करने में तुरंत एवं प्रभावी प्रतिक्रिया दी थी।
- **सांस्कृतिक संपर्क:**
  - सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध: भारत और म्याँमार बौद्ध विरासत और उपनिवेशवाद के साझा इतिहास के संदर्भ में सांस्कृतिक संबंध रखते हैं। ये संबंध मज़बूत राजनयिक संबंधों और आपसी समझ की नींव का निर्माण करते हैं।
  - भारतीय प्रवासी: म्याँमार में भारतीय मूल के लोग देश की कुल आबादी का लगभग 4% हैं। भारतीय प्रवासी व्यापारिक उद्यमों, व्यापार और निवेश के माध्यम से म्याँमार की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत-म्याँमार संबंधों में विद्यमान प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **आंतरिक सुरक्षा चिंता:**
  - भारत-म्याँमार सीमा अत्यधिक खुली होने के साथ यहाँ निगरानी की कमी है और यह एक सुदूर, अविकसित, उग्रवाद-प्रवण क्षेत्र के साथ ही एक अफ़ीम उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है।
  - इस भेद्यता का भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी संगठनों एवं विद्रोही समूहों द्वारा लाभ उठाया गया है। इस खुली सीमा के माध्यम से प्रशिक्षित कर्मियों की आपूर्ति और हथियारों की तस्करी के मामले सामने आए हैं।
  - पूर्वोत्तर भारत के विद्रोही समूहों ने म्याँमार के सीमावर्ती ग्रामों और क़स्बों में अपने शिविर स्थापित कर रखे थे।

- सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ (CLAWS) की अनुराधा ओइनम (Anuradha Oinam) द्वारा प्रकाशित एक पेपर के अनुसार, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (NSCN) जैसे कई विद्रोही समूहों और कुकी एवं ज़ोमिस लोगों के कुछ छोटे समूहों ने म्याँमार के सगैंग प्रभाग (Sagaing Division), काचिन राज्य (Kachin State) और चिन राज्य (Chin State) में शिविर स्थापित किये हैं।

- **मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FRM):** भारत सरकार म्याँमार के साथ FRM समाप्त करने पर विचार कर रही है।
  - FRM के स्थानीय आबादी के लिये लाभप्रद और भारत-म्याँमार संबंधों को बढ़ाने में सहायक होने के बावजूद, अवैध आप्रवासन, नशीली दवाओं की तस्करी एवं हथियारों के व्यापार को अवसर देने में इसकी भूमिका के कारण इसकी आलोचना भी होती रही है।
- **म्याँमार में त्रिकोणीय सत्ता संघर्ष:** सैन्य तख्तापलट (जिसने म्याँमार की मामूली लोकतांत्रिक उपलब्धियों को भी नष्ट कर दिया) के तीन वर्ष बाद भी देश आंतरिक कलह में उलझा हुआ है।
  - 'दक्षिण-पूर्व एशिया का मरीज' (Sick Man of Southeast Asia): म्याँमार में सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं, जहाँ सैन्य शासन, राजनीतिक संस्थाएँ और जातीय संगठन हिंसक संघर्ष के चक्र में संलग्न हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नागरिक अशांति इसमें शामिल किसी भी पक्ष के लिये निर्णायक जीत की अत्यंत सीमित संभावना प्रस्तुत करती है।
  - नागरिक स्वतंत्रता सूचकांक (Civil Liberty Index): म्याँमार को नागरिक स्वतंत्रता सूचकांक—जो मापता है कि नागरिक किस हद तक नागरिक स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं, में शून्य का स्कोर दिया गया है।
- **चीन का प्रभाव:** चीन म्याँमार का सबसे बड़ा निवेशक होने के साथ-साथ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। चीन ने न केवल आर्थिक संबंधों और व्यापार के माध्यम से, बल्कि 'सॉफ्ट पावर' का लाभ उठाकर (विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से) म्याँमार में अपने प्रभाव को मज़बूत कर लिया है।
  - म्याँमार के भीतर चीन के प्रभाव को कम करने का कार्य भारत के लिये चुनौतीपूर्ण सिद्ध हुआ है।
- **अवसंरचना परियोजनाओं में देरी:** समय के साथ भारत-म्याँमार संबंधों में भरोसे की कमी उभर कर सामने आई है, जो विविध परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगातार देरी करने की भारत की बन गई छवि से प्रेरित है।
  - सहयोगात्मक अवसंरचना परियोजनाओं, विशेष रूप से कलादान मल्टी-मोडल पारगमन परिवहन परियोजना एवं सितवे बंदरगाह (जो संपर्क/कनेक्टिविटी को मज़बूत करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं) के समय पर निष्पादन में व्यापक देरी ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में बाधा उत्पन्न की है।
- **रोहिंग्या संकट:** रोहिंग्या संकट एक मानवीय और मानवाधिकार संबंधी त्रासदी है जिसने भारत और म्याँमार के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। उल्लेखनीय है कि म्याँमार में उत्पीड़ित रोहिंग्या आबादी ने बांग्लादेश और भारत जैसे पड़ोसी देशों में शरण ली है।
  - कुछ रोहिंग्या लोगों और आतंकवादी समूहों के बीच कथित संबंध से उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं के साथ ही देश के संसाधनों और सामाजिक सद्भाव पर बोझ का हवाला देते हुए भारत ने इस मामले पर एक विशिष्ट रुख अपनाया है।

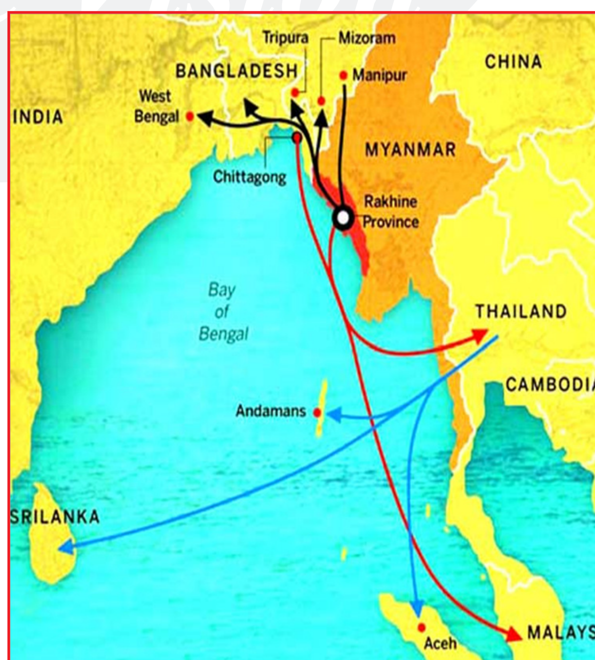

नोट :

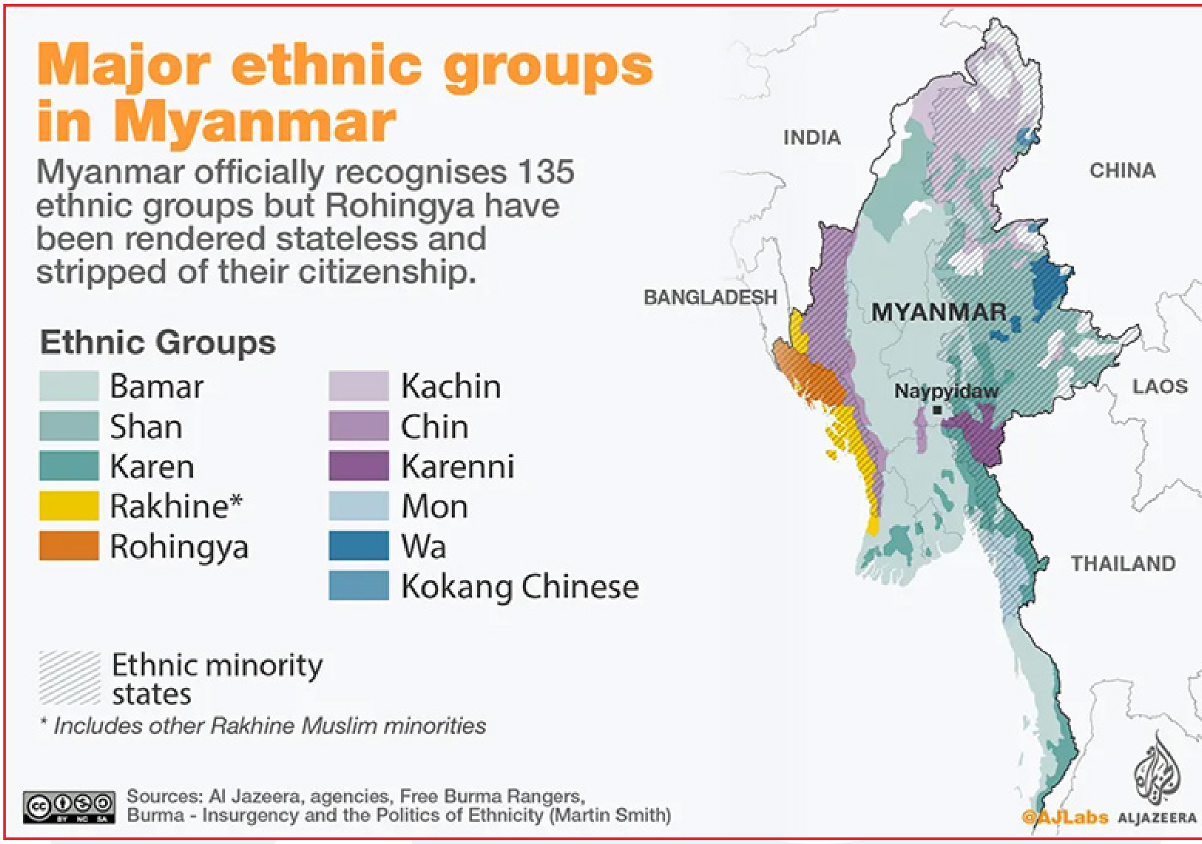

आगे की राह

रणनीतिक कूटनीति:

- **मुक्त आवाजाही व्यवस्था का बेहतर विनियमन:** FRM को सीमा-पार संपर्क को संरक्षित करते हुए आवाजाही के प्रभावी प्रबंधन में सक्षम होना चाहिये। अवसंरचना को उन्नत करने और निर्दिष्ट प्रवेश बिंदुओं पर व्यापार को औपचारिक बनाने से कुछ प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है।
  - स्थानीय आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए, FRM को पूरी तरह से हटाना या सीमा की पूर्ण घेरेबंदी करना उपयुक्त कदम नहीं होगा।
- **विविध हितधारकों के साथ संलग्नता:** भारत को लोकतंत्र का समर्थन करने वाले विभिन्न हितधारकों के साथ भागीदारी के अवसरों का विस्तार करते हुए सैन्य सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों का संपोषण करने के रूप में एक नाजुक संतुलन बनाए रखना चाहिये।
- **चीन के प्रभाव को संतुलित करना:** म्याँमार की संप्रभुता का सम्मान करते हुए, भारत को क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिये रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग में संलग्न होना चाहिये। भारत की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिये संयुक्त परियोजनाओं और पहलों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

सहकार्यात्मक साधनों का उपयोग करना:

- **दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देना:** व्यापार संबंधों में विविधता लाने और म्याँमार द्वारा भारत को अधिक निर्यात कर सकने के अवसरों की खोज करने के माध्यम से व्यापार असंतुलन को दूर करना होगा। निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों से परे के क्षेत्रों का भी पता लगाना चाहिये।
  - भारत सरकार ने यांगून के पास थानलिन क्षेत्र में एक पेट्रोलियम रिफाइनरी परियोजना के निर्माण के लिये 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का प्रस्ताव दिया है।
- **अवसंरचना परियोजनाओं को समय पर पूरा करना:** कलादान मल्टी-मोडल पारगमन परिवहन परियोजना और सितवे बंदरगाह जैसी संयुक्त अवसंरचना परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। इससे संपर्क और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दोनों देशों को लाभ प्राप्त होगा।

- **सुरक्षा सहयोग को बेहतर बनाना:** सीमा पर विद्रोही समूहों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिये दोनों देश आतंकवाद विरोधी उपायों में परस्पर सहयोग करें। खुफिया जानकारी की साझेदारी और संयुक्त अभियान से क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति सशक्त की जा सकती है।

ट्रैक II कूटनीति को सुगम बनाना:

- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान का उपयोग करना:** दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक बंधन को मज़बूत करने के लिये सांस्कृतिक संपर्क और लोगों के परस्पर संपर्क को बढ़ावा दिया जाए। आदान-प्रदान कार्यक्रम, संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम और शैक्षिक सहयोग आपसी समझ को बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं।
    - इस साझा विरासत पर आगे बढ़ते हुए, भारत बागन (Bagan) में स्थित आनंद मंदिर के जीर्णोद्धार और बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त पैगोडा की मरम्मत एवं संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय पहलें कर रहा है।
- **शांति सम्मेलनों का आयोजन करना:** भारत एक 'शांति सभा' (Peace Assembly) आयोजित करने पर विचार कर सकता है, जिसमें 'क्वाड' के सदस्य देशों और 'आसियान ट्रोइका' (इंडोनेशिया, लाओस एवं मलेशिया) के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों को साथ लाया जाए।
    - यह सभा म्याँमार में मानवाधिकार के मुद्दों का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकती है, एक व्यापक योजना तैयार कर सकती है और सुरक्षा एवं स्थिरता की दिशा में प्रगति के लिये व्यावहारिक समर्थन प्रदान कर सकती है।
    - यह सभा, क्षेत्र के लिये अधिक आशाजनक भविष्य की संभावनाओं को उजागर करने में लोकतंत्रवादी नेत्री आंग सान सू की (Aung San Suu Kyi) की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, उनकी अविलंब रिहाई के लिये दबाव भी बना सकती है।

निष्कर्ष:

भारत को म्याँमार से बहुत कुछ प्राप्त करना है और म्याँमार को बहुत कुछ देना भी है। यह पारस्परिक गतिशीलता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का आधार बनाती है। इन प्रक्षेपपथों के साथ प्रगति करते हुए, भारत और म्याँमार में क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए सहयोगात्मक प्रयासों में सक्रिय रूप से संलग्न होकर एक दूरदर्शी गठबंधन को आकार दे सकने की क्षमता है।

■■■

WTO के अपीलीय निकाय में सुधार

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation- WTO) के सदस्य देश फ़रवरी 2024 में आहूत 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक के लिये अबू धाबी में मिलेंगे तो संगठन के विवाद निपटान तंत्र (Dispute Settlement Mechanism-DSM) में जारी संकट उनके लिये वार्ता का एक प्रमुख एजेंडा होगा। WTO के DSM में एक पैनल और एक अपीलीय निकाय (Appellate Body- AB) के साथ एक बाध्यकारी दो-स्तरीय प्रक्रिया शामिल है। वर्ष 2019 के उत्तरार्द्ध के बाद से यह निष्क्रिय बना हुआ है क्योंकि अमेरिका (जिसे AB के समक्ष प्रस्तुत कई महत्त्वपूर्ण विवादों में हार का सामना करना पड़ा है) ने एकतरफा तरीके से नए सदस्यों की नियुक्ति को बाधित कर रखा है।

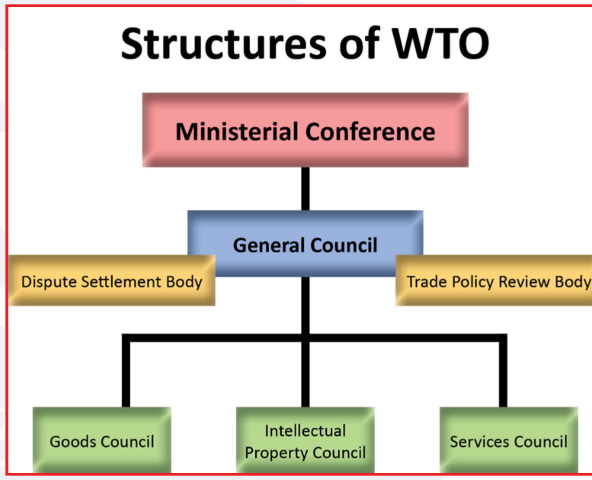

WTO का विवाद निपटान तंत्र (DSM):

- **परामर्श:**
    - औपचारिक विवाद शुरू करने से पहले, शिकायत करने वाले पक्ष को बचाव पक्ष से परामर्श का अनुरोध करना चाहिये। वार्ता के माध्यम से विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की दिशा में यह पहला कदम होता है।
    - यह परामर्श विशिष्ट समयसीमा के भीतर आयोजित किया जाना चाहिये और इसमें शामिल पक्षकारों को पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
- **पैनल स्थापना:**
    - यदि परामर्श विवाद को हल करने में विफल रहता है तो शिकायत करने वाला पक्ष विवाद निपटान पैनल की स्थापना का अनुरोध कर सकता है। विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body- DSB) इस प्रक्रिया की निगरानी करता है।

- WTO सदस्यों के बीच विवादों के निपटान के लिये DSB के रूप में सामान्य परिषद (General Council) आहूत कि जाती है। DSB के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं:
  - विवाद निपटान पैनल स्थापित करना,
  - मामलों को मध्यस्थता (arbitration) के लिये संदर्भित करना;
  - पैनल, अपीलीय निकाय और मध्यस्थता रिपोर्ट को अपनाना;
  - ऐसी रिपोर्टों में निहित सिफ़ारिशों और निर्णयों के कार्यान्वयन पर निगरानी बनाए रखना; और
  - उन सिफ़ारिशों और निर्णयों के ग़ैर-अनुपालन की स्थिति में रियायतों के निलंबन को अधिकृत करना।
- पैनल का निर्माण व्यापार कानून और विवाद की विषय वस्तु में प्रासंगिक विशेषज्ञता रखने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञों से किया जाता है। पैनल मामले की जाँच करता है, दोनों पक्षों के तर्कों की समीक्षा करता है और एक रिपोर्ट जारी करता है।

- **पैनल रिपोर्ट:**
  - पैनल की रिपोर्ट में तथ्य के निष्कर्ष, कानूनी व्याख्याएँ और समाधान के लिये सिफ़ारिशें शामिल होती हैं। इसे सभी WTO सदस्यों के बीच प्रसारित किया जाता है, जिससे उन्हें इसकी समीक्षा करने और अपनी टिप्पणियाँ प्रदान करने की अनुमति मिलती है।
- **अंगीकरण या अपील:**
  - DSB इस पैनल रिपोर्ट को अंगीकृत करता है यदि ऐसा करने के विरुद्ध आम सहमति न हो। यदि आम सहमति नहीं बनती है तो मामले की अपील अपीलीय निकाय के समक्ष की जा सकती है।
  - WTO का अपीलीय निकाय:
    - अपीलीय निकाय (Appellate Body) की स्थापना वर्ष 1995 में विवाद निपटान को नियंत्रित करने वाले नियमों एवं प्रक्रियाओं पर समझौता (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes- DSU) के अनुच्छेद 17 के तहत की गई थी।
    - यह सात-सदस्यीय स्थायी निकाय है जो WTO सदस्यों द्वारा उठाये गए विवादों पर पैनल द्वारा जारी रिपोर्टों पर की गई अपील की सुनवाई करता है। अपीलीय निकाय के सदस्य चार वर्ष के कार्यकाल के लिये नियुक्त किये जाते हैं।
    - यह पैनल के कानूनी अन्वेषण और निष्कर्षों को बरकरार रख सकता है, संशोधित कर सकता है या उन्हें पलट सकता है। अपीलीय निकाय की रिपोर्ट, यदि DSB द्वारा अंगीकृत कर ली जाती है तो फिर यह विवाद में शामिल पक्षकारों पर बाध्यकारी होती है।
    - अपीलीय निकाय की सीट जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- **सिफारिशों का कार्यान्वयन:**
  - यदि कोई WTO सदस्य अपने दायित्वों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उससे WTO समझौतों के अनुपालन में अपने उपाय लागू करने की उम्मीद की जाती है।
  - यदि सदस्य ऐसा करने में विफल रहता है तो शिकायतकर्ता प्राधिकार से उस पर रियायतों या अन्य उपायों के निलंबन के माध्यम से जवाबी कार्रवाई करने की मांग कर सकता है।

अमेरिका द्वारा WTO के लिये कौन-सी एकतरफा चुनौतियाँ पेश की गई हैं?

- **WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC11), 2017:**
  - ब्यूनस आयर्स में आयोजित सम्मेलन बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गया क्योंकि 164 सदस्यीय निकाय में आम सहमति नहीं बन पाई।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका ने खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिये सरकारी स्टॉकहोल्डिंग पर स्थायी समाधान को अवरुद्ध कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ई-कॉमर्स और निवेश सुविधा सहित नए मुद्दों पर भारत अपना रुख सख्त करने के लिये बाध्य हुआ।
- **ई-कॉमर्स वार्ता:**
  - अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के नेतृत्व में विकसित देशों ने WTO के भीतर ई-कॉमर्स, निवेश सुविधा और MSMEs पर बड़े दबाव समूहों का निर्माण कर (जहाँ प्रत्येक सूत्रीकरण में 70 से अधिक देश शामिल थे) WTO वार्ताओं में जारी गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की।
    - यद्यपि WTO आम सहमति से संचालित होता है और यहाँ तक कि किसी बहुपक्षीय समझौते के लिये भी सभी सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इन समूहों के गठन से WTO को बहुपक्षवाद पर अपने फोकस से दूर करने का प्रयास किया जाता है क्योंकि ये सुधार बड़े पैमाने पर विकासशील देशों (जैसे G-77 आदि) द्वारा समर्थित नहीं हैं।

- **TRIPS के विवादास्पद प्रावधानों का बचाव:**
  - अमेरिका द्वारा व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों (Trade Related Intellectual Property' rights- TRIPs)—जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क शामिल हैं, का कठोर बचाव किया जाता है और स्वास्थ्य एवं मानव जीवन की परवाह नहीं की जाती है।
  - WTO ने उप-सहारा अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के देशों में (जहाँ हर दिन HIV/AIDS से हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है) जीवनरक्षक दवाएँ प्रदान कर अपने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा का प्रयास करने वाली सरकारों के विरुद्ध फार्मास्युटिकल कंपनियों के 'लाभ के अधिकार' की रक्षा की है।
- **व्यापार वार्ता के दोहा दौर के मुद्दे:**
  - अमेरिका ने अत्यधिक मांगें तैयार करने के रूप में, जिनकी पूर्ति के लिये कोई देश तैयार नहीं था, जानबूझकर दोहा दौर की व्यापार वार्ता प्रक्रिया को प्रभावित किया।
  - अमेरिकी प्रशासन की प्राथमिकता यह नहीं थी कि गतिरोध की शिकार WTO वार्ता को पुनर्जीवित किया जाए, बल्कि वह अपने प्रतिस्पर्द्धियों यूरोप और चीन को नियंत्रित करने के लिये अपने नवनिर्मित विकल्प TPP (Trans-Pacific Partnership) पर केंद्रित था।
- **अपीलीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति को बाधित करना:**
  - कई वर्षों से व्यापार विवादों के निपटारे की बहुपक्षीय प्रणाली गहन संवीक्षा और निरंतर आलोचना के अधीन रही है।
  - अमेरिका ने व्यवस्थित रूप से अपीलीय निकाय के नए सदस्यों और न्यायाधीशों की नियुक्ति को अवरुद्ध कर रखा है और वास्तविक रूप से WTO अपील तंत्र के कार्यकरण को बाधित किया है।
    - वर्ष 2024 तक एक पूर्ण सक्रिय DSM का निर्माण करने के संकल्प के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को 'डी-ज्युडिशियलाइज़' करने की अमेरिका की प्रवृत्ति विवाद निपटान तंत्र को पुनर्जीवित करने (जैसा वह वर्ष 2019 से पहले रहा था) की राह में एक बड़ी चुनौती है।
- **एकतरफा टैरिफ उपायों का आक्रामक उपयोग:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एकतरफा टैरिफ उपायों का आक्रामक उपयोग, चीन का वणिकवाद (mercantilism) और आधुनिक अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण नए क्षेत्रों में विषयों का विस्तार करने के मामले में आम सहमति तक पहुँच सकने की WTO सदस्यों की असमर्थता WTO की आलोचना को और आधार प्रदान करती है।
- **देशों को परिभाषित करने में आम सहमति का अभाव:**
  - WTO वार्ताओं में एक समस्या यह भी है कि WTO में विकसित या विकासशील देश कौन हैं, इसकी कोई सहमत परिभाषा मौजूद नहीं है।
  - वर्तमान में सदस्य देश 'विशेष और विभेदक व्यवहार' (special and differential treatment) प्राप्त करने के लिये स्वयं को विकासशील देश के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं, जो एक ऐसा अभ्यास है जो व्यापक विवाद का विषय रहा है।
    - उदाहरण के लिये, चीन और भारत को WTO में 'विकासशील देश' का दर्जा प्राप्त हुआ, जो एक विवादास्पद मुद्दा बन गया और अमेरिका एवं यूरोपीय संघ ने इस निर्णय के विरुद्ध चिंता जताई।
- **भारत की पहलों को अमेरिका द्वारा बाधित किया जाना:**
  - भारतीय इस्पात उत्पादों पर अमेरिका द्वारा प्रतिकारी शुल्क लगाना, गैर-आप्रवासी वीजा के मामले में अमेरिका द्वारा किये गए उपाय, अमेरिका के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम और अमेरिका द्वारा इस्पात एवं एल्यूमीनियम उत्पादों पर लगाए गए आयात शुल्क आदि वे विवाद के विषय हैं जहाँ भारत एक वादी या शिकायतकर्ता पक्ष है।
    - पोल्ट्री एवं पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर भारत द्वारा प्रतिबंध पर अमेरिका की शिकायत और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की कुछ वस्तुओं पर भारत के आयात शुल्क पर यूरोपीय संघ, जापान एवं ताइवान द्वारा दर्ज की गई शिकायत, ऐसे कुछ मामले हैं जहाँ भारत WTO में एक प्रतिवादी पक्ष है।

विश्व व्यापार संगठन में सुधार के क्या उपाय हैं?

- **नए सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव का समर्थन करना:**
  - आमतौर पर अपीलीय निकाय में नई नियुक्तियाँ WTO सदस्यों की आम सहमति से की जाती हैं, लेकिन जहाँ आम सहमति संभव नहीं है वहाँ मतदान का भी प्रावधान है।
  - भारत सहित 17 अल्पविकसित और विकासशील देशों का समूह, जो अपीलीय निकाय में गतिरोध को समाप्त करने के लिये मिलकर कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है, इस आशय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है और मतदान बहुमत से अपीलीय निकाय में नए सदस्यों को शामिल करने का प्रयास कर सकता है।

नोट :

- लेकिन इसके दुष्परिणाम भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि सभी देश प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के वीटो का विरोध करने पर उसकी ओर से एकतरफा कार्रवाइयों का भय रखते हैं।

- **विधि उल्लंघन पर उपयुक्त दंड:**
  - यदि किसी देश ने कुछ गलत किया है तो उसे शीघ्रता से अपनी गलतियों को सुधारना चाहिये। यदि वह किसी समझौते का उल्लंघन जारी रखता है तो उसे मुआवजे की पेशकश करनी चाहिये या उचित प्रतिक्रिया का सामना करना चाहिये जिसमें कुछ उपचार (remedy) शामिल हो –हालाँकि यह वास्तव में कोई दंड नहीं है, बल्कि एक 'उपचार' है और किसी भी देश के लिये नियमों का पालन करना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिये।
    - दोषी पाए जाने पर ऐसे देशों को 'हरित जलवायु कोष' में अनिवार्य रूप से एक विशेष राशि जमा करने के लिये बाध्य किया जा सकता है।
- **सुधारात्मक दृष्टिकोण:**
  - सुधारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित स्थायी दीर्घकालिक समाधानों में निवर्तमान सदस्यों के लिये एक संक्रमणकालीन नियम शामिल हो सकता है, जो उन्हें अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी लंबित अपीलों को पूरी तरह से निपटाने की अनुमति देता हो और नीतिगत क्षेत्र का अतिक्रमण किये बिना सहमत राष्ट्रीय कानूनों के अर्थ की अपीलीय निकाय द्वारा व्याख्या को सीमित करता हो, ताकि राष्ट्रों की संप्रभुता को सुरक्षित रखा जा सके।
- **सदस्यों की नियमित बैठक:**
  - अन्य दीर्घकालिक समाधानों में प्रभावी संचार और तत्काल निवारण तंत्र सुनिश्चित करने के लिये अपीलीय निकाय के साथ WTO सदस्यों की नियमित बैठकें आयोजित करना शामिल हैं।
    - इस प्रकार, सभी देशों को संकट से निपटने के लिये एक साथ आना चाहिये ताकि सबसे खराब परिदृश्य का सामना न करना पड़े।
- **DSM पुनर्बहाली के लिये विकासशील देशों का आह्वान:**
  - भारत सहित अन्य विकासशील देश, WTO के विवाद निपटान तंत्र (DSM) को उसकी पिछली कार्यात्मक स्थिति में बहाल करने की वकालत कर रहे हैं, जहाँ वे अपीलीय निकाय द्वारा प्रदत्त नियंत्रण एवं संतुलन के महत्त्व पर बल देते हैं।
- **विकासशील देशों के लिये विकल्प:**
  - विकासशील देशों को WTO में दो-स्तरीय DSM बनाए रखने के लिये तीन विकल्पों का सामना करना पड़ता है: (a) यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाली अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था (Interim Appeal Arbitration Arrangement- MPIA) में शामिल होना, (b) एक कमज़ोर अपीलीय निकाय को स्वीकार करना, या (c) ऑप्ट-आउट प्रावधान वाले मूल अपीलीय निकाय को पुनर्जीवित करना।
    - अंतरिम समाधान के रूप में MPIA: विकासशील देशों के लिये पहला विकल्प यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाले MPIA में शामिल होना है, जो एक बहुदलीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था है जो मध्यस्थता तंत्र को औपचारिक बनाती है, लेकिन इसमें स्वैच्छिक प्रकृति और सार्वभौमिक अंगीकरण की कमी जैसी खामियाँ भी हैं।
    - कमज़ोर अपीलीय निकाय: दूसरे विकल्प में एक कमज़ोर (diluted) अपीलीय निकाय पर विचार करना शामिल है, जहाँ AB की शक्तियाँ सीमित होंगी, जो संभावित रूप से WTO कानून की अपेक्षाओं के विपरीत, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को सुरक्षा एवं पूर्वानुमान प्रदान करने की क्षमता में बाधा डालेगी।
    - अंतरिम समाधान के रूप में AB के लिये ऑप्ट-आउट प्रावधान: तीसरा अंतरिम विकल्प एक ऑप्ट-आउट प्रावधान के रूप में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव के साथ AB को पुनर्जीवित करने का सुझाव देता है। हालाँकि यह दो-स्तरीय बाध्यकारी DSM की प्रकृति को बदल सकता है, यह AB के वर्तमान स्वरूप को सुरक्षित रखने और स्वैच्छिक आधार पर अमेरिका को शामिल करने के संबंध में एक समझौते की स्थिति को इंगित कर सकता है।

निष्कर्ष

WTO की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक अक्षम विवाद निपटान तंत्र (DSM) के महत्त्वपूर्ण मुद्दे का सामना करेगी, जो वर्ष 2019 से अमेरिका द्वारा अपीलीय निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति को रोकने का परिणाम है। पूरी तरह कार्यात्मक DSM की पुनर्बहाली के प्रयास को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों के प्रति अनिच्छा रखता है। जबकि आदर्श समाधान यह होगा कि अपीलीय निकाय को वर्ष 2019 तक की

नोट :

पूर्वस्थिति में पुनर्बहाल किया जाए, इच्छुक देशों के लिये AB की स्थिति से समझौता करना WTO में उनकी आवश्यक भूमिका की रक्षा के लिये एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।

■■■

SBM-ग्रामीण को और अधिक रचनात्मक बनाना

देश में सार्वजनिक स्वच्छता कार्यक्रमों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1986 में उच्च सब्सिडीयुक्त केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (Central Rural Sanitation Programme- CRSP) के शुभारंभ के साथ हो गई थी। वर्ष 1999 में शुरू हुए संपूर्ण स्वच्छता अभियान (Total Sanitation Campaign) ने उच्च सब्सिडीयुक्त व्यवस्था से निम्न सब्सिडीयुक्त व्यवस्था और मांग-संचालित दृष्टिकोण की ओर बदलाव को चिह्नित किया।

वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत सार्वजनिक स्वच्छता कार्यक्रम का एक मिशन के रूप में उभार हुआ, जिसका लक्ष्य अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त (Open Defecation Free- ODF) बनाना था।

पिछले दशक में स्वच्छता कवरेज में सुधार भारत में प्रमुख सार्वजनिक नीति चमत्कारों (public policy miracles) में से एक रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिकल्पित 17 सतत् विकास लक्ष्यों में 'जल एवं स्वच्छता तक पहुँच' छठा लक्ष्य (Goal 6) है।

स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (SBM-G):

- **परिचय:**
  - इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेज़ी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये लॉन्च किया गया था।
  - इस मिशन को एक राष्ट्रव्यापी अभियान/जनआंदोलन के रूप में लागू किया गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच या ODF को समाप्त करना था।
- **SBM-G चरण-I:**
  - 2 अक्टूबर 2014 को SBM-G के आरंभ के समय देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.7% बताया गया था।
  - मिशन के आरंभ के बाद से 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2 अक्टूबर 2019 तक सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को ODF घोषित कर दिया।
- **SBM-G चरण-II:**
  - यह चरण I के तहत प्राप्त उपलब्धियों की संवहनीयता और ग्रामीण भारत में ठोस/तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (Solid/Liquid & plastic Waste Management- SLWM) के लिये पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने पर बल देता है।
  - इसे वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा।
  - ODF+ के SLWM घटक की निगरानी इन 4 प्रमुख क्षेत्रों के आउटपुट-आउटकम संकेतकों के आधार पर की जाएगी:
    - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन,
    - जैव-अपघट्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (पशु अपशिष्ट प्रबंधन सहित),
    - ग्रेवाटर (घरेलू अपशिष्ट जल) प्रबंधन
    - मल कीचड़ प्रबंधन
- **SBM के उप-घटक:**
  - गोबर-धन (GOBAR-DHAN - Galvanizing Organic Bio-Agro Resources) योजना:
    - इसे वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
    - योजना का लक्ष्य जैव-अपघट्य अपशिष्ट को संपीडित बायोगैस (CBG) में परिवर्तित कर किसानों की आय बढ़ाना है।
  - व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (Individual Household Latrines- IHHL):
    - SBM के तहत लोगों को शौचालय निर्माण के लिये लगभग 15 हज़ार रुपए दिए जाते हैं।
  - स्वच्छ विद्यालय अभियान:
    - शिक्षा मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ विद्यालय अभियान लॉन्च किया जिसका लक्ष्य एक वर्ष के भीतर सभी सरकारी विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराना था।

- ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान:
  - स्वच्छता ही सेवा (SHS) अभियान हर वर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के संयुक्त तत्वावधान में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करने पर लक्षित श्रमदान गतिविधियाँ चलाने के लिये आयोजित किया जाता है। इसके उद्देश्य हैं:
- SBM के कार्यान्वयन पर प्रोत्साहन प्रदान करना;
- संपूर्ण स्वच्छ ग्राम के महत्त्व का प्रसार करना;
- प्रत्येक व्यक्ति के हित के रूप में स्वच्छता की अवधारणा को सुदृढ़ करना;
- राष्ट्रव्यापी भागीदारी के साथ स्वच्छ भारत दिवस (2 अक्टूबर) की प्रस्तावना के रूप में।

- **शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य:**
  - शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, जिन्होंने 100% ODF+ ग्राम हासिल किये हैं, वे हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, पुदुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा।
    - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम में 100% ODF+ मॉडल ग्राम मौजूद हैं।
    - इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने ODF+ का दर्जा हासिल करने में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है और उनके प्रयास इस मील के पत्थर तक पहुँचने में सहायक रहे हैं।

ODF का दर्जा:

- **ODF:** किसी क्षेत्र को ODF के रूप में अधिसूचित या घोषित किया जा सकता है यदि दिन के किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच करते नहीं पाया जाता है।
- **ODF+:** यह दर्जा तब दिया जाता है जब दिन के किसी भी समय, कोई भी व्यक्ति खुले में शौच और/या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है और सभी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय क्रियाशील एवं सुचारू व्यवस्था प्रकट करते हैं।
- **ODF++:** यह दर्जा तब दिया जाता है जब कोई क्षेत्र पहले से ही ODF+ की स्थिति रखता है और वहाँ मल कीचड़/सेप्टेज एवं सीवेज को सुरक्षित रूप से प्रबंधित एवं उपचारित किया जाता है तथा जहाँ अनुपचारित मल कीचड़ एवं सीवेज को खुली नालियों, जल निकायों या क्षेत्रों में प्रवाहित या डंप नहीं किया जाता है।

SBM-G के तहत ODF से ODF+ स्थिति में संक्रमण से जुड़े प्रमुख मुद्दे:

- **व्यवहार संबंधी चुनौतियाँ:**
  - शौचालयों के निर्माण से उनका स्वत: उपयोग भी शुरू नहीं हो जाता। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के सर्वेक्षण (69वें दौर) से पता चला कि वर्ष 2012 में जबकि 59% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय तक पहुँच नहीं थी, शौचालय की सुविधा रखने वाले लोगों में से 4% इसका उपयोग नहीं कर रहे थे।

- इसका उपयोग न करने के प्राथमिक कारणों में शामिल थे: अधिरचना का अभाव (21%); सुविधा में खराबी (22%); सुविधा का अस्वास्थ्यकर/अस्वच्छ होना (20%); और व्यक्तिगत कारण (23%)।

- **क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियाँ:**
  - तीन राज्यों के सबसे अच्छे और सबसे खराब कवरेज वाले ज़िलों एवं प्रखंडों को दायरे में लेते हुए कराये गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि बिहार में 59%, गुजरात में 66% और तेलंगाना में 76% घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी।
  - शौचालय सुविधा रखने वाले घरों में, बिहार में 38%, गुजरात में 50% और तेलंगाना में 14% घरों में कम से कम एक ऐसा सदस्य मौजूद था जो इसका उपयोग नहीं करता था।
    - गुजरात में शौचालयों का अधिक ग़ैर-उपयोग दाहोद ज़िले में (सर्वेक्षण के लिये चुने गए राज्य के दो ज़िलों में से एक) जल तक पहुँच की कमी के कारण था।
    - दूरदराज के और पिछड़े गाँवों में शौचालय का उपयोग व्यापक रूप से किया जा रहा था यदि घरों में जल तक पहुँच हो। यदि किसी घर में अलग बाथरूम हो तो भी शौचालय के उपयोग की संभावना कम हो जाती है।

- **शुद्धता के पारंपरिक मानदंडों से जुड़े मुद्दे:**
  - वर्ष 2020 में एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि गुजरात में सर्वेक्षित गाँवों में 27% और पश्चिम बंगाल में 61% घरों में अपने शौचालय नहीं थे। इसके अलावा, दोनों ही राज्यों में लगभग 3% परिवार अपने स्वयं के शौचालयों का उपयोग नहीं कर रहे थे।
    - एक-चौथाई ग़ैर-उपयोगकर्ता परिवारों ने इसका उपयोग न करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया। ऐसा माना गया कि शुद्धता के सामाजिक मानदंडों ने उन्हें शौचालय का उपयोग करने से हतोत्साहित किया होगा।
    - शौच के लिये उपयोग न किये जाने वाले शौचालयों का उपयोग भंडारगृह के रूप में किया जा रहा था। यदि सामाजिक मानदंड गृह परिसर में शौचालय के उपयोग को अवरुद्ध करते हैं तो इस सुविधा का उपयोग स्नान और कपड़े धोने के लिये किया जाता है।

- **गुणवत्ता संबंधी मुद्दे:**
  - गुणवत्ता संबंधी मुद्दे भी एक अन्य प्रमुख कारण हैं। गुजरात में, शौचालयों का उपयोग नहीं करने वालों में से 17% ने बताया कि उप-संरचना ढह गई थी और 50% ने बताया कि गड्ढे भर गए थे।
  - पश्चिम बंगाल में ग़ैर-उपयोगकर्ताओं में से एक-तिहाई ने बताया कि अधिरचना ढह गई थी, जबकि अन्य एक-तिहाई ने बताया कि गड्ढा भर गया था।

- **शौचालयों तक पहुँच के संबंध में विभिन्न सर्वेक्षण के निष्कर्षों में भिन्नताएँ:**
  - शौचालयों तक पहुँच रखने वाले परिवारों और उनके उपयोग के प्रतिशत के बारे में विभिन्न सर्वेक्षण निष्कर्षों में भिन्नताएँ विभिन्न ज़िलों के चयन के कारण हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित अधिक व्यापक राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (National Annual Rural Sanitation Survey- NARSS) के तीसरे दौर (2019-20) से पता चलता है कि भारत में 95% ग्रामीण आबादी की शौचालय तक पहुँच थी।
  - स्वामित्वपूर्ण, साझा और सार्वजनिक शौचालयों तक पहुँच क्रमशः 79%, 14% और 1% घरों तक उपलब्ध थी। यह भी पाया गया कि 96% शौचालय क्रियाशील थे और लगभग सभी में जल की सुविधा उपलब्ध थी।
    - हालाँकि, इसी रिपोर्ट से पता चलता है कि केवल 85% ग्रामीण आबादी सुरक्षित, क्रियाशील और स्वच्छ शौचालयों का उपयोग करती है। यह मानते हुए कि जितने प्रतिशत घरों की शौचालय तक पहुँच है, उतने ही प्रतिशत लोगों की भी पहुँच है, शौचालय तक पहुँच और उनके उपयोग के बीच अंतराल 10% तक बढ़ जाता है।

- **परिवार के आकार से जुड़ी बाधाएँ:**
  - विभिन्न अर्थमितीय मॉडल दर्शाते हैं कि शौचालय का उपयोग आर्थिक स्थिति और शिक्षा के साथ-साथ परिवार के आकार पर भी निर्भर करता है। परिवार का आकार जितना बड़ा होगा, शौचालय का उपयोग न करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
    - अत्यधिक भीड़भाड़ और सामाजिक मानदंड घर के सभी सदस्यों को एक ही शौचालय का उपयोग करने से बाधित करते हैं। वर्ष 2020 के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि केवल 3% से 4% घरों में ही एक से अधिक शौचालय मौजूद हैं।

- **SBM-G के चरण-II से संबद्ध चिंताएँ:**
  - कार्यक्रम के इस दूसरे चरण में एक निश्चित आकार से बड़े घरों के लिये एकाधिक शौचालयों को अनिवार्य करने वाला कोई मानदंड मौजूद नहीं है। इसमें 'अटैच बाथरूम' बनाने का भी कोई प्रावधान नहीं है।

- **जल जीवन मिशन की असंलग्न भूमिका:**
  - जल जीवन मिशन (JJM) कार्यक्रम वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में नल का जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। लेकिन JJM पर किये गए प्रति व्यक्ति केंद्रीय व्यय और राज्यों में ODF+ घोषित गाँवों के प्रतिशत के बीच कोई संबंध नहीं देखा गया है।
    - न ही किसी राज्य में ODF+ गाँवों के प्रतिशत और नल कनेक्शन रखने वाले घरों के बीच कोई संबंध पाया गया है।
- **सामाजिक-आर्थिक वर्गों में भिन्नताएँ:**
  - स्वच्छता व्यवहार के संबंध में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों में भिन्नता देखी गई है। NARSS-3 से पता चलता है कि शौचालयों तक पहुँच उच्च जातियों के लिये सबसे अधिक (97%) और अनुसूचित जातियों के लिये सबसे कम (95%) थी। बहु-राज्य अध्ययन से पता चलता है कि ग़ैर-उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत पिछड़ी जातियों की तुलना में उच्च जातियों में अधिक है।
- **तालमेल का अभाव:**
  - SBM-G के आरंभिक चरण के दौरान वर्ष 2014 से 2019 के बीच लगभग 10 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। कवरेज में इस उछाल ने सुरक्षित स्वच्छता अभ्यासों के बारे में जागरूकता भी पैदा की है।
  - हालाँकि, देश में सामूहिक व्यवहार परिवर्तन होना अभी भी बाकी है। अध्ययन से पता चलता है कि स्वच्छता के सबंध में व्यवहार परिवर्तन स्वतंत्र रूप से घटित नहीं हो सकता।
    - यह सामाजिक नेटवर्क और जीवन स्तर में समग्र सुधार पर निर्भर है, जिसमें बेहतर आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच शामिल है।
  - इनमें से प्रत्येक बुनियादी आवश्यकता के लिये अलग-अलग कार्यक्रम मौजूद हैं, लेकिन वे अच्छी तरह से समन्वित नहीं हैं। भारत में समग्र योजना की कमी के कारण कार्यक्रमों में तालमेल की कमी है, जबकि बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में उच्च स्तर का व्यय किया जा रहा है।

SBM-G को और अधिक प्रभावी बनाने के उपाय:

- **छूटे हुए परिवारों को मुख्यधारा में लाना:**
  - ये सर्वेक्षण दो प्रमुख मुद्दे सामने लाते हैं— छूटे हुए घर और शौच के लिये अप्रयुक्त शौचालय। छूटे हुए घर पर्याप्त संख्या में दिखाई देते हैं और उन्हें चरण II में दायरे में लेने की आवश्यकता है।
  - दूसरी ओर, सरकार को पिछले चरण की कमियों को चिह्नित करना चाहिये और वर्तमान चरण में उन कमियों को दूर करना चाहिये।
- **व्यवहार परिवर्तन अभियान चलाना:**
  - स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन संबंधी अभियानों को दो चरणों पर विचार करना चाहिये: निर्माण और उपयोग। इसके अलावा, अभियान अभिकल्पना में गाँवों के बीच नेटवर्क में भिन्नता पर विचार किया जाना चाहिये क्योंकि कुछ गाँवों में परिवारों का व्यवहारिक परिवर्तन स्वतंत्र रूप से और अन्य में सामूहिक रूप से घटित हो सकता है।
    - ऐसा प्रतीत होता है कि SBMG के दूसरे चरण में प्रतिगामी मानदंडों और जाति पदानुक्रम से ग्रस्त समाज में सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से सोशल इंजीनियरिंग पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है।
    - देश के लोकप्रिय सिने अभिनेताओं द्वारा अभिनीत 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' जैसी फ़िल्मों को ग्रामीण भारत में प्रदर्शित एवं प्रचारित किया जाना चाहिये।
  - इससे आम जनता के बीच शौचालय के उपयोग की आवश्यकता और स्वच्छ एवं सुरक्षित घरेलू स्वच्छता अभ्यासों को अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ सकती है।
- **समावेशी दृष्टिकोण अपनाना:**
  - समाज के वंचित वर्गों से संबंधित कुछ व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों जैसे कि महिला मुखिया वाले परिवार, भूमिहीन लोग, प्रवासी मज़दूर और दिव्यांगजनों के पास अभी भी उनके घरों में शौचालय नहीं हैं या मौजूदा शौचालय अभिगम्य नहीं हैं।
    - मानवाधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोणों से इस वंचित आबादी का समर्थन करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि हाशिये पर स्थित ये वर्ग पहले से ही बुनियादी सेवाओं तक पहुँच से वंचित हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करते हैं।
- **संस्थानों की भूमिका में वृद्धि:**
  - शैक्षणिक संस्थानों, बाल देखभाल केंद्रों, अस्पतालों और अन्य सरकारी सुविधाओं को स्वच्छता अभ्यासों में और प्रगति की आवश्यकता है। सार्वजनिक सुविधाओं और समाज के वंचित वर्गों के बीच स्वच्छता कवरेज के उप-श्रेणियों में विभेदित डेटा (disaggregated data) को नवाचार की आवश्यकता है ताकि छूटी हुई आबादी को कवर किया जा सके।

नोट :

- **समग्र और विस्तारित दृष्टिकोण का पालन:**
  - विविधता, संस्कृति और आबादी के मामले में भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ कुल आबादी का 60% ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है, केवल शौचालयों तक पहुँच ही स्वच्छ एवं सुरक्षित स्वच्छता अभ्यासों को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त नहीं है।
    - उदाहरण के लिये, वर्ष 1986 में शुरू किये गए भारत के पहले स्वच्छता कार्यक्रम 'केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम' से सबक प्राप्त हुआ कि केवल शौचालय निर्माण से शौचालय का उपयोग नहीं होने लगता।
    - भारत को वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य 6 (SDG 6), यानी 'सभी के लिये जल और स्वच्छता तक पहुँच सुनिश्चित करना' हासिल करने के लिये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आयामों से हटकर अन्य कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है।
- **प्रौद्योगिकियों को अंगीकरण और एकीकरण:**
  - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित मोबाइल ऐप, MIS, डैशबोर्ड APIs सहित विभिन्न ई-गवर्नेंस समाधानों को शामिल करने की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में ODF+ की प्रगति को ट्रैक करना है।
    - SBM-G का ई-गवर्नेंस समाधान एक सुदृढ़, इंटर-ऑपरेबल, स्केलेबल, सुरक्षित और भूमिका-आधारित प्रणाली हो जो उपयोगकर्ता को मोबाइल ऐप का उपयोग कर भौगोलिक निर्देशांक के साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट की सभी संपत्तियों को दर्ज करने में सक्षम बनाती हो।

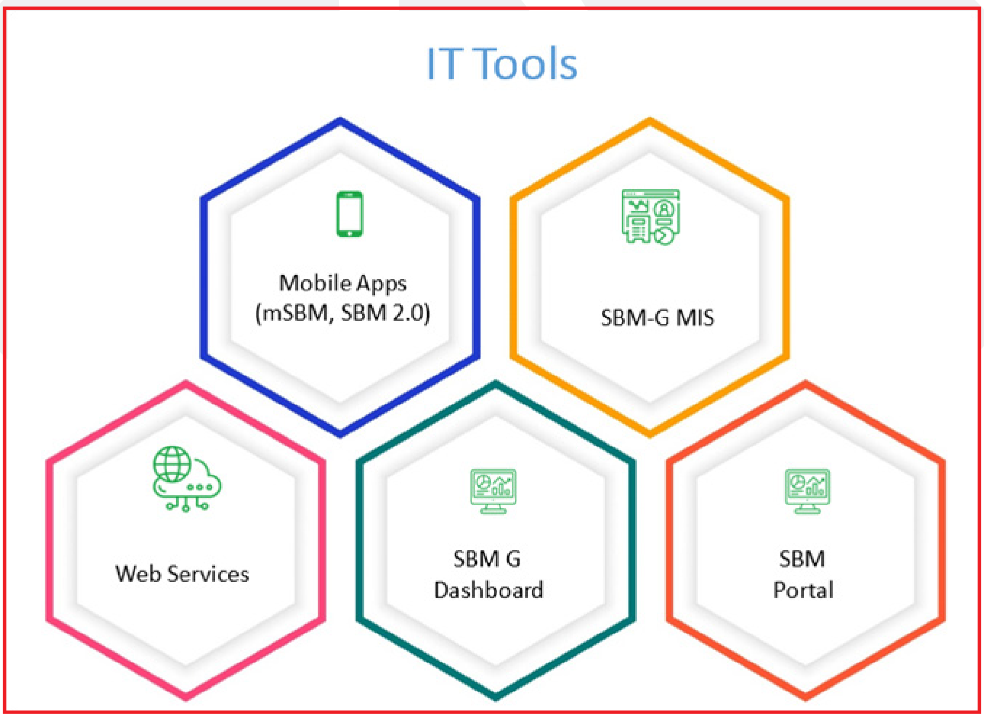

निष्कर्ष:

भारत ने स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करते हुए स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2019 तक 100% स्वच्छता कवरेज हासिल करना सराहनीय है और सरकार वर्ष 2024-25 तक ODF+ की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। लगभग 85% गाँव पहले ही ODF+ की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन चुनौतियाँ अभी बनी हुई हैं, जो व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता को उजागर करती है। संवहनीय सफलता के लिये सामाजिक-आर्थिक कारकों और सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।

■■■

नोट :

भारत में राजकोषीय केंद्रीकरण संबंधी चिंताएँ

14वें वित्त आयोग (FC) की अनुशंसा अवधि (2015-16) की शुरुआत के बाद से केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण में कमी कर रही है। यह इस प्रसंग में विशेष रूप से अजीब है कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर राजस्व का 42% राज्यों को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की है, जो कि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा से स्पष्ट रूप से 10% अंक वृद्धि को प्रकट करता है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (जिन्हें केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया है) को किये जाने वाले हस्तांतरण को छोड़कर, 15वें वित्त आयोग ने 41% की इस अनुशंसा को बरकरार रखा है। यदि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हिस्से को भी शामिल किया जाए तो यह 42% होगा। केंद्र सरकार ने न केवल राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण में कमी की है बल्कि अपने विवेकाधीन व्यय को बढ़ाने के लिये अपने कुल राजस्व में भी वृद्धि की है।

राजकोषीय संघवाद:

- राजकोषीय संघवाद (Fiscal federalism) शब्द यह प्रकट करता है कि किसी देश में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय शक्तियों और उत्तरदायित्वों को किस प्रकार विभाजित किया जाता है।
- इसमें ऐसे प्रश्न शामिल हैं, जैसे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा कौन-से कार्य एवं सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिये, राजस्व कैसे बढ़ाया जाना चाहिये एवं उनके बीच कैसे साझा किया जाना चाहिये और दक्षता एवं समानता सुनिश्चित करने के लिये हस्तांतरण या अनुदान किस प्रकार आवंटित किया जाना चाहिये।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के विषय में विभिन्न उपबंध:

- **संविधान का भाग XII:** भारतीय संविधान ने करों के वितरण के साथ-साथ गैर-कर राजस्व और उधार लेने की शक्ति से संबंधित विस्तृत उपबंध किये हैं। इनके साथ ही राज्यों को संघ द्वारा सहायता अनुदान के संबंध में भी उपबंध किये गए हैं। अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के उपबंधों से संबंधित हैं।
  - अनुच्छेद 275 के तहत उपबंधित सहायता अनुदान प्रणाली में विशिष्ट उद्देश्यों या योजनाओं के लिये केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को धन का विवेकाधीन हस्तांतरण शामिल है।
  - वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण की अनुशंसा करने के लिये उत्तरदायी है। यह राज्यों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने, राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने और राजकोषीय मामलों में स्थिरता सुनिश्चित करने के उपाय भी सुझाता है।
    - वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280(3) के तहत राज्यों को करों के हस्तांतरण और सहायता अनुदान की अनुशंसा करने के अलावा केंद्र के कहने पर 'सुदृढ़ वित्त के हित में' किसी अन्य मुद्दे पर भी विचार कर सकता है।
- **संविधान की सातवीं अनुसूची:** संविधान केंद्र और राज्यों के बीच कर अधिरोपण की शक्तियों को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित करता है:
  - संसद को संघ सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है
  - राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति है,
  - समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर दोनों ही कर लगा सकते हैं, जबकि कराधान की अवशिष्ट शक्ति केवल संसद के पास है।

केंद्र सरकार के किन कदमों से राज्यों को कुल वित्तीय हस्तांतरण में कमी आई है?

- **राजकोषीय शक्तियों का बढ़ता केंद्रीकरण :**
  - समय के साथ, केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाले गैर-साझा करने योग्य राजस्व (non-shareable revenue), जैसे अधिभार एवं उपकरों (surcharges and cesses) का अनुपात बढ़ गया है।
  - इसके परिणामस्वरूप, राज्य वृहत राजकोषीय स्वायत्तता की और केंद्र द्वारा संग्रहित सभी करों में बड़ी हिस्सेदारी की वकालत कर रहे हैं।
- **राज्य कर स्वायत्तता का क्षरण:**
  - राज्यों की अपने राजस्व स्रोतों पर कर दरें निर्धारित करने की क्षमता व्यापक रूप से कम हो गई है। वस्तुओं के अंतर-राज्य व्यापार के लिये मूल्यवर्द्धित कर (value-added tax- VAT) के कार्यान्वयन के बाद यह क्षरण हुआ।
  - परिणामस्वरूप, राज्यों को कर नीतियों और राजस्व सृजन रणनीतियों के निर्धारण में स्वायत्तता की हानि का अनुभव हुआ है।

- **राज्य व्यय संबंधी लचीलेपन में बाधाएँ:**
  - सशर्त और आबंध अनुदानों की बढ़ती प्रमुखता के कारण राज्यों को अपने व्यय लचीलेपन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  - ये अनुदान, जो राज्य सूची में सूचीबद्ध वस्तुओं को लक्षित करते हैं, उनकी विशिष्ट प्राथमिकताओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार धन आवंटित करने में राज्यों की विवेक शक्ति को सीमित करते हैं।
- **राज्य भिन्नताओं की उपेक्षा करते हुए समान राजकोषीय लक्ष्य:**
  - राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management- FRBM) अधिनियम, 2003 से उत्पन्न चुनौतियाँ सभी राज्यों पर समान राजकोषीय लक्ष्य (Uniform Fiscal Targets) लागू कर स्थिति को और खराब कर देती हैं।
  - ये लक्ष्य अलग-अलग राज्यों की विविध राजकोषीय आवश्यकताओं और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं, जिससे अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन:**
  - 101वाँ संविधान संशोधन, जो संघ और राज्यों को अप्रत्यक्ष कराधान की समवर्ती शक्तियाँ प्रदान करता है, वर्ष 1951 में पहले वित्त आयोग की स्थापना के बाद से राजकोषीय दृष्टिकोण से सबसे दूरगामी परिवर्तन है।
  - उस राज्य में अप्रत्यक्ष करों का संग्रह जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग किया जाता है, न कि उस राज्य में जहाँ उनका उत्पादन किया जाता है, संघवाद की ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों गतिशीलता को बदल देता है।
    - कर का बोझ अमीर और विनिर्माता राज्यों से उपभोक्ता राज्यों पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे क्षैतिज असंतुलन पैदा हो गया है।
  - उदाहरण के लिये, एकीकृत जीएसटी (Integrated GST), जो वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाता है, गंतव्य राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। उत्पत्ति के सिद्धांत से गंतव्य के सिद्धांत की ओर यह कदम राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को फिर से स्थापित कर रहा है।

सभी केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के वितरण के लिये मानदंड (11वें से 14वें वित्त आयोग के बीच)

राज्यों को राजकोषीय हस्तांतरण का वर्तमान परिदृश्य क्या है?

- **सकल कर राजस्व में घटती हिस्सेदारी:**
  - यद्यपि 14वें और 15वें वित्त आयोग ने शुद्ध कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी क्रमश: 42% और 41% करने की अनुशंसा की, लेकिन सकल कर राजस्व की हिस्सेदारी वर्ष 2015-16 में केवल 35% और वर्ष 2023-24 में 30% ही रहा (बजट आकलन के अनुसार)।
  - जबकि केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व वर्ष 2015-16 में 14.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 33.6 लाख करोड़ रुपए हो गया, केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 5.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 10.2 लाख करोड़ रुपए ही हुई।

- **राज्यों को सहायता अनुदान में कमी:**
  - राज्यों को सहायता अनुदान वर्ष 2015-16 में 1.95 लाख करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2023-24 में 1.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार, केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में सांविधिक वित्तीय हस्तांतरण की संयुक्त हिस्सेदारी 48.2% से घटकर 35.32% हो गई।
- **उपकर और अधिभार श्रेणियों में बढ़ता कर संग्रह:**
  - इस अवधि के दौरान सकल राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी घटने का एक कारण यह है कि उपकर एवं अधिभार के तहत राजस्व संग्रह, केंद्रशासित प्रदेशों से राजस्व संग्रह और कर प्रशासन व्यय में कटौती के बाद उन्हें शुद्ध कर राजस्व प्राप्त हुआ।
    - इन तीन कारकों में उपकर एवं अधिभार के माध्यम से राजस्व संग्रह सबसे अधिक है और इसकी वृद्धि हो रही है।
  - इस गणना में जीएसटी उपकर शामिल नहीं है जो जून 2022 तक जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिये एकत्र किया जाता है।
- **वित्तीय केंद्रीकरण संबंधी चिंताएँ:**
  - केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष वित्तीय हस्तांतरण के दो अन्य मार्ग भी हैं, यानी केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएँ (CS)।
    - केंद्र सरकार CSS के माध्यम से राज्यों की प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है जहाँ केंद्र सरकार आंशिक धन मुहैया कराती है, जबकि दूसरा हिस्सा राज्यों को देना होता है। दूसरे शब्दों में, केंद्र योजनाओं का प्रस्ताव करता है और राज्य उन्हें लागू करते हैं, साथ ही राज्यों के वित्तीय संसाधनों की प्रतिबद्धता भी तय की जाती है।
  - वर्ष 2015-16 से 2023-24 के बीच 59 CSS के माध्यम से CSS के लिये आवंटन 2.04 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 4.76 लाख करोड़ रुपए हो गया।
    - इस प्रकार, केंद्र सरकार राज्य को कमोबेश उतनी ही मात्रा में वित्तीय संसाधन देने के लिये बाध्य करती है।
- **समृद्ध बनाम कम समृद्ध राज्यों से जुड़े मुद्दे:**
  - CSS की साझीदारीपूर्ण योजनाओं का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि जो राज्य अकेले राज्य बजट से समान वित्त देने का जोखिम उठा सकते हैं, वे समान स्तर के अनुदान का लाभ भी उठा सकते हैं। यह सार्वजनिक वित्त में अंतर-राज्य इक्विटी के संदर्भ में दो अलग-अलग प्रभाव पैदा करता है।
    - समृद्ध राज्य CSS के कार्यान्वयन के माध्यम से समान वित्त देने और केंद्रीय वित्त का लाभ उठाने का जोखिम उठा सकते हैं।
    - कम समृद्ध राज्यों को इन CSS के लिये अपने उधार लिये हुए वित्त देने होंगे, जिससे उनकी अपनी देनदारियाँ बढ़ जाएँगी। राज्यों के सार्वजनिक वित्त के ये अलग-अलग प्रक्षेपपथ सार्वजनिक वित्त में अंतर-राज्य असमानता को बढ़ाते हैं, जिसका प्रमुख कारण CSS है।
- **संघ सरकार के पास सीमित व्यय उत्तरदायित्वों के साथ बड़ी वित्तीय शक्तियाँ:**
  - सांविधिक अनुदान के साथ, सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में कुल वित्तीय हस्तांतरण वर्ष 2023-24 में केवल 47.9% था।
  - सकल कर राजस्व का 50% से अधिक अपने पास बनाए रखने के अलावा, केंद्र सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% की सीमा तक राजकोषीय घाटा उठाती है। इस प्रकार, केंद्र सरकार के पास सीमित व्यय उत्तरदायित्वों के साथ वृहत वित्तीय शक्तियाँ मौजूद हैं।

वित्त का बेहतर हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहिये?

- **कर-साझाकरण सिद्धांतों पर पुनर्विचार करना:** वित्त आयोगों को भारत के बदलते राजकोषीय संघवाद के संदर्भ में कर-साझाकरण सिद्धांतों की समीक्षा करने के लिये निर्देशित करने की आवश्यकता है। उनके विचारार्थ विषयों (terms of reference) को संघ और राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष कर आधार के समेकन पर सख्ती से संरेखित किया जाना चाहिये।
- **अप्रत्यक्ष करों की सांविधिक हिस्सेदारी की पुन:अभिकल्पना:** ये परिवर्तन आवश्यक बनाते हैं कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह के अप्रत्यक्ष करों की सांविधिक हिस्सेदारी का पुनरीक्षण और पुन:अभिकल्पना की जाए।
  - उर्ध्वाधर हस्तांतरण (Vertical Devolution): वर्तमान प्रणाली के साथ उर्ध्वाधर साझाकरण के सिद्धांत को संरेखित करने के लिये विभाज्य पूल को फिर से परिभाषित करने के साथ शुरुआत करना आवश्यक है। उदाहरण के लिये, 16वें वित्त आयोग को IGST को पूरी तरह से पूल का हिस्सा बनाने के तौर-तरीके निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होगी।

- क्षैतिज हस्तांतरण (Horizontal Devolution): राज्यों के बीच विभाज्य पूल के वितरण के मानदंडों पर फिर से विचार करना होगा। मौजूदा मानदंड, विशेष रूप से अनुदान को समान स्तर पर रखने के लिये, उत्पादन-आधारित कर प्रणाली में विकसित हो गए हैं। उपभोग-आधारित कर प्रणाली के निर्माण के लिये इसे फिर से अभिकल्पित या डिज़ाइन करने की आवश्यकता है।

- **संग्रहण की लागत की गणना एवं आवंटन:** जीएसटी के नए प्रशासन, जहाँ संघ और राज्य दोनों समान कर एकत्र करते हैं, के परिणामस्वरूप कर संग्रहण की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि और व्यापक भिन्नता उत्पन्न हुई है। यह लागत 7% से 10% तक होती है।
  - इस परिदृश्य में, आगामी वित्त आयोग को अप्रत्यक्ष करों को संग्रहित करने की लागत की गणना एवं आवंटन के लिये एक विधि की अनुशंसा करने का कार्य सौंपा जाना चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, उन्हें इन करों को कम करने और उनकी संग्रह दक्षता में सुधार करने के तरीके भी सुझाने चाहिये।

- **अनुदान तंत्र को नया स्वरूप प्रदान करना:** वर्ष 1935 में ब्रिटिश बैंकर ओटो निमेयर (Otto Niemeyer) द्वारा परिकल्पित 'अंतराल-पूर्ति' दृष्टिकोण ('gap-filling' approach), जिसे संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत जारी रखा गया, को जीएसटी परिषद द्वारा लाए गए मुआवजा कानून के आलोक में फिर से डिज़ाइन किया जाना चाहिये।
  - जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान के 31 मार्च 2026 तक बढ़ाए जाने के साथ, उसके बाद का वित्तीय वर्ष 16वें वित्त आयोग के लिये आधार वर्ष होगा और यह 2027 से 2032 तक प्रभावी रहेगा।
  - यह बेहद स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य क्षतिपूर्ति योजना के विस्तार की मांग करेगा। इसलिये, क्षतिपूर्ति की आवश्यकता (जिसका सर्वप्रमुख कारण है जीएसटी की ओर संक्रमण से हुए नुकसान की भरपाई करना) की जाँच का कार्य 16वें वित्त आयोग को सौंपना उपयुक्त होगा।

- **संघीय वित्त की नई संस्थागत संरचना:** नई संघीय वित्त संस्थागत संरचना में जीएसटी परिषद और वित्त आयोग के बीच एक औपचारिक संबंध होना चाहिये क्योंकि वे ही विभाज्य पूल का आकार तय करते हैं और इसे वितरित करते हैं।
  - वित्त आयोगों को इस बात की जाँच करनी चाहिये कि जीएसटी परिषद उस अवधि के दौरान अपनी अनुशंसा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये राजकोषीय परिषद के रूप में कैसे कार्य कर सकती है जब यह कार्यशील नहीं हो।

निष्कर्ष:

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि की शुरुआत के बाद से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण में महत्त्वपूर्ण कमी, विशेष रूप से हस्तांतरण में 42% की अनुशंसित वृद्धि को देखते हुए, चिंताजनक है।

केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद, राज्यों को आवंटित हिस्सेदारी में आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है। CS और CSS पर निर्भरता अंतर-राज्य असमानता को आगे और बढ़ाती है तथा वित्तीय प्रबंधन में राज्य की स्वायत्तता को कम करती है।

यह परिदृश्य न केवल सहकारी संघवाद को कमज़ोर करता है बल्कि भविष्य में राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के समतामूलक वितरण के बारे में भी चिंता पैदा करता है।

■■■

चाइल्ड पोर्नोग्राफी संबंधी कानूनी विसंगतियों का समाधान

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने एस. हरीश बनाम पुलिस निरीक्षक (2020) मामले में निर्णय देते हुए कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी (child pornography) डाउनलोड करना सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 67B के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एक पूर्व-दृष्टांत का हवाला दिया जहाँ माना गया था कि निजी स्थानों पर पोर्नोग्राफी देखना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292 का उल्लंघन नहीं है।

पुलिस ने अन्वेषण के बाद अंतिम रिपोर्ट दायर की थी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 14 (1) और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67B उच्च न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया था।

POCSO अधिनियम, 2012 क्या है?

- **परिचय:**
  - POCSO अधिनियम को बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1992) के भारत के अनुसमर्थन के रूप में अधिनियमित किया गया था।
    - इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार के अपराधों को संबोधित करना है, जिन्हें तब तक या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया था या पर्याप्त रूप से दंडित नहीं बनाया गया था।
    - अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को 'बाल' (child) के रूप में परिभाषित करता है। अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड का प्रावधान करता है।
    - बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध करने के लिये मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने के लिये अधिनियम की वर्ष 2019 में समीक्षा की गई और इसमें संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य अपराधियों को भयभीत कर ऐसे अपराध के लिये हतोत्साहित करना और बच्चों के विरुद्ध ऐसे अपराधों पर रोक लगाना था।
  - भारत सरकार ने POCSO नियम, 2020 को भी अधिसूचित कर दिया है।
    - POCSO नियमों का नियम-9 विशेष न्यायालय को FIR दर्ज होने के बाद बच्चे की राहत या पुनर्वास से संबंधित आवश्यकताओं के लिये अंतरिम मुआवज़े का आदेश देने की अनुमति देता है। यह मुआवज़ा अंतिम मुआवज़े, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।
    - POCSO नियम बाल कल्याण समिति (CWC) को अन्वेषण एवं परीक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सहायता करने के लिये एक सहायक व्यक्ति प्रदान करने का अधिकार देते हैं।
  - यह सहायक व्यक्ति शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक कल्याण सहित बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार होता है।
- **विशेषताएँ:**
  - लैंगिक-तटस्थ प्रकृति:
    - अधिनियम मानता है कि बालक एवं बालिकाएँ दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और पीड़ित किसी भी लिंग का हो, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार एक अपराध है।
    - यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि सभी बच्चों को यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है और कानूनों को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिये।
  - मामलों की रिपोर्टिंग में आसानी:
    - न केवल व्यक्तियों द्वारा बल्कि संस्थानों द्वारा भी बच्चों के यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट करने के लिये अब पर्याप्त सामान्य जागरूकता मौजूद है क्योंकि घटना की रिपोर्ट न करना अधिनियम के तहत एक विशिष्ट अपराध बना दिया गया है। इससे बच्चों के विरुद्ध अपराधों को छिपाना तुलनात्मक रूप से कठिन हो गया है।
  - विभिन्न शब्दों की स्पष्ट परिभाषा:
    - चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री के भंडारण को एक नया अपराध बना दिया गया है।
    - इसके अलावा, 'यौन उत्पीड़न' (sexual assault) के अपराध को IPC में 'महिला का शील भंग करने' की अमूर्त परिभाषा के विपरीत स्पष्ट शब्दों में (न्यूनतम दंड में वृद्धि के साथ) परिभाषित किया गया है।
  - विशेष राहत का तत्काल भुगतान:
    - POCSO नियमों के तहत, CWC ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), ज़िला बाल संरक्षण

नोट :

इकाई (DCPU) या किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत स्थापित कोष का उपयोग कर भोजन, वस्त्र एवं परिवहन जैसी आवश्यक आवश्यकताओं के लिये तत्काल भुगतान की अनुशंसा कर सकता है।
- CWC की अनुशंसा प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर यह भुगतान हो जाना चाहिये।

मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय से जुड़े मुद्दे क्या हैं?

- **धारा 67B की भिन्न व्याख्या:**
  - अन्वेषण के तथ्य IT अधिनियम, 2000 की धारा 67B (b) के अनुप्रयोग को आकर्षित करने के लिये पर्याप्त होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने माना कि अपराध तब तय होगा यदि आरोपी ने ऐसी सामग्री प्रकाशित, प्रसारित, निर्मित की हो जो बच्चों को यौन कृत्य या आचरण में प्रदर्शित करती हो।
    - इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने धारा 67B का संपूर्ण विश्लेषण किये बिना और उप-खंड (b) को पढ़े बिना ही (जहाँ आरोपी के कृत्य को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है) निर्णय दे दिया है।
- **केरल उच्च न्यायालय के निर्णय का अधूरा संदर्भ:**
  - मद्रास उच्च न्यायालय ने विवरण का उल्लेख किये बिना (यानी शीर्षक या वर्ष का उल्लेख) एक पूर्व-दृष्टांत का संदर्भ लिया, जहाँ केरल उच्च न्यायालय ने IPC की धारा 292 के दायरे पर विचार किया था और माना था कि किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील तस्वीर या अश्लील वीडियो देखना स्वयं में कोई अपराध नहीं है।
    - उस मामले का तर्क या सिद्धांत चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी के मामलों पर लागू नहीं होता है, विशेष रूप से उस मामले पर जिस पर मद्रास उच्च न्यायालय विचार कर रहा था।
- **धारा 67B की संवैधानिक वैधता की लापरवाही:**
  - केरल उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित अनीश बनाम केरल राज्य मामला (2023) चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी से संबंधित नहीं था। जबकि निजता के स्तर पर एडल्ट पोर्नोग्राफ़ी देखना IPC की धारा 292 के तहत अपराध नहीं माना गया है (केरल उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय दोनों द्वारा), बच्चों से संबंधित स्पष्ट यौन सामग्री डाउनलोड करना स्पष्ट रूप से IT अधिनियम के तहत एक अपराध है।
    - अब तक किसी भी मामले में धारा 67B(b) की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई है और न ही इसके अधिकार-क्षेत्र को असंवैधानिक ठहराया गया है।
- **CrPC की धारा 482 पर अत्यधिक निर्भरता :**
  - मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल किया और न्यायिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
  - CrPC की धारा 482 के तहत शक्तियों के प्रयोग या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्तियों के प्रयोग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल मामले (1992) में कुछ दिशानिर्देश तय किये हैं, जिसमें यह शामिल है कि ऐसी शक्तियों का उपयोग तब किया जा सकता है जहाँ FIR में लगाये गए आरोप, प्रथम दृष्टया, अपराध का गठन नहीं करते हैं या आरोपी के विरुद्ध मामले का कारण नहीं बनाते हैं।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी को विनियमित करने वाले विभिन्न कानून कौन-से हैं?

- **IT अधिनियम 2000 की धारा 67B: धारा 67B में विभिन्न पहलुओं से संबंधित पाँच उप-खंड मौजूद हैं:**
  - यौन कृत्य या आचरण में लिप्त बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से संबंधित
  - चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी सामग्री डाउनलोड करने सहित अन्य कृत्यों से संबंधित
  - बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से यौन संबंध बनाने, लुभाने या प्रेरित करने से संबंधित
  - बच्चों के साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार को सुविधाजनक बनाने से संबंधित
  - बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार/यौन कृत्य को रिकॉर्ड करने से संबंधित।
- **POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 14:**
  - धारा 14 की उप-धारा 1 में कहा गया है कि जो कोई, अश्लील प्रयोजनों के लिये किसी बच्चे या बच्चों का उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा तथा दूसरे या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा।
  - उप-धारा 2 में कहा गया है कि जो कोई भी उप-धारा 1 के तहत अश्लील प्रयोजनों के लिये किसी बच्चे या बच्चों का

उपयोग करता है, ऐसे अश्लील कृत्यों में प्रत्यक्ष भागीदारी के रूप में धारा 3 या धारा 5 या धारा 7 या धारा 9 में निर्दिष्ट अपराध करता है और उसे उक्त अपराधों के लिये उप-धारा (1) में उपबंधित दंड के अलावा क्रमशः धारा 4, धारा 6, धारा 8 और धारा 10 के तहत भी दंडित किया जाएगा।

WHAT LAW SAYS | **POCSO ACT, 2012**

Section 67B | Punishment for publishing or transmitting of material depicting children in sexually explicit act, etc. in electronic form

Anyone publishing or transmitting child pornography shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and with a fine which may extend to ten lakh rupees and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and also with fine which may extend to ten lakh rupees

Section 15 | Any person, who stores, for commercial purposes any pornographic material in any form involving a child shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both

मुद्दों के समाधान के लिये कौन-से कदम उठाये जाने की आवश्यकता है?

- **व्यापक विधायी ढाँचे का पालन:**
  - IT अधिनियम की धारा 67B, 67 एवं 67A जैसी संबंधित धाराओं और POCSO अधिनियम 2012 की धारा 14 के साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी से संबंधित अपराधों को संबोधित करने के लिये एक व्यापक विधायी ढाँचे का गठन करती है। विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करना साइबरस्पेस में बच्चों के यौन शोषण को संबोधित करने के इरादे को दर्शाता है।
- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की भूमिका:**
  - गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 'अमेरिकन नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन' के साथ एक समझौते के तहत, भारत में कहीं से भी बाल यौन शोषण सामग्री (child sexual abuse materials- CSAM) को अपलोड करने वाले लोगों पर मुकदमा चलाने के लिये नियमित रूप से जियो-टैग्ड साइबरटिपलाइन (Cyber-Tipline) रिपोर्ट प्राप्त करता है।
    - इसमें बाल पीड़ितों की गोपनीयता संबंधी चिंता एवं शारीरिक अखंडता की सुरक्षा और संरक्षण भी शामिल होना चाहिये तथा इसे वेबसाइट पर खुले तौर पर प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये।
- **शब्दावली समायोजन:**
  - अधिवक्ताओं ने सामग्री की गैर-सहमत प्रकृति को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिये 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द को CSAM शब्द से बदलने का सुझाव दिया है। यह भाषाई बदलाव कानूनी स्पष्टता बढ़ाएगा और अपराध की गंभीरता पर बल देगा।
- **विधिक प्रावधानों में सामंजस्य लाना:**
  - बाल यौन शोषण से संबंधित अपराधों को संबोधित करने में सुसंगति सुनिश्चित करने के लिये POCSO अधिनियम 2012 और IT अधिनियम 2000 के बीच प्रावधानों में सामंजस्य लाने का आह्वान किया गया है। यह संरेखण विधिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा और बच्चों की सुरक्षा को मज़बूत करेगा।
- **CSAM को एक पृथक अपराध घोषित करना:**
  - CSAM रखने को एक पृथक अपराध घोषित करने के लिये POCSO अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है, जहाँ इसे IT अधिनियम 2000 के प्रावधानों के साथ संरेखित किया जाए। ऐसे परिवर्तन विसंगतियों को संबोधित करेंगे और अपराधियों के अभियोजन में स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
- **राज्य कार्रवाई का महत्त्व:**
  - राज्य सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों के लिये मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के विरुद्ध अपील करना महत्त्वपूर्ण है ताकि ऐसे अहितकर पूर्व-दृष्टांत को चुनौती

नोट :

दिया जा सके। बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों की अखंडता को बनाए रखना आवश्यक है ताकि ऐसी भेद्य आबादी की सुरक्षा और उनके लिये न्याय सुनिश्चित हो सके।

बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिये कौन-सी पहलें की गई हैं ?

- बाल दुर्व्यवहार रोकथाम एवं अन्वेषण इकाई (Child Abuse Prevention and Investigation Unit)
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (2006)
- बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016
- फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय: न्याय विभाग अक्टूबर 2019 से यौन अपराधों से संबंधित त्वरित सुनवाई के लिये देश भर में विशेष POCSO अदालतों सहित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (FTSCs) की स्थापना के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है, जहाँ प्रत्येक अदालत में 1 न्यायिक अधिकारी और 7 कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं।

निष्कर्ष

मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कानूनों की व्याख्या एवं अनुप्रयोग के संबंध में महत्त्वपूर्ण विधिक एवं नैतिक सवालों को जन्म देता है। CSAM रखने के संबंध में POCSO अधिनियम 2012 और IT अधिनियम 2000 के बीच विसंगति को देखते हुए बच्चों के ऑनलाइन शोषण से निपटने में सुसंगतता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये विधायी समीक्षा एवं संशोधन की आवश्यकता है। इसलिये, राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह इस निर्णय के विरुद्ध अपील करे तथा कानूनी सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने और डिजिटल युग में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये सक्रिय कदम उठाए।

■■■

जनसंख्या प्रबंधन हेतु एक बहुआयामी दृष्टिकोण

संयुक्त राष्ट्र (UN) के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, भारत की जनसंख्या वर्ष 2030 तक 1.46 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है, जो विश्व की अनुमानित आबादी की 17% होगी। जबकि भारत में 1970 के दशक तक अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव हुआ, उसके बाद से इसकी विकास दर सुस्त हुई है और प्रजनन स्तर में लगातार गिरावट आ रही है।

- यह गिरावट, जो कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate- TFR) में परिलक्षित होती है, भारत के जनसांख्यिकीय प्रक्षेपपथ को आकार देने में सहायक रही है। TFR के वर्ष 2009-11 में 2.5 से घटकर वर्ष 2031-35 में 1.73 तक पहुँचने के अनुमान के साथ, भारत एक जनसांख्यिकीय संक्रमण (demographic transition) का साक्षी बनेगा, जहाँ यह बच्चों की आबादी के घटते अनुपात और कार्यशील आयु आबादी के बढ़ते अनुपात से चिह्नित होगा।

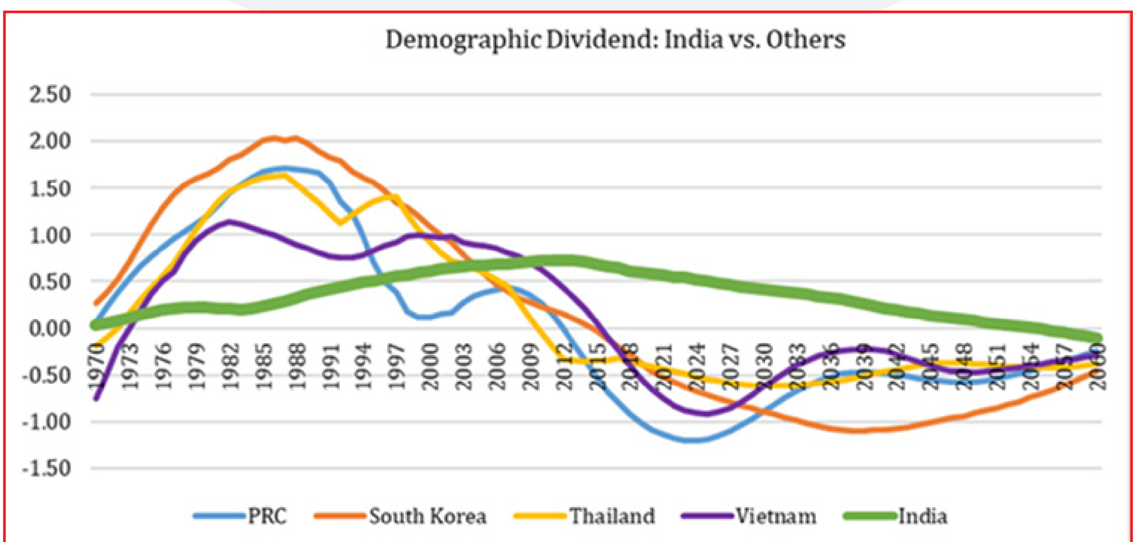

भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि के रुझान क्या हैं ?

- **जनसंख्या वृद्धि में गिरावट:**
  - अखिल भारतीय स्तर पर 1971-81 के बाद से जनसंख्या की प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर में गिरावट आ रही है।
  - EAG राज्यों (Empowered Action Group states)—उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा के मामले में उल्लेखनीय गिरावट पहली बार वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान देखी गई थी।
- **भारत की TFR में गिरावट:**
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 4 और 5 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर TFR 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है।
  - भारत में केवल पाँच राज्य ऐसे हैं जो प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से ऊपर हैं। ये राज्य हैं- बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर।
    - प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता (Replacement level fertility) कुल प्रजनन दर को इंगित करती है, यानी प्रति महिला पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या जिस पर आबादी बिना किसी प्रवासन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वयं को प्रतिस्थापित करती है।

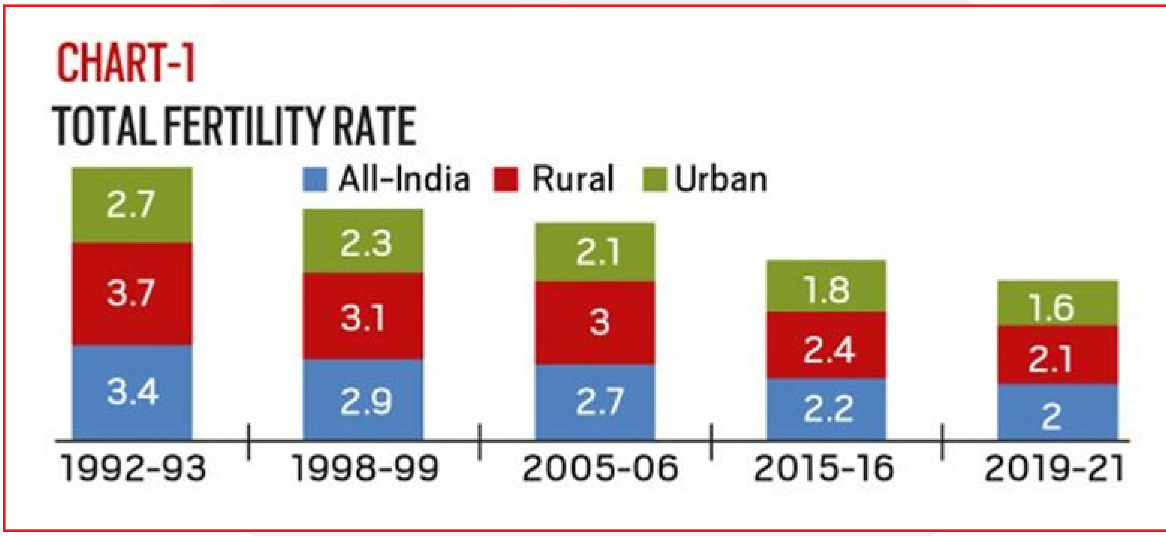

- **मृत्यु दर संकेतकों में सुधार:**
  - जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, जो वर्ष 1947 के 32 वर्ष से बढ़कर वर्ष 2019 में 70 वर्ष हो गया।
  - NFHS-5 के अनुसार, शिशु मृत्यु दर (IMR) 32 प्रति 1000 जीवित जन्म है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिये औसतन 36 और शहरी क्षेत्रों के लिये 23 के स्तर पर है।
- **परिवार नियोजन में वृद्धि:**
  - NFHS-5 के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर और पंजाब को छोड़कर लगभग सभी चरण-II राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में समग्र गर्भनिरोधक प्रसार दर (Contraceptive Prevalence Rate- CPR) 54% से बढ़कर 67% हो गई है।
- **जीवन प्रत्याशा में सुधार:**
  - संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund- UNFPA) की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट (State of World Population report), 2023' के अनुसार:
    - भारतीय पुरुष के लिये औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं के लिये 74 वर्ष अनुमानित की गई।
    - विकसित भूभागों के मामले में, पुरुषों के लिये औसत जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष और महिलाओं के लिये 83 वर्ष (जो सब में सर्वाधिक है) होने का अनुमान लगाया गया।
    - कम विकसित भूभागों के मामले में यह आयु पुरुषों के लिये 70 वर्ष और महिलाओं के लिये 74 वर्ष है, जबकि कम विकसित देशों में यह पुरुषों के लिये 63 वर्ष और महिलाओं के लिये 68 वर्ष है।

- **प्रबल जनसांख्यिकीय लाभांश:**
  - भारत की जनसंख्या बड़े कार्यबल के मामले में एक महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, जो आर्थिक विकास को गति देने में मदद कर सकती है।
  - भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में है, जो कार्यशील या कार्य करने में सक्षम आबादी में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करती है।
  - वृद्धशील विश्व में भारत के पास सबसे युवा आबादी मौजूद है। वर्ष 2022 तक, भारत में औसत आयु मात्र 29 वर्ष थी, जबकि यह चीन एवं अमेरिका में 38, पश्चिमी यूरोप में 46 और जापान में 51 वर्ष थी।

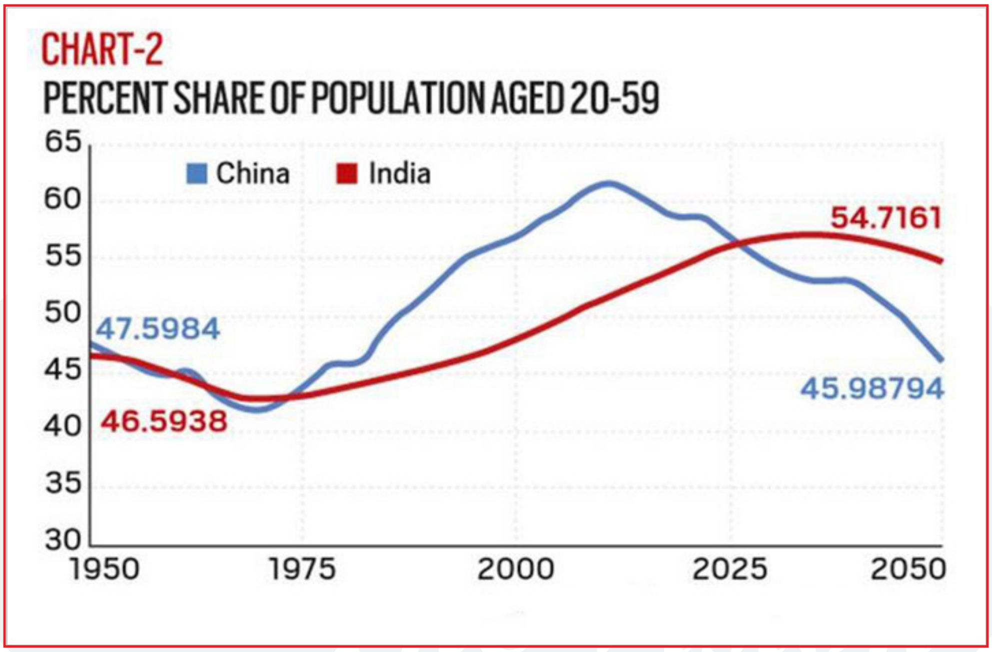

भारत में जनसंख्या समिति (Population Committee) का गठन क्यों आवश्यक था?

- **व्यापक अनुमानित जनसंख्या:**
  - संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, इस दशक के अंत तक भारत की जनसंख्या 1.5 बिलियन का स्तर पार कर जाएगी और वर्ष 2064 तक धीरे-धीरे बढ़ती रहेगी जब यह 1.7 बिलियन तक पहुँच जाएगी।
  - जनसंख्या वृद्धि दर में सुस्ती के बावजूद जनसांख्यिकीय संक्रमण जारी है जो भारत के आयु वितरण और आर्थिक विकास क्षमता के लिये निहितार्थ रखता है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश और आर्थिक विकास का दोहन करना:**
  - भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश प्रति व्यक्ति त्वरित आर्थिक विकास का अवसर प्रस्तुत करता है, यदि स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास में उपयुक्त निवेश किया जाए।
  - इस लाभांश का लाभ उठाने के लिये मानव पूंजी को बढ़ाने और हाशिये पर स्थित समूहों को कार्यबल में एकीकृत करने की पहल की आवश्यकता है। परिकल्पित जनसंख्या समिति इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- **स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों को संबोधित करना:**
  - स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1% पर स्थिर बना हुआ है, जो ऐसी नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो स्वास्थ्य संवर्द्धन को प्राथमिकता दें और स्वास्थ्य अवसंरचना अधिक वित्त आवंटित करें।
    - यूनिसेफ के अनुसार, वर्ष 2030 तक लगभग 47% भारतीय युवाओं में रोज़गार के लिये आवश्यक शिक्षा एवं कौशल की कमी प्रदर्शित हो सकती है।
    - कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, जहाँ 250 मिलियन

से अधिक बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिये मजबूर होना पड़ा, जिससे अधिगम प्रतिफलों (लर्निंग आउटकम) को उल्लेखनीय आघात लगा।

- जनसंख्या समिति सुव्यवस्थित और व्यापक तरीके से इन क्षेत्रों में लक्षित दृष्टिकोण को बढ़ाने में मदद करेगी।

- **साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने का महत्त्व:**
  - साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिये सटीक एवं समयबद्ध डेटा आवश्यक है। भारत को आँकड़ों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिये अनुमान संग्रह पद्धतियों में सुधार, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और हितधारकों के साथ सहयोग की आवश्यकता है।
  - उच्चाधिकार प्राप्त समिति राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) और NFHS द्वारा प्रदान किये गए पिछड़े डेटा के लिये एक व्यवहार्य विकल्प पेश कर सकती है।
- **डेटा अवसंरचना को आधुनिक बनाने की आवश्यकता:**
  - सटीक जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सुदृढ़ प्रणालियों के माध्यम से डेटा अवसंरचना को आधुनिक बनाया जाना महत्त्वपूर्ण है।
  - विश्वसनीय जनसंख्या आँकड़ों के लिये डेटा संग्रह विधियों, डेटा प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकियों और डेटा सुरक्षा में निवेश अनिवार्य है।
- **समावेशी और सतत् विकास को साकार करना:**
  - जनसंख्या प्रबंधन के लिये समग्र दृष्टिकोण अपनाकर तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार एवं सांख्यिकीय प्रणालियों में निवेश को प्राथमिकता देकर भारत अपनी विकास क्षमता को साकार कर सकता है और समावेशी एवं सतत विकास प्राप्त कर सकता है।
  - भारत के परिवर्तन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिये रणनीतिक योजना, प्रभावी कार्यान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्त्वपूर्ण हैं जो प्रस्तावित जनसंख्या समिति के स्तर पर सफलतापूर्वक पूरे किये जा सकते हैं।

जनसंख्या समिति के गठन में शामिल किये जाने वाले विभिन्न बिंदु क्या होने चाहिये?

- **बहु-क्षेत्रीय रणनीति अपनाना:**
  - अंतरिम बजट में इस महत्त्वपूर्ण पहल की शुरूआत 'विकसित भारत' के लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिये। इस समिति को परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक-आर्थिक विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय रणनीति अपनानी चाहिये, जैसे कि:
    - खेल-आधारित लचीला पाठ्यक्रम तैयार करना और आरंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा की मांग उत्पन्न करने के लिये माता-पिता, समुदायों और हितधारकों को शामिल करना परिणामों में सुधार के अन्य उपाय हो सकते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, बेरोज़गारी को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिये मौजूदा कौशल विकास पहल और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को पाटने के प्रयास आवश्यक हैं।
- **जनसंख्या प्रबंधन के लिये अंत:विषयक दृष्टिकोण:**
  - जनसंख्या समिति की सफलता उसके अंत:विषयक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, जो जनसांख्यिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और शासन से विशेषज्ञता प्राप्त करेगी।
    - समिति को विविध दृष्टिकोणों का लाभ उठाते हुए उभरते मुद्दों की पहचान करनी चाहिये और कठोर अनुसंधान एवं डेटा विश्लेषण के माध्यम से मौजूदा हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता का आकलन करना चाहिये।
- **प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सहक्रियात्मक प्रयास:**
  - राष्ट्रीय और ज़मीनी स्तर, दोनों स्तरों पर प्रभावी नीति कार्यान्वयन के लिये सरकारी एजेंसियों, ग़ैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, शिक्षा जगत और निजी क्षेत्र सहित विविध हितधारकों के साथ सहकार्यता आवश्यक है।
  - ये साझेदारियाँ सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देंगी और जनसंख्या-संबंधित कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करेंगी।
- **जन जागरूकता और शिक्षा पर बल देना:**
  - समिति को नीति निर्माण के अलावा जन जागरूकता और शिक्षा अभियान पर भी बल देना चाहिये। सटीक जानकारी के साथ व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाकर, यह उत्तरदायी परिवार नियोजन अभ्यासों को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य परिणामों को उन्नत करने का लक्ष्य रखता है।
- **जनसंख्या प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
  - जनसंख्या प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सर्वोत्तम अभ्यासों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना महत्त्वपूर्ण है। वैश्विक अनुभवों से सीखना और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना जनसांख्यिकीय चुनौतियों से निपटने में भारत की रणनीतियों को समृद्ध कर सकता है।

नोट :

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग, विश्व बैंक और शैक्षणिक संस्थानों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग जनसंख्या डेटा संग्रहण एवं विश्लेषण के लिये वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों, तकनीकी विशेषज्ञता एवं वित्तपोषण के अवसरों तक पहुँच प्रदान कर सकता है।

- **भारत के विकसित होते जनसांख्यिकीय परिदृश्य को एकीकृत करना:**
  - भारत के जनसांख्यिकीय परिदृश्य में पिछले कुछ वर्षों में महत्त्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं, जिनमें प्रजनन दर में गिरावट, कार्यशील आयु आबादी की वृद्धि और बढ़ती वृद्ध आबादी शामिल है।
    - परिकल्पित समिति के माध्यम से इन परिवर्तनों को समझना भविष्य के आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्षेपपथ को आकार देने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **डेटा विश्वसनीयता के लिये गुणवत्ता आश्वासन तंत्र अपनाना:**
  - कठोर सत्यापन और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को लागू करने से जनसंख्या डेटा की विश्वसनीयता एवं सटीकता सुनिश्चित होती है। स्वतंत्र ऑडिट, डेटा सत्यापन अभ्यास एवं सहकर्मी समीक्षा प्रक्रियाएँ डेटा त्रुटियों की पहचान करने और उनमें सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।
- **शोधकर्त्ताओं को डेटा तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना:**
  - खुली डेटा पहल को बढ़ावा देने और डेटा साझाकरण में पारदर्शिता से शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और आम लोगों के लिये जनसंख्या डेटा तक पहुँच बढ़ेगी।
  - अनुसंधान प्रक्रिया में डेटा के पुन: उपयोग, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुगम बनाने के लिये मानकीकृत प्रारूपों और डेटा साझाकरण प्रोटोकॉल को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना प्रभावी नीतियों एवं रणनीतियों को तैयार करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस समिति को जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिये अंत:विषयक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, हितधारकों के साथ सहयोग करना चाहिये और सार्वजनिक जागरूकता एवं शिक्षा अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। भारत का जनसांख्यिकीय परिदृश्य अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है। यदि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोज़गार के क्षेत्र में उपयुक्त निवेश किया जाए तो इससे द्रुत आर्थिक विकास की संभावना बनेगी।

■■■

छठी अनुसूची में लद्दाख: स्थानीय मांगों को मानना

हाल के दिनों में लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान में अपनी पहचान बनाए रखने को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि लद्दाख का राज्य का दर्जा पुनर्बहाल किया जाए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में लद्दाख को विधानसभा-रहित केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था। उनकी यह भी मांग है कि लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत एक जनजातीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाए, साथ ही लेह और कारगिल दोनों ज़िलों के लिये संसदीय सीट स्थापित की जाए तथा स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण दिया जाए।

लद्दाख भारत के लिये किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है ?

- **भू-राजनीतिक महत्त्व:** लद्दाख को 'दर्रों की भूमि' (Land of Passes/La-passes/dakh-land) के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के चौराहे पर लद्दाख की रणनीतिक अवस्थिति इसे अत्यधिक भू-राजनीतिक महत्त्व प्रदान करती है।
- **रणनीतिक महत्त्व:** यह भारत और इसके पड़ोसी देशों (चीन और पाकिस्तान सहित) के बीच एक बफ़र ज़ोन के रूप में कार्य करता है। लद्दाख क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के साथ जारी सीमा विवाद भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में इसके महत्त्व को रेखांकित करते हैं।
  - भारतीय सशस्त्र बल बाहरी खतरों का मुकाबला करने और भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिये लद्दाख में एक प्रबल उपस्थिति बनाए रखते हैं।
- **पर्यटन क्षमता:** 'लामा लैंड' या 'लिटिल तिब्बत' के नाम से लोकप्रिय लद्दाख लगभग 9,000 फीट से 25,170 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। ट्रैकिंग और पर्वतारोहण से लेकर विभिन्न मठों की बौद्ध यात्राओं तक, लद्दाख में पर्यटन के लिये बहुत कुछ है।
- **आर्थिक महत्त्व:** लद्दाख में, विशेष रूप से पर्यटन, कृषि एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में, विशाल अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता मौजूद है।
  - पैंगोंग और त्सो मोरीरी जैसी स्वच्छ झीलों एवं पहाड़ों के साथ यह क्षेत्र लुभावने भूदृश्य रखता है जो रोमांच और शांति की इच्छा रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है।
- **पर्यावरणीय महत्त्व:** लद्दाख की उपजाऊ घाटियाँ और नदी बेसिन जैविक खेती एवं बागवानी सहित कृषि विकास के वृहत अवसर प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, लद्दाख की प्रचुर धूप और पवन संसाधन इसे सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिये अनुकूल बनाते हैं, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान कर सकते हैं।

- **सांस्कृतिक महत्त्व:** लद्दाख की भूमि प्राचीन रेशम मार्ग (Silk Route) पर स्थित है जो अतीत में संस्कृति, धर्म, दर्शन, व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता था।
  - यह क्षेत्र विविध जातीय समुदायों का घर है, जिनमें लद्दाखी, तिब्बती और बाल्टी लोग शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट परंपराएँ एवं रीति-रिवाज हैं।
    - हेमिस, थिकसे और दिस्कित के सदियों पुराने मठ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिन्होंने प्राचीन बौद्ध शिक्षाओं और अभ्यासों को आज भी संरक्षित कर रखा है।

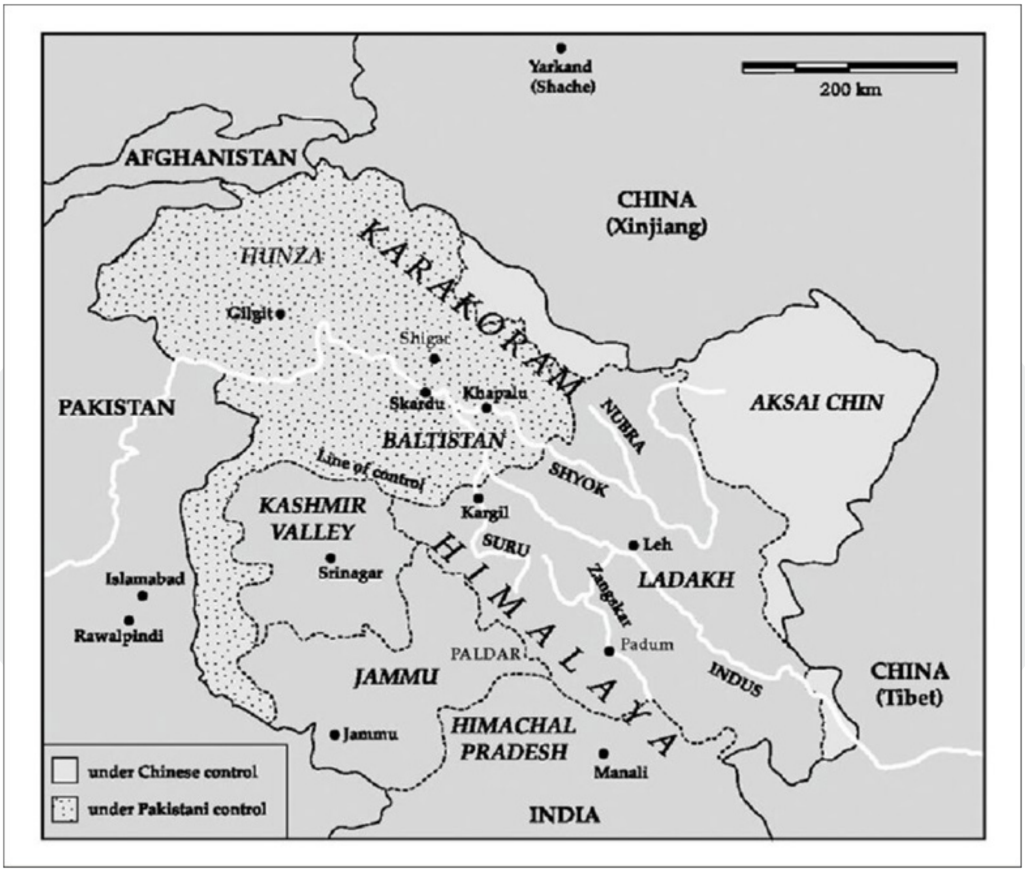

छठी अनुसूची में शामिल करने की लद्दाख की मांग के पक्ष में कौन-से तर्क मौजूद हैं?

- **प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना:** वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्रशासित प्रदेश के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। इस परिवर्तन के कारण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व की हानि के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुईं।
  - इससे पूर्व की स्थिति से तुलना की जाने लगी है, जहाँ लद्दाख जम्मू-कश्मीर विधानसभा में चार और विधान परिषद में दो सदस्य रखता था।
  - जब लद्दाख पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का अंग था, तब क्षेत्र पर शासन करने वाली निर्वाचित संस्था 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद' (Ladakh Autonomous Hill Development Council-LAHDC) को उल्लेखनीय स्वायत्तता प्राप्त थी।
  - लेकिन अब जब यह क्षेत्र केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन है, लद्दाखी नेताओं का कहना है कि LAHDC को बेहद सीमित कर दिया गया है, जिससे राजनीतिक स्वत्व-हरण (political dispossession) की भावना पैदा हो रही है।
    - प्रतिनिधित्व की कमी से इस भय का संचार हो रहा है कि अब बाहरी लोग लद्दाख के लिये निर्णय लिया करेंगे।

नोट :

- **लोक भागीदारी का अभाव:** जम्मू-कश्मीर राज्य के एक अंग के रूप में लद्दाख को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत विशेष दर्जे का विशेषाधिकार प्राप्त था। अब अशक्तीकरण की भावना बढ़ रही है, क्योंकि नौकरियों, भूमि, संस्कृति और पहचान के लिये सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण असुरक्षा बढ़ गई है। विधायी निकाय की कमी का अर्थ है कि निर्णयन प्रक्रिया अब सार्वजनिक भागीदारी से नौकरशाही प्रक्रियाओं की ओर स्थानांतरित हो गई है।
- **लद्दाख का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र:** उच्च तुंगता वाले मरुस्थलों, ग्लेशियरों और अल्पाइन घास मैदानों से चिह्नित लद्दाख का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता का 'हॉटस्पॉट' है और कई दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण पर्यावास के रूप में कार्य करता है।
  - जलवायु कार्यकर्ताओं ने हिमनद पारिस्थितिकी में खनन के संबंध में चिंता व्यक्त की है।
  - लद्दाख के लोगों को भी है कि यदि उद्योग स्थापित किये जाएँगे तो ऐसे प्रत्येक उद्योग लाखों लोगों को क्षेत्र में लेकर आएँगे और लद्दाख का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र इतने सारे लोगों का बोझ नहीं उठा सकेगा।
  - लद्दाख के भीतर जल संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह न केवल लद्दाखियों की आजीविका एवं लद्दाख के पारिस्थितिकी तंत्र के लिये बल्कि संपूर्ण नदी प्रणाली के स्वास्थ्य के लिये भी महत्त्वपूर्ण है।
- **संवेदनशील सीमा क्षेत्र:** लद्दाख की नाजुक स्थिति चीन एवं पाकिस्तान दोनों के साथ लगती सीमाओं के कारण और जटिल हो जाती है। पूर्वी लद्दाख में चीन के PLA के साथ जारी सैन्य गतिरोध के साथ ही भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़ाने के पाकिस्तान के लगातार प्रयासों से एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती उत्पन्न होती है।
  - चीन-पाकिस्तान धुरी (China-Pakistan axis) को संबोधित करने के लिये स्थानीय समुदाय द्वारा समर्थित रणनीतिक अवसंरचना के विकास की आवश्यकता है।
- **सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण:** छठी अनुसूची में शामिल होने से लद्दाख की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक रीति-रिवाजों की रक्षा के लिये कानूनी सुरक्षा उपाय उपलब्ध होंगे। छठी अनुसूची जनजातीय समुदायों को शासन में कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान करती है, जिससे वे अपने कार्यों एवं संसाधनों का प्रबंधन स्वयं करने में सक्षम होते हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक विकास:** आलोचकों का तर्क है कि युवा कार्यबल के लिये रोज़गार के अवसर पैदा करने के मामले में केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन का प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से कमज़ोर रहा है।
  - केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना को चार वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश में लोक सेवा आयोग स्थापित नहीं किये जाने से युवाओं में आक्रोश है।
  - लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के भीतर एक व्यापक रोज़गार नीति का अभाव एक गंभीर मुद्दा है जो स्थिति को और जटिल बनाता है।
  - छठी अनुसूची के तहत दी गई स्वायत्तता स्थानीय रूप से प्रासंगिक विकास पहलों के सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन को सुगम बना सकती है, जिससे सामाजिक-आर्थिक परिणामों में सुधार हो सकता है।
- **लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाना:** छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदों की स्थापना से ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएँ सशक्त होंगी और समावेशी शासन एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।

छठी अनुसूची क्या है?

- **अनुच्छेद 244:** अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों—स्वायत्त ज़िला परिषदों (Autonomous District Councils- ADCs)—के गठन का प्रावधान करती है, जिनके पास राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है।
- **वर्तमान स्थिति:** छठी अनुसूची में चार पूर्वोत्तर राज्यों—असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिये विशेष प्रावधान किये गए हैं।

MEGHALAYA
- Khasi Hills Autonomous District Council
- Jaintia Hills Autonomous District Council
- Garo Hills Autonomous District Council

MIZORAM
- Chakma Autonomous District Council
- Lai Autonomous District Council
- Mara Autonomous District Council

TRIPURA
- Tripura Tribal Areas Autnomous District Council

ASSAM
- Dima Hasao Autonomous Council
- Karbi Anglong Autonomous Council
- Bodoland Territorial Council

- **स्वायत्त ज़िले (Autonomous Districts):** इन चार राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िलों के रूप में गठित किया गया है। राज्यपाल के पास स्वायत्त ज़िलों को सुगठित एवं पुनर्गठित करने का अधिकार है।
- **ज़िला परिषद (District Council):** प्रत्येक स्वायत्त ज़िले में एक ज़िला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
- **परिषद की शक्तियाँ:** ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों का प्रशासन करती हैं।
  - वे कुछ निर्दिष्ट मामलों—जैसे भूमि, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति उत्तराधिकार, विवाह एवं तलाक, सामाजिक रीति-रिवाज आदि पर कानून बना सकती हैं। लेकिन ऐसे सभी कानूनों के लिये राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है।
  - वे जनजातियों के बीच मुकदमों की सुनवाई के लिये ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन कर सकती हैं। वे उनसे अपील भी सुनती हैं। इन मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
  - ज़िला परिषद ज़िले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाज़ारों, घाटों, मत्स्य पालन, सड़कों आदि की स्थापना, निर्माण या प्रबंधन कर सकती है।
  - उन्हें भू-राजस्व के आकलन एवं संग्रहण करने और कुछ निर्दिष्ट कर लगाने का अधिकार भी दिया गया है।

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के विरुद्ध कौन-से तर्क मौजूद हैं ?

- **कानूनी और प्रशासनिक बाधाएँ:** गृह मंत्रालय ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिये संविधान में संशोधन संबंधी संभावित चुनौतियों को उजागर किया है और कहा है कि इस तरह के कदम के लिये संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।
  - मंत्रालय के अनुसार, संविधान में स्पष्ट रूप से छठी अनुसूची पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये आरक्षित है, जबकि देश के अन्य हिस्सों के जनजातीय क्षेत्र पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं।
- **निर्णय लेने में संभावित देरी:** कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने से क्षेत्र की शासन संरचना में जटिलताएँ बढ़ सकती हैं, जिससे संभावित रूप से प्रशासनिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और निर्णयन प्रक्रियाओं में देरी हो सकती है।
- **समावेशन के प्रयास पहले से ही जारी:** केंद्र सरकार ने हाल ही में एक संसदीय स्थायी समिति को सूचित किया कि जनजातीय आबादी को छठी अनुसूची के तहत शामिल करने का उद्देश्य उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है, जिसका लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन पहले से ही ध्यान रख रहा है और लद्दाख की समग्र विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त धन प्रदान किया जा रहा है ।
- **आरक्षण में वृद्धि:** राज्यसभा में हाल ही में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 45% कर दिया है, जिससे जनजातीय आबादी को उनके विकास में पर्याप्त मदद मिलेगी।
- **आर्थिक विकास में बाधा:** केंद्रशासित प्रदेश होने के रूप में लद्दाख में सड़कों, हवाई पट्टियों और संचार नेटवर्क सहित अवसंरचना के विकास में केंद्रित निवेश की अनुमति मिलती है। आलोचकों का तर्क है कि छठी अनुसूची में शामिल किये जाने से भूमि उपयोग, संसाधन दोहन और निवेश के अवसरों पर नियंत्रण के कारण लद्दाख के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **कमान की स्पष्ट शृंखला:** चूँकि लद्दाख प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) द्वारा शासित होता है, इसलिये इस क्षेत्र में सुरक्षा अभियानों के लिये कमान की एक स्पष्ट शृंखला मौजूद है। इससे चीनी घुसपैठ का जवाब देने में सेना, अर्द्धसैनिक बलों और स्थानीय प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय की सुविधा प्राप्त होती है।
  - केंद्रशासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की स्थिति इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता को सुदृढ़ करती है और सीमा विवादों पर चीन के साथ वार्ता में इसकी राजनयिक स्थिति को प्रबल करती है।

आगे की राह

- **सार्थक संवाद:** सरकार को विरोध प्रदर्शन में शामिल हितधारकों—जिसमें लद्दाख के स्थानीय समुदायों, राजनीतिक संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, के साथ सार्थक संवाद शुरू करना चाहिये।
  - इस संवाद का उद्देश्य छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को प्रेरित करने वाली अंतर्निहित शिकायतों, आकांक्षाओं एवं चिंताओं को समझना होना चाहिये।

- **व्यवहार्यता का आकलन:** लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की व्यवहार्यता एवं निहितार्थ का आकलन करने के लिये एक गहन मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
  - इस मूल्यांकन में कानूनी, प्रशासनिक, सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों के साथ-साथ क्षेत्र में शासन, विकास एवं सुरक्षा पर इसके संभावित प्रभावों पर भी विचार किया जाना चाहिये।
- **लोगों का भरोसा जीतना:** लोगों का भरोसा जीतने के लिये, सरकारी निर्णय और वादे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर मूर्त होने चाहिये।
  - छठी अनुसूची में शामिल किये जाने की लद्दाख की मांग को संबोधित करने की प्रक्रिया उभरती परिस्थितियों के अनुसार पुनरावृत्तीय एवं उत्तरदायी होनी चाहिये।
- **स्थानीय शासन को बेहतर बनाना:** सरकार को क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास एवं सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये समावेशी स्थानीय शासन, अधिक स्वायत्तता एवं लक्षित नीति हस्तक्षेप हेतु बेहतर प्रयास सुनिश्चित करना चाहिये।
- **संवेदनशील नीति निर्माण:** भारत के नीति निर्माताओं को लद्दाख के लिये अपनी नीतियों का मसौदा तैयार करते समय इसकी भौगोलिक स्थिति, नाजुक पर्यावरण, संसाधन क्षमता एवं लोगों की आकांक्षाओं पर विचार करना चाहिये। ऐसे रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण भूभाग में इसका पूरा लाभ उठाने के लिये इन सभी पहलुओं को सामंजस्य में रखना अत्यंत आवश्यक है।
- **क्रमिक और चरणबद्ध दृष्टिकोण:** मुद्दे की जटिलता और इसमें शामिल विविध हितों को देखते हुए, छठी अनुसूची के तहत लद्दाख की स्थिति पर कोई भी निर्णय क्रमिक एवं चरणबद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से लिया जाना चाहिये।
  - इसके पूर्णरूपेण कार्यान्वयन से पहले विभिन्न विकल्पों की व्यवहार्यता एवं प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिये पायलट परियोजनाओं, प्रयोग या चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीतियों को आजमाना शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

लद्दाख में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व भारत की सुरक्षा रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण घटक होना चाहिये। सरकार लद्दाख के लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, विशेष रूप से सुरक्षा एवं शासन से संबंधित प्रक्रियाओं में प्रतिनिधित्व देना सुनिश्चित कर, क्षेत्र के हितों की रक्षा करने और सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के प्रयासों में स्थानीय स्वामित्व एवं भागीदारी को बढ़ा सकती है।

■■■

दावोस शिखर सम्मेलन, 2024 में भारत का वैश्विक आर्थिक प्रभाव

जनवरी 2024 में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum-WEF) की बैठक में दुनिया भर के वैश्विक राजनेताओं, तकनीकी क्षेत्र के नवप्रवर्तकों और चिंतकों (thought leaders) ने भाग लिया और विश्व के समक्ष विद्यमान सबसे गंभीर आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक चुनौतियों से निपटने पर विचार-विमर्श किया। इन चर्चाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) की अहम् भूमिका रही। जहाँ इसमें AI की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला गया वहीं नवोन्मेषी एवं विवेकपूर्ण शासन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

WEF की पिछली बैठक और इस बैठक के बीच विश्व को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिनमें भूराजनीतिक आपात स्थिति, जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रों के विकास प्रक्षेपवक्र में गिरावट और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के खतरे जैसे कई विषय शामिल रहे। इन वैश्विक चुनौतियों के बीच, दावोस 2024 में भारत अपने विकास प्रक्षेपवक्र में बेहतर प्रदर्शन करता हुआ और सफलता दर्शाता हुआ दिखा।

विश्व आर्थिक मंच (WEF):

- **परिचय:**
  - WEF एक स्विस गैर-लाभकारी फाउंडेशन है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में हुई थी।
  - इसे स्विस प्राधिकार द्वारा सार्वजनिक-निजी सहयोग की अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
- **उद्देश्य:**
  - यह वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देने के लिये व्यापार, राजनीति, शिक्षा एवं समाज के अन्य नेताओं को संलग्न करते हुए विश्व की स्थिति में सुधार लाने के लिये प्रतिबद्ध है।
  - संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष: क्लाउस श्वाब (Klaus Schwab)
- **WEF द्वारा प्रकाशित कुछ प्रमुख रिपोर्टें हैं:**
  - ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (Energy Transition Index)
  - वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (Global Competitiveness Report)

- वैश्विक आईटी रिपोर्ट (Global IT Report)
  - विश्व आर्थिक मंच INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यह रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report)
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट (Global Risk Report)
- वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट (Global Travel and Tourism Report)

दावोस सम्मलेन, 2024 की मुख्य बातें:

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):**
  - इस वर्ष WEF की बैठक में यह मुद्दा केंद्र में रहा। बैठक में मानव कल्याण के लिये इसकी विभिन्न परिवर्तनकारी क्षमताओं पर चर्चा के साथ ही विनियमन की आवश्यकता, रोज़गार हानि के भय, प्रतिरूपण एवं भ्रामक सूचना के जोखिम और असमानताओं की वृद्धि में इसके संभावित योगदान पर भी चर्चा की गई।
  - हालाँकि समग्र अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि सकारात्मकताएँ, नकारात्मकताओं से अधिक हैं और मानव बुद्धि को AI की ओर से किसी बड़े खतरे का सामना नहीं करना पड़ा है।
- **युद्ध और अनिश्चितता:**
  - वैश्विक नेताओं ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में संवेदनशील भू-राजनीतिक स्थितियों—मध्य पूर्व एवं यूरोप में युद्ध, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के लिये खतरे और खाद्य सुरक्षा के संबंध में अनिश्चितता से उत्पन्न जोखिमों के बारे में चर्चा की।
    - हालाँकि इज़राइल-गाज़ा हिंसा के बारे में शांति के लिये कोई योजना या रोडमैप पेश नहीं किया गया।
- **जलवायु:**
  - व्यवसायों के जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने और मतभेदों के बावजूद इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिये देशों के एकजुट होने की आवश्यकता भी बैठक में चर्चा का प्रमुख विषय रहा।
    - विश्व बैंक के अध्यक्ष ने व्यवसायों द्वारा संवहनीय प्रक्रियाओं को अपनाने से प्राप्त होने वाले अंतिम लाभ और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष में संसाधनों को सही ढंग से आवंटित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
  - इसमें इस बात पर बल दिया गया कि विकसित देशों को, विकासशील देशों की जलवायु कार्रवाई के वित्तपोषण में सहायता करनी होगी, अन्यथा असमानता में वृद्धि होगी।
- **चीन की अर्थव्यवस्था:**
  - मंद होती अर्थव्यवस्था का सामना करते चीन ने पश्चिम से अधिक निवेश आकर्षित करने की कोशिश की, जिसमें कुछ नरमी देखी गई है।
    - वर्ष 2023 में चीन की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5.2% रही जो अभी भी महामारी के पूर्व के स्तर से नीचे है और वह उसे अलग-थलग करने के अमेरिकी प्रयासों (जैसा कि सेमीकंडक्टर व्यापार गतिरोध में नज़र आया) से जूझ रहा है।
  - बैठक में कहा गया कि चीन अत्यंत महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पश्चिम की बहुत-सी कंपनियाँ अब चीन में अतीत की तरह निवेश नहीं कर रही हैं।
    - लेकिन चीन में 3%-4% की वृद्धि भी WEF शिखर सम्मेलन में भागीदार कई कंपनियों के लिये अभी भी बेहद सार्थक है।
- **भारत की संभावनाएँ:**
  - दावोस की बैठक ने रेखांकित किया कि भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में द्रुत गति से बदल रहा है। बैठक में भारत ने अपनी आर्थिक क्षमता के अलावा अन्य तरीकों से भी अपनी उपस्थिति महसूस कराई।
    - प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 2024 और उसके आगे भारत के भविष्य पर नज़र रहेगी।
- **महिला स्वास्थ्य में निवेश:**
  - इस वर्ष WEF में चर्चा किये गए विषयों में से एक यह था कि महिलाओं के स्वास्थ्य में निवेश से वर्ष 2040 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक कैसे बढ़ावा मिल सकता है।
  - 'ग्लोबल गुड एलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी':
    - WEF और भारत सरकार के सहयोग एवं समर्थन से 'ग्लोबल गुड एलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी' लॉन्च करने की घोषणा करना, बैठक की प्रमुख उपलब्धियों में से एक रहा।

नोट :

- इस गठबंधन का विचार G20 नेताओं की घोषणा (G20 Leaders' Declaration) और महिला-नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत की स्थायी प्रतिबद्धता से उभरा।
- इसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम के चिन्हित क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण और निवेश को एक साथ लाना है।

दावोस सम्मेलन, 2024 में AI पर विशेष फोकस क्या था?

दावोस, 2024 में अर्थव्यवस्थाओं और समाज को नया आकार दे सकने में AI की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित करते हुए AI के व्यापक प्रभाव पर बल दिया गया। विमर्श में AI के लाभों के दोहन के लिये संतुलित शासन, नैतिक विचारों और कौशल विकास के महत्त्व को रेखांकित किया गया।

- **AI संबंधी रोज़गार बाज़ार पर ध्यान केंद्रित करना:**
  - दावोस बैठक में प्रस्तुत की गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की "जेन-एआई: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क" (Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work) रिपोर्ट एक चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत करती है जहाँ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 60% तक नौकरियाँ AI के कारण खतरे में हैं।
    - इस चिंताजनक आँकड़े ने कार्य के भविष्य के बारे में गहन चर्चा को जन्म दिया है और कौशल प्रशिक्षण एवं अनुकूलन की तात्कालिकता को रेखांकित किया है।
    - इस रिपोर्ट में AI के जोखिमों का प्रबंधन करते हुए इसके लाभों का दोहन कर सकने के लिये लोगों को आवश्यक कौशल से लैस करने के महत्त्व पर बल दिया गया है।
  - IMF की रिपोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को भी उजागर किया है कि वास्तविक चुनौती मशीनों द्वारा नौकरी प्रतिस्थापन की नहीं, बल्कि AI में कुशल लोगों द्वारा प्रतिस्थापन की है।
    - इसने AI द्वारा संवर्द्धित विश्व के लिये नागरिकों, विशेषकर युवाओं को तैयार करने के लिये AI शिक्षा के एकीकरण की वकालत की है।
    - शिखर सम्मेलन में रोज़गार सृजन (विशेष रूप से हरित क्षेत्रों में) की आवश्यकता और AI-संचालित श्रम बाज़ार की मांगों को पूरा करने के लिये शिक्षा प्रणालियों के अनुकूलन पर बल दिया।
  - यह बैठक AI-सृजित कंटेंट की कॉपीराइटिंग और मानव एवं मशीन द्वारा कंटेंट निर्माण के बीच अंतर जैसे जटिल मुद्दों को संबोधित करने पर भी लक्षित रही।

- भागीदार नेताओं ने अंतर-संचालनीयता (interoperability) मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करने के लिये सहयोगात्मक प्रयासों की वकालत की, जो एक अधिक एकीकृत AI सिस्टम की ओर वैश्विक रुझान को प्रकट करता है।

- इसने अधिक विचार-केंद्रित भूमिकाओं की ओर एक बदलाव का भी अनुमान लगाया, जो रोज़गार कार्यों को अमूर्तता के उच्च स्तर तक बढ़ाने की AI की क्षमता से सुगम हुआ है।
    - WEF शिखर सम्मेलन ने GPT-3 से GPT-4 तक महत्त्वपूर्ण प्रगति को देखते हुए AI मूल्य संरेखण के बारे में भी आशा प्रकट की।

- **AI के नैतिक एवं उत्तरदायी उपयोग का आह्वान:**
    - इस बैठक में AI से संबद्ध गहन नैतिक प्रश्न भी उठाए गए, जहाँ मानव प्रामाणिकता पर इसके प्रभाव और आभासी एवं वास्तविक मानव संपर्क के बीच धुंधली रेखाओं पर विचार किया गया।
        - इन चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के साथ हमारे संबंधों पर गहन चिंतन किया गया।
    - पूरी बैठक के दौरान उत्तरदायी AI प्रशासन की आवश्यकता प्रतिध्वनित हुई, जहाँ ऐसे संतुलित दृष्टिकोण की मांग की गई जो जोखिमों को कम करते हुए नवाचार को बढ़ावा दे।
        - चीन के प्रधानमंत्री ने वैश्विक AI शासन तंत्र के महत्त्व पर बल दिया।
        - माइक्रोसॉफ्ट ने AI नियमों में अभिसरण पर चर्चा की, जिसमें बुनियादी मुद्दों और उन्हें संबोधित करने की रणनीतियों की आम समझ पर प्रकाश डाला गया।

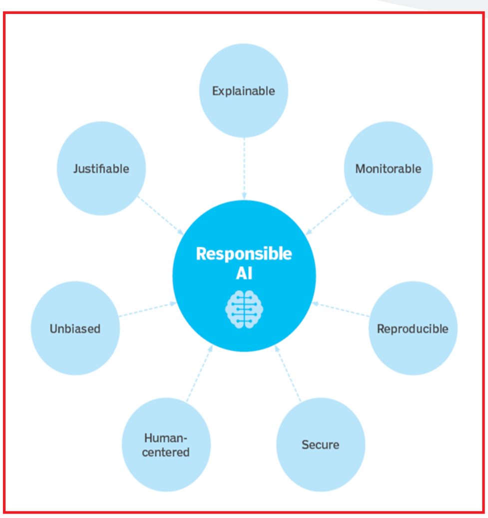

दावोस में आयोजित WEF शिखर सम्मेलन, 2024 में भारत की उपलब्धियाँ:

- **CII इंडिया बिज़नेस हब से जुड़ी मुख्य बातें:**
    - दावोस में CII इंडिया बिज़नेस हब में उल्लेखनीय गतिविधि देखी गई जहाँ व्यवसायी आगंतुकों ने आगामी अवसरों की पड़ताल की। इसने भारत को अपनी सफलताओं को प्रदर्शित करने के लिये एक मंच प्रदान किया।
- **भारत पर भू-राजनीतिक प्रभाव:**
    - एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था का अंग होने के रूप में भारत भू-राजनीतिक घटनाओं के प्रभाव को चिह्नित करता है और एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी भूमिका पर बल देते हुए व्यावसायिक एवं भू-राजनीतिक रूप से विश्वास को सुरक्षित करने का प्रयास करता है।
- **सरकारी सुधार और प्रौद्योगिकी:**
    - भारत ने स्थिर और सक्रिय सुधार घोषणाओं के माध्यम से शासन में प्रौद्योगिकी के अपने प्रभावी उपयोग का प्रदर्शन किया।
    - दावोस में चर्चा AI पर केंद्रित थी, जहाँ AI से संबंधित जोखिमों को कम करते हुए लाभ को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया और भारत भी इस क्षेत्र में गहरी पैठ बना रहा है।
- **महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक भागीदारी:**
    - भारत ने वैश्विक मुद्दों (विशेषकर महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक भागीदारी) पर चर्चा में प्रमुखता से भाग लिया। उल्लेखनीय है कि स्वयं सहायता समूहों के रूप में भारतीय महिला उद्यमी सालाना 37 बिलियन डॉलर के व्यवसाय का प्रबंधन करती हैं, जिससे महिला-स्वामित्व वाले व्यवसायों में निवेश वृद्धि हेतु आकर्षण उत्पन्न होता है।
- **ऊर्जा संक्रमण की चुनौतियाँ:**
    - जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही ऊर्जा और प्रौद्योगिकी पर समानांतर रूप से चर्चा हुई। भारत ने हरित हाइड्रोजन जैसे समाधानों पर विचार करते हुए ऊर्जा संक्रमण से जुड़ी तीन चुनौतियों—उपलब्धता, वहनीयता और संवहनीयता, पर बल दिया।
- **भारत का समतामूलक विकास:**
    - अनुमान किया गया है कि वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि विश्व में तीव्रतम में से एक होगी। देश भर में अवसंरचना के विकास, रोज़गार एवं उद्यमिता में लैंगिक समावेशिता और वंचित वर्गों के लिये सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से समतामूलक विकास को बढ़ावा मिला है।

नोट :

- **'पॉकेट ऑफ रेज़िलियेंस' के रूप में भारत:**
  - मूडी के इन्वेस्टर्स सर्विस ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को 'पॉकेट ऑफ रेज़िलियेंस' के रूप में देखा है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिये पहचाने जाने वाले भारत का सुदृढ़ विकास प्रक्षेपवक्र और इसका घरेलू बाज़ार इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाता है।
- **वैश्विक मान्यता और आर्थिक कौशल:**
  - भारत, जो कभी हाशिये पर रहा था, अब अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिये वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है। 1.4 बिलियन से अधिक की आबादी, एक गतिशील कार्यबल और सहायक सरकारी नीतियाँ भारत की जीडीपी में नियमित वृद्धि में योगदान करती हैं।
- **भारत एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में:**
  - दावोस में भारत की भागीदारी एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार और प्रत्यास्थी अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति को मज़बूत करती है। सहयोगात्मक वैश्विक उन्नति के लिये देश की प्रतिबद्धता विश्व के लिये एक उज्ज्वल, संवहनीय भविष्य को आकार देने में इसकी भूमिका को परिलक्षित करती है।

निष्कर्ष:

दावोस, 2024 ने वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के उल्लेखनीय विकास प्रक्षेपवक्र को प्रदर्शित किया। देश में प्रौद्योगिकी के रणनीतिक उपयोग (विशेष रूप से AI क्षेत्र में) और सक्रिय शासन सुधारों पर प्रकाश डाला गया, जिससे एक डिजिटल नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की छवि स्थापित हुई। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिये चिह्नित भारत, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 'पॉकेट ऑफ रेज़िलियेंस' के केंद्र के रूप में उभर रहा है। सहयोग और समावेशिता की प्रतिबद्धता के साथ, भारत की वृद्धिशील अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रगति के लिये एक प्रकाशस्तंभ और एक संवहनीय भविष्य को आकार देने के लिये एक मॉडल प्रस्तुत करती है।

■■■

राजकोषीय नीतियाँ और आर्थिक अनुकूलन

आर्थिक नीतियों, विशेष रूप से राजकोषीय नीति, ने महामारी के बाद विकास सुधार को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजकोषीय नीति महामारी के दौरान कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने से अब सार्वजनिक निवेश-संचालित विकास रणनीति की ओर परिवर्तित हो गई है ताकि अवसंरचना के निर्माण में तेज़ी लाई जा सके। राजकोषीय घाटे/सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को कम करने के मार्ग पर बने रहते हुए यह हासिल किया गया।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के पहले अग्रिम जीडीपी अनुमान से संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में 7.3% की वृद्धि करेगी, जो जनवरी 2023 में आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित 6.5% से अधिक तेज़ है। इस संदर्भ में, हाल ही में प्रस्तुत अंतरिम बजट को पूर्वानुमानित विकास गति को बनाए रखने के लिये अनसुलझे रह गए विभिन्न मुद्दों को समायोजित करने की आवश्यकता है।

अंतरिम बजट

- अंतरिम बजट एक ऐसा विवरण है जिसमें नई सरकार के सत्ता में आने तक आगामी कुछ माहों में सरकार द्वारा किये जाने वाले हर खर्च और सरकार द्वारा प्राप्त हर पैसे का विस्तृत दस्तावेज शामिल होता है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का विवरण भी शामिल होता है।
- यह निम्नलिखित पहलुओं में नियमित बजट से भिन्न होता है:
  - अंतरिम बजट में आगामी चुनाव होने तक के खर्चों का दस्तावेजीकरण शामिल होता है, जबकि नियमित बजट में पूरे वर्ष के खर्च का अनुमान शामिल होता है।
  - इसके अलावा, आम तौर पर अंतरिम बजट में बड़े नीतिगत बदलावों की घोषणा नहीं की जाती है।
- कार्यकाल के अंतिम चरण में सरकार केवल अंतरिम बजट प्रस्तुत करती है या लेखानुदान (Vote on Account) की मांग करती है।
  - अंतरिम बजट 'लेखानुदान' के समान नहीं है। जबकि 'लेखानुदान' केवल सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, अंतरिम बजट खातों का संपूर्ण समुच्चय होता है, जिसमें व्यय और प्राप्तियाँ दोनों शामिल होती हैं।

भारत के विकास पथ का वर्तमान परिदृश्य क्या है?

- **सरकार की निवेश रणनीति:** निवेश ने जीडीपी वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है, जो इस वर्ष 34.9% तक पहुँच गया है। हालाँकि, सरकार से वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% के लक्षित राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने के लिये पूंजीगत व्यय के लिये बजटीय समर्थन को मध्यम करने का आह्वान किया गया है।
- **चुनावी वर्ष में राजकोषीय समेकन:** चुनावी वर्ष में राजकोषीय समेकन हासिल करना सरकार के लिये महत्त्वपूर्ण है। वित्त मंत्रालय के समीक्षा दस्तावेज़ में अगले वित्त वर्ष में लगभग 7% की वृद्धि की उम्मीद है, जहाँ दशक के अंत तक भारत के 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है।

- **स्वस्थ मध्यम-आवधिक पूर्वानुमान:** स्वस्थ मध्यम-आवधिक विकास की संभावनाएँ बहुपक्षीय एजेंसियों के पूर्वानुमानों में भी परिलक्षित होती हैं। वैश्विक विकास की धीमी गति और विश्व स्तर पर एवं घरेलू स्तर पर सख्त वित्तीय स्थितियों के कारण, अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 6.4% होने की उम्मीद है, जिसमें बाद में फिर तेज़ी आएगी।
- **मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएँ:** उन्नत देशों के विपरीत, भारत में कोर मुद्रास्फीति (core inflation) तेज़ी से घटकर 3.8% हो गई है और ईंधन मुद्रास्फीति -1% के स्तर पर है।
  - भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति (headline inflation) को अभी तक नियंत्रण में नहीं लाया जा सका है, जिसका एकमात्र कारण उच्च खाद्य मुद्रास्फीति है। उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के साथ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का खराब प्रदर्शन चिंताजनक सिद्ध हो सकता है।

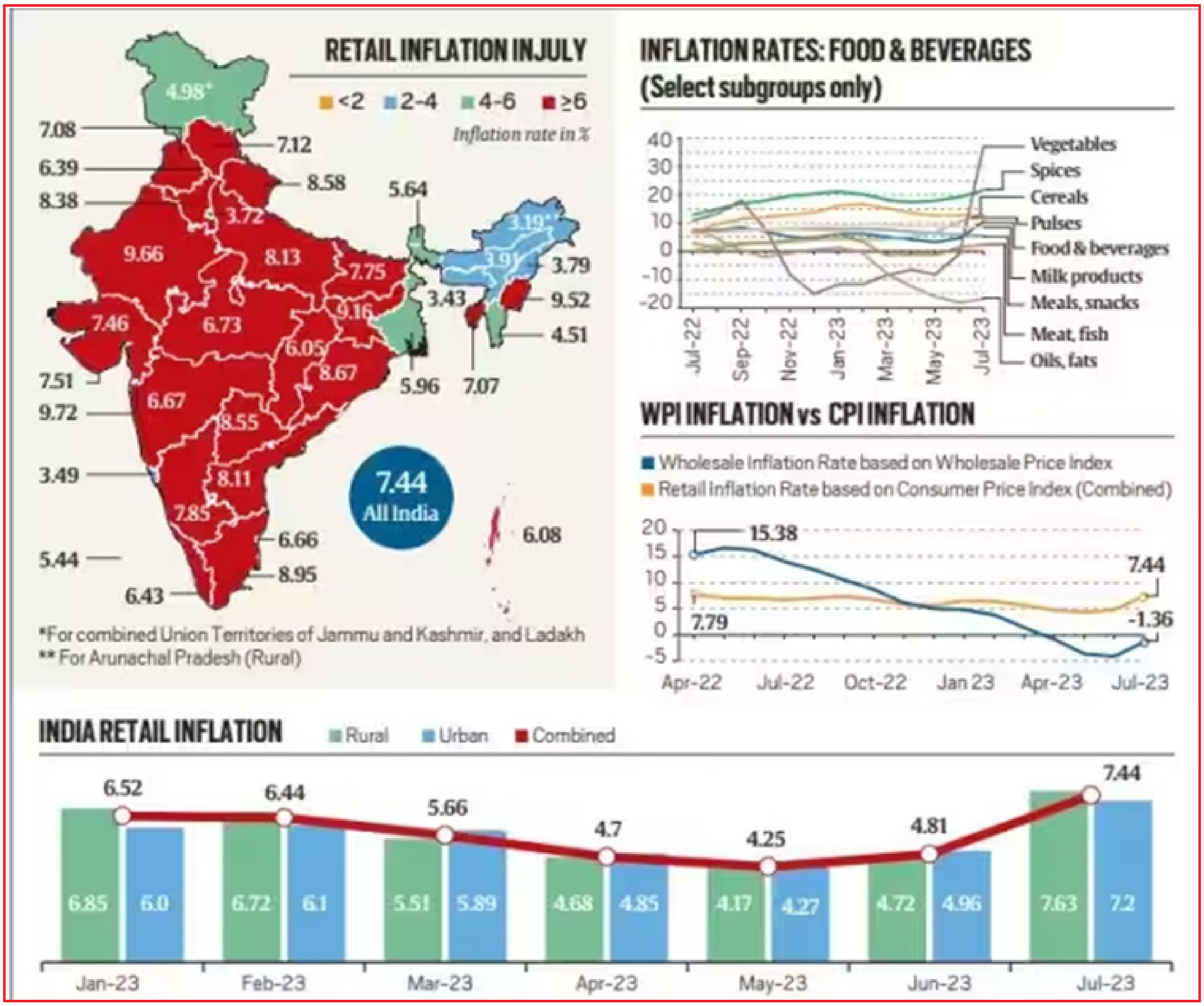

- **जलवायु परिवर्तन और आर्थिक प्रभाव:** वर्ष 2023 में दर्ज इतिहास का सबसे अधिक वार्षिक तापमान देखा गया, जो बढ़ते जलवायु जोखिम की याद दिलाता है। भारत जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील देशों में से एक है।
  - वित्त मंत्रालय की समीक्षा में आर्थिक विकास से समझौता किये बिना जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अनुसंधान, विकास एवं उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

नोट :

- **मानसून:** जबकि मानसून के दौरान कुल वर्षा अपेक्षित से 6% कम रही (अगस्त 2023 में 36% कम वर्षा के कारण), इसका स्थानिक वितरण व्यापक रूप से समान रहा। 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से 29 में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई।
    - SBI मानसून प्रभाव सूचकांक (जो स्थानिक वितरण पर विचार करता है) का मान वर्ष 2023 में 89.5 रहा, जो वर्ष 2022 में पूर्ण मौसम सूचकांक मान 60.2 से पर्याप्त बेहतर है। बेहतर मानसून का अर्थ है बेहतर कृषि उत्पादकता।
- **पूंजीगत व्यय पर निरंतर बल:** वर्ष 2023 के पहले पाँच माहों के दौरान, बजटीय लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में राज्यों का पूंजीगत व्यय 25% था, जबकि केंद्र के लिये यह 37% था, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक था और नवीकृत पूंजी सृजन को दर्शाता है।

General government debt and fiscal indicators, as a percentage of GDP

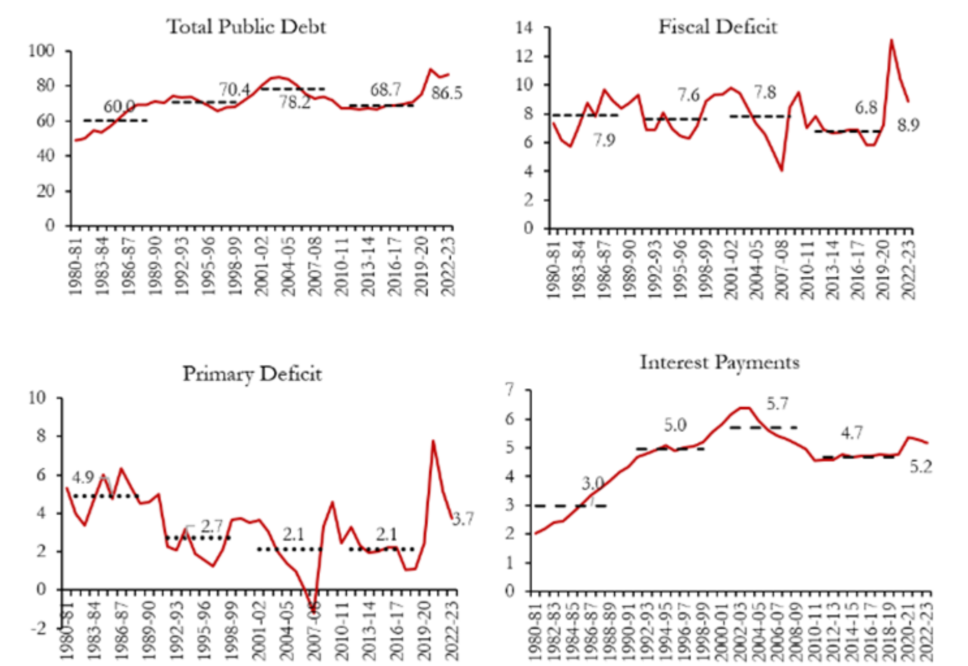

Notes: i) Total public debt in India includes debt issued and other liabilities in the Public Account consisting of National Small Saving Fund (NSSF), Provident Fund, Deposit and Reserve funds, securities issued to finance subsidies on oil, food and fertilisers, etc. ii) Dashed horizontal lines are decadal averages from 1980-81 to 1989-90, 1990-91 to 1999-2000, 2000-01 to 2009-10, and 2010-11 to 2019-20, respectively.

- **नई कंपनी पंजीकरण:** नई कंपनियों का सुदृढ़ पंजीकरण मज़बूत विकास इरादों को दर्शाता है। वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में लगभग 93,000 कंपनियां पंजीकृत हुईं, जबकि पाँच वर्ष पूर्व यह संख्या 59,000 थी।
    - यह देखना दिलचस्प है कि नई कंपनियों का औसत दैनिक पंजीकरण वर्ष 2018-19 में 395 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 622 (58% की वृद्धि) हो गया।
- **भारत की विनिमय दर व्यवस्था का पुनर्वर्गीकरण:** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की विनिमय दर व्यवस्था को पुनर्ववर्गीकृत किया है, जहाँ इसे 'फ्लोटिंग' के बजाय 'स्थिर व्यवस्था' (stabilised arrangement) का लेबल दिया है। यह इस धारणा में बदलाव का संकेत देता है कि भारत अपनी मुद्रा का प्रबंधन कैसे करता है।
    - एक स्थिर व्यवस्था में सरकार विनिमय दर तय करती है, जबकि फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली में यह विदेशी मुद्रा बाजार में मांग एवं आपूर्ति बलों द्वारा निर्धारित की जाती है।
- **चालू खाता घाटा (CAD) में गिरावट:** भारत का CAD वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 1% हो गया, जो पिछली तिमाही में 1.1% और वर्ष 2022 में 3.8% रहा था।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 की सितंबर तिमाही में CAD घटकर 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो इसके पूर्व के तीन माह में 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था।
- वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में चालू खाता बैलेंस ने 30.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा दर्ज किया था।

वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **वैश्विक आर्थिक एकीकरण:** भारत की वृद्धि न केवल घरेलू कारकों से निर्धारित होती है बल्कि वैश्विक विकास से भी प्रभावित होती है। इसलिये, बढ़ती भू-राजनीतिक घटनाएँ भारत के विकास के लिये खतरा सिद्ध हो सकती हैं।
  - बढ़ते भू-आर्थिक विखंडन और अति-वैश्वीकरण (hyper-globalisation) की मंदी के परिणामस्वरूप आगे फ्रेंड-शोरिंग (friend-shoring) और ऑनशोरिंग (onshoring) की स्थिति बन सकती है, जिनका पहले से ही वैश्विक व्यापार और अनुक्रमिक वैश्विक विकास पर प्रभाव पड़ रहा है।
- **ऊर्जा सुरक्षा बनाम ऊर्जा संक्रमण:** ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक विकास बनाम जारी ऊर्जा संक्रमण के बीच एक जटिल 'ट्रेड-ऑफ' की स्थिति मौजूद है। भू-राजनीतिक, प्रौद्योगिकीय, राजकोषीय, आर्थिक और सामाजिक आयामों से जुड़े इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
  - ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अलग-अलग देशों द्वारा की गई नीतिगत कार्रवाइयों का अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर 'स्पिल-ओवर' प्रभाव पड़ सकता है।
- **AI से जुड़ी चुनौतियाँ:** AI का उदय भी एक बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में, जैसा कि IMF के एक पेपर में उजागर किया गया है और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) की रिपोर्ट में भी यह बात प्रस्तुत की गई है।
  - IMF पेपर में अनुमान लगाया गया कि 40% वैश्विक रोज़गार AI के प्रभाव में है, जहाँ विस्थापन के जोखिमों के साथ-साथ पूरकता के लाभ भी शामिल हैं।
- **बढ़ती मुद्रास्फीति:** सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती व्यापक अर्थव्यवस्था पर बढ़ती मुद्रास्फीति का प्रभाव है।
  - मुद्रास्फीति श्रम आपूर्ति एवं मांग को बदलकर विकास को प्रभावित करती है और इस प्रकार उस क्षेत्र में कुल रोज़गार को कम करती है जो बढ़ते रिटर्न के अधीन है। रोज़गार के स्तर में कमी से पूंजी की सीमांत उत्पादकता में कमी आएगी।
- **कुशल कार्यबल की आवश्यकता:** उद्योग के लिये प्रतिभाशाली एवं उचित रूप से कुशल कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सभी स्तरों पर स्कूलों में आयु-उपयुक्त अधिगम प्रतिफल (learning outcomes) और एक स्वस्थ एवं सेहतमंद आबादी महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकताएँ हैं, जो आने वाले वर्षों में एक चुनौती बनी रहेगी। एक स्वस्थ, शिक्षित और कुशल आबादी आर्थिक रूप से उत्पादक कार्यबल को बढ़ाती है।
  - 'व्हीबॉक्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट' (Wheebox National Employability Test) के निष्कर्षों के अनुसार अंतिम-वर्ष और पूर्व-अंतिम-वर्ष के छात्रों की रोज़गार क्षमता प्रतिशत (employable percentage) वर्ष 2014 में 33.9% से बढ़कर वर्ष 2024 में 51.3 प्रतिशत हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** मौजूदा समय में देश के लिये उच्च निर्यात को बनाए रखना आसान नहीं होगा क्योंकि लाल सागर में हाल की घटनाओं सहित लगातार भू-राजनीतिक तनाव के कारण वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार में धीमी वृद्धि हुई है।
  - ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हौथी (Houthi) के हमले ने भारत सहित कई देशों को अपने माल को संकटग्रस्त मार्गों से दूर लंबे और महंगे मार्गों पर मोड़ने के लिये विवश कर दिया है।
  - कुछ अनुमानों में कहा गया है कि लाल सागर में संकट के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत का निर्यात 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम हो सकता है।

वर्ष 2024 में मज़बूत आर्थिक विकास के लिये कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

- **राजकोषीय समेकन की ओर आगे बढ़ना:** वर्ष 2022-23 में भारत का सामान्य सरकारी ऋण-जीडीपी अनुपात (debt to GDP ratio) जीडीपी का 82% था, जहाँ ब्याज भुगतान कुल व्यय का लगभग 17% था। इससे अधिक उत्पादक सरकारी व्यय के लिये सीमित गुंजाइश ही बचती है। इसलिये, यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि सरकार राजकोषीय समेकन पर ध्यान केंद्रित करती रहे और एक संवहनीय ऋण प्रक्षेप पथ की ओर आगे बढ़े।
  - मज़बूत प्रत्यक्ष कर संग्रह और RBI एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उच्च लाभांश हस्तांतरण से इस वर्ष निम्न विनिवेश की भरपाई होने की संभावना है।

- कर में स्वस्थ उछाल के साथ, वर्ष 2024-25 के लिये 5.3% के बजटीय राजकोषीय घाटे का लक्ष्य अपेक्षित है क्योंकि सरकार वर्ष 2025-26 के लिये 4.5% के राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने के पथ पर आगे बढ़ रही है।

- **पूंजीगत व्यय (Capex) पर फोकस बनाए रखना:** विकास पर पूंजीगत व्यय के मज़बूत गुणक प्रभाव को देखते हुए आगामी वर्षों में पूंजीगत व्यय पर फोकस बनाये रखना चाहिये। आधारभूत संरचना पर निरंतर ध्यान बनाये रखने के साथ पूंजीगत व्यय के 10% बढ़कर लगभग 11 ट्रिलियन रुपए होने की उम्मीद है।
  - महामारी के बाद सरकार ने विकास को गति देने के साधन के रूप में पूंजीगत व्यय का लगातार उपयोग किया है। वर्ष 2023-24 में सरकारी पूंजीगत व्यय और जीडीपी अनुपात को बढ़ाकर 3.4% करने का बजटीय लक्ष्य रखा गया।
  - पिछले दो वर्षों में सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिये राज्य सरकारों को 2.3 ट्रिलियन रुपए के ब्याज मुक्त ऋण के लिये भी बजट प्रावधान किया है।
- **उपभोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता:** उपभोग में पुनरुद्धार अपेक्षाकृत कमज़ोर रहा है और यह उच्च-आय वर्ग की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। जबकि वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू उत्पाद (अग्रिम अनुमान के अनुसार) 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, उपभोग वृद्धि केवल 4.4% ही अनुमानित है।
  - कमज़ोर बाह्य मांग परिदृश्य को देखते हुए घरेलू मांग में पुनरुद्धार और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। राजकोषीय सीमाओं से अवगत होते हुए भी, उपभोग मांग को बढ़ाने के उपाय करने की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिये, पेट्रोल/डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2-3 रुपए प्रति लीटर की छोटी कटौती से खपत को कुछ बढ़ावा मिलेगा और राजकोषीय समीकरण को प्रभावित किये बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
- **मानव पूंजी पर व्यय की वृद्धि:** कई यूरोपीय देशों के लिये, सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद के पाँचवें हिस्से से अधिक है। यह देखते हुए कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन सेवाओं के लिये सरकार पर निर्भर है, इन सेवाओं पर व्यय बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है।
  - भारत एक ऐसे समय बड़ी कार्यशील-आयु आबादी का लाभ उठा सकने की अनूठी स्थिति में है, जब अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ वृद्ध होती कार्यशील आबादी की समस्या से जूझ रही हैं। हालाँकि, अर्थव्यवस्था के लिये इस जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग कर सकने के लिये सरकार को मानव पूंजी में निवेश करना होगा।
  - इसके लिये स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल पर वृहत व्यय की आवश्यकता है ताकि कार्यशील-आयु आबादी सार्थक रूप से नियोजित होने के लिये तैयार हो सके।
- **कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान देना:** ग्रामीण भारत में देश की 65% आबादी निवास करती है और कृषि क्षेत्र पर व्यापक निर्भरता रखती है। सकल मूल्यवर्द्धित (GVA) के संदर्भ में भारत की कृषि उत्पादकता चीन की तुलना में एक तिहाई और अमेरिका की तुलना में लगभग 1% है। क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार के उपायों से ग्रामीण आय में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
  - नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने और ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ावा देने के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। ग्रामीण कार्यबल को उचित कौशल प्रदान करने और उन्हें विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में जाने में सक्षम बनाने से कृषि क्षेत्र पर ग्रामीण कार्यबल की बड़ी निर्भरता को कम करने में भी मदद मिलेगी।
- **समसामयिक मुद्दों पर ध्यान देना:** व्यवसायों को फलने-फूलने के लिये एक सक्षम वातावरण प्रदन करना, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और समाज के हाशिये पर स्थिति वर्ग का उत्थान करना, कुछ अन्य मुद्दे हैं जिन पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये।
  - यह उपयुक्त समय है कि विकास की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि सुनिश्चित हो कि विकास समतामूलक, संवहनीय और हरित हो।

निष्कर्ष:

पहले अग्रिम जीडीपी अनुमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की मज़बूत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद पहले के पूर्वानुमानों से अधिक है। सरकार की राजकोषीय नीतियों ने, महामारी-केंद्रित कल्याण से सार्वजनिक निवेश की ओर आगे बढ़ते हुए, आर्थिक क्षमता में वृद्धि की है, जो निवेश में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है।

हालाँकि, राजकोषीय समेकन के लिये पूंजीगत व्यय में बजटीय समर्थन को मध्यम करने की आवश्यकता है। खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होना और मैक्रोइकॉनोमिक बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखना निरंतर विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो नीतिनिर्माताओं के लिये एक चुनौतीपूर्ण लेकिन अनिवार्य कार्य है।

■■■

नोट :

सरकार की दीर्घकालिक राजकोषीय रणनीति

आर्थिक सिद्धांत सुझाव देता है कि सरकारों को तब अधिक व्यय करना चाहिये जब निजी कंपनियों एवं परिवारों में आत्मविश्वास की कमी हो और वे व्यय नहीं कर रहे हों। निजी कंपनियों एवं परिवारों में आत्मविश्वास की बहाली और उनके द्वारा पुनः व्यय बढ़ाने के बाद सरकार को अपने व्यय को रोक लेना चाहिये। यह प्रति-चक्रीय राजकोषीय रणनीति (counter-cyclical fiscal strategy) विकास को सुचारू बनाती है और इसे अधिक संवहनीय बनाती है।

हालाँकि सरकारें, विशेषकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें, पहली भूमिका (व्यय बढ़ाना) को तो आसान मानती हैं, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाता है तो वे आमतौर पर कदम पीछे खींचने (व्यय रोकने) के प्रति अनिच्छुक होती हैं। भारत सरकार अपने अंतरिम बजट 2024 के माध्यम से ठोस राजकोषीय रणनीतियों को अपनाकर इस प्रवृत्ति को कम करती नज़र आ रही है।

राजकोषीय नीति की चक्रीयता क्या है ?

- राजकोषीय नीति की चक्रीयता (Cyclicality of the Fiscal Policy) आर्थिक स्थितियों के आधार पर सरकारी व्यय और कराधान की दिशा में बदलाव को संदर्भित करती है।
- ये आर्थिक विकास में उतार-चढ़ाव के आधार पर नीतिनिर्माताओं द्वारा लिये गए निर्णयों से संबंधित हैं। चक्रीय राजकोषीय नीतियाँ दो प्रकार की होती हैं- प्रति-चक्रीय (counter-cyclical) और चक्रीय (procyclical)।
    - प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति (Counter-cyclical Fiscal Policy):
        - प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति से तात्पर्य सरकार द्वारा उठाये गए उन कदमों से है जो आर्थिक या व्यावसायिक चक्र की दिशा के विरुद्ध जाते हैं।
        - इस प्रकार, मंदी या गिरावट में, सरकार ऐसी मांग पैदा करने के लिये व्यय बढ़ाती है और करों को कम करती है जो आर्थिक उछाल ला सकती है।
        - मंदी की स्थिति में:
    - सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति (expansionary fiscal policy) का मार्ग अपनाती है, यानी सरकारी व्यय बढ़ाया जाता है और कर कम किये जाते हैं। इससे अर्थव्यवस्था की उपभोग क्षमता बढ़ती है और मंदी को कम करने में मदद मिलती है।
        - आर्थिक उछाल की स्थिति में:
    - सरकार संकुचनशील राजकोषीय नीति (contractionary fiscal policy) का मार्ग अपनाती है, यानी सरकारी व्यय कम कर दिया जाता है और कर बढ़ा दिये जाते हैं। इससे अर्थव्यवस्था की उपभोग क्षमता कम हो जाती है और उछाल को कम करने में मदद मिलती है।
    - चक्रीय राजकोषीय नीति (Procyclical Fiscal Policy):
        - प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति के विपरीत चक्रीय राजकोषीय नीति मौजूदा आर्थिक रुझानों को बढ़ा देती है।
        - मंदी की स्थिति में:
    - सरकारी व्यय कम किया जाता है और कर बढ़ाया जाता है। इससे कुल मांग में और कमी आती है, मंदी बढ़ती है, उच्च बेरोज़गारी उत्पन्न होती है और आर्थिक विकास धीमा होता है।
    - जब समय पहले से ही कठिन हो तो इस दृष्टिकोण को कटौती (cutting back) के रूप में देखा जा सकता है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिये उबरना कठिन हो जाता है।
        - आर्थिक उछाल की स्थिति में:
    - सरकारी व्यय बढ़ाया जाता है और कर घटाया जाता है। इससे आर्थिक उछाल को बढ़ावा मिलता है, जिससे संभावित रूप से 'ओवरहीटिंग' (overheating), मुद्रास्फीति (inflation) और 'एसेट बबल्स' (asset bubbles) की स्थिति बनती है।
    - अनुकूल समय में अतिरिक्त व्यय का उपभोग करना आकर्षक लग सकता है, लेकिन यह कमजोरियाँ पैदा कर सकता है और अपरिहार्य मंदी/गिरावट को और भी गंभीर बना सकता है।

नोट :

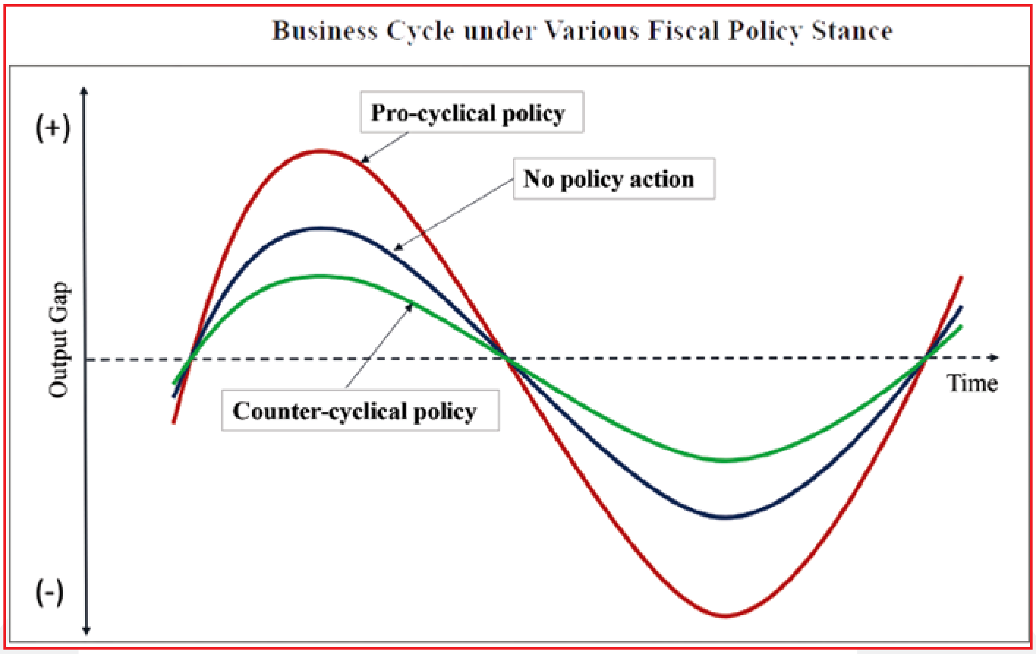

वर्ष 2024 में सरकार के लिये प्रति-चक्रीय राजकोषीय प्राथमिकताएँ क्या हैं ?

- **राजकोषीय अनुशासन लक्ष्य (Fiscal Discipline Targets):**
  - वित्त वर्ष 2024-25 के लिये 5.1% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और वित्त वर्ष 2025-26 तक इसे और कम करने की प्रतिबद्धता के साथ, सरकार राजनीतिक संकेतों पर मैक्रोइकॉनोमिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है। यहाँ तक कि वित्त वर्ष 2024 के लिये भी राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.8% (बजटीय अनुमान 5.9% के मुकाबले) तक कम होने का अनुमान है।
    - यह वित्त वर्ष 2014 में 10.5% की बजटीय वृद्धि के मुकाबले 8.7% की अत्यंत कम नॉमिनल जीडीपी वृद्धि के साथ भी हासिल किया गया है।
    - वित्त वर्ष 2015 के लिये कर उछाल 1.1 माना गया है, जो वित्त वर्ष 24 के लिये अनुमानित 1.4 की कर उछाल को देखते हुए व्यापक रूप से प्राप्त करने योग्य नज़र आता है।
- **ब्याज लागत से निपटना (Dealing with Interest Costs):**
  - महामारी के दौरान ऋण-जीडीपी अनुपात (debt-to-GDP ratio) में उल्लेखनीय उछाल के कारण उच्च ब्याज लागत (जो पूर्व के घाटों को परिलक्षित करती है) बनी रहेगी और इसके लिये कई वर्षों तक राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता होगी।
    - सकल बाजार उधारी को वित्त वर्ष 2025 के लिये बजट में 14.1 ट्रिलियन रुपए रखा गया है, जो वित्त वर्ष 2024 के लिये 15.4 ट्रिलियन रुपए अनुमानित था।
    - इससे सरकारी बॉण्ड यील्ड को कम करने में मदद मिलेगी और अंततः कॉरपोरेट्स के लिये समग्र उधार लागत कम हो जाएगी, जो फिर निजी निवेश के लिये सकारात्मक सिद्ध होगी।
- **व्यय की गुणवत्ता (Quality of Spending):**
  - उच्च ऋण-जीडीपी अनुपात को कम करने के लिये व्यय की गुणवत्ता में सुधार अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह तीव्र कटौती से बचने (इस प्रकार जीडीपी वृद्धि को हानि पहुँचाने से बचने) पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास को समर्थन देने की राज्य की क्षमता को सीमित करने में योगदान कर सकता है।
- **राजकोषीय सख्ती को अंशांकित करना (Calibrating Fiscal Tightening):**
  - सरकार धीरे-धीरे राजकोषीय नीतियों को सख्त कर रही है क्योंकि आर्थिक सुधार में विश्वास बढ़ रहा है (वित्त वर्ष 2013 में 0.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2015 में 0.7%); इस प्रकार, विकास एवं ऋण कटौती की आवश्यकता संतुलित की जा रही है।

- **पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करना (Encouraging Capital Expenditure):**
  - पूंजीगत व्यय (capex) में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (11%) का कुल व्यय (6%) से अधिक होना सकारात्मक है, जो अनुसंधान के लिये ब्याज मुक्त ऋण सहित मध्यम अवधि के विकास चालकों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।
    - अंतरिम बजट में पूंजीगत व्यय पर बल देना जारी रखा गया है, जो इस समय आवश्यक है जब निजी क्षेत्र निवेश के मोर्चे पर पिछड़ रहा है।
    - बजट में वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय बढ़कर 11.1 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान रखा गया है। विकास पर पूंजीगत व्यय के मज़बूत गुणक प्रभाव को देखते हुए सरकार पिछले कुछ वर्षों से इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- **अवसंरचना पर फोकस:**
  - हाल के वर्षों में भारत की राजकोषीय नीति को अवसंरचना के विकास पर रणनीतिक फोकस के लिये चिह्नित किया गया है, जहाँ परिवहन, ऊर्जा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों के लिये बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है।
    - पूंजीगत व्यय और जीडीपी अनुपात (capex to GDP ratio) को वित्त वर्ष 2025 में 3.4% के उच्च स्तर पर बनाए रखा गया है, जो महामारी से पहले के वर्षों में 2% से भी कम रहा था। बजट में प्रावधान किये गए कुल पूंजीगत व्यय का लगभग 47% वित्त वर्ष 2025 में सड़क और रेलवे के लिये होगा।
- **सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना (Rationalising Subsidies):**
  - अधिक लक्षित संसाधन वितरण सुनिश्चित करने के लिये, विशेष रूप से ईंधन और खाद्य सब्सिडी जैसे क्षेत्रों में, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने हेतु एक ठोस प्रयास किया गया है।
    - वित्त वर्ष 2025 के लिये कुल सब्सिडी व्यय को वित्त वर्ष 2024 के लिये अनुमानित 4.4 ट्रिलियन रुपए से घटाकर 4.1 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया है। इससे सब्सिडी-जीडीपी अनुपात (subsidy-to-GDP ratio) वित्त वर्ष 2021 के महामारी वर्ष में 3.8 के चरम स्तर और वित्त वर्ष 2024 में 1.5 से घटकर 1.3 रह गया है।
    - मुख्य रूप से उर्वरक सब्सिडी में कमी के कारण कुल सब्सिडी का बोझ कम हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2024 की तुलना में खाद्य और पेट्रोलियम सब्सिडी में मामूली कमी आई है।
- **ग्रामीण मांग को बढ़ावा देना (Boosting Rural Demand):**
  - ग्रामीण विकास के लिये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) को 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं जो वित्त वर्ष 2024 के संशोधित अनुमान के बराबर है, लेकिन वित्त वर्ष 2024 के लिये बजट राशि 60,000 करोड़ रुपए से अधिक है।
  - ग्रामीण आवास को और बढ़ावा दिया गया है, जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले पाँच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएँगे। आवास क्षेत्र के मज़बूत गुणक प्रभाव को देखते हुए, यह ग्रामीण विकास के लिये सही दिशा में उठाया गया कदम है।

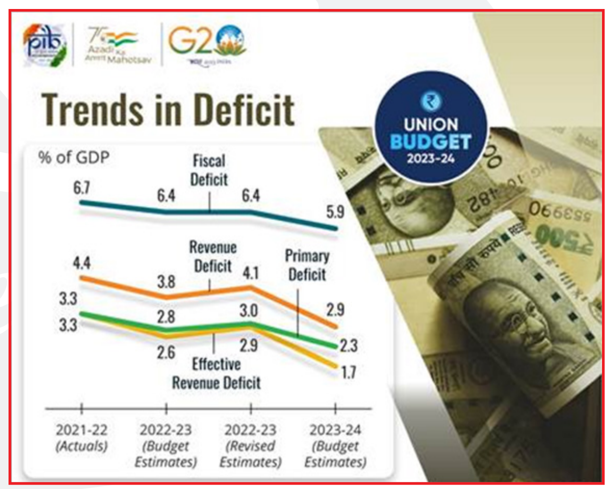

प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति का पालन करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **ऋण स्थिरता से संबद्ध मुद्दे (Issues in Debt Sustainability):**
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का यह निष्कर्ष उपयुक्त है कि जीडीपी वृद्धि भारत में ऋण स्थिरता के लिये निर्णायक कारक होगी, न कि ऋण स्थिरता जीडीपी वृद्धि के लिये।
  - इसने उस बौद्धिक आधार को तोड़ने का आह्वान किया जिसने राजकोषीय नीति के विरुद्ध एक असममित पूर्वाग्रह पैदा किया है और एक कीनेसियन प्रति-चक्रीय नीति प्रतिक्रिया की वकालत की है जो भारतीय संदर्भ में एक विस्तारित अवधि में काफी हद तक अनुपस्थित नज़र आता है।

- 'प्रो-साइक्लिकल' और 'काउंटर-साइक्लिकल' नीति के बीच संतुलन का अभाव:
  - भारत में, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (GFCE) के बीच तुलना पिछले कुछ वर्षों में लघु एवं दीर्घावधि दोनों में प्रति-चक्रीयता के तत्व का संकेत देती है।
    - लेकिन समस्या यह है कि भारत में अनुकूल या अच्छे समय में आजमाई गई राजकोषीय नीतियाँ कभी भी बुरे समय में पूरी तरह से संतुलित नहीं हुई हैं और इसलिये, गलत घाटे के पूर्वाग्रह के परिणामस्वरूप ऋण स्थिरता को खतरा उत्पन्न होता है। मैक्रोइकॉनोमिक स्थिरता के दृष्टिकोण से यह संभावित रूप से हानिकारक है।
- **भारतीय राज्यों के समक्ष विद्यमान राजकोषीय चुनौतियाँ:**
  - राजकोषीय घाटे में कमी के बावजूद, भारतीय राज्यों को अभी भी राजकोषीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से अपने राजस्व घाटे को नियंत्रित करने के विषय में, जिसमें राजकोषीय घाटे के अनुरूप गिरावट नहीं आई है।
  - राजस्व संबंधी चुनौतियाँ:
    - आर्थिक गतिविधि और कर संग्रह पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव।
    - जीएसटी राजस्व और मुआवजे की अनिश्चितता एवं अस्थिरता।
    - संघ से कर हस्तांतरण और उसके सूत्र-आधारित आवंटन पर निर्भरता।
    - जीएसटी के तहत विभिन्न करों के समाहित होने से राजकोषीय स्वायत्तता का क्षरण।
    - यूजर चार्ज, फ़ीस जैसे गैर-कर राजस्व जुटाने की सीमित गुंजाइश।
    - संपत्ति कर, स्टांप शुल्क जैसे स्वयं के करों को एकत्र करने में अनुपालन एवं प्रशासन संबंधी समस्याएँ।
- **उपभोग मांग में गिरावट:**
  - निजी उपभोग, जो भारत की जीडीपी में लगभग 55-60% का योगदान करता है, घटता जा रहा है।
    - जबकि परिवारों की आय वृद्धि में कमी ने शहरी उपभोग को कम कर दिया है, पिछले पाँच वर्षों में से तीन में सूखे या सूखे जैसी स्थिति के साथ-साथ खाद्य कीमतों में गिरावट ने ग्रामीण उपभोग पर भारी असर डाला है।
- **घाटे की वित्त व्यवस्था संबंधी चिंताएँ:**
  - जबकि एक विकास करती अर्थव्यवस्था में अपरिवर्तित राजकोषीय घाटा कम चिंताजनक है, घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing) के दो प्रमुख स्रोत—बाज़ार उधारी (market borrowings) और लघु-बचत योजनाएँ (small-savings schemes) संभावित चुनौतियाँ पैदा करते हैं।
- **नकदी शेष संबंधी चिंताएँ:**
  - लघु-बचत योजनाओं में प्रवाह बढ़ने से अनुमान से अधिक नकदी शेष (Cash Balance) की स्थिति बन सकती है, जिससे संभावित रूप से बैंकिंग प्रणाली में तरलता तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे राजकोषीय लाभ प्रभावित हो सकता है।
    - जैसा कि हाल ही में देखा गया है, सामान्य से अधिक सरकारी नकदी शेष से अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, तरलता तनाव बढ़ सकता है और मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है।

आगे की राह

- **विवेकपूर्ण रुख:**
  - राजकोषीय समेकन प्राप्त करना: FRBM पर एन.के. सिंह समिति ने केंद्र सरकार के लिये 40% और राज्यों के लिये 20% के ऋण-जीडीपी अनुपात की परिकल्पना की थी, जिसका लक्ष्य कुल 60% सामान्य सरकारी ऋण-जीडीपी अनुपात प्राप्त करना था।
  - राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधार: केंद्र सरकार राज्यों द्वारा विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों के अंगीकरण को प्रोत्साहित कर सकती है और राजकोषीय अनुशासन के लिये प्रतिबद्ध राज्यों को रिवॉर्ड या इंटेंसिव देकर अत्यधिक उधार लेने के प्रति हतोत्साहित कर सकती है।
- **अतिरिक्त राजस्व जुटाना:**
  - कर संग्रहण और अनुपालन बढ़ाना: सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिये कर प्रशासन और अनुपालन में सुधार किया जाए। जीएसटी और आयकर रिटर्न के क्रॉस-मैचिंग के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संग्रहण दक्षता को बढ़ाया जा सकता है और कर चोरी पर अंकुश लगाया जा सकता है।
  - प्रशासनिक सुव्यवस्थितता: प्रशासनिक सुव्यवस्थितता और नए करों के अंगीकरण एवं बेहतर प्रशासन के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व जुटाना।

- विनिवेश और कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन: सरकारी संसाधनों को इष्टतम करने और अत्यधिक उधार लेने की आवश्यकता को कम करने के लिये विनिवेश एवं रणनीतिक परिसंपत्ति प्रबंधन को अपनाया जाए।

- **अवसंरचना और क्षमता निर्माण में परिव्यय को पुन:उन्मुख करना:**
  - अवसंरचनात्मक निवेश: आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिये भौतिक अवसंरचना, मानव पूंजी और हरित पहल में निवेश को प्राथमिकता दिया जाए।
  - घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों का निजीकरण: सरकार घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के निजीकरण पर विचार कर सकती है, जैसा कि एयर इंडिया के मामले में किया गया था।
  - सामाजिक योजनाओं में पीपीपी मॉडल: सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) जैसी सामाजिक योजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर विचार कर सकती है। इससे सार्वजनिक ऋण को कम करने में मदद मिल सकती है।
  - 'ग्रीन डेट स्वैप' की शुरुआत करना: ग्रीन डेट स्वैप (Green Debt Swaps) में एक देनदार राष्ट्र और उसके लेनदार मौजूदा ऋण के आदान-प्रदान या पुनर्गठन के लिये इस तरह से समझौता वार्ता करते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल और सतत परियोजनाओं के साथ संरेखित हो।
    - यह निम्न-आय देशों को अपने ऋण भुगतान का कुछ भाग जलवायु परिवर्तन, प्रकृति संरक्षण, स्वास्थ्य या शिक्षा से संबंधित उपायों में निवेश कर सकने में सक्षम बनाता है। लेनदारों की सहमति से ऐसी ऋण अदला-बदली से दुनिया के निम्न-आय देशों को डिफ़ॉल्ट से बचने में मदद मिल सकती है।
- **संस्थागत तंत्र का उपयोग करना:**
  - सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का लाभ उठाना: PFMS का पूरी क्षमता से लाभ उठाना राजकोषीय घाटे के प्रभावी प्रबंधन का अभिन्न अंग है, जिससे सरकारी व्यय में अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
  - सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) की स्थापना: PDMA एक केंद्रित एवं विशिष्ट दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से संबंधित विशेषज्ञता और ज़िम्मेदारियों को केंद्रीकृत करेगा।
    - इससे देश में सार्वजनिक ऋण की जटिलताओं से निपटने में अधिक प्रभावी निर्णयन और रणनीतिक योजना-निर्माण में मदद मिल सकती है।
- **बजटीय पहलुओं में सुधार करना:**
  - विश्वसनीय बजट अभिग्रह/धारणाएँ (Credible Budget Assumptions): बजट के अभिग्रह, जिनमें नॉमिनल जीडीपी वृद्धि और कर-जीडीपी अनुपात शामिल हैं, को विश्वसनीय माना जा रहा है, जहाँ व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट करों में सुधार (जो कोविड के बाद के आर्थिक सुधार को परिलक्षित करता है) नज़र आता है और यह 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - बजट आँकड़े में पारदर्शिता: अतिरिक्त-बजटीय व्यय को कम कर पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास जारी रहने चाहिये, जहाँ वित्त वर्ष 2025 में प्राथमिक घाटे को पूर्व-कोविड स्तरों के करीब लाया जा सके और संभवत: वित्त वर्ष 2026 में इनसे भी नीचे लाया जा सके।
  - मध्यम-आवधिक राजकोषीय प्रबंधन: राजकोषीय समेकन के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को मध्यम-आवधिक राजकोषीय प्रबंधन के साथ जोड़ा जाना चाहिये, जो निजी क्षेत्र और वित्तीय बाज़ारों को पूर्वानुमान प्रदान करता है।

निष्कर्ष

एक प्रति-चक्रीय राजकोषीय रणनीति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, मैक्रोइकॉनोमिक स्थिरता को प्राथमिकता देना और वित्त वर्ष 2024-25 के लिये अर्थशास्त्रियों के अनुमान से कम राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का पालन करना, मध्यम-आवधिक राजकोषीय प्रबंधन की दिशा में एक स्वागतयोग्य रुझान को दर्शाता है। बजट में अंतर्निहित विश्वसनीय अभिग्रह/धारणाएँ, जिनमें उचित जीडीपी वृद्धि अनुमान और कर-जीडीपी अनुपात में सुधार शामिल हैं, इसकी गुणवत्ता को और बढ़ाते हैं। हालाँकि, सरकार के वित्तपोषण विकल्पों का संभावित प्रभाव, विशेष रूप से उच्च नकदी शेष के प्रबंधन में, तरलता और मौद्रिक नीति प्रभावशीलता पर अनपेक्षित परिणामों से बचने के लिये सावधानीपूर्वक विचार की मांग रखता है।

■■■

भारत-म्याँमार संबंध: मुक्त आवागमन पर नियंत्रण

हाल ही में भारतीय गृह मंत्री ने लोगों की मुक्त आवाजाही को रोकने के लिये भारत-म्याँमार सीमा की पूरी लंबाई में बाड़ लगाने के निर्णय की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य मणिपुर, मिज़ोरम, असम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को स्पर्श करती

1,643 किलोमीटर लंबी भारत-म्याँमार सीमा पर लोगों की निर्बाध आवाजाही को नियंत्रित करना है।

इस पहल के एक भाग के रूप में म्याँमार के साथ वर्तमान में मौजूद मुक्त आवाजाही व्यवस्था (Free Movement Regime- FMR) समझौते की समीक्षा की जा रही है। बाड़ लगाने का भारत का यह प्रस्ताव स्पष्ट रूप से उसकी सुरक्षा चिंताओं में निहित है, लेकिन आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसे विरोध का सामना करना पड़ सकता है और इसका संभावित रूप से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

भारत-म्याँमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FRM):

- **परिचय:** FRM दोनों देशों के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था है जो सीमा के दोनों ओर रहने वाली जनजातियों (tribes) को बिना वीज़ा के दूसरे देश के अंदर 16 किमी. तक जा सकने की अनुमति देती है। इसे वर्ष 2018 में भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट' (Act East) नीति के एक अंग के रूप में लागू किया गया था।
- **इसकी तार्किकता:** भारत-म्याँमार सीमा के विभाजन का इतिहास वर्ष 1826 से शुरू होता है जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा स्थानीय निवासियों की राय पर विचार किये बिना सीमांकन किया गया था। इस सीमांकन के परिणामस्वरूप सीमा के दोनों ओर निवास करने वाली उस आबादी में विभाजन पैदा हुआ जो मज़बूत जातीय एवं पारिवारिक बंधन साझा करते हैं।
- **महत्त्व:** लोगों के परस्पर संपर्क को बढ़ावा देने के अलावा, स्थानीय व्यापार एवं व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये इस मुक्त आवाजाही व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। इस क्षेत्र में सीमा शुल्क और सीमा हाटों द्वारा सुगम बनाये गए सीमा-पार वाणिज्य की एक समृद्ध परंपरा पाई जाती है।

भारत-म्याँमार संबंध क्यों महत्त्वपूर्ण है ?

भू-राजनीतिक महत्त्व:

- **दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार:** म्याँमार दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाले भूमि सेतु के रूप में कार्य करता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से म्याँमार की निकटता एक रणनीतिक संबंध स्थापित करती है और क्षेत्रीय संपर्क (कनेक्टिविटी) की सुविधा प्रदान करती है।
- **बंगाल की खाड़ी में कनेक्टिविटी:** बंगाल की खाड़ी में भारत और म्याँमार द्वारा साझा की जाती समुद्री सीमा समुद्री सहयोग के अवसरों को बढ़ाती है तथा आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग को संपोषित करती है।
- **क्षेत्रीय शक्ति संतुलन:** क्षेत्र में विद्यमान भू-राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए, म्याँमार के साथ एक सुदृढ़ संबंध भारत को किसी भी ऐसे संभावित क्षेत्रीय शक्ति असंतुलन से बचने में मदद करता है जो अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के प्रभाव से उत्पन्न हो सकता है। म्याँमार के साथ भारत की सक्रिय संलग्नता इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति संतुलन का कार्य करती है।

रणनीतिक महत्त्व:

- **रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण पड़ोस:** म्याँमार एक बड़ा बहु-जातीय राष्ट्र है, जो भारत के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण पड़ोस में स्थित है। म्याँमार के भीतर के घटनाक्रम का इसके पाँच पड़ोसी देशों—चीन, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश और भारत पर प्रभाव पड़ता है।
- **'नेवरहुड फर्स्ट' नीति:** भारत की 'नेवरहुड फर्स्ट' (Neighbourhood First) नीति के तहत म्याँमार के प्रति इसका दृष्टिकोण एक सुदृढ़, सहकारी एवं पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग विकसित करने के महत्त्व को रेखांकित करता है।
- **'एक्ट ईस्ट' नीति:** म्याँमार भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का एक प्रमुख घटक है। यह नीति एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य की गई राजनयिक पहल है।
- **बहुपक्षीय संलग्नता:** सार्क (SAARC), आसियान (ASEAN), बिम्सटेक (BIMSTEC) और मेकांग-गंगा सहयोग (Mekong Ganga Cooperation) में म्याँमार की सदस्यता ने द्विपक्षीय संबंधों में एक क्षेत्रीय आयाम पेश किया है और भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के संदर्भ में अतिरिक्त महत्त्व प्रदान किया है।

नोट :

सहकार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र:

- **द्विपक्षीय व्यापार:** भारत म्याँमार का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जहाँ वर्ष 2021-22 में दोनों देश का द्विपक्षीय व्यापार 1.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
  - दोनों देश कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों के लिये आर्थिक अवसर सृजित करते हुए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं।
- **ऊर्जा सहयोग:** म्याँमार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है। 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऊर्जा पोर्टफोलियो के साथ, म्याँमार दक्षिण-पूर्व एशिया में तेल एवं गैस क्षेत्र में भारत के निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।

- **अवसंरचना निवेश:** कलादान मल्टी-मोडल पारगमन परिवहन परियोजना (Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project) और सितवे बंदरगाह (Sittwe Port) जैसी अवसंरचना परियोजनाओं का उद्देश्य संपर्क, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना है।
  - कलादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना: इस परियोजना का लक्ष्य पूर्वी भारत के कोलकाता बंदरगाह को म्याँमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ना है।
  - भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना: इस परियोजना का लक्ष्य तीन देशों के बीच सड़क संपर्क स्थापित करना है, जहाँ यह राजमार्ग भारत के मणिपुर राज्य के मोरेह (Moreh) से शुरू होकर म्याँमार से गुज़रते हुए थाईलैंड के माई सॉट (Mae Sot) पर समाप्त होगा।

- **रणनीतिक रक्षा साझेदारी:** भारत और म्याँमार गहन रक्षा साझेदारी रखते हैं, जहाँ भारत सैन्य प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है और म्याँमार सेना के साथ संयुक्त अभ्यास आयोजित करता है।
  - भारत-म्याँमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास (India-Myanmar Bilateral Army Exercise- IMBAX) का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के साथ घनिष्ठ संबंध का निर्माण करना और उसे बढ़ावा देना है।

क्षमता निर्माण के प्रयास:

- **विकासात्मक सहायता:** भारत ने 'सॉफ्ट लोन' के रूप में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विस्तार किया है। इसने म्याँमार के प्रति निर्देशात्मक होने के बजाय उसकी आवश्यकता एवं रुचि के क्षेत्रों में विकासात्मक सहायता देने की पेशकश की है।
  - भारत उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के लिये संस्थान स्थापित करने में भी सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें म्याँमार सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, उन्नत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र आदि शामिल हैं।
  - भारत ने आपदा जोखिम शमन में क्षमता निर्माण के साथ-साथ म्याँमार के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को सबल करने में सहायता प्रदान करने की भी पेशकश की है।
- **मानवीय सहायता:** संकट के दौरान म्याँमार को भारत की मानवीय सहायता (जैसे कि COVID-19 के दौरान प्रदत्त सहायता) द्विपक्षीय संबंधों की शक्ति को प्रदर्शित करती है और क्षेत्रीय कल्याण के प्रति भारतीय प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
  - भारत ने म्याँमार में चक्रवात मोरा (2017), कोमेन (2015) और शान राज्य में भूकंप (2010) जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता प्रदान करने में तुरंत एवं प्रभावी प्रतिक्रिया दी थी।
- **सांस्कृतिक संपर्क:**
  - सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध: भारत और म्याँमार बौद्ध विरासत और उपनिवेशवाद के साझा इतिहास के संदर्भ में सांस्कृतिक संबंध रखते हैं। ये संबंध मज़बूत राजनयिक संबंधों और आपसी समझ की नींव का निर्माण करते हैं।
  - भारतीय प्रवासी: म्याँमार में भारतीय मूल के लोग देश की कुल आबादी का लगभग 4% हैं। भारतीय प्रवासी व्यापारिक उद्यमों, व्यापार और निवेश के माध्यम से म्याँमार की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत-म्याँमार संबंधों में विद्यमान प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **आंतरिक सुरक्षा चिंता:**
  - भारत-म्याँमार सीमा अत्यधिक खुली होने के साथ यहाँ निगरानी की कमी है और यह एक सुदूर, अविकसित, उग्रवाद-प्रवण क्षेत्र के साथ ही एक अफ़ीम उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है।
  - इस भेद्यता का भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी संगठनों एवं विद्रोही समूहों द्वारा लाभ उठाया गया है। इस खुली सीमा के माध्यम से प्रशिक्षित कर्मियों की आपूर्ति और हथियारों की तस्करी के मामले सामने आए हैं।
  - पूर्वोत्तर भारत के विद्रोही समूहों ने म्याँमार के सीमावर्ती ग्रामों और क़स्बों में अपने शिविर स्थापित कर रखे थे।
    - सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ (CLAWS) की अनुराधा ओइनम (Anuradha Oinam) द्वारा प्रकाशित एक पेपर के अनुसार, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (NSCN) जैसे कई विद्रोही समूहों और कुकी एवं ज़ोमिस लोगों के कुछ छोटे समूहों ने म्याँमार के सगैंग प्रभाग (Sagaing Division), काचिन राज्य (Kachin State) और चिन राज्य (Chin State) में शिविर स्थापित किये हैं।
- **मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FRM):** भारत सरकार म्याँमार के साथ FRM समाप्त करने पर विचार कर रही है।
  - FRM के स्थानीय आबादी के लिये लाभप्रद और भारत-म्याँमार संबंधों को बढ़ाने में सहायक होने के बावजूद, अवैध आप्रवासन, नशीली दवाओं की तस्करी एवं हथियारों के व्यापार को अवसर देने में इसकी भूमिका के कारण इसकी आलोचना भी होती रही है।
- **म्याँमार में त्रिकोणीय सत्ता संघर्ष:** सैन्य तख्तापलट (जिसने म्याँमार की मामूली लोकतांत्रिक उपलब्धियों को भी नष्ट कर दिया) के तीन वर्ष बाद भी देश आंतरिक कलह में उलझा हुआ है।
  - 'दक्षिण-पूर्व एशिया का मरीज' (Sick Man of Southeast Asia): म्याँमार में सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं, जहाँ सैन्य शासन, राजनीतिक संस्थाएँ और जातीय संगठन हिंसक संघर्ष के चक्र में संलग्न हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नागरिक अशांति इसमें शामिल किसी भी पक्ष के लिये निर्णायक जीत की अत्यंत सीमित संभावना प्रस्तुत करती है।

- नागरिक स्वतंत्रता सूचकांक (Civil Liberty Index): म्याँमार को नागरिक स्वतंत्रता सूचकांक—जो मापता है कि नागरिक किस हद तक नागरिक स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं, में शून्य का स्कोर दिया गया है।

- **चीन का प्रभाव:** चीन म्याँमार का सबसे बड़ा निवेशक होने के साथ-साथ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। चीन ने न केवल आर्थिक संबंधों और व्यापार के माध्यम से, बल्कि 'सॉफ्ट पावर' का लाभ उठाकर (विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से) म्याँमार में अपने प्रभाव को मज़बूत कर लिया है।
  - म्याँमार के भीतर चीन के प्रभाव को कम करने का कार्य भारत के लिये चुनौतीपूर्ण सिद्ध हुआ है।
- **अवसंरचना परियोजनाओं में देरी:** समय के साथ भारत-म्याँमार संबंधों में भरोसे की कमी उभर कर सामने आई है, जो विविध परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगातार देरी करने की भारत की बन गई छवि से प्रेरित है।
  - सहयोगात्मक अवसंरचना परियोजनाओं, विशेष रूप से कलादान मल्टी-मोडल पारगमन परिवहन परियोजना एवं सितवे बंदरगाह (जो संपर्क/कनेक्टिविटी को मज़बूत करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं) के समय पर निष्पादन में व्यापक देरी ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में बाधा उत्पन्न की है।
- **रोहिंग्या संकट:** रोहिंग्या संकट एक मानवीय और मानवाधिकार संबंधी त्रासदी है जिसने भारत और म्याँमार के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। उल्लेखनीय है कि म्याँमार में उत्पीड़ित रोहिंग्या आबादी ने बांग्लादेश और भारत जैसे पड़ोसी देशों में शरण ली है।
  - कुछ रोहिंग्या लोगों और आतंकवादी समूहों के बीच कथित संबंध से उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं के साथ ही देश के संसाधनों और सामाजिक सद्भाव पर बोझ का हवाला देते हुए भारत ने इस मामले पर एक विशिष्ट रुख अपनाया है।

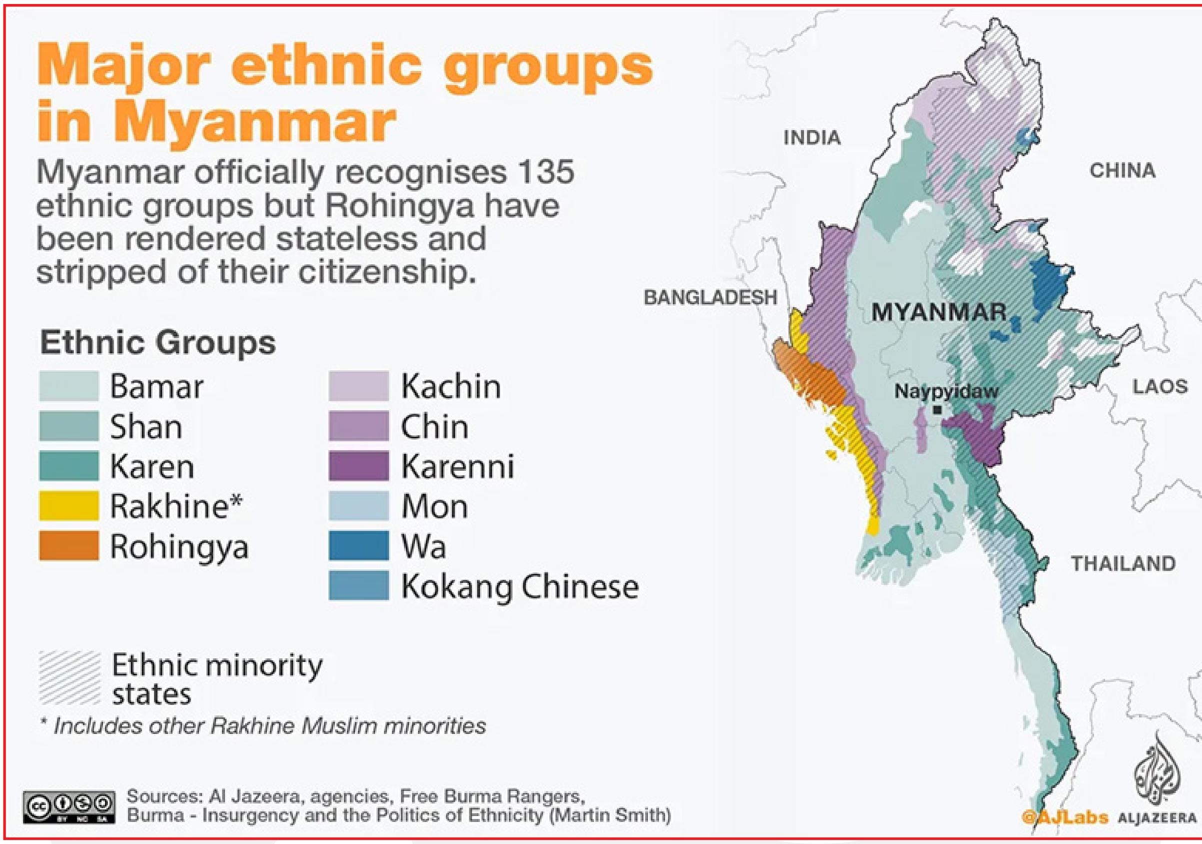

आगे की राह

रणनीतिक कूटनीति:

- **मुक्त आवाजाही व्यवस्था का बेहतर विनियमन:** FRM को सीमा-पार संपर्क को संरक्षित करते हुए आवाजाही के प्रभावी प्रबंधन में सक्षम होना चाहिये। अवसंरचना को उन्नत करने और निर्दिष्ट प्रवेश बिंदुओं पर व्यापार को औपचारिक बनाने से कुछ प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है।
    - स्थानीय आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए, FRM को पूरी तरह से हटाना या सीमा की पूर्ण घेरेबंदी करना उपयुक्त कदम नहीं होगा।
- **विविध हितधारकों के साथ संलग्नता:** भारत को लोकतंत्र का समर्थन करने वाले विभिन्न हितधारकों के साथ भागीदारी के अवसरों का विस्तार करते हुए सैन्य सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों का संपोषण करने के रूप में एक नाजुक संतुलन बनाए रखना चाहिये।
- **चीन के प्रभाव को संतुलित करना:** म्याँमार की संप्रभुता का सम्मान करते हुए, भारत को क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिये रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग में संलग्न होना चाहिये। भारत की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिये संयुक्त परियोजनाओं और पहलों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

सहकार्यात्मक साधनों का उपयोग करना:

- **दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देना:** व्यापार संबंधों में विविधता लाने और म्याँमार द्वारा भारत को अधिक निर्यात कर सकने के अवसरों की खोज करने के माध्यम से व्यापार असंतुलन को दूर करना होगा। निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों से परे के क्षेत्रों का भी पता लगाना चाहिये।
    - भारत सरकार ने यांगून के पास थानलिन क्षेत्र में एक पेट्रोलियम रिफाइनरी परियोजना के निर्माण के लिये 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का प्रस्ताव दिया है।
- **अवसंरचना परियोजनाओं को समय पर पूरा करना:** कलादान मल्टी-मोडल पारगमन परिवहन परियोजना और सितवे बंदरगाह जैसी संयुक्त अवसंरचना परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। इससे संपर्क और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दोनों देशों को लाभ प्राप्त होगा।

- **सुरक्षा सहयोग को बेहतर बनाना:** सीमा पर विद्रोही समूहों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिये दोनों देश आतंकवाद विरोधी उपायों में परस्पर सहयोग करें। खुफिया जानकारी की साझेदारी और संयुक्त अभियान से क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति सशक्त की जा सकती है।

ट्रैक II कूटनीति को सुगम बनाना:

- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान का उपयोग करना:** दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक बंधन को मज़बूत करने के लिये सांस्कृतिक संपर्क और लोगों के परस्पर संपर्क को बढ़ावा दिया जाए। आदान-प्रदान कार्यक्रम, संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम और शैक्षिक सहयोग आपसी समझ को बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं।
  - इस साझा विरासत पर आगे बढ़ते हुए, भारत बागन (Bagan) में स्थित आनंद मंदिर के जीर्णोद्धार और बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त पैगोडा की मरम्मत एवं संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय पहलें कर रहा है।
- **शांति सम्मेलनों का आयोजन करना:** भारत एक 'शांति सभा' (Peace Assembly) आयोजित करने पर विचार कर सकता है, जिसमें 'क्वाड' के सदस्य देशों और 'आसियान ट्रोइका' (इंडोनेशिया, लाओस एवं मलेशिया) के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों को साथ लाया जाए।
  - यह सभा म्याँमार में मानवाधिकार के मुद्दों का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकती है, एक व्यापक योजना तैयार कर सकती है और सुरक्षा एवं स्थिरता की दिशा में प्रगति के लिये व्यावहारिक समर्थन प्रदान कर सकती है।
  - यह सभा, क्षेत्र के लिये अधिक आशाजनक भविष्य की संभावनाओं को उजागर करने में लोकतंत्रवादी नेत्री आंग सान सू की (Aung San Suu Kyi) की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, उनकी अविलंब रिहाई के लिये दबाव भी बना सकती है।

निष्कर्ष:

भारत को म्याँमार से बहुत कुछ प्राप्त करना है और म्याँमार को बहुत कुछ देना भी है। यह पारस्परिक गतिशीलता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का आधार बनाती है। इन प्रक्षेपपथों के साथ प्रगति करते हुए, भारत और म्याँमार में क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए सहयोगात्मक प्रयासों में सक्रिय रूप से संलग्न होकर एक दूरदर्शी गठबंधन को आकार दे सकने की क्षमता है।

■■■

WTO के अपीलीय निकाय में सुधार

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation- WTO) के सदस्य देश फ़रवरी 2024 में आहूत 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक के लिये अबू धाबी में मिलेंगे तो संगठन के विवाद निपटान तंत्र (Dispute Settlement Mechanism-DSM) में जारी संकट उनके लिये वार्ता का एक प्रमुख एजेंडा होगा। WTO के DSM में एक पैनल और एक अपीलीय निकाय (Appellate Body- AB) के साथ एक बाध्यकारी दो-स्तरीय प्रक्रिया शामिल है। वर्ष 2019 के उत्तरार्द्ध के बाद से यह निष्क्रिय बना हुआ है क्योंकि अमेरिका (जिसे AB के समक्ष प्रस्तुत कई महत्त्वपूर्ण विवादों में हार का सामना करना पड़ा है) ने एकतरफा तरीके से नए सदस्यों की नियुक्ति को बाधित कर रखा है।

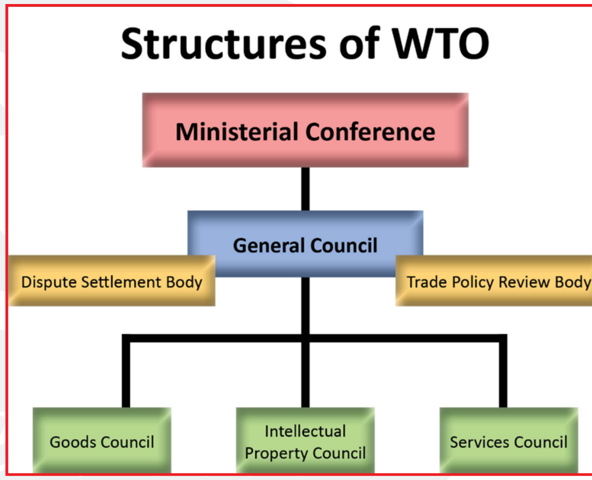

WTO का विवाद निपटान तंत्र (DSM):

- **परामर्श:**
  - औपचारिक विवाद शुरू करने से पहले, शिकायत करने वाले पक्ष को बचाव पक्ष से परामर्श का अनुरोध करना चाहिये। वार्ता के माध्यम से विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की दिशा में यह पहला कदम होता है।
  - यह परामर्श विशिष्ट समयसीमा के भीतर आयोजित किया जाना चाहिये और इसमें शामिल पक्षकारों को पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
- **पैनल स्थापना:**
  - यदि परामर्श विवाद को हल करने में विफल रहता है तो शिकायत करने वाला पक्ष विवाद निपटान पैनल की स्थापना का अनुरोध कर सकता है। विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body- DSB) इस प्रक्रिया की निगरानी करता है।

- WTO सदस्यों के बीच विवादों के निपटान के लिये DSB के रूप में सामान्य परिषद (General Council) आहूत कि जाती है। DSB के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं:
  - विवाद निपटान पैनल स्थापित करना,
  - मामलों को मध्यस्थता (arbitration) के लिये संदर्भित करना;
  - पैनल, अपीलीय निकाय और मध्यस्थता रिपोर्ट को अपनाना;
  - ऐसी रिपोर्टों में निहित सिफ़ारिशों और निर्णयों के कार्यान्वयन पर निगरानी बनाए रखना; और
  - उन सिफ़ारिशों और निर्णयों के ग़ैर-अनुपालन की स्थिति में रियायतों के निलंबन को अधिकृत करना।
- पैनल का निर्माण व्यापार कानून और विवाद की विषय वस्तु में प्रासंगिक विशेषज्ञता रखने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञों से किया जाता है। पैनल मामले की जाँच करता है, दोनों पक्षों के तर्कों की समीक्षा करता है और एक रिपोर्ट जारी करता है।

- **पैनल रिपोर्ट:**
  - पैनल की रिपोर्ट में तथ्य के निष्कर्ष, कानूनी व्याख्याएँ और समाधान के लिये सिफ़ारिशें शामिल होती हैं। इसे सभी WTO सदस्यों के बीच प्रसारित किया जाता है, जिससे उन्हें इसकी समीक्षा करने और अपनी टिप्पणियाँ प्रदान करने की अनुमति मिलती है।
- **अंगीकरण या अपील:**
  - DSB इस पैनल रिपोर्ट को अंगीकृत करता है यदि ऐसा करने के विरुद्ध आम सहमति न हो। यदि आम सहमति नहीं बनती है तो मामले की अपील अपीलीय निकाय के समक्ष की जा सकती है।
  - WTO का अपीलीय निकाय:
    - अपीलीय निकाय (Appellate Body) की स्थापना वर्ष 1995 में विवाद निपटान को नियंत्रित करने वाले नियमों एवं प्रक्रियाओं पर समझौता (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes- DSU) के अनुच्छेद 17 के तहत की गई थी।
    - यह सात-सदस्यीय स्थायी निकाय है जो WTO सदस्यों द्वारा उठाये गए विवादों पर पैनल द्वारा जारी रिपोर्टों पर की गई अपील की सुनवाई करता है। अपीलीय निकाय के सदस्य चार वर्ष के कार्यकाल के लिये नियुक्त किये जाते हैं।
    - यह पैनल के कानूनी अन्वेषण और निष्कर्षों को बरकरार रख सकता है, संशोधित कर सकता है या उन्हें पलट सकता है। अपीलीय निकाय की रिपोर्ट, यदि DSB द्वारा अंगीकृत कर ली जाती है तो फिर यह विवाद में शामिल पक्षकारों पर बाध्यकारी होती है।
    - अपीलीय निकाय की सीट जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- **सिफारिशों का कार्यान्वयन:**
  - यदि कोई WTO सदस्य अपने दायित्वों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उससे WTO समझौतों के अनुपालन में अपने उपाय लागू करने की उम्मीद की जाती है।
  - यदि सदस्य ऐसा करने में विफल रहता है तो शिकायतकर्ता प्राधिकार से उस पर रियायतों या अन्य उपायों के निलंबन के माध्यम से जवाबी कार्रवाई करने की मांग कर सकता है।

अमेरिका द्वारा WTO के लिये कौन-सी एकतरफा चुनौतियाँ पेश की गई हैं?

- **WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC11), 2017:**
  - ब्यूनस आयर्स में आयोजित सम्मेलन बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गया क्योंकि 164 सदस्यीय निकाय में आम सहमति नहीं बन पाई।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका ने खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिये सरकारी स्टॉकहोल्डिंग पर स्थायी समाधान को अवरुद्ध कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ई-कॉमर्स और निवेश सुविधा सहित नए मुद्दों पर भारत अपना रुख सख्त करने के लिये बाध्य हुआ।
- **ई-कॉमर्स वार्ता:**
  - अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के नेतृत्व में विकसित देशों ने WTO के भीतर ई-कॉमर्स, निवेश सुविधा और MSMEs पर बड़े दबाव समूहों का निर्माण कर (जहाँ प्रत्येक सूत्रीकरण में 70 से अधिक देश शामिल थे) WTO वार्ताओं में जारी गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की।
    - यद्यपि WTO आम सहमति से संचालित होता है और यहाँ तक कि किसी बहुपक्षीय समझौते के लिये भी सभी सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इन समूहों के गठन से WTO को बहुपक्षवाद पर अपने फोकस से दूर करने का प्रयास किया जाता है क्योंकि ये सुधार बड़े पैमाने पर विकासशील देशों (जैसे G-77 आदि) द्वारा समर्थित नहीं हैं।

- **TRIPS के विवादास्पद प्रावधानों का बचाव:**
    - अमेरिका द्वारा व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों (Trade Related Intellectual Property' rights- TRIPs)—जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क शामिल हैं, का कठोर बचाव किया जाता है और स्वास्थ्य एवं मानव जीवन की परवाह नहीं की जाती है।
    - WTO ने उप-सहारा अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के देशों में (जहाँ हर दिन HIV/AIDS से हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है) जीवनरक्षक दवाएँ प्रदान कर अपने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा का प्रयास करने वाली सरकारों के विरुद्ध फार्मास्युटिकल कंपनियों के 'लाभ के अधिकार' की रक्षा की है।
- **व्यापार वार्ता के दोहा दौर के मुद्दे:**
    - अमेरिका ने अत्यधिक मांगें तैयार करने के रूप में, जिनकी पूर्ति के लिये कोई देश तैयार नहीं था, जानबूझकर दोहा दौर की व्यापार वार्ता प्रक्रिया को प्रभावित किया।
    - अमेरिकी प्रशासन की प्राथमिकता यह नहीं थी कि गतिरोध की शिकार WTO वार्ता को पुनर्जीवित किया जाए, बल्कि वह अपने प्रतिस्पर्द्धियों यूरोप और चीन को नियंत्रित करने के लिये अपने नवनिर्मित विकल्प TPP (Trans-Pacific Partnership) पर केंद्रित था।
- **अपीलीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति को बाधित करना:**
    - कई वर्षों से व्यापार विवादों के निपटारे की बहुपक्षीय प्रणाली गहन संवीक्षा और निरंतर आलोचना के अधीन रही है।
    - अमेरिका ने व्यवस्थित रूप से अपीलीय निकाय के नए सदस्यों और न्यायाधीशों की नियुक्ति को अवरुद्ध कर रखा है और वास्तविक रूप से WTO अपील तंत्र के कार्यकरण को बाधित किया है।
        - वर्ष 2024 तक एक पूर्ण सक्रिय DSM का निर्माण करने के संकल्प के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को 'डी-ज्युडिशियलाइज़' करने की अमेरिका की प्रवृत्ति विवाद निपटान तंत्र को पुनर्जीवित करने (जैसा वह वर्ष 2019 से पहले रहा था) की राह में एक बड़ी चुनौती है।
- **एकतरफा टैरिफ उपायों का आक्रामक उपयोग:**
    - संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एकतरफा टैरिफ उपायों का आक्रामक उपयोग, चीन का वणिकवाद (mercantilism) और आधुनिक अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण नए क्षेत्रों में विषयों का विस्तार करने के मामले में आम सहमति तक पहुँच सकने की WTO सदस्यों की असमर्थता WTO की आलोचना को और आधार प्रदान करती है।
- **देशों को परिभाषित करने में आम सहमति का अभाव:**
    - WTO वार्ताओं में एक समस्या यह भी है कि WTO में विकसित या विकासशील देश कौन हैं, इसकी कोई सहमत परिभाषा मौजूद नहीं है।
    - वर्तमान में सदस्य देश 'विशेष और विभेदक व्यवहार' (special and differential treatment) प्राप्त करने के लिये स्वयं को विकासशील देश के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं, जो एक ऐसा अभ्यास है जो व्यापक विवाद का विषय रहा है।
        - उदाहरण के लिये, चीन और भारत को WTO में 'विकासशील देश' का दर्जा प्राप्त हुआ, जो एक विवादास्पद मुद्दा बन गया और अमेरिका एवं यूरोपीय संघ ने इस निर्णय के विरुद्ध चिंता जताई।
- **भारत की पहलों को अमेरिका द्वारा बाधित किया जाना:**
    - भारतीय इस्पात उत्पादों पर अमेरिका द्वारा प्रतिकारी शुल्क लगाना, गैर-आप्रवासी वीजा के मामले में अमेरिका द्वारा किये गए उपाय, अमेरिका के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम और अमेरिका द्वारा इस्पात एवं एल्यूमीनियम उत्पादों पर लगाए गए आयात शुल्क आदि वे विवाद के विषय हैं जहाँ भारत एक वादी या शिकायतकर्ता पक्ष है।
        - पोल्ट्री एवं पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर भारत द्वारा प्रतिबंध पर अमेरिका की शिकायत और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की कुछ वस्तुओं पर भारत के आयात शुल्क पर यूरोपीय संघ, जापान एवं ताइवान द्वारा दर्ज की गई शिकायत, ऐसे कुछ मामले हैं जहाँ भारत WTO में एक प्रतिवादी पक्ष है।

विश्व व्यापार संगठन में सुधार के क्या उपाय हैं?

- **नए सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव का समर्थन करना:**
    - आमतौर पर अपीलीय निकाय में नई नियुक्तियाँ WTO सदस्यों की आम सहमति से की जाती हैं, लेकिन जहाँ आम सहमति संभव नहीं है वहाँ मतदान का भी प्रावधान है।
    - भारत सहित 17 अल्पविकसित और विकासशील देशों का समूह, जो अपीलीय निकाय में गतिरोध को समाप्त करने के लिये मिलकर कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है, इस आशय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है और मतदान बहुमत से अपीलीय निकाय में नए सदस्यों को शामिल करने का प्रयास कर सकता है।

- लेकिन इसके दुष्परिणाम भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि सभी देश प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के वीटो का विरोध करने पर उसकी ओर से एकतरफा कार्रवाइयों का भय रखते हैं।

- **विधि उल्लंघन पर उपयुक्त दंड:**
  - यदि किसी देश ने कुछ गलत किया है तो उसे शीघ्रता से अपनी गलतियों को सुधारना चाहिये। यदि वह किसी समझौते का उल्लंघन जारी रखता है तो उसे मुआवजे की पेशकश करनी चाहिये या उचित प्रतिक्रिया का सामना करना चाहिये जिसमें कुछ उपचार (remedy) शामिल हो –हालाँकि यह वास्तव में कोई दंड नहीं है, बल्कि एक 'उपचार' है और किसी भी देश के लिये नियमों का पालन करना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिये।
    - दोषी पाए जाने पर ऐसे देशों को 'हरित जलवायु कोष' में अनिवार्य रूप से एक विशेष राशि जमा करने के लिये बाध्य किया जा सकता है।
- **सुधारात्मक दृष्टिकोण:**
  - सुधारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित स्थायी दीर्घकालिक समाधानों में निवर्तमान सदस्यों के लिये एक संक्रमणकालीन नियम शामिल हो सकता है, जो उन्हें अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी लंबित अपीलों को पूरी तरह से निपटाने की अनुमति देता हो और नीतिगत क्षेत्र का अतिक्रमण किये बिना सहमत राष्ट्रीय कानूनों के अर्थ की अपीलीय निकाय द्वारा व्याख्या को सीमित करता हो, ताकि राष्ट्रों की संप्रभुता को सुरक्षित रखा जा सके।
- **सदस्यों की नियमित बैठक:**
  - अन्य दीर्घकालिक समाधानों में प्रभावी संचार और तत्काल निवारण तंत्र सुनिश्चित करने के लिये अपीलीय निकाय के साथ WTO सदस्यों की नियमित बैठकें आयोजित करना शामिल हैं।
    - इस प्रकार, सभी देशों को संकट से निपटने के लिये एक साथ आना चाहिये ताकि सबसे खराब परिदृश्य का सामना न करना पड़े।
- **DSM पुनर्बहाली के लिये विकासशील देशों का आह्वान:**
  - भारत सहित अन्य विकासशील देश, WTO के विवाद निपटान तंत्र (DSM) को उसकी पिछली कार्यात्मक स्थिति में बहाल करने की वकालत कर रहे हैं, जहाँ वे अपीलीय निकाय द्वारा प्रदत्त नियंत्रण एवं संतुलन के महत्त्व पर बल देते हैं।
- **विकासशील देशों के लिये विकल्प:**
  - विकासशील देशों को WTO में दो-स्तरीय DSM बनाए रखने के लिये तीन विकल्पों का सामना करना पड़ता है: (a) यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाली अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था (Interim Appeal Arbitration Arrangement- MPIA) में शामिल होना, (b) एक कमज़ोर अपीलीय निकाय को स्वीकार करना, या (c) ऑप्ट-आउट प्रावधान वाले मूल अपीलीय निकाय को पुनर्जीवित करना।
    - अंतरिम समाधान के रूप में MPIA: विकासशील देशों के लिये पहला विकल्प यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाले MPIA में शामिल होना है, जो एक बहुदलीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था है जो मध्यस्थता तंत्र को औपचारिक बनाती है, लेकिन इसमें स्वैच्छिक प्रकृति और सार्वभौमिक अंगीकरण की कमी जैसी खामियाँ भी हैं।
    - कमज़ोर अपीलीय निकाय: दूसरे विकल्प में एक कमज़ोर (diluted) अपीलीय निकाय पर विचार करना शामिल है, जहाँ AB की शक्तियाँ सीमित होंगी, जो संभावित रूप से WTO कानून की अपेक्षाओं के विपरीत, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को सुरक्षा एवं पूर्वानुमान प्रदान करने की क्षमता में बाधा डालेगी।
    - अंतरिम समाधान के रूप में AB के लिये ऑप्ट-आउट प्रावधान: तीसरा अंतरिम विकल्प एक ऑप्ट-आउट प्रावधान के रूप में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव के साथ AB को पुनर्जीवित करने का सुझाव देता है। हालाँकि यह दो-स्तरीय बाध्यकारी DSM की प्रकृति को बदल सकता है, यह AB के वर्तमान स्वरूप को सुरक्षित रखने और स्वैच्छिक आधार पर अमेरिका को शामिल करने के संबंध में एक समझौते की स्थिति को इंगित कर सकता है।

निष्कर्ष

WTO की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक अक्षम विवाद निपटान तंत्र (DSM) के महत्त्वपूर्ण मुद्दे का सामना करेगी, जो वर्ष 2019 से अमेरिका द्वारा अपीलीय निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति को रोकने का परिणाम है। पूरी तरह कार्यात्मक DSM की पुनर्बहाली के प्रयास को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों के प्रति अनिच्छा रखता है। जबकि आदर्श समाधान यह होगा कि अपीलीय निकाय को वर्ष 2019 तक की पूर्वस्थिति में पुनर्बहाल किया जाए, इच्छुक देशों के लिये AB की स्थिति से समझौता करना WTO में उनकी आवश्यक भूमिका की रक्षा के लिये एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।

■■■

SBM-ग्रामीण को और अधिक रचनात्मक बनाना

देश में सार्वजनिक स्वच्छता कार्यक्रमों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1986 में उच्च सब्सिडीयुक्त केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (Central Rural Sanitation Programme- CRSP) के शुभारंभ के साथ हो गई थी। वर्ष 1999 में शुरू हुए संपूर्ण स्वच्छता अभियान (Total Sanitation Campaign) ने उच्च सब्सिडीयुक्त व्यवस्था से निम्न सब्सिडीयुक्त व्यवस्था और मांग-संचालित दृष्टिकोण की ओर बदलाव को चिह्नित किया।

वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत सार्वजनिक स्वच्छता कार्यक्रम का एक मिशन के रूप में उभार हुआ, जिसका लक्ष्य अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त (Open Defecation Free- ODF) बनाना था।

पिछले दशक में स्वच्छता कवरेज में सुधार भारत में प्रमुख सार्वजनिक नीति चमत्कारों (public policy miracles) में से एक रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिकल्पित 17 सतत् विकास लक्ष्यों में 'जल एवं स्वच्छता तक पहुँच' छठा लक्ष्य (Goal 6) है।

स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (SBM-G):

- **परिचय:**
  - इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेज़ी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये लॉन्च किया गया था।
  - इस मिशन को एक राष्ट्रव्यापी अभियान/जनआंदोलन के रूप में लागू किया गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच या ODF को समाप्त करना था।
- **SBM-G चरण-I:**
  - 2 अक्टूबर 2014 को SBM-G के आरंभ के समय देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.7% बताया गया था।
  - मिशन के आरंभ के बाद से 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2 अक्टूबर 2019 तक सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को ODF घोषित कर दिया।
- **SBM-G चरण-II:**
  - यह चरण I के तहत प्राप्त उपलब्धियों की संवहनीयता और ग्रामीण भारत में ठोस/तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (Solid/Liquid & plastic Waste Management- SLWM) के लिये पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने पर बल देता है।
  - इसे वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा।
  - ODF+ के SLWM घटक की निगरानी इन 4 प्रमुख क्षेत्रों के आउटपुट-आउटकम संकेतकों के आधार पर की जाएगी:
    - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन,
    - जैव-अपघट्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (पशु अपशिष्ट प्रबंधन सहित),
    - ग्रेवाटर (घरेलू अपशिष्ट जल) प्रबंधन
    - मल कीचड़ प्रबंधन
- **SBM के उप-घटक:**
  - गोबर-धन (GOBAR-DHAN - Galvanizing Organic Bio-Agro Resources) योजना:
    - इसे वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
    - योजना का लक्ष्य जैव-अपघट्य अपशिष्ट को संपीडित बायोगैस (CBG) में परिवर्तित कर किसानों की आय बढ़ाना है।
  - व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (Individual Household Latrines- IHHL):
    - SBM के तहत लोगों को शौचालय निर्माण के लिये लगभग 15 हज़ार रुपए दिए जाते हैं।
  - स्वच्छ विद्यालय अभियान:
    - शिक्षा मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ विद्यालय अभियान लॉन्च किया जिसका लक्ष्य एक वर्ष के भीतर सभी सरकारी विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराना था।
  - 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान:
    - स्वच्छता ही सेवा (SHS) अभियान हर वर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के संयुक्त तत्वावधान में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करने पर लक्षित श्रमदान गतिविधियाँ चलाने के लिये आयोजित किया जाता है। इसके उद्देश्य हैं:

- SBM के कार्यान्वयन पर प्रोत्साहन प्रदान करना;
- संपूर्ण स्वच्छ ग्राम के महत्त्व का प्रसार करना;
- प्रत्येक व्यक्ति के हित के रूप में स्वच्छता की अवधारणा को सुदृढ़ करना;
- राष्ट्रव्यापी भागीदारी के साथ स्वच्छ भारत दिवस (2 अक्टूबर) की प्रस्तावना के रूप में।

- **शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य:**
  - शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, जिन्होंने 100% ODF+ ग्राम हासिल किये हैं, वे हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, पुदुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा।
    - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम में 100% ODF+ मॉडल ग्राम मौजूद हैं।
    - इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने ODF+ का दर्जा हासिल करने में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है और उनके प्रयास इस मील के पत्थर तक पहुँचने में सहायक रहे हैं।

ODF का दर्जा:

- **ODF:** किसी क्षेत्र को ODF के रूप में अधिसूचित या घोषित किया जा सकता है यदि दिन के किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच करते नहीं पाया जाता है।
- **ODF+:** यह दर्जा तब दिया जाता है जब दिन के किसी भी समय, कोई भी व्यक्ति खुले में शौच और/या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है और सभी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय क्रियाशील एवं सुचारू व्यवस्था प्रकट करते हैं।
- **ODF++:** यह दर्जा तब दिया जाता है जब कोई क्षेत्र पहले से ही ODF+ की स्थिति रखता है और वहाँ मल कीचड़/सेप्टेज एवं सीवेज को सुरक्षित रूप से प्रबंधित एवं उपचारित किया जाता है तथा जहाँ अनुपचारित मल कीचड़ एवं सीवेज को खुली नालियों, जल निकायों या क्षेत्रों में प्रवाहित या डंप नहीं किया जाता है।

SBM-G के तहत ODF से ODF+ स्थिति में संक्रमण से जुड़े प्रमुख मुद्दे:

- **व्यवहार संबंधी चुनौतियाँ:**
  - शौचालयों के निर्माण से उनका स्वत: उपयोग भी शुरू नहीं हो जाता। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के सर्वेक्षण (69वें दौर) से पता चला कि वर्ष 2012 में जबकि 59% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय तक पहुँच नहीं थी, शौचालय की सुविधा रखने वाले लोगों में से 4% इसका उपयोग नहीं कर रहे थे।
    - इसका उपयोग न करने के प्राथमिक कारणों में शामिल थे: अधिरचना का अभाव (21%); सुविधा में खराबी (22%); सुविधा का अस्वास्थ्यकर/अस्वच्छ होना (20%); और व्यक्तिगत कारण (23%)।

- **क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियाँ:**
  - तीन राज्यों के सबसे अच्छे और सबसे खराब कवरेज वाले ज़िलों एवं प्रखंडों को दायरे में लेते हुए कराये गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि बिहार में 59%, गुजरात में 66% और तेलंगाना में 76% घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी।
  - शौचालय सुविधा रखने वाले घरों में, बिहार में 38%, गुजरात में 50% और तेलंगाना में 14% घरों में कम से कम एक ऐसा सदस्य मौजूद था जो इसका उपयोग नहीं करता था।

- गुजरात में शौचालयों का अधिक ग़ैर-उपयोग दाहोद ज़िले में (सर्वेक्षण के लिये चुने गए राज्य के दो ज़िलों में से एक) जल तक पहुँच की कमी के कारण था।
- दूरदराज के और पिछड़े गाँवों में शौचालय का उपयोग व्यापक रूप से किया जा रहा था यदि घरों में जल तक पहुँच हो। यदि किसी घर में अलग बाथरूम हो तो भी शौचालय के उपयोग की संभावना कम हो जाती है।

- **शुद्धता के पारंपरिक मानदंडों से जुड़े मुद्दे:**
  - वर्ष 2020 में एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि गुजरात में सर्वेक्षित गाँवों में 27% और पश्चिम बंगाल में 61% घरों में अपने शौचालय नहीं थे। इसके अलावा, दोनों ही राज्यों में लगभग 3% परिवार अपने स्वयं के शौचालयों का उपयोग नहीं कर रहे थे।
    - एक-चौथाई ग़ैर-उपयोगकर्ता परिवारों ने इसका उपयोग न करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया। ऐसा माना गया कि शुद्धता के सामाजिक मानदंडों ने उन्हें शौचालय का उपयोग करने से हतोत्साहित किया होगा।
    - शौच के लिये उपयोग न किये जाने वाले शौचालयों का उपयोग भंडारगृह के रूप में किया जा रहा था। यदि सामाजिक मानदंड गृह परिसर में शौचालय के उपयोग को अवरुद्ध करते हैं तो इस सुविधा का उपयोग स्नान और कपड़े धोने के लिये किया जाता है।
- **गुणवत्ता संबंधी मुद्दे:**
  - गुणवत्ता संबंधी मुद्दे भी एक अन्य प्रमुख कारण हैं। गुजरात में, शौचालयों का उपयोग नहीं करने वालों में से 17% ने बताया कि उप-संरचना ढह गई थी और 50% ने बताया कि गड्ढे भर गए थे।
  - पश्चिम बंगाल में ग़ैर-उपयोगकर्ताओं में से एक-तिहाई ने बताया कि अधिरचना ढह गई थी, जबकि अन्य एक-तिहाई ने बताया कि गड्ढा भर गया था।
- **शौचालयों तक पहुँच के संबंध में विभिन्न सर्वेक्षण के निष्कर्षों में भिन्नताएँ:**
  - शौचालयों तक पहुँच रखने वाले परिवारों और उनके उपयोग के प्रतिशत के बारे में विभिन्न सर्वेक्षण निष्कर्षों में भिन्नताएँ विभिन्न ज़िलों के चयन के कारण हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित अधिक व्यापक राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (National Annual Rural Sanitation Survey- NARSS) के तीसरे दौर (2019-20) से पता चलता है कि भारत में 95% ग्रामीण आबादी की शौचालय तक पहुँच थी।
  - स्वामित्वपूर्ण, साझा और सार्वजनिक शौचालयों तक पहुँच क्रमशः 79%, 14% और 1% घरों तक उपलब्ध थी। यह भी पाया गया कि 96% शौचालय क्रियाशील थे और लगभग सभी में जल की सुविधा उपलब्ध थी।
    - हालाँकि, इसी रिपोर्ट से पता चलता है कि केवल 85% ग्रामीण आबादी सुरक्षित, क्रियाशील और स्वच्छ शौचालयों का उपयोग करती है। यह मानते हुए कि जितने प्रतिशत घरों की शौचालय तक पहुँच है, उतने ही प्रतिशत लोगों की भी पहुँच है, शौचालय तक पहुँच और उनके उपयोग के बीच अंतराल 10% तक बढ़ जाता है।
- **परिवार के आकार से जुड़ी बाधाएँ:**
  - विभिन्न अर्थमितीय मॉडल दर्शाते हैं कि शौचालय का उपयोग आर्थिक स्थिति और शिक्षा के साथ-साथ परिवार के आकार पर भी निर्भर करता है। परिवार का आकार जितना बड़ा होगा, शौचालय का उपयोग न करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
    - अत्यधिक भीड़भाड़ और सामाजिक मानदंड घर के सभी सदस्यों को एक ही शौचालय का उपयोग करने से बाधित करते हैं। वर्ष 2020 के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि केवल 3% से 4% घरों में ही एक से अधिक शौचालय मौजूद हैं।
- **SBM-G के चरण-II से संबद्ध चिंताएँ:**
  - कार्यक्रम के इस दूसरे चरण में एक निश्चित आकार से बड़े घरों के लिये एकाधिक शौचालयों को अनिवार्य करने वाला कोई मानदंड मौजूद नहीं है। इसमें 'अटैच बाथरूम' बनाने का भी कोई प्रावधान नहीं है।
- **जल जीवन मिशन की असंलग्न भूमिका:**
  - जल जीवन मिशन (JJM) कार्यक्रम वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में नल का जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। लेकिन JJM पर किये गए प्रति व्यक्ति केंद्रीय व्यय और राज्यों में ODF+ घोषित गाँवों के प्रतिशत के बीच कोई संबंध नहीं देखा गया है।
    - न ही किसी राज्य में ODF+ गाँवों के प्रतिशत और नल कनेक्शन रखने वाले घरों के बीच कोई संबंध पाया गया है।
- **सामाजिक-आर्थिक वर्गों में भिन्नताएँ:**
  - स्वच्छता व्यवहार के संबंध में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों में भिन्नता देखी गई है। NARSS-3 से पता चलता

नोट :

है कि शौचालयों तक पहुँच उच्च जातियों के लिये सबसे अधिक (97%) और अनुसूचित जातियों के लिये सबसे कम (95%) थी। बहु-राज्य अध्ययन से पता चलता है कि ग़ैर-उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत पिछड़ी जातियों की तुलना में उच्च जातियों में अधिक है।

- **तालमेल का अभाव:**
  - SBM-G के आरंभिक चरण के दौरान वर्ष 2014 से 2019 के बीच लगभग 10 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। कवरेज में इस उछाल ने सुरक्षित स्वच्छता अभ्यासों के बारे में जागरूकता भी पैदा की है।
  - हालाँकि, देश में सामूहिक व्यवहार परिवर्तन होना अभी भी बाकी है। अध्ययन से पता चलता है कि स्वच्छता के सबंध में व्यवहार परिवर्तन स्वतंत्र रूप से घटित नहीं हो सकता।
    - यह सामाजिक नेटवर्क और जीवन स्तर में समग्र सुधार पर निर्भर है, जिसमें बेहतर आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच शामिल है।
  - इनमें से प्रत्येक बुनियादी आवश्यकता के लिये अलग-अलग कार्यक्रम मौजूद हैं, लेकिन वे अच्छी तरह से समन्वित नहीं हैं। भारत में समग्र योजना की कमी के कारण कार्यक्रमों में तालमेल की कमी है, जबकि बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में उच्च स्तर का व्यय किया जा रहा है।

SBM-G को और अधिक प्रभावी बनाने के उपाय:

- **छूटे हुए परिवारों को मुख्यधारा में लाना:**
  - ये सर्वेक्षण दो प्रमुख मुद्दे सामने लाते हैं— छूटे हुए घर और शौच के लिये अप्रयुक्त शौचालय। छूटे हुए घर पर्याप्त संख्या में दिखाई देते हैं और उन्हें चरण II में दायरे में लेने की आवश्यकता है।
  - दूसरी ओर, सरकार को पिछले चरण की कमियों को चिह्नित करना चाहिये और वर्तमान चरण में उन कमियों को दूर करना चाहिये।
- **व्यवहार परिवर्तन अभियान चलाना:**
  - स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन संबंधी अभियानों को दो चरणों पर विचार करना चाहिये: निर्माण और उपयोग। इसके अलावा, अभियान अभिकल्पना में गाँवों के बीच नेटवर्क में भिन्नता पर विचार किया जाना चाहिये क्योंकि कुछ गाँवों में परिवारों का व्यवहारिक परिवर्तन स्वतंत्र रूप से और अन्य में सामूहिक रूप से घटित हो सकता है।
    - ऐसा प्रतीत होता है कि SBMG के दूसरे चरण में प्रतिगामी मानदंडों और जाति पदानुक्रम से ग्रस्त समाज में सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से सोशल इंजीनियरिंग पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है।
    - देश के लोकप्रिय सिने अभिनेताओं द्वारा अभिनीत 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' जैसी फ़िल्मों को ग्रामीण भारत में प्रदर्शित एवं प्रचारित किया जाना चाहिये।
  - इससे आम जनता के बीच शौचालय के उपयोग की आवश्यकता और स्वच्छ एवं सुरक्षित घरेलू स्वच्छता अभ्यासों को अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ सकती है।
- **समावेशी दृष्टिकोण अपनाना:**
  - समाज के वंचित वर्गों से संबंधित कुछ व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों जैसे कि महिला मुखिया वाले परिवार, भूमिहीन लोग, प्रवासी मज़दूर और दिव्यांगजनों के पास अभी भी उनके घरों में शौचालय नहीं हैं या मौजूदा शौचालय अभिगम्य नहीं हैं।
    - मानवाधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोणों से इस वंचित आबादी का समर्थन करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि हाशिये पर स्थित ये वर्ग पहले से ही बुनियादी सेवाओं तक पहुँच से वंचित हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करते हैं।
- **संस्थानों की भूमिका में वृद्धि:**
  - शैक्षणिक संस्थानों, बाल देखभाल केंद्रों, अस्पतालों और अन्य सरकारी सुविधाओं को स्वच्छता अभ्यासों में और प्रगति की आवश्यकता है। सार्वजनिक सुविधाओं और समाज के वंचित वर्गों के बीच स्वच्छता कवरेज के उप-श्रेणियों में विभेदित डेटा (disaggregated data) को नवाचार की आवश्यकता है ताकि छूटी हुई आबादी को कवर किया जा सके।
- **समग्र और विस्तारित दृष्टिकोण का पालन:**
  - विविधता, संस्कृति और आबादी के मामले में भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ कुल आबादी का 60% ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है, केवल शौचालयों तक पहुँच ही स्वच्छ एवं सुरक्षित स्वच्छता अभ्यासों को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त नहीं है।
    - उदाहरण के लिये, वर्ष 1986 में शुरू किये गए भारत के पहले स्वच्छता कार्यक्रम 'केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम' से सबक प्राप्त हुआ कि केवल शौचालय निर्माण से शौचालय का उपयोग नहीं होने लगता।

नोट :

- भारत को वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य 6 (SDG 6), यानी 'सभी के लिये जल और स्वच्छता तक पहुँच सुनिश्चित करना' हासिल करने के लिये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आयामों से हटकर अन्य कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है।

- **प्रौद्योगिकियों को अंगीकरण और एकीकरण:**
  - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित मोबाइल ऐप, MIS, डैशबोर्ड APIs सहित विभिन्न ई-गवर्नेंस समाधानों को शामिल करने की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में ODF+ की प्रगति को ट्रैक करना है।
  - SBM-G का ई-गवर्नेंस समाधान एक सुदृढ़, इंटर-ऑपरेबल, स्केलेबल, सुरक्षित और भूमिका-आधारित प्रणाली हो जो उपयोगकर्ता को मोबाइल ऐप का उपयोग कर भौगोलिक निर्देशांक के साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट की सभी संपत्तियों को दर्ज करने में सक्षम बनाती हो।

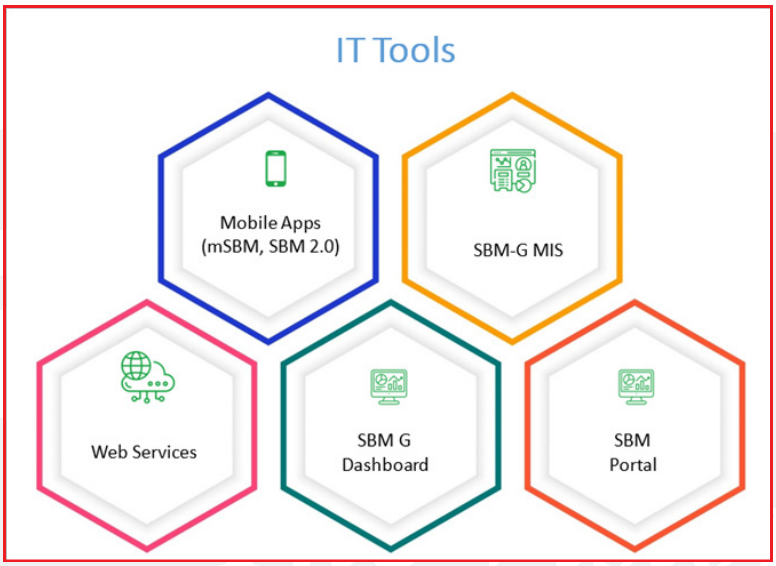

निष्कर्ष:

भारत ने स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करते हुए स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2019 तक 100% स्वच्छता कवरेज हासिल करना सराहनीय है और सरकार वर्ष 2024-25 तक ODF+ की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। लगभग 85% गाँव पहले ही ODF+ की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन चुनौतियाँ अभी बनी हुई हैं, जो व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता को उजागर करती है। संवहनीय सफलता के लिये सामाजिक-आर्थिक कारकों और सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।

■■■

भारत में राजकोषीय केंद्रीकरण संबंधी चिंताएँ

14वें वित्त आयोग (FC) की अनुशंसा अवधि (2015-16) की शुरुआत के बाद से केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण में कमी कर रही है। यह इस प्रसंग में विशेष रूप से अजीब है कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर राजस्व का 42% राज्यों को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की है, जो कि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा से स्पष्ट रूप से 10% अंक वृद्धि को प्रकट करता है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (जिन्हें केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया है) को किये जाने वाले हस्तांतरण को छोड़कर, 15वें वित्त आयोग ने 41% की इस अनुशंसा को बरकरार रखा है। यदि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हिस्से को भी शामिल किया जाए तो यह 42% होगा। केंद्र सरकार ने न केवल राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण में कमी की है बल्कि अपने विवेकाधीन व्यय को बढ़ाने के लिये अपने कुल राजस्व में भी वृद्धि की है।

राजकोषीय संघवाद:

- राजकोषीय संघवाद (Fiscal federalism) शब्द यह प्रकट करता है कि किसी देश में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय शक्तियों और उत्तरदायित्वों को किस प्रकार विभाजित किया जाता है।

- इसमें ऐसे प्रश्न शामिल हैं, जैसे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा कौन-से कार्य एवं सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिये, राजस्व कैसे बढ़ाया जाना चाहिये एवं उनके बीच कैसे साझा किया जाना चाहिये और दक्षता एवं समानता सुनिश्चित करने के लिये हस्तांतरण या अनुदान किस प्रकार आवंटित किया जाना चाहिये।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के विषय में विभिन्न उपबंध:

- **संविधान का भाग XII:** भारतीय संविधान ने करों के वितरण के साथ-साथ गैर-कर राजस्व और उधार लेने की शक्ति से संबंधित विस्तृत उपबंध किये हैं। इनके साथ ही राज्यों को संघ द्वारा सहायता अनुदान के संबंध में भी उपबंध किये गए हैं। अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के उपबंधों से संबंधित हैं।
    - अनुच्छेद 275 के तहत उपबंधित सहायता अनुदान प्रणाली में विशिष्ट उद्देश्यों या योजनाओं के लिये केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को धन का विवेकाधीन हस्तांतरण शामिल है।
    - वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण की अनुशंसा करने के लिये उत्तरदायी है। यह राज्यों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने, राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने और राजकोषीय मामलों में स्थिरता सुनिश्चित करने के उपाय भी सुझाता है।
        - वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280(3) के तहत राज्यों को करों के हस्तांतरण और सहायता अनुदान की अनुशंसा करने के अलावा केंद्र के कहने पर 'सुदृढ़ वित्त के हित में' किसी अन्य मुद्दे पर भी विचार कर सकता है।
- **संविधान की सातवीं अनुसूची:** संविधान केंद्र और राज्यों के बीच कर अधिरोपण की शक्तियों को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित करता है:
    - संसद को संघ सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है
    - राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति है,
    - समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर दोनों ही कर लगा सकते हैं, जबकि कराधान की अवशिष्ट शक्ति केवल संसद के पास है।

केंद्र सरकार के किन कदमों से राज्यों को कुल वित्तीय हस्तांतरण में कमी आई है?

- **राजकोषीय शक्तियों का बढ़ता केंद्रीकरण :**
    - समय के साथ, केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाले गैर-साझा करने योग्य राजस्व (non-shareable revenue), जैसे अधिभार एवं उपकरों (surcharges and cesses) का अनुपात बढ़ गया है।
    - इसके परिणामस्वरूप, राज्य वृहत राजकोषीय स्वायत्तता की और केंद्र द्वारा संग्रहित सभी करों में बड़ी हिस्सेदारी की वकालत कर रहे हैं।
- **राज्य कर स्वायत्तता का क्षरण:**
    - राज्यों की अपने राजस्व स्रोतों पर कर दरें निर्धारित करने की क्षमता व्यापक रूप से कम हो गई है। वस्तुओं के अंतर-राज्य व्यापार के लिये मूल्यवर्द्धित कर (value-added tax- VAT) के कार्यान्वयन के बाद यह क्षरण हुआ।
    - परिणामस्वरूप, राज्यों को कर नीतियों और राजस्व सृजन रणनीतियों के निर्धारण में स्वायत्तता की हानि का अनुभव हुआ है।
- **राज्य व्यय संबंधी लचीलेपन में बाधाएँ:**
    - सशर्त और आबंध अनुदानों की बढ़ती प्रमुखता के कारण राज्यों को अपने व्यय लचीलेपन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
    - ये अनुदान, जो राज्य सूची में सूचीबद्ध वस्तुओं को लक्षित करते हैं, उनकी विशिष्ट प्राथमिकताओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार धन आवंटित करने में राज्यों की विवेक शक्ति को सीमित करते हैं।
- **राज्य भिन्नताओं की उपेक्षा करते हुए समान राजकोषीय लक्ष्य:**
    - राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management- FRBM) अधिनियम, 2003 से उत्पन्न चुनौतियाँ सभी राज्यों पर समान राजकोषीय लक्ष्य (Uniform Fiscal Targets) लागू कर स्थिति को और खराब कर देती हैं।
    - ये लक्ष्य अलग-अलग राज्यों की विविध राजकोषीय आवश्यकताओं और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं, जिससे अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।

- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन:**
  - 101वाँ संविधान संशोधन, जो संघ और राज्यों को अप्रत्यक्ष कराधान की समवर्ती शक्तियाँ प्रदान करता है, वर्ष 1951 में पहले वित्त आयोग की स्थापना के बाद से राजकोषीय दृष्टिकोण से सबसे दूरगामी परिवर्तन है।
  - उस राज्य में अप्रत्यक्ष करों का संग्रह जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग किया जाता है, न कि उस राज्य में जहाँ उनका उत्पादन किया जाता है, संघवाद की ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों गतिशीलता को बदल देता है।
    - कर का बोझ अमीर और विनिर्माता राज्यों से उपभोक्ता राज्यों पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे क्षैतिज असंतुलन पैदा हो गया है।
  - उदाहरण के लिये, एकीकृत जीएसटी (Integrated GST), जो वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाता है, गंतव्य राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। उत्पत्ति के सिद्धांत से गंतव्य के सिद्धांत की ओर यह कदम राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को फिर से स्थापित कर रहा है।

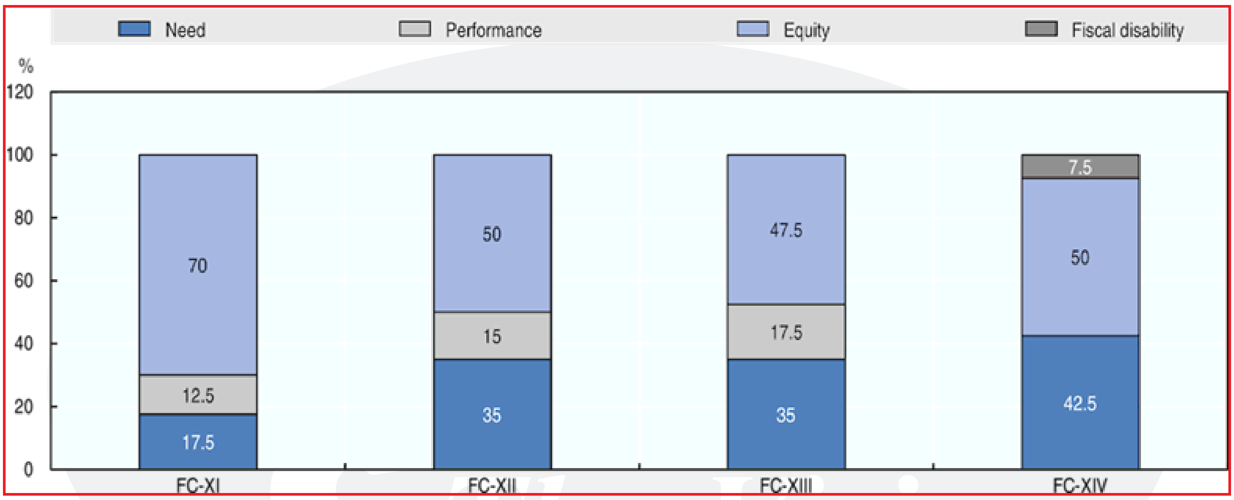

सभी केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के वितरण के लिये मानदंड (11वें से 14वें वित्त आयोग के बीच)

राज्यों को राजकोषीय हस्तांतरण का वर्तमान परिदृश्य क्या है?

- **सकल कर राजस्व में घटती हिस्सेदारी:**
  - यद्यपि 14वें और 15वें वित्त आयोग ने शुद्ध कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 42% और 41% करने की अनुशंसा की, लेकिन सकल कर राजस्व की हिस्सेदारी वर्ष 2015-16 में केवल 35% और वर्ष 2023-24 में 30% ही रहा (बजट आकलन के अनुसार)।
  - जबकि केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व वर्ष 2015-16 में 14.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 33.6 लाख करोड़ रुपए हो गया, केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 5.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 10.2 लाख करोड़ रुपए ही हुई।
- **राज्यों को सहायता अनुदान में कमी:**
  - राज्यों को सहायता अनुदान वर्ष 2015-16 में 1.95 लाख करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2023-24 में 1.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार, केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में सांविधिक वित्तीय हस्तांतरण की संयुक्त हिस्सेदारी 48.2% से घटकर 35.32% हो गई।
- **उपकर और अधिभार श्रेणियों में बढ़ता कर संग्रह:**
  - इस अवधि के दौरान सकल राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी घटने का एक कारण यह है कि उपकर एवं अधिभार के तहत राजस्व संग्रह, केंद्रशासित प्रदेशों से राजस्व संग्रह और कर प्रशासन व्यय में कटौती के बाद उन्हें शुद्ध कर राजस्व प्राप्त हुआ।
    - इन तीन कारकों में उपकर एवं अधिभार के माध्यम से राजस्व संग्रह सबसे अधिक है और इसकी वृद्धि हो रही है।
  - इस गणना में जीएसटी उपकर शामिल नहीं है जो जून 2022 तक जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिये एकत्र किया जाता है।

- **वित्तीय केंद्रीकरण संबंधी चिंताएँ:**
  - केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष वित्तीय हस्तांतरण के दो अन्य मार्ग भी हैं, यानी केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएँ (CS)।
    - केंद्र सरकार CSS के माध्यम से राज्यों की प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है जहाँ केंद्र सरकार आंशिक धन मुहैया कराती है, जबकि दूसरा हिस्सा राज्यों को देना होता है। दूसरे शब्दों में, केंद्र योजनाओं का प्रस्ताव करता है और राज्य उन्हें लागू करते हैं, साथ ही राज्यों के वित्तीय संसाधनों की प्रतिबद्धता भी तय की जाती है।
  - वर्ष 2015-16 से 2023-24 के बीच 59 CSS के माध्यम से CSS के लिये आवंटन 2.04 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 4.76 लाख करोड़ रुपए हो गया।
    - इस प्रकार, केंद्र सरकार राज्य को कमोबेश उतनी ही मात्रा में वित्तीय संसाधन देने के लिये बाध्य करती है।
- **समृद्ध बनाम कम समृद्ध राज्यों से जुड़े मुद्दे:**
  - CSS की साझीदारीपूर्ण योजनाओं का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि जो राज्य अकेले राज्य बजट से समान वित्त देने का जोखिम उठा सकते हैं, वे समान स्तर के अनुदान का लाभ भी उठा सकते हैं। यह सार्वजनिक वित्त में अंतर-राज्य इक्विटी के संदर्भ में दो अलग-अलग प्रभाव पैदा करता है।
    - समृद्ध राज्य CSS के कार्यान्वयन के माध्यम से समान वित्त देने और केंद्रीय वित्त का लाभ उठाने का जोखिम उठा सकते हैं।
    - कम समृद्ध राज्यों को इन CSS के लिये अपने उधार लिये हुए वित्त देने होंगे, जिससे उनकी अपनी देनदारियाँ बढ़ जाएँगी। राज्यों के सार्वजनिक वित्त के ये अलग-अलग प्रक्षेपपथ सार्वजनिक वित्त में अंतर-राज्य असमानता को बढ़ाते हैं, जिसका प्रमुख कारण CSS है।
- **संघ सरकार के पास सीमित व्यय उत्तरदायित्वों के साथ बड़ी वित्तीय शक्तियाँ:**
  - सांविधिक अनुदान के साथ, सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में कुल वित्तीय हस्तांतरण वर्ष 2023-24 में केवल 47.9% था।
  - सकल कर राजस्व का 50% से अधिक अपने पास बनाए रखने के अलावा, केंद्र सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% की सीमा तक राजकोषीय घाटा उठाती है। इस प्रकार, केंद्र सरकार के पास सीमित व्यय उत्तरदायित्वों के साथ वृहत वित्तीय शक्तियाँ मौजूद हैं।

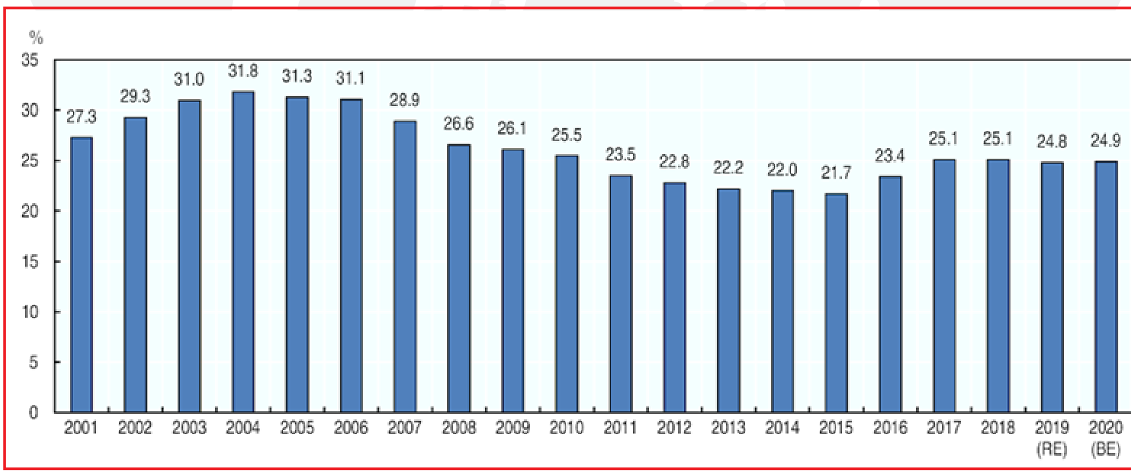

वित्त का बेहतर हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहिये?

- **कर-साझाकरण सिद्धांतों पर पुनर्विचार करना:** वित्त आयोगों को भारत के बदलते राजकोषीय संघवाद के संदर्भ में कर-साझाकरण सिद्धांतों की समीक्षा करने के लिये निर्देशित करने की आवश्यकता है। उनके विचारार्थ विषयों (terms of reference) को संघ और राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष कर आधार के समेकन पर सख्ती से संरेखित किया जाना चाहिये।
- **अप्रत्यक्ष करों की सांविधिक हिस्सेदारी की पुन:अभिकल्पना:** ये परिवर्तन आवश्यक बनाते हैं कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह के अप्रत्यक्ष करों की सांविधिक हिस्सेदारी का पुनरीक्षण और पुन:अभिकल्पना की जाए।

नोट :

- उर्ध्वाधर हस्तांतरण (Vertical Devolution): वर्तमान प्रणाली के साथ उर्ध्वाधर साझाकरण के सिद्धांत को संरेखित करने के लिये विभाज्य पूल को फिर से परिभाषित करने के साथ शुरुआत करना आवश्यक है। उदाहरण के लिये, 16वें वित्त आयोग को IGST को पूरी तरह से पूल का हिस्सा बनाने के तौर-तरीके निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होगी।
- क्षैतिज हस्तांतरण (Horizontal Devolution): राज्यों के बीच विभाज्य पूल के वितरण के मानदंडों पर फिर से विचार करना होगा। मौजूदा मानदंड, विशेष रूप से अनुदान को समान स्तर पर रखने के लिये, उत्पादन-आधारित कर प्रणाली में विकसित हो गए हैं। उपभोग-आधारित कर प्रणाली के निर्माण के लिये इसे फिर से अभिकल्पित या डिज़ाइन करने की आवश्यकता है।

- **संग्रहण की लागत की गणना एवं आवंटन:** जीएसटी के नए प्रशासन, जहाँ संघ और राज्य दोनों समान कर एकत्र करते हैं, के परिणामस्वरूप कर संग्रहण की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि और व्यापक भिन्नता उत्पन्न हुई है। यह लागत 7% से 10% तक होती है।
  - इस परिदृश्य में, आगामी वित्त आयोग को अप्रत्यक्ष करों को संग्रहित करने की लागत की गणना एवं आवंटन के लिये एक विधि की अनुशंसा करने का कार्य सौंपा जाना चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त, उन्हें इन करों को कम करने और उनकी संग्रह दक्षता में सुधार करने के तरीके भी सुझाने चाहिये।
- **अनुदान तंत्र को नया स्वरूप प्रदान करना:** वर्ष 1935 में ब्रिटिश बैंकर ओटो निमेयर (Otto Niemeyer) द्वारा परिकल्पित 'अंतराल-पूर्ति' दृष्टिकोण ('gap-filling' approach), जिसे संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत जारी रखा गया, को जीएसटी परिषद द्वारा लाए गए मुआवजा कानून के आलोक में फिर से डिज़ाइन किया जाना चाहिये।
  - जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान के 31 मार्च 2026 तक बढ़ाए जाने के साथ, उसके बाद का वित्तीय वर्ष 16वें वित्त आयोग के लिये आधार वर्ष होगा और यह 2027 से 2032 तक प्रभावी रहेगा।
  - यह बेहद स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य क्षतिपूर्ति योजना के विस्तार की मांग करेगा। इसलिये, क्षतिपूर्ति की आवश्यकता (जिसका सर्वप्रमुख कारण है जीएसटी की ओर संक्रमण से हुए नुकसान की भरपाई करना) की जाँच का कार्य 16वें वित्त आयोग को सौंपना उपयुक्त होगा।
- **संघीय वित्त की नई संस्थागत संरचना:** नई संघीय वित्त संस्थागत संरचना में जीएसटी परिषद और वित्त आयोग के बीच एक औपचारिक संबंध होना चाहिये क्योंकि वे ही विभाज्य पूल का आकार तय करते हैं और इसे वितरित करते हैं।
  - वित्त आयोगों को इस बात की जाँच करनी चाहिये कि जीएसटी परिषद उस अवधि के दौरान अपनी अनुशंसा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये राजकोषीय परिषद के रूप में कैसे कार्य कर सकती है जब यह कार्यशील नहीं हो।

निष्कर्ष:

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि की शुरुआत के बाद से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण में महत्त्वपूर्ण कमी, विशेष रूप से हस्तांतरण में 42% की अनुशंसित वृद्धि को देखते हुए, चिंताजनक है।

केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद, राज्यों को आवंटित हिस्सेदारी में आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है। CS और CSS पर निर्भरता अंतर-राज्य असमानता को आगे और बढ़ाती है तथा वित्तीय प्रबंधन में राज्य की स्वायत्तता को कम करती है।

यह परिदृश्य न केवल सहकारी संघवाद को कमज़ोर करता है बल्कि भविष्य में राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के समतामूलक वितरण के बारे में भी चिंता पैदा करता है।

■■■

चाइल्ड पोर्नोग्राफी संबंधी कानूनी विसंगतियों का समाधान

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने एस. हरीश बनाम पुलिस निरीक्षक (2020) मामले में निर्णय देते हुए कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी (child pornography) डाउनलोड करना सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 67B के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एक पूर्व-दृष्टांत का हवाला दिया जहाँ माना गया था कि निजी स्थानों पर पोर्नोग्राफी देखना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292 का उल्लंघन नहीं है।

पुलिस ने अन्वेषण के बाद अंतिम रिपोर्ट दायर की थी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 14 (1) और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67B उच्च न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया था।

POCSO अधिनियम, 2012 क्या है?

- **परिचय:**
  - POCSO अधिनियम को बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1992) के भारत के अनुसमर्थन के रूप में अधिनियमित किया गया था।
    - इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार के अपराधों को संबोधित करना है, जिन्हें तब तक या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया था या पर्याप्त रूप से दंडित नहीं बनाया गया था।
    - अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को 'बाल' (child) के रूप में परिभाषित करता है। अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड का प्रावधान करता है।
    - बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध करने के लिये मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने के लिये अधिनियम की वर्ष 2019 में समीक्षा की गई और इसमें संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य अपराधियों को भयभीत कर ऐसे अपराध के लिये हतोत्साहित करना और बच्चों के विरुद्ध ऐसे अपराधों पर रोक लगाना था।
  - भारत सरकार ने POCSO नियम, 2020 को भी अधिसूचित कर दिया है।
    - POCSO नियमों का नियम-9 विशेष न्यायालय को FIR दर्ज होने के बाद बच्चे की राहत या पुनर्वास से संबंधित आवश्यकताओं के लिये अंतरिम मुआवज़े का आदेश देने की अनुमति देता है। यह मुआवज़ा अंतिम मुआवज़े, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।
    - POCSO नियम बाल कल्याण समिति (CWC) को अन्वेषण एवं परीक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सहायता करने के लिये एक सहायक व्यक्ति प्रदान करने का अधिकार देते हैं।
  - यह सहायक व्यक्ति शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक कल्याण सहित बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार होता है।
- **विशेषताएँ:**
  - लैंगिक-तटस्थ प्रकृति:
    - अधिनियम मानता है कि बालक एवं बालिकाएँ दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और पीड़ित किसी भी लिंग का हो, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार एक अपराध है।
    - यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि सभी बच्चों को यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है और कानूनों को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिये।
  - मामलों की रिपोर्टिंग में आसानी:
    - न केवल व्यक्तियों द्वारा बल्कि संस्थानों द्वारा भी बच्चों के यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट करने के लिये अब पर्याप्त सामान्य जागरूकता मौजूद है क्योंकि घटना की रिपोर्ट न करना अधिनियम के तहत एक विशिष्ट अपराध बना दिया गया है। इससे बच्चों के विरुद्ध अपराधों को छिपाना तुलनात्मक रूप से कठिन हो गया है।
  - विभिन्न शब्दों की स्पष्ट परिभाषा:
    - चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री के भंडारण को एक नया अपराध बना दिया गया है।
    - इसके अलावा, 'यौन उत्पीड़न' (sexual assault) के अपराध को IPC में 'महिला का शील भंग करने' की अमूर्त परिभाषा के विपरीत स्पष्ट शब्दों में (न्यूनतम दंड में वृद्धि के साथ) परिभाषित किया गया है।
  - विशेष राहत का तत्काल भुगतान:
    - POCSO नियमों के तहत, CWC ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) या किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत स्थापित कोष का उपयोग कर भोजन, वस्त्र एवं परिवहन जैसी आवश्यक आवश्यकताओं के लिये तत्काल भुगतान की अनुशंसा कर सकता है।
    - CWC की अनुशंसा प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर यह भुगतान हो जाना चाहिये।

मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय से जुड़े मुद्दे क्या हैं?

- **धारा 67B की भिन्न व्याख्या:**
  - अन्वेषण के तथ्य IT अधिनियम, 2000 की धारा 67B (b) के अनुप्रयोग को आकर्षित करने के लिये पर्याप्त होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने माना कि अपराध तब तय होगा यदि आरोपी ने ऐसी सामग्री प्रकाशित, प्रसारित, निर्मित की हो जो बच्चों को यौन कृत्य या आचरण में प्रदर्शित करती हो।

- इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने धारा 67B का संपूर्ण विश्लेषण किये बिना और उप-खंड (b) को पढ़े बिना ही (जहाँ आरोपी के कृत्य को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है) निर्णय दे दिया है।

- **केरल उच्च न्यायालय के निर्णय का अधूरा संदर्भ:**
  - मद्रास उच्च न्यायालय ने विवरण का उल्लेख किये बिना (यानी शीर्षक या वर्ष का उल्लेख) एक पूर्व-दृष्टांत का संदर्भ लिया, जहाँ केरल उच्च न्यायालय ने IPC की धारा 292 के दायरे पर विचार किया था और माना था कि किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील तस्वीर या अश्लील वीडियो देखना स्वयं में कोई अपराध नहीं है।
    - उस मामले का तर्क या सिद्धांत चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी के मामलों पर लागू नहीं होता है, विशेष रूप से उस मामले पर जिस पर मद्रास उच्च न्यायालय विचार कर रहा था।
- **धारा 67B की संवैधानिक वैधता की लापरवाही:**
  - केरल उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित अनीश बनाम केरल राज्य मामला (2023) चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी से संबंधित नहीं था। जबकि निजता के स्तर पर एडल्ट पोर्नोग्राफ़ी देखना IPC की धारा 292 के तहत अपराध नहीं माना गया है (केरल उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय दोनों द्वारा), बच्चों से संबंधित स्पष्ट यौन सामग्री डाउनलोड करना स्पष्ट रूप से IT अधिनियम के तहत एक अपराध है।
    - अब तक किसी भी मामले में धारा 67B(b) की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई है और न ही इसके अधिकार-क्षेत्र को असंवैधानिक ठहराया गया है।
- **CrPC की धारा 482 पर अत्यधिक निर्भरता :**
  - मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल किया और न्यायिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
  - CrPC की धारा 482 के तहत शक्तियों के प्रयोग या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्तियों के प्रयोग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल मामले (1992) में कुछ दिशानिर्देश तय किये हैं, जिसमें यह शामिल है कि ऐसी शक्तियों का उपयोग तब किया जा सकता है जहाँ FIR में लगाये गए आरोप, प्रथम दृष्टया, अपराध का गठन नहीं करते हैं या आरोपी के विरुद्ध मामले का कारण नहीं बनाते हैं।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी को विनियमित करने वाले विभिन्न कानून कौन-से हैं?

- **IT अधिनियम 2000 की धारा 67B: धारा 67B में विभिन्न पहलुओं से संबंधित पाँच उप-खंड मौजूद हैं:**
  - यौन कृत्य या आचरण में लिप्त बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से संबंधित
  - चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी सामग्री डाउनलोड करने सहित अन्य कृत्यों से संबंधित
  - बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से यौन संबंध बनाने, लुभाने या प्रेरित करने से संबंधित
  - बच्चों के साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार को सुविधाजनक बनाने से संबंधित
  - बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार/यौन कृत्य को रिकॉर्ड करने से संबंधित।
- **POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 14:**
  - धारा 14 की उप-धारा 1 में कहा गया है कि जो कोई, अश्लील प्रयोजनों के लिये किसी बच्चे या बच्चों का उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा तथा दूसरे या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा।
  - उप-धारा 2 में कहा गया है कि जो कोई भी उप-धारा 1 के तहत अश्लील प्रयोजनों के लिये किसी बच्चे या बच्चों का उपयोग करता है, ऐसे अश्लील कृत्यों में प्रत्यक्ष भागीदारी के रूप में धारा 3 या धारा 5 या धारा 7 या धारा 9 में निर्दिष्ट अपराध करता है और उसे उक्त अपराधों के लिये उप-धारा (1) में उपबंधित दंड के अलावा क्रमशः धारा 4, धारा 6, धारा 8 और धारा 10 के तहत भी दंडित किया जाएगा।

WHAT LAW SAYS | **POCSO ACT, 2012**

Section 67B | Punishment for publishing or transmitting of material depicting children in sexually explicit act, etc. in electronic form

Anyone publishing or transmitting child pornography shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and with a fine which may extend to ten lakh rupees and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and also with fine which may extend to ten lakh rupees

Section 15 | Any person, who stores, for commercial purposes any pornographic material in any form involving a child shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both

मुद्दों के समाधान के लिये कौन-से कदम उठाये जाने की आवश्यकता है?

- **व्यापक विधायी ढाँचे का पालन:**
  - IT अधिनियम की धारा 67B, 67 एवं 67A जैसी संबंधित धाराओं और POCSO अधिनियम 2012 की धारा 14 के साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी से संबंधित अपराधों को संबोधित करने के लिये एक व्यापक विधायी ढाँचे का गठन करती है। विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करना साइबरस्पेस में बच्चों के यौन शोषण को संबोधित करने के इरादे को दर्शाता है।
- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की भूमिका:**
  - गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 'अमेरिकन नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन' के साथ एक समझौते के तहत, भारत में कहीं से भी बाल यौन शोषण सामग्री (child sexual abuse materials- CSAM) को अपलोड करने वाले लोगों पर मुकदमा चलाने के लिये नियमित रूप से जियो-टैग्ड साइबरटिपलाइन (Cyber-Tipline) रिपोर्ट प्राप्त करता है।
    - इसमें बाल पीड़ितों की गोपनीयता संबंधी चिंता एवं शारीरिक अखंडता की सुरक्षा और संरक्षण भी शामिल होना चाहिये तथा इसे वेबसाइट पर खुले तौर पर प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये।
- **शब्दावली समायोजन:**
  - अधिवक्ताओं ने सामग्री की गैर-सहमत प्रकृति को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिये 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द को CSAM शब्द से बदलने का सुझाव दिया है। यह भाषाई बदलाव कानूनी स्पष्टता बढ़ाएगा और अपराध की गंभीरता पर बल देगा।
- **विधिक प्रावधानों में सामंजस्य लाना:**
  - बाल यौन शोषण से संबंधित अपराधों को संबोधित करने में सुसंगति सुनिश्चित करने के लिये POCSO अधिनियम 2012 और IT अधिनियम 2000 के बीच प्रावधानों में सामंजस्य लाने का आह्वान किया गया है। यह संरेखण विधिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा और बच्चों की सुरक्षा को मज़बूत करेगा।
- **CSAM को एक पृथक अपराध घोषित करना:**
  - CSAM रखने को एक पृथक अपराध घोषित करने के लिये POCSO अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है, जहाँ इसे IT अधिनियम 2000 के प्रावधानों के साथ संरेखित किया जाए। ऐसे परिवर्तन विसंगतियों को संबोधित करेंगे और अपराधियों के अभियोजन में स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
- **राज्य कार्रवाई का महत्त्व:**
  - राज्य सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों के लिये मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के विरुद्ध अपील करना महत्त्वपूर्ण है ताकि ऐसे अहितकर पूर्व-दृष्टांत को चुनौती दिया जा सके। बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों की अखंडता को बनाए रखना आवश्यक है ताकि ऐसी भेद्य आबादी की सुरक्षा और उनके लिये न्याय सुनिश्चित हो सके।

बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिये कौन-सी पहलें की गई हैं?

- बाल दुर्व्यवहार रोकथाम एवं अन्वेषण इकाई (Child Abuse Prevention and Investigation Unit)
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

नोट :

- किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (2006)
- बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016
- फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय: न्याय विभाग अक्टूबर 2019 से यौन अपराधों से संबंधित त्वरित सुनवाई के लिये देश भर में विशेष POCSO अदालतों सहित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (FTSCs) की स्थापना के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है, जहाँ प्रत्येक अदालत में 1 न्यायिक अधिकारी और 7 कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं।

निष्कर्ष

मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कानूनों की व्याख्या एवं अनुप्रयोग के संबंध में महत्त्वपूर्ण विधिक एवं नैतिक सवालों को जन्म देता है। CSAM रखने के संबंध में POCSO अधिनियम 2012 और IT अधिनियम 2000 के बीच विसंगति को देखते हुए बच्चों के ऑनलाइन शोषण से निपटने में सुसंगतता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये विधायी समीक्षा एवं संशोधन की आवश्यकता है। इसलिये, राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह इस निर्णय के विरुद्ध अपील करे तथा कानूनी सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने और डिजिटल युग में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये सक्रिय कदम उठाए।

■■■

जनसंख्या प्रबंधन हेतु एक बहुआयामी दृष्टिकोण

संयुक्त राष्ट्र (UN) के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, भारत की जनसंख्या वर्ष 2030 तक 1.46 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है, जो विश्व की अनुमानित आबादी की 17% होगी। जबकि भारत में 1970 के दशक तक अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव हुआ, उसके बाद से इसकी विकास दर सुस्त हुई है और प्रजनन स्तर में लगातार गिरावट आ रही है।

- यह गिरावट, जो कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate- TFR) में परिलक्षित होती है, भारत के जनसांख्यिकीय प्रक्षेपपथ को आकार देने में सहायक रही है। TFR के वर्ष 2009-11 में 2.5 से घटकर वर्ष 2031-35 में 1.73 तक पहुँचने के अनुमान के साथ, भारत एक जनसांख्यिकीय संक्रमण (demographic transition) का साक्षी बनेगा, जहाँ यह बच्चों की आबादी के घटते अनुपात और कार्यशील आयु आबादी के बढ़ते अनुपात से चिह्नित होगा।

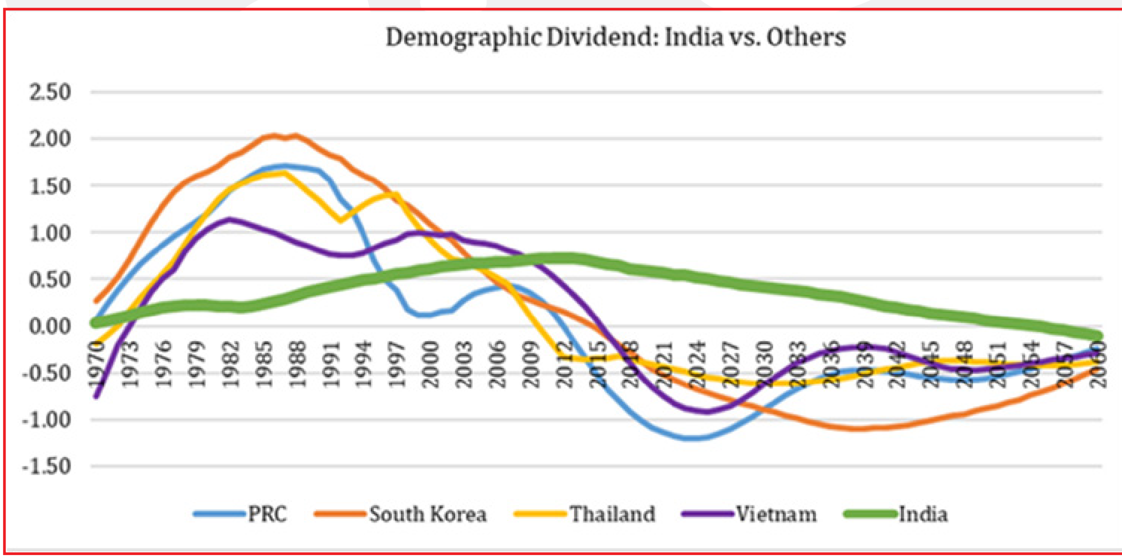

भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि के रुझान क्या हैं?

- **जनसंख्या वृद्धि में गिरावट:**
  - अखिल भारतीय स्तर पर 1971-81 के बाद से जनसंख्या की प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर में गिरावट आ रही है।
  - EAG राज्यों (Empowered Action Group states)—उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा के मामले में उल्लेखनीय गिरावट पहली बार वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान देखी गई थी।

- **भारत की TFR में गिरावट:**
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 4 और 5 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर TFR 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है।
  - भारत में केवल पाँच राज्य ऐसे हैं जो प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से ऊपर हैं। ये राज्य हैं- बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर।
    - प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता (Replacement level fertility) कुल प्रजनन दर को इंगित करती है, यानी प्रति महिला पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या जिस पर आबादी बिना किसी प्रवासन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वयं को प्रतिस्थापित करती है।

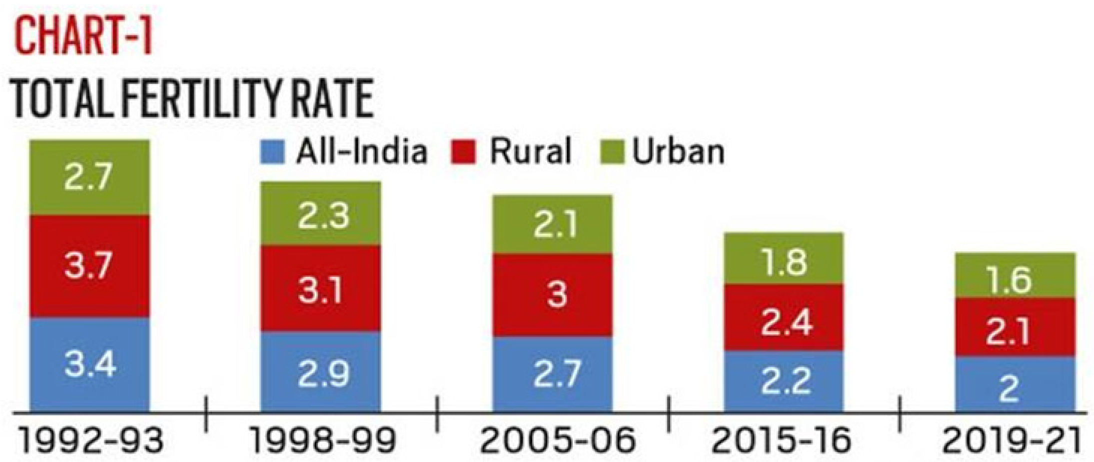

- **मृत्यु दर संकेतकों में सुधार:**
  - जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, जो वर्ष 1947 के 32 वर्ष से बढ़कर वर्ष 2019 में 70 वर्ष हो गया।
  - NFHS-5 के अनुसार, शिशु मृत्यु दर (IMR) 32 प्रति 1000 जीवित जन्म है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिये औसतन 36 और शहरी क्षेत्रों के लिये 23 के स्तर पर है।
- **परिवार नियोजन में वृद्धि:**
  - NFHS-5 के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर और पंजाब को छोड़कर लगभग सभी चरण-II राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में समग्र गर्भनिरोधक प्रसार दर (Contraceptive Prevalence Rate- CPR) 54% से बढ़कर 67% हो गई है।
- **जीवन प्रत्याशा में सुधार:**
  - संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund- UNFPA) की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट (State of World Population report), 2023' के अनुसार:
    - भारतीय पुरुष के लिये औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं के लिये 74 वर्ष अनुमानित की गई।
    - विकसित भूभागों के मामले में, पुरुषों के लिये औसत जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष और महिलाओं के लिये 83 वर्ष (जो सब में सर्वाधिक है) होने का अनुमान लगाया गया।
    - कम विकसित भूभागों के मामले में यह आयु पुरुषों के लिये 70 वर्ष और महिलाओं के लिये 74 वर्ष है, जबकि कम विकसित देशों में यह पुरुषों के लिये 63 वर्ष और महिलाओं के लिये 68 वर्ष है।
- **प्रबल जनसांख्यिकीय लाभांश:**
  - भारत की जनसंख्या बड़े कार्यबल के मामले में एक महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, जो आर्थिक विकास को गति देने में मदद कर सकती है।
  - भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग में है, जो कार्यशील या कार्य करने में सक्षम आबादी में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करती है।
  - वृद्धशील विश्व में भारत के पास सबसे युवा आबादी मौजूद है। वर्ष 2022 तक, भारत में औसत आयु मात्र 29 वर्ष थी, जबकि यह चीन एवं अमेरिका में 38, पश्चिमी यूरोप में 46 और जापान में 51 वर्ष थी।

नोट :

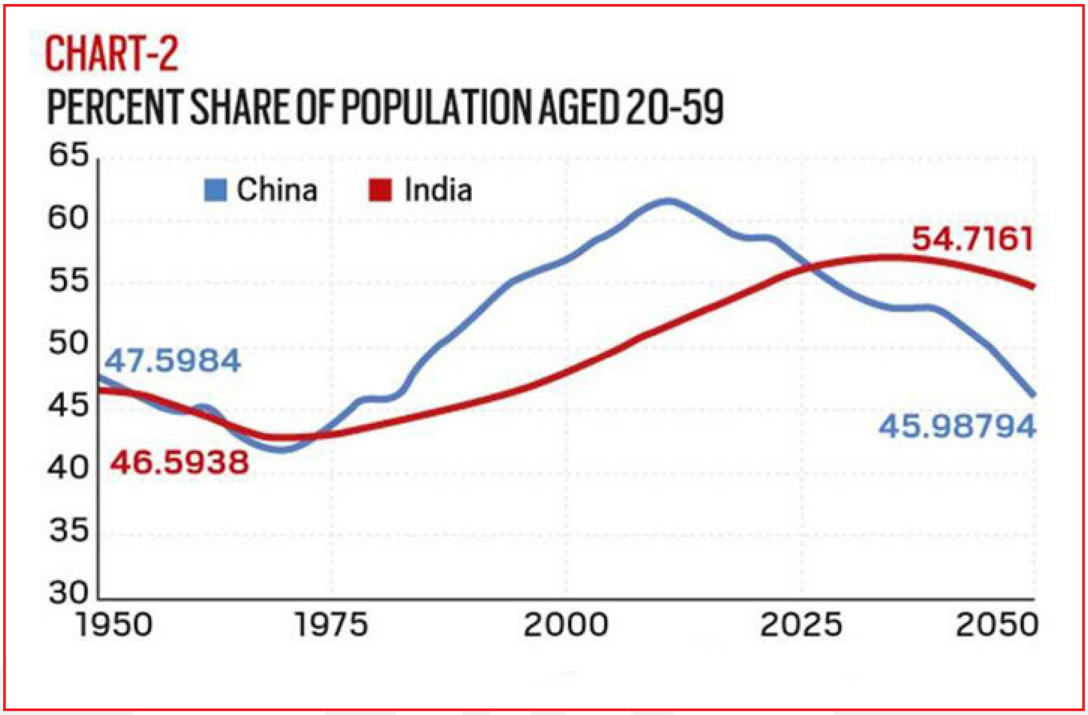

भारत में जनसंख्या समिति (Population Committee) का गठन क्यों आवश्यक था?

- **व्यापक अनुमानित जनसंख्या:**
  - संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, इस दशक के अंत तक भारत की जनसंख्या 1.5 बिलियन का स्तर पार कर जाएगी और वर्ष 2064 तक धीरे-धीरे बढ़ती रहेगी जब यह 1.7 बिलियन तक पहुँच जाएगी।
  - जनसंख्या वृद्धि दर में सुस्ती के बावजूद जनसांख्यिकीय संक्रमण जारी है जो भारत के आयु वितरण और आर्थिक विकास क्षमता के लिये निहितार्थ रखता है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश और आर्थिक विकास का दोहन करना:**
  - भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश प्रति व्यक्ति त्वरित आर्थिक विकास का अवसर प्रस्तुत करता है, यदि स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास में उपयुक्त निवेश किया जाए।
  - इस लाभांश का लाभ उठाने के लिये मानव पूंजी को बढ़ाने और हाशिये पर स्थित समूहों को कार्यबल में एकीकृत करने की पहल की आवश्यकता है। परिकल्पित जनसंख्या समिति इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- **स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों को संबोधित करना:**
  - स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1% पर स्थिर बना हुआ है, जो ऐसी नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो स्वास्थ्य संवर्द्धन को प्राथमिकता दें और स्वास्थ्य अवसंरचना अधिक वित्त आवंटित करें।
    - यूनिसेफ के अनुसार, वर्ष 2030 तक लगभग 47% भारतीय युवाओं में रोज़गार के लिये आवश्यक शिक्षा एवं कौशल की कमी प्रदर्शित हो सकती है।
    - कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, जहाँ 250 मिलियन से अधिक बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिये मजबूर होना पड़ा, जिससे अधिगम प्रतिफलों (लर्निंग आउटकम) को उल्लेखनीय आघात लगा।
  - जनसंख्या समिति सुव्यवस्थित और व्यापक तरीके से इन क्षेत्रों में लक्षित दृष्टिकोण को बढ़ाने में मदद करेगी।
- **साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने का महत्त्व:**
  - साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिये सटीक एवं समयबद्ध डेटा आवश्यक है। भारत को आँकड़ों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा

है, जिसके लिये अनुमान संग्रह पद्धतियों में सुधार, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और हितधारकों के साथ सहयोग की आवश्यकता है।
- उच्चाधिकार प्राप्त समिति राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) और NFHS द्वारा प्रदान किये गए पिछड़े डेटा के लिये एक व्यवहार्य विकल्प पेश कर सकती है।

- **डेटा अवसंरचना को आधुनिक बनाने की आवश्यकता:**
  - सटीक जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सुदृढ़ प्रणालियों के माध्यम से डेटा अवसंरचना को आधुनिक बनाया जाना महत्त्वपूर्ण है।
  - विश्वसनीय जनसंख्या आँकड़ों के लिये डेटा संग्रह विधियों, डेटा प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकियों और डेटा सुरक्षा में निवेश अनिवार्य है।
- **समावेशी और सतत् विकास को साकार करना:**
  - जनसंख्या प्रबंधन के लिये समग्र दृष्टिकोण अपनाकर तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार एवं सांख्यिकीय प्रणालियों में निवेश को प्राथमिकता देकर भारत अपनी विकास क्षमता को साकार कर सकता है और समावेशी एवं सतत विकास प्राप्त कर सकता है।
  - भारत के परिवर्तन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिये रणनीतिक योजना, प्रभावी कार्यान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्त्वपूर्ण हैं जो प्रस्तावित जनसंख्या समिति के स्तर पर सफलतापूर्वक पूरे किये जा सकते हैं।

जनसंख्या समिति के गठन में शामिल किये जाने वाले विभिन्न बिंदु क्या होने चाहिये?

- **बहु-क्षेत्रीय रणनीति अपनाना:**
  - अंतरिम बजट में इस महत्त्वपूर्ण पहल की शुरूआत 'विकसित भारत' के लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिये। इस समिति को परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक-आर्थिक विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय रणनीति अपनानी चाहिये, जैसे कि:
    - खेल-आधारित लचीला पाठ्यक्रम तैयार करना और आरंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा की मांग उत्पन्न करने के लिये माता-पिता, समुदायों और हितधारकों को शामिल करना परिणामों में सुधार के अन्य उपाय हो सकते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, बेरोज़गारी को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिये मौजूदा कौशल विकास पहल और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को पाटने के प्रयास आवश्यक हैं।
- **जनसंख्या प्रबंधन के लिये अंत:विषयक दृष्टिकोण:**
  - जनसंख्या समिति की सफलता उसके अंत:विषयक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, जो जनसांख्यिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और शासन से विशेषज्ञता प्राप्त करेगी।
    - समिति को विविध दृष्टिकोणों का लाभ उठाते हुए उभरते मुद्दों की पहचान करनी चाहिये और कठोर अनुसंधान एवं डेटा विश्लेषण के माध्यम से मौजूदा हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता का आकलन करना चाहिये।
- **प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सहक्रियात्मक प्रयास:**
  - राष्ट्रीय और ज़मीनी स्तर, दोनों स्तरों पर प्रभावी नीति कार्यान्वयन के लिये सरकारी एजेंसियों, ग़ैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, शिक्षा जगत और निजी क्षेत्र सहित विविध हितधारकों के साथ सहकार्यता आवश्यक है।
  - ये साझेदारियाँ सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देंगी और जनसंख्या-संबंधित कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करेंगी।
- **जन जागरूकता और शिक्षा पर बल देना:**
  - समिति को नीति निर्माण के अलावा जन जागरूकता और शिक्षा अभियान पर भी बल देना चाहिये। सटीक जानकारी के साथ व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाकर, यह उत्तरदायी परिवार नियोजन अभ्यासों को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य परिणामों को उन्नत करने का लक्ष्य रखता है।
- **जनसंख्या प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
  - जनसंख्या प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सर्वोत्तम अभ्यासों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना महत्त्वपूर्ण है। वैश्विक अनुभवों से सीखना और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना जनसांख्यिकीय चुनौतियों से निपटने में भारत की रणनीतियों को समृद्ध कर सकता है।
    - संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग, विश्व बैंक और शैक्षणिक संस्थानों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग जनसंख्या डेटा संग्रहण एवं विश्लेषण के लिये वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों, तकनीकी विशेषज्ञता एवं वित्तपोषण के अवसरों तक पहुँच प्रदान कर सकता है।
- **भारत के विकसित होते जनसांख्यिकीय परिदृश्य को एकीकृत करना:**
  - भारत के जनसांख्यिकीय परिदृश्य में पिछले कुछ वर्षों में महत्त्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं, जिनमें प्रजनन दर में गिरावट, कार्यशील आयु आबादी की वृद्धि और बढ़ती वृद्ध आबादी शामिल है।

- परिकल्पित समिति के माध्यम से इन परिवर्तनों को समझना भविष्य के आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्षेपपथ को आकार देने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- **डेटा विश्वसनीयता के लिये गुणवत्ता आश्वासन तंत्र अपनाना:**
    - कठोर सत्यापन और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को लागू करने से जनसंख्या डेटा की विश्वसनीयता एवं सटीकता सुनिश्चित होती है। स्वतंत्र ऑडिट, डेटा सत्यापन अभ्यास एवं सहकर्मी समीक्षा प्रक्रियाएँ डेटा त्रुटियों की पहचान करने और उनमें सुधार लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।
- **शोधकर्त्ताओं को डेटा तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना:**
    - खुली डेटा पहल को बढ़ावा देने और डेटा साझाकरण में पारदर्शिता से शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और आम लोगों के लिये जनसंख्या डेटा तक पहुँच बढ़ेगी।
    - अनुसंधान प्रक्रिया में डेटा के पुन: उपयोग, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुगम बनाने के लिये मानकीकृत प्रारूपों और डेटा साझाकरण प्रोटोकॉल को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना प्रभावी नीतियों एवं रणनीतियों को तैयार करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस समिति को जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिये अंतःविषयक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, हितधारकों के साथ सहयोग करना चाहिये और सार्वजनिक जागरूकता एवं शिक्षा अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। भारत का जनसांख्यिकीय परिदृश्य अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है। यदि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोज़गार के क्षेत्र में उपयुक्त निवेश किया जाए तो इससे द्रुत आर्थिक विकास की संभावना बनेगी।

छठी अनुसूची में लद्दाख: स्थानीय मांगों को मानना

हाल के दिनों में लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान में अपनी पहचान बनाए रखने को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि लद्दाख का राज्य का दर्जा पुनर्बहाल किया जाए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में लद्दाख को विधानसभा-रहित केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था। उनकी यह भी मांग है कि लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत एक जनजातीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाए, साथ ही लेह और कारगिल दोनों ज़िलों के लिये संसदीय सीट स्थापित की जाए तथा स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण दिया जाए।

लद्दाख भारत के लिये किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है?

- **भू-राजनीतिक महत्त्व:** लद्दाख को 'दर्रों की भूमि' (Land of Passes/La-passes/dakh-land) के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के चौराहे पर लद्दाख की रणनीतिक अवस्थिति इसे अत्यधिक भू-राजनीतिक महत्त्व प्रदान करती है।
- **रणनीतिक महत्त्व:** यह भारत और इसके पड़ोसी देशों (चीन और पाकिस्तान सहित) के बीच एक बफ़र ज़ोन के रूप में कार्य करता है। लद्दाख क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के साथ जारी सीमा विवाद भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में इसके महत्त्व को रेखांकित करते हैं।
    - भारतीय सशस्त्र बल बाहरी खतरों का मुकाबला करने और भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिये लद्दाख में एक प्रबल उपस्थिति बनाए रखते हैं।
- **पर्यटन क्षमता:** 'लामा लैंड' या 'लिटिल तिब्बत' के नाम से लोकप्रिय लद्दाख लगभग 9,000 फीट से 25,170 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। ट्रैकिंग और पर्वतारोहण से लेकर विभिन्न मठों की बौद्ध यात्राओं तक, लद्दाख में पर्यटन के लिये बहुत कुछ है।
- **आर्थिक महत्त्व:** लद्दाख में, विशेष रूप से पर्यटन, कृषि एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में, विशाल अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता मौजूद है।
    - पैंगोंग और त्सो मोरीरी जैसी स्वच्छ झीलों एवं पहाड़ों के साथ यह क्षेत्र लुभावने भूदृश्य रखता है जो रोमांच और शांति की इच्छा रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है।
- **पर्यावरणीय महत्त्व:** लद्दाख की उपजाऊ घाटियाँ और नदी बेसिन जैविक खेती एवं बागवानी सहित कृषि विकास के वृहत अवसर प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, लद्दाख की प्रचुर धूप और पवन संसाधन इसे सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिये अनुकूल बनाते हैं, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान कर सकते हैं।
- **सांस्कृतिक महत्त्व:** लद्दाख की भूमि प्राचीन रेशम मार्ग (Silk Route) पर स्थित है जो अतीत में संस्कृति, धर्म, दर्शन, व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता था।
    - यह क्षेत्र विविध जातीय समुदायों का घर है, जिनमें लद्दाखी, तिब्बती और बाल्टी लोग शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट परंपराएँ एवं रीति-रिवाज हैं।
        - हेमिस, थिकसे और दिस्कित के सदियों पुराने मठ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिन्होंने प्राचीन बौद्ध शिक्षाओं और अभ्यासों को आज भी संरक्षित कर रखा है।

नोट :

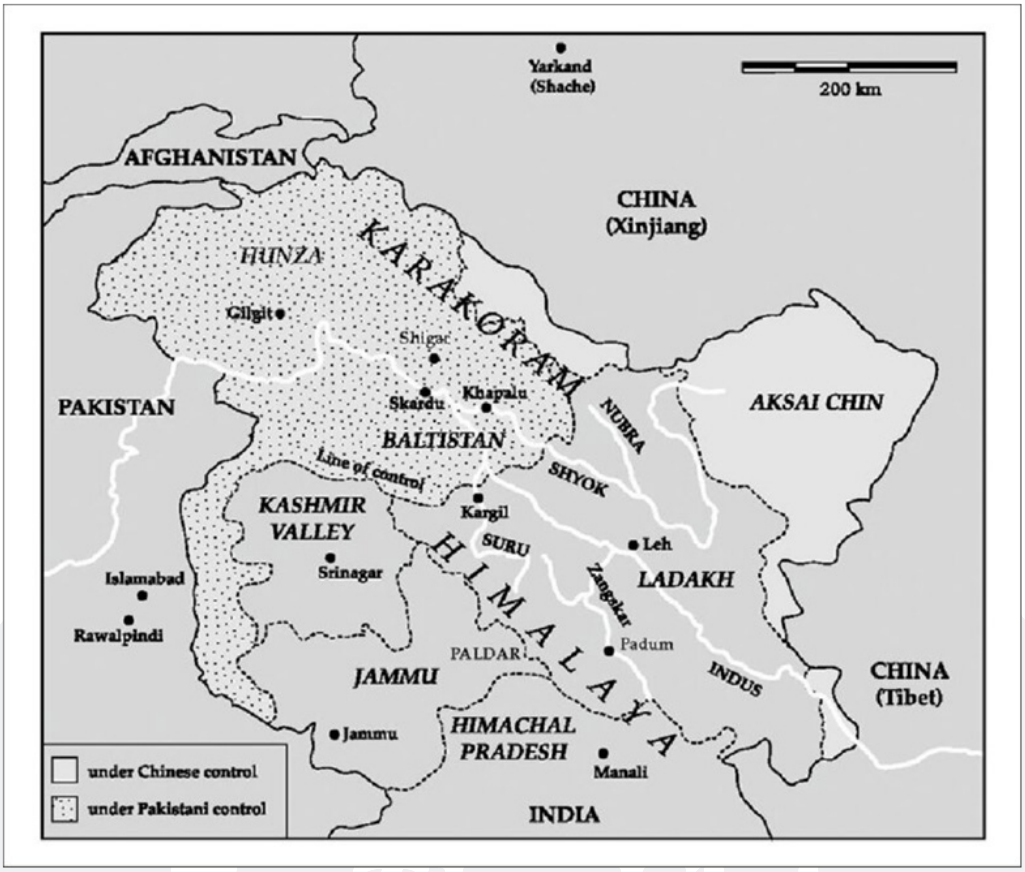

The Vision

छठी अनुसूची में शामिल करने की लद्दाख की मांग के पक्ष में कौन-से तर्क मौजूद हैं?

- **प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना:** वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्रशासित प्रदेश के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। इस परिवर्तन के कारण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व की हानि के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुईं।
    - इससे पूर्व की स्थिति से तुलना की जाने लगी है, जहाँ लद्दाख जम्मू-कश्मीर विधानसभा में चार और विधान परिषद में दो सदस्य रखता था।
    - जब लद्दाख पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का अंग था, तब क्षेत्र पर शासन करने वाली निर्वाचित संस्था 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद' (Ladakh Autonomous Hill Development Council-LAHDC) को उल्लेखनीय स्वायत्तता प्राप्त थी।
    - लेकिन अब जब यह क्षेत्र केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन है, लद्दाखी नेताओं का कहना है कि LAHDC को बेहद सीमित कर दिया गया है, जिससे राजनीतिक स्वत्व-हरण (political dispossession) की भावना पैदा हो रही है।
        - प्रतिनिधित्व की कमी से इस भय का संचार हो रहा है कि अब बाहरी लोग लद्दाख के लिये निर्णय लिया करेंगे।
- **लोक भागीदारी का अभाव:** जम्मू-कश्मीर राज्य के एक अंग के रूप में लद्दाख को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत विशेष दर्जे का विशेषाधिकार प्राप्त था। अब अशक्तीकरण की भावना बढ़ रही है, क्योंकि नौकरियों, भूमि, संस्कृति और पहचान के लिये सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण असुरक्षा बढ़ गई है। विधायी निकाय की कमी का अर्थ है कि निर्णयन प्रक्रिया अब सार्वजनिक भागीदारी से नौकरशाही प्रक्रियाओं की ओर स्थानांतरित हो गई है।
- **लद्दाख का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र:** उच्च तुंगता वाले मरुस्थलों, ग्लेशियरों और अल्पाइन घास मैदानों से चिह्नित लद्दाख का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता का 'हॉटस्पॉट' है और कई दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण पर्यावास के रूप में कार्य करता है।

- जलवायु कार्यकर्ताओं ने हिमनद पारिस्थितिकी में खनन के संबंध में चिंता व्यक्त की है।
- लद्दाख के लोगों को भी है कि यदि उद्योग स्थापित किये जाएँगे तो ऐसे प्रत्येक उद्योग लाखों लोगों को क्षेत्र में लेकर आएँगे और लद्दाख का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र इतने सारे लोगों का बोझ नहीं उठा सकेगा।
- लद्दाख के भीतर जल संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह न केवल लद्दाखियों की आजीविका एवं लद्दाख के पारिस्थितिकी तंत्र के लिये बल्कि संपूर्ण नदी प्रणाली के स्वास्थ्य के लिये भी महत्त्वपूर्ण है।

- **संवेदनशील सीमा क्षेत्र:** लद्दाख की नाजुक स्थिति चीन एवं पाकिस्तान दोनों के साथ लगती सीमाओं के कारण और जटिल हो जाती है। पूर्वी लद्दाख में चीन के PLA के साथ जारी सैन्य गतिरोध के साथ ही भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़ाने के पाकिस्तान के लगातार प्रयासों से एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती उत्पन्न होती है।
  - चीन-पाकिस्तान धुरी (China-Pakistan axis) को संबोधित करने के लिये स्थानीय समुदाय द्वारा समर्थित रणनीतिक अवसंरचना के विकास की आवश्यकता है।
- **सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण:** छठी अनुसूची में शामिल होने से लद्दाख की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक रीति-रिवाजों की रक्षा के लिये कानूनी सुरक्षा उपाय उपलब्ध होंगे। छठी अनुसूची जनजातीय समुदायों को शासन में कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान करती है, जिससे वे अपने कार्यों एवं संसाधनों का प्रबंधन स्वयं करने में सक्षम होते हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक विकास:** आलोचकों का तर्क है कि युवा कार्यबल के लिये रोज़गार के अवसर पैदा करने के मामले में केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन का प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से कमज़ोर रहा है।
  - केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना को चार वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश में लोक सेवा आयोग स्थापित नहीं किये जाने से युवाओं में आक्रोश है।
  - लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के भीतर एक व्यापक रोज़गार नीति का अभाव एक गंभीर मुद्दा है जो स्थिति को और जटिल बनाता है।
  - छठी अनुसूची के तहत दी गई स्वायत्तता स्थानीय रूप से प्रासंगिक विकास पहलों के सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन को सुगम बना सकती है, जिससे सामाजिक-आर्थिक परिणामों में सुधार हो सकता है।
- **लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाना:** छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदों की स्थापना से ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएँ सशक्त होंगी और समावेशी शासन एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।

छठी अनुसूची क्या है?

- **अनुच्छेद 244:** अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों—स्वायत्त ज़िला परिषदों (Autonomous District Councils- ADCs)—के गठन का प्रावधान करती है, जिनके पास राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है।
- **वर्तमान स्थिति:** छठी अनुसूची में चार पूर्वोत्तर राज्यों—असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिये विशेष प्रावधान किये गए हैं।

MEGHALAYA
- Khasi Hills Autonomous District Council
- Jaintia Hills Autonomous District Council
- Garo Hills Autonomous District Council

MIZORAM
- Chakma Autonomous District Council
- Lai Autonomous District Council
- Mara Autonomous District Council

TRIPURA
- Tripura Tribal Areas Autnomous District Council

ASSAM
- Dima Hasao Autonomous Council
- Karbi Anglong Autonomous Council
- Bodoland Territorial Council

- **स्वायत्त ज़िले (Autonomous Districts):** इन चार राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िलों के रूप में गठित किया गया है। राज्यपाल के पास स्वायत्त ज़िलों को सुगठित एवं पुनर्गठित करने का अधिकार है।
- **ज़िला परिषद (District Council):** प्रत्येक स्वायत्त ज़िले में एक ज़िला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
- **परिषद की शक्तियाँ:** ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों का प्रशासन करती हैं।
  - वे कुछ निर्दिष्ट मामलों—जैसे भूमि, जंगल, नहर का पानी, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति उत्तराधिकार, विवाह एवं तलाक, सामाजिक रीति-रिवाज आदि पर कानून बना सकती हैं। लेकिन ऐसे सभी कानूनों के लिये राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है।

- वे जनजातियों के बीच मुकदमों की सुनवाई के लिये ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन कर सकती हैं। वे उनसे अपील भी सुनती हैं। इन मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
- ज़िला परिषद ज़िले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाज़ारों, घाटों, मत्स्य पालन, सड़कों आदि की स्थापना, निर्माण या प्रबंधन कर सकती है।
- उन्हें भू-राजस्व के आकलन एवं संग्रहण करने और कुछ निर्दिष्ट कर लगाने का अधिकार भी दिया गया है।

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के विरुद्ध कौन-से तर्क मौजूद हैं ?

- **कानूनी और प्रशासनिक बाधाएँ:** गृह मंत्रालय ने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिये संविधान में संशोधन संबंधी संभावित चुनौतियों को उजागर किया है और कहा है कि इस तरह के कदम के लिये संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।
  - मंत्रालय के अनुसार, संविधान में स्पष्ट रूप से छठी अनुसूची पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये आरक्षित है, जबकि देश के अन्य हिस्सों के जनजातीय क्षेत्र पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं।
- **निर्णय लेने में संभावित देरी:** कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने से क्षेत्र की शासन संरचना में जटिलताएँ बढ़ सकती हैं, जिससे संभावित रूप से प्रशासनिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और निर्णयन प्रक्रियाओं में देरी हो सकती है।
- **समावेशन के प्रयास पहले से ही जारी:** केंद्र सरकार ने हाल ही में एक संसदीय स्थायी समिति को सूचित किया कि जनजातीय आबादी को छठी अनुसूची के तहत शामिल करने का उद्देश्य उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है, जिसका लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन पहले से ही ध्यान रख रहा है और लद्दाख की समग्र विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त धन प्रदान किया जा रहा है ।
- **आरक्षण में वृद्धि:** राज्यसभा में हाल ही में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 45% कर दिया है, जिससे जनजातीय आबादी को उनके विकास में पर्याप्त मदद मिलेगी।
- **आर्थिक विकास में बाधा:** केंद्रशासित प्रदेश होने के रूप में लद्दाख में सड़कों, हवाई पट्टियों और संचार नेटवर्क सहित अवसंरचना के विकास में केंद्रित निवेश की अनुमति मिलती है। आलोचकों का तर्क है कि छठी अनुसूची में शामिल किये जाने से भूमि उपयोग, संसाधन दोहन और निवेश के अवसरों पर नियंत्रण के कारण लद्दाख के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **कमान की स्पष्ट शृंखला:** चूँकि लद्दाख प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) द्वारा शासित होता है, इसलिये इस क्षेत्र में सुरक्षा अभियानों के लिये कमान की एक स्पष्ट शृंखला मौजूद है। इससे चीनी घुसपैठ का जवाब देने में सेना, अर्द्धसैनिक बलों और स्थानीय प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय की सुविधा प्राप्त होती है।
  - केंद्रशासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की स्थिति इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता को सुदृढ़ करती है और सीमा विवादों पर चीन के साथ वार्ता में इसकी राजनयिक स्थिति को प्रबल करती है।

आगे की राह

- **सार्थक संवाद:** सरकार को विरोध प्रदर्शन में शामिल हितधारकों—जिसमें लद्दाख के स्थानीय समुदायों, राजनीतिक संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, के साथ सार्थक संवाद शुरू करना चाहिये।
  - इस संवाद का उद्देश्य छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को प्रेरित करने वाली अंतर्निहित शिकायतों, आकांक्षाओं एवं चिंताओं को समझना होना चाहिये।
- **व्यवहार्यता का आकलन:** लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की व्यवहार्यता एवं निहितार्थ का आकलन करने के लिये एक गहन मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
  - इस मूल्यांकन में कानूनी, प्रशासनिक, सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों के साथ-साथ क्षेत्र में शासन, विकास एवं सुरक्षा पर इसके संभावित प्रभावों पर भी विचार किया जाना चाहिये।
- **लोगों का भरोसा जीतना:** लोगों का भरोसा जीतने के लिये, सरकारी निर्णय और वादे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर मूर्त होने चाहिये।
  - छठी अनुसूची में शामिल किये जाने की लद्दाख की मांग को संबोधित करने की प्रक्रिया उभरती परिस्थितियों के अनुसार पुनरावृत्तीय एवं उत्तरदायी होनी चाहिये।

- **स्थानीय शासन को बेहतर बनाना:** सरकार को क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास एवं सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये समावेशी स्थानीय शासन, अधिक स्वायत्तता एवं लक्षित नीति हस्तक्षेप हेतु बेहतर प्रयास सुनिश्चित करना चाहिये।
- **संवेदनशील नीति निर्माण:** भारत के नीति निर्माताओं को लद्दाख के लिये अपनी नीतियों का मसौदा तैयार करते समय इसकी भौगोलिक स्थिति, नाजुक पर्यावरण, संसाधन क्षमता एवं लोगों की आकांक्षाओं पर विचार करना चाहिये। ऐसे रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण भूभाग में इसका पूरा लाभ उठाने के लिये इन सभी पहलुओं को सामंजस्य में रखना अत्यंत आवश्यक है।
- **क्रमिक और चरणबद्ध दृष्टिकोण:** मुद्दे की जटिलता और इसमें शामिल विविध हितों को देखते हुए, छठी अनुसूची के तहत लद्दाख की स्थिति पर कोई भी निर्णय क्रमिक एवं चरणबद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से लिया जाना चाहिये।
    - इसके पूर्णरूपेण कार्यान्वयन से पहले विभिन्न विकल्पों की व्यवहार्यता एवं प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिये पायलट परियोजनाओं, प्रयोग या चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीतियों को आजमाना शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष:

लद्दाख में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व भारत की सुरक्षा रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण घटक होना चाहिये। सरकार लद्दाख के लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, विशेष रूप से सुरक्षा एवं शासन से संबंधित प्रक्रियाओं में प्रतिनिधित्व देना सुनिश्चित कर, क्षेत्र के हितों की रक्षा करने और सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के प्रयासों में स्थानीय स्वामित्व एवं भागीदारी को बढ़ा सकती है।

■■■

भारत-UAE रणनीतिक सहयोग

समय के साथ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ भारत का संबंध इसके सबसे प्रमुख द्विपक्षीय संबंधों में से एक के रूप में उभरा है। UAE न केवल एक रणनीतिक साझेदार के रूप में कार्य करता है, बल्कि खाड़ी क्षेत्र में भारत की संलग्नता में भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दोनों देशों के प्रमुख नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध को भी उजागर करता है।

फरवरी 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा इस दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है कि वह अबू धाबी में बोचासनवासी श्री अक्षर पुरूषोत्तम स्वामीनारायण द्वारा निर्मित एक मंदिर का उद्घाटन करने के लिये वहाँ गए हैं। यह वर्ष 2015 के बाद से भारतीय प्रधानमंत्री की सातवीं यात्रा है, जो द्विपक्षीय संबंधों के बढ़ते महत्त्व को दर्शाती है।

UAE के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध:

- **परिचय:**
  - भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
  - द्विपक्षीय संबंधों को तब अधिक बल मिला जब अगस्त 2015 में भारत के प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से दोनों देशों के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई।
  - इसके अलावा, जनवरी 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के दौरान यह सहमति बनी कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाते हुए एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण किया जाएगा।
  - इसने भारत-UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (India-UAE comprehensive economic partnership agreement) के लिये वार्ता शुरू करने को गति प्रदान की।
- **आर्थिक संबंध:**
  - भारत और UAE के बीच आर्थिक साझेदारी फली-फूली है, जहाँ वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
    - अगले पाँच वर्षों में द्विपक्षीय माल व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक करने और सेवा व्यापार को 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
  - एक व्यापार समझौता दोतरफा निवेश प्रवाह को भी सक्षम बनाता है। भारत में UAE का निवेश लगभग 11.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो इसे भारत में नौवाँ सबसे बड़ा निवेशक बनाता है।
  - कई भारतीय कंपनियों ने सीमेंट, भवन निर्माण सामग्री, कपड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के लिये संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त उद्यम के रूप में या विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित की हैं।
    - कई भारतीय कंपनियों ने पर्यटन, आतिथ्य, खानपान, स्वास्थ्य, खुदरा और शिक्षा क्षेत्रों में भी निवेश किया है।
  - भारत की संशोधित FTA रणनीति के तहत, सरकार ने कम से कम छह देशों/क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की है, जिसमें अर्ली हार्वेस्ट डील (या अंतरिम व्यापार समझौते) के लिये संयुक्त अरब अमीरात सूची में शीर्ष पर है। UK, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इज़राइल और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों का एक समूह कुछ अन्य ऐसे देश/क्षेत्र हैं।
    - UAE ने भी इससे पूर्व भारत और सात अन्य देशों (UK, तुर्की, दक्षिण कोरिया, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इज़राइल और केन्या) के साथ द्विपक्षीय आर्थिक समझौतों को आगे बढ़ाने की अपनी मंशा की घोषणा की थी।

India-UAE Bilateral Trade

Value in US$ Million

S.No.	Year	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (Aprl-Sept)
1	EXPORT	28146.12	30126.73	28853.59	16679.54	28044.88	16,056.47
2	%Growth		7.04	-4.23	-42.19	68.14	
3	IMPORT	21739.11	29785.33	30256.65	26622.99	44833.43	28,403.98
4	%Growth		37.01	1.58	-12.01	68.4	
5	TOTAL TRADE	49885.23	59912.05	59110.23	43302.53	72878.31	44,460.45
6	%Growth		20.1	-1.34	-26.74	68.3	

- **सांस्कृतिक संबंध:**
  - संयुक्त अरब अमीरात में 3.3 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं और अमीराती भारतीय संस्कृति से पर्याप्त परिचित तथा इसके प्रति ग्रहणशील हैं। भारत ने अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में सम्मानित अतिथि देश के रूप में भाग लिया था।
  - UAE में भारतीय सिनेमा/टीवी/रेडियो चैनल आदि सुगमता से उपलब्ध हैं और इनकी दर्शक संख्या अच्छी है; संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख थिएटर/सिनेमा हॉल व्यावसायिक हिंदी, मलयालम और तमिल फ़िल्मों का प्रदर्शन करते हैं।
  - अमीराती समुदाय हमारे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों में भी भाग लेता रहा है और संयुक्त अरब अमीरात में योग एवं ध्यान केंद्रों के कई स्कूल सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं।
- **फिनटेक सहयोग:**
  - भारत और UAE फिनटेक क्षेत्र (Fintech sector) में भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। अगस्त 2019 से UAE में रुपे कार्ड (RuPay card) की स्वीकृति और रुपया-दिरहम निपटान प्रणाली के संचालन जैसी पहलें डिजिटल भुगतान प्रणालियों में पारस्परिक अभिसरण को प्रदर्शित करती हैं।
  - भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच लेनदेन के लिये स्थानीय मुद्राओं के उपयोग का फ्रेमवर्क स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (Local Currency Settlement System- LCSS) स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।
  - RBI के अनुसार, LCSS की स्थापना से निर्यातकों एवं आयातकों को अपनी संबंधित घरेलू मुद्राओं में चालान एवं भुगतान की सक्षमता प्राप्त होगी, जो फिर एक INR-NED विदेशी मुद्रा बाज़ार के विकास को सक्षम करेगा।
- **ऊर्जा सुरक्षा सहयोग:**
  - संयुक्त अरब अमीरात भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ भारत में सामरिक तेल भंडार संग्रहित हैं। मंगलुरु में स्थित रणनीतिक कच्चे तेल भंडारण सुविधा में निवेश जैसे समझौते इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग की गहराई को रेखांकित करते हैं।
- **रणनीतिक क्षेत्रीय सहभागिता:**
  - भारत और संयुक्त अरब अमीरात I2U2 एवं भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (India-Middle East-Europe Economic Corridor-IMEC) जैसे विभिन्न क्षेत्रीय समूहों और पहलों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं, जो साझा हितों और रणनीतिक संरेखण को दर्शाते हैं।

भारत-UAE संबंधों में विद्यमान विभिन्न चुनौतियाँ:

- **भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाली व्यापार बाधाएँ:**
  - सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय और टेक्निकल बैरियर्स ऑफ ट्रेड (TBT) जैसी नॉन-टैरिफ बाधाएँ (NTBs), विशेष रूप से अनिवार्य हलाल प्रमाणीकरण, ने भारतीय निर्यात को विशेष रूप से पोल्ट्री, मांस एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे क्षेत्रों में बाधित किया है।
    - भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार इन बाधाओं के कारण हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात को भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में लगभग 30% की उल्लेखनीय गिरावट आई है।
- **संयुक्त अरब अमीरात में चीन का आर्थिक प्रभाव:**
  - चीन की 'चेक बुक डिप्लोमेसी'—जो निम्न-ब्याज ऋण के रूप में चिह्नित होती है, ने संयुक्त अरब अमीरात और व्यापक मध्य पूर्व में भारतीय आर्थिक प्रयासों को प्रभावित किया है।
    - अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के चाइना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रैकर के डेटा से पता चलता है कि वर्ष 2005 और 2020 के बीच UAE में चीन का निवेश और अनुबंध 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया, जो इस भूभाग में भारतीय उद्यमों से काफी अधिक है।
- **कफाला प्रणाली की चुनौतियाँ:**
  - संयुक्त अरब अमीरात में कफाला प्रणाली (Kafala System), जो नियोक्ताओं को अप्रवासी श्रमिकों (विशेषकर कम वेतन वाली नौकरियों से संलग्न श्रमिकों) पर व्यापक अधिकार प्रदान करती है, जो मानवाधिकार संबंधी उल्लेखनीय चिंताएँ उत्पन्न करती है।
    - पासपोर्ट जब्त करने, वेतन में देरी और खराब रहने की स्थिति जैसे विषय इस प्रणाली के तहत प्रवासी श्रमिकों के समक्ष मौजूद चुनौतियों को रेखांकित करते हैं।
- **पाकिस्तान को संयुक्त अरब अमीरात की वित्तीय सहायता को लेकर चिंताएँ:**
  - भारत के विरुद्ध सीमा-पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए, पाकिस्तान को UAE द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता देना इस धन के संभावित दुरुपयोग के बारे में आशंका उत्पन्न करता है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करने के लिये 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये हानिकारक गतिविधियों में धन के इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ गई।

- **क्षेत्रीय संघर्षों के बीच राजनयिक संतुलन:**
  - ईरान और अरब देशों (विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात) के बीच चल रहे संघर्ष के कारण भारत स्वयं को एक नाजुक राजनयिक स्थिति में पाता है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद, भारत ने ईरान से तेल आयात करना जारी रखा, जो उसके कुल तेल आयात का लगभग 10% था। यह भारत की ईरान और अरब दुनिया दोनों के साथ अपने संबंधों को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर करता है।
  - इज़राइल और हमास के बीच हाल ही में छिड़े युद्ध ने चुनौतियों को और बढ़ा दिया है क्योंकि इससे प्रस्तावित IMEC संकट में पड़ गया है।

चुनौतियों पर काबू पाने के लिये कौन-से कदम उठाने होंगे?

- **GCC के साथ बेहतर संबंधों का मार्ग प्रशस्त करना:**
  - संयुक्त अरब अमीरात GCC के देशों सहित कई क्षेत्रीय और द्विपक्षीय FTAs का एक पक्षकार है।
  - GCC के अंग के रूप में UAE के सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और ओमान के साथ मज़बूत आर्थिक संबंध हैं तथा इन देशों के साथ एक साझा बाज़ार एवं कस्टम यूनियन साझा करता है।
  - ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एरिया (GAFTA) समझौते के तहत, UAE को सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, क़तर, ओमान, जॉर्डन, मिस्र, इराक़, लेबनान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, फ़िलिस्तीन, सीरिया, लीबिया और यमन तक मुक्त व्यापार पहुंच प्राप्त है।
    - संयुक्त अरब अमीरात के इस पहलू का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया जाना चाहिये जिससे भारत के लिये संयुक्त अरब अमीरात के रणनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त होगा और अफ्रीका के बाज़ार एवं इसके विभिन्न व्यापार भागीदारों तक अपेक्षाकृत आसान पहुंच प्राप्त होगी, जो भारत को विशेष रूप से हथकरघा, हस्तशिल्प, कपड़ा एवं फार्मा के क्षेत्र में आपूर्ति शृंखला का अंग बनने में मदद कर सकती है।

- **UAE के NTBs का अनुपालन:**
  - UAE की टैरिफ संरचना GCC (जहाँ लागू औसत टैरिफ दर 5% है) से बंधी है, इसलिये NTBs को संबोधित करने का दायरा बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका अनुपालन भारतीय निर्यातकों के लिये एक चुनौती है।
    - FTA समझौते को NTBs के उपयोग में अधिक पारदर्शिता एवं पूर्वानुमेयता लाने का प्रयास करना चाहिये ताकि उनका अनुपालन कम बोझिल हो।
    - इसमें लेबलिंग आवश्यकताओं, लाइसेंसिंग प्रोटोकॉल, परमिट एवं आयात निगरानी के संबंध में लगातार अपडेट करना और सूचना का आदान-प्रदान करना शामिल है। इस तरह की पारदर्शिता से, विशेष रूप से इन बाधाओं से प्रभावित क्षेत्रों में, व्यापार संबंधों को सहज बनाने में मदद मिलेगी।

- **2+2 वार्ता की राह पर आगे बढ़ना:**
  - अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ भारत की 2+2 वार्ता की तरह संयुक्त अरब अमीरात के साथ समान उच्च स्तरीय वार्ता की शुरुआत करना लाभप्रद सिद्ध होगी।
  - ऐसा एक मंच रणनीतिक, रक्षा और राजनीतिक मामलों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझ एवं सहयोग में वृद्धि होगी।

- **UAE के 'विज़न 21' के साथ एकीकरण:**
  - तेल पर निर्भरता कम करने और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने पर लक्षित UAE के 'विज़न 2021' में भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं।
  - नवीकरणीय ऊर्जा, टेक्नोलॉजी स्टार्ट-अप, फिनटेक और अन्य उभरते उद्योग जैसे क्षेत्रों में UAE के साथ सहयोग से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मज़बूत किया जा सकता है, जो पारंपरिक तेल-केंद्रित मॉडल से परे आर्थिक विविधीकरण के UAE के दृष्टिकोण के अनुरूप भी होगा।

- **कफाला प्रणाली को संबोधित करना:**
  - कफाला श्रम प्रणाली में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये भारत को संयुक्त अरब अमीरात के साथ कूटनीतिक रूप से संलग्न होना चाहिये। भारत के पास संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी श्रमिकों के कल्याण की वृद्धि के लिये पर्याप्त प्रभाव डालने की क्षमता है और इस क्रम में क़तर के उदाहरण पर आगे बढ़ा जा सकता है जहाँ भारतीय पैरोकारी से आवश्यक सुधार किए गए।

निष्कर्ष:

भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त अरब अमीरात की आगामी यात्रा दोनों देशों के बीच गहरे एवं बहुमुखी संबंधों को रेखांकित करती है। धार्मिक स्थलों से परे, इस संबंध में मज़बूत आर्थिक साझेदारी शामिल है, जिसकी पुष्टि बढ़ते व्यापार और महत्त्वपूर्ण निवेश से होती है। इसके अलावा, फिनटेक और ऊर्जा सुरक्षा में सहयोगी उद्यम उनके सहयोग की व्यापकता को रेखांकित करते हैं। चूँकि भारत और संयुक्त अरब अमीरात अपनी असाधारण रणनीतिक साझेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वे अभिसरण और पारस्परिक सम्मान के एक मॉडल का संकेत देते हैं जिसका भविष्य में और सुदृढ़ होना तय है।

■■■

MSP संबंधी कानून: सड़कों पर किसान आंदोलन

हाल के घटनाक्रम में, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने केंद्र सरकार के साथ एक अनिर्णायक बैठक के बाद अपना 'चलो दिल्ली' मार्च शुरू किया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) की कानूनी गारंटी किसानों के विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक कारण है। इसके अलावा, किसानों द्वारा स्वामीनाथन आयोग (2006) की अनुशंसाओं को लागू करने के साथ-साथ कृषि ऋण माफी की भी मांग की जा रही है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):

- **परिचय:**
  - MSP किसानों की उपज के लिये सरकार की ओर से एक गारंटीशुदा कीमत है।
  - MSP भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तेज़ गिरावट के विरुद्ध बीमा प्रदान करने के लिये बाज़ार हस्तक्षेप का एक रूप है।
  - भारत में MSP सरकार द्वारा निर्धारित एक मूल्य स्तर है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी कृषि उपज के लिये न्यूनतम मूल्य प्राप्त हो सके, जिससे उनकी आय सुरक्षित रहे और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिले।
- **MSP के अंतर्गत शामिल फसलें:**
  - सरकार 22 निर्दिष्ट फसलों के लिये MSPs और गन्ने के लिये 'उचित एवं लाभकारी मूल्य' (Fair and Remunerative Prices- FRP) की घोषणा करती है। इन निर्दिष्ट फसलों में खरीफ मौसम की 14 फसलें, रबी की 6 फसलें और दो अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।
  - फसलों की सूची इस प्रकार है:
    - अनाज (7): धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी
    - दालें (5): चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द और मसूर
    - तिलहन (8): मूंगफली, रेपसीड/सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम बीज और नाइजरसीड
    - कच्चा कपास
    - कच्चा जूट
    - खोपरा
    - छिलका रहित नारियल
    - गन्ना (FRP)
    - VFC (Virginia flu-cured) तंबाकू
  - वर्तमान में, 23 फसलों के लिये MSP अधिसूचित किया जाता है, लेकिन खरीद गेहूँ और धान के लिये की जाती है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

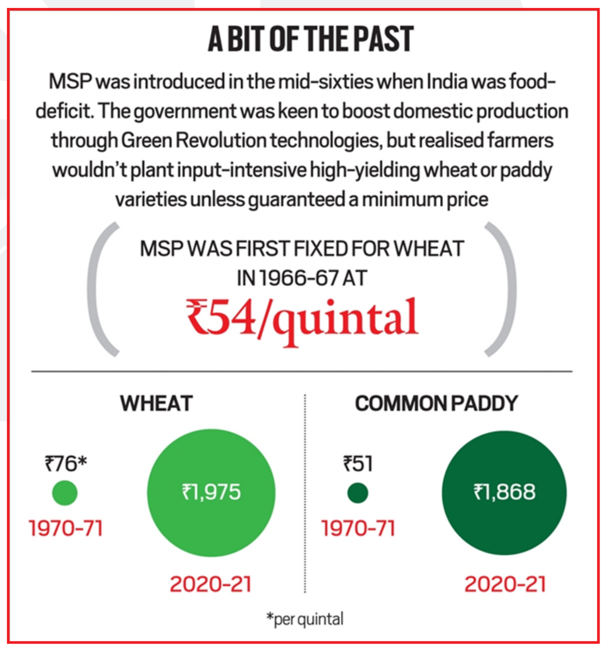

MSP की गणना:

- सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs & Prices- CACP) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर इसकी घोषणा करती है, जिसमें MSP निर्धारित करने के लिये तीन प्रमुख सूत्रों का विवरण दिया गया है:

नोट :

- A2: किसी विशेष फसल के उत्पादन में किसान की लागत। इसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पट्टे पर ली गई भूमि, किराये पर प्राप्त श्रम, मशीनरी और ईंधन पर व्यय जैसे कई इनपुट शामिल होते हैं।
- A2+FL: किसान की लागत और पारिवारिक श्रम का मूल्य।
- C2: एक व्यापक लागत, जिसमें A2+FL लागत के साथ स्वामित्व वाली भूमि के अनुमानित किराये का मूल्य तथा निश्चित पूंजी पर ब्याज, पट्टे पर ली गई भूमि के लिये भुगतान किया गया किराया शामिल है।

- सरकार दावा करती है कि MSP अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय किया गया है, लेकिन वह इस लागत की गणना A2+FL के 1.5 गुना के रूप में करती है।

MSP पर कानून की मांग:

- **कृषि की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना:**
  - MSP को कानूनी ढाँचा प्रदान करने से यह गारंटी मिलती है कि किसानों को उनकी उपज के लिये न्यूनतम मूल्य मिलता रहेगा, बाज़ार के उतार-चढ़ाव से उनकी रक्षा होगी और उनके निवेश एवं श्रम पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित होगा।
  - MSP कृषि उपज का न्यूनतम मूल्य है जो कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखने के लिये आवश्यक है। यदि किसानों को यह भी नहीं मिला तो वे कर्ज में डूब जाएँगे।
- **किसानों पर कर्ज का बोझ कम करना:**
  - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, किसी किसान परिवार पर औसत कर्ज का बोझ 1 लाख रुपए से अधिक है। यह स्थिति तब है जब केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को 3.36 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान कर रही हैं।
  - किसानों पर कुल बकाया कर्ज 31 मार्च 2014 को 9.64 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 23.44 लाख करोड़ रुपए हो गया।
  - MSPs में न्यूनतम वृद्धि और घोषित MSPs प्राप्त नहीं होने के कारण किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है।
  - यदि किसान को अपनी उपज वादे किये गए MSP से कम कीमत पर बेचनी पड़े तो फिर MSP किसानों के लिये अर्थहीन हो जाता है। इसलिये MSP की कानूनी गारंटी ज़रूरी है।
- **किसानों की आजीविका में सहायता:**
  - MSP को कानूनी ढाँचा प्रदान करने से लाखों किसानों की आजीविका को समर्थन देने में मदद मिलेगी, विशेषकर छोटे और हाशिये पर स्थित किसानों को, जो बाज़ार की अनिश्चितताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
  - देश की लगभग 50% आबादी की आजीविका कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों पर निर्भर करती है।
- **जोखिम न्यूनीकरण:**
  - किसी भी व्यवसाय को अत्यधिक गर्मी, बाढ़, आग, पाला, असामयिक वर्षा जैसे इतने सारे अप्रत्याशित कारकों एवं जोखिमों से नहीं जूझना पड़ता। किसान अपनी आय के बारे में अनिश्चित और आशंकित बने रहते हैं। MSP किसान को कर्ज और दिवालियापन से बचाता है। इसलिये, इसे कानूनी गारंटी प्रदान करने के रूप में सुरक्षित करने की आवश्यकता है।
  - प्राकृतिक आपदाएँ और बाज़ार की शक्तियाँ किसानों को नुकसान पहुँचा रही हैं। जलवायु परिवर्तन खेती की जटिलता को बढ़ा रहा है। किसान को मौसम और बाज़ार की शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता।
  - MSP को कानूनी ढाँचा प्रदान करने से एक सुरक्षा जाल प्राप्त होता है, जिससे प्रतिकूल बाज़ार स्थितियों के दौरान किसानों के लिये आय हानि का जोखिम कम हो जाता है।
- **बाज़ार की खामियों को संबोधित करना:**
  - उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिये सस्ता अनाज उपलब्ध कराने का भार केवल किसानों पर नहीं डाला जा सकता। प्रायः यह स्थिति होती है कि जब किसान अपनी उपज कम कीमत पर बेच रहे होते हैं, तब भी उपभोक्ता उन्हें अत्यधिक दरों पर खरीद रहे होते हैं। यह स्थिति बिचौलियों के कारण बनती है, जिन्हें विनियमित करने की आवश्यकता है।
  - MSP को कानूनी ढाँचा प्रदान करने से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से गारंटीकृत मूल्य प्रदान कर इन समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **कृषि विकास को बढ़ावा:**
  - MSP को कानूनी ढाँचा प्रदान करने से किसानों को मूल्य स्थिरता और आय सुरक्षा प्रदान कर कृषि उत्पादन में निवेश के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा और देश की समग्र खाद्य सुरक्षा में योगदान होगा।

नोट :

- MSP को कानूनी ढाँचा प्रदान करने से पर्यावरण-अनुकूल और संसाधन-कुशल फसलों के लिये मूल्य प्रोत्साहन प्रदान कर संवहनीय कृषि पद्धतियों के अंगीकरण को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

- **असमानताओं को हल करना:**
  - शांता कुमार समिति ने वर्ष 2015 में निष्कर्ष दिया कि समर्थन मूल्य योजना से केवल 6% किसानों को लाभ प्राप्त हुआ।
  - अकेले वर्ष 2019-20 में ही गेहूँ की कुल खरीद में केवल तीन राज्यों– पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश की 85% हिस्सेदारी रही।
  - MSP को कानूनी ढाँचा प्रदान करने से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से एक सार्वभौमिक मूल्य की गारंटी प्रदान कर इन समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
  - MSP को कानूनी ढाँचा प्रदान करने पर केंद्रित किसान-केंद्रित नीतियाँ गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशन में योगदान करती हैं।

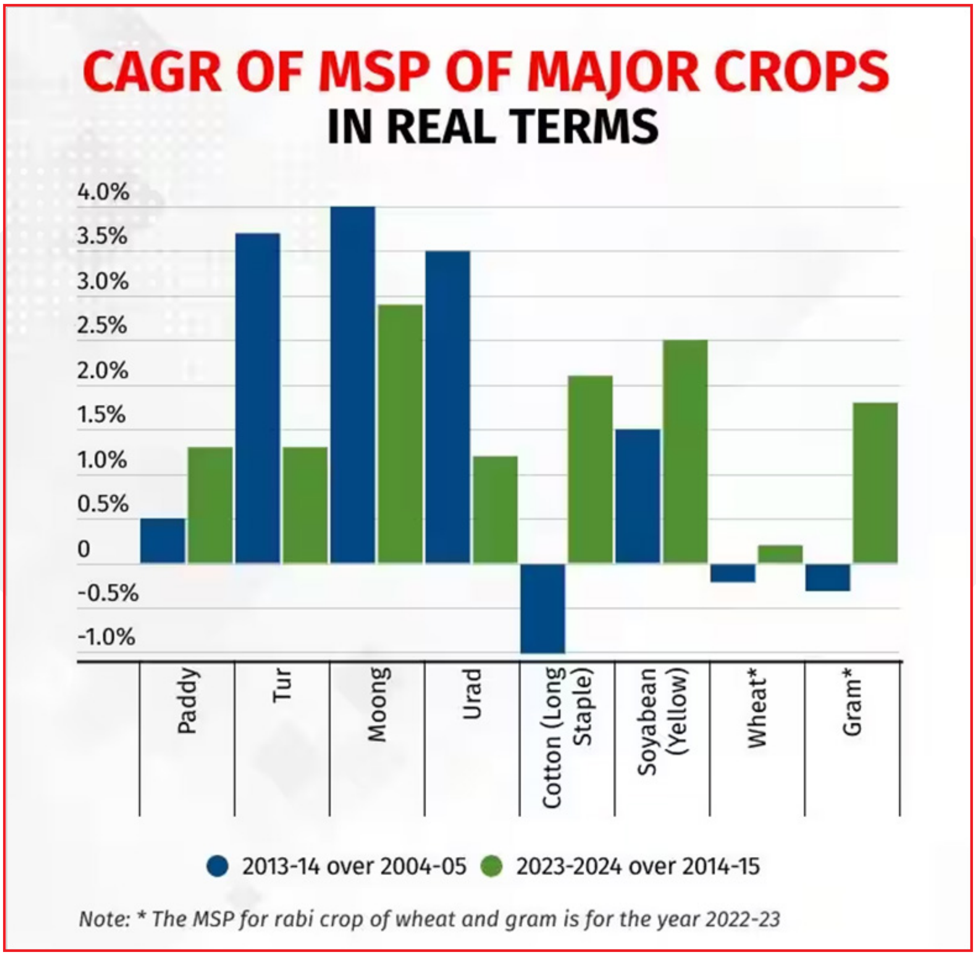

MSP को कानूनी ढाँचा प्रदान करने में मौजूद प्रमुख चुनौतियाँ:

- **वित्तीय बोझ:**
  - MSP पर फसलों की खरीद के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है और ऐसे खरीद कार्यों को बनाए रखने से सरकारी वित्त पर दबाव पड़ सकता है।
  - MSP के लिये बजटीय आवंटन को बुनियादी ढाँचे के विकास, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और रक्षा व्यय जैसे अन्य आवश्यक व्यय के साथ संतुलित करना एक चुनौती है।
  - मांग और आपूर्ति पक्ष के कारकों द्वारा समर्थित नहीं होने पर इस तरह का कानूनी रूप से गारंटीकृत MSP उपयोगी सिद्ध नहीं होगा।

- **निवेश को हतोत्साहित करने वाला:**
  - MSP को कानूनी ढाँचा प्रदान करना कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को, विशेष रूप से MSP के तहत शामिल फसलों के मामले में, हतोत्साहित कर सकता है।
  - निजी हितधारक उन क्षेत्रों में निवेश करने में संकोच कर सकते हैं जहाँ मूल्य निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप हो, जिससे नवाचार और आधुनिकीकरण के प्रयास सीमित हो जाएँगे।
- **जल संकट का गहराना:**
  - धान और गन्ना जैसी MSP समर्थित फसलें जल की अधिक खपत करती हैं, जिससे उन क्षेत्रों में जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है जहाँ उनकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है।
  - MSP को कानूनी ढाँचा प्रदान करने से जल-गहन फसलों की खेती को बढ़ावा मिलने के रूप में जल की कमी की समस्या बढ़ सकती है, जिससे फसल पैटर्न और भी विकृत हो सकता है।
- **गैर-MSP फसलों की उपेक्षा:**
  - MSP को कानूनी ढाँचा प्रदान करने से गैर-MSP फसलों की उपेक्षा हो सकती है, जिससे पौष्टिक खाद्य फसलों, दालों और तिलहनों की खेती में कमी होगी।
  - इसका विशेष रूप से भेद्य आबादी के बीच खाद्य सुरक्षा, आहार विविधता और पोषण संबंधी परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में कमी:**
  - MSP को कानूनी ढाँचा प्रदान करने से MSP-समर्थित फसलों के लिये उच्च खरीद मूल्य की स्थिति बन सकती है, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कम प्रतिस्पर्द्धी हो जाएँगे।
  - घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप विशेष रूप से उच्च MSP दरों वाली फसलों के लिये निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम हो सकती है।
- **व्यापार विवाद:**
  - MSP को कानूनी ढाँचा प्रदान करने से आयातक देशों के साथ व्यापार विवाद उत्पन्न हो सकता है, विशेष रूप से यदि सरकार MSP की कीमतों को बनाए रखने के लिये सब्सिडी या अन्य प्रकार का समर्थन प्रदान करती है।
  - इस तरह के विवादों के परिणामस्वरूप प्रतिशोधात्मक उपाय, टैरिफ या ट्रेड बैरियर्स जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे निर्यात की मात्रा एवं बाज़ार पहुँच प्रभावित हो सकती है। कानूनी रूप से गारंटीकृत उच्च MSP के साथ भारत को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा।

आगे की राह

- **संतुलित कृषि मूल्य निर्धारण नीति:** MSP और प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाओं जैसे तंत्रों के माध्यम से कृषि उपज के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिये सरकार को कृषि मूल्य निर्धारण नीति में एक उपयुक्त बदलाव लाना चाहिये।
  - स्वामीनाथन समिति की अनुशंसाओं को लागू करना: आयोग ने अनुशंसा की है कि MSP को उत्पादन की भारित औसत उत्पादन लागत (weighted average cost of Production) से कम से कम 50% अधिक होना चाहिये, जिसे वह C2 लागत के रूप में संदर्भित करता है।
  - MSP मानदंड का विस्तार: MSP निर्धारित करते समय किसान द्वारा अपने परिवार के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर किये गए औसत व्यय को भी शामिल किया जाना चाहिये।
  - मूल्य अंतराल भुगतान (Price Deficiency Payments- PDP): इसमें सरकार को किसी भी फसल की भौतिक रूप से खरीद या स्टॉकिंग नहीं करनी होती बल्कि किसानों को केवल बाज़ार मूल्य और MSP के बीच के अंतर का भुगतान करना होता है, यदि बाज़ार मूल्य MSP से कम हो। ऐसा भुगतान उनके द्वारा निजी व्यापारी को बेची गई फसल की मात्रा पर निर्भर होगा।
- **किसानों की आय बढ़ाना:**
  - सरकार को न केवल कृषि गतिविधियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) के दायरे में लाना चाहिये, बल्कि दैनिक मज़दूरी की वृद्धि भी करनी चाहिये।
  - फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाए और उच्च-मूल्य एवं जलवायु-प्रत्यास्थी फसलों को बढ़ावा दिया जाए।
  - पोस्ट-हार्वेस्ट हानियों को कम करने और किसानों के लिये मूल्य प्राप्ति में सुधार करने के लिये खेत से बाज़ार संपर्क, भंडारण सुविधाओं एवं बाज़ार सूचना प्रणाली सहित कृषि विपणन अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाए।
- **कृषि अवसंरचना में निवेश:**
  - कृषि उत्पादकता और बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिये सिंचाई सुविधाओं, सड़कों, विद्युतीकरण और भंडारण क्षमताओं जैसे ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाए।

- अनुसंधान एवं विकास, विस्तार सेवाओं और आधुनिक कृषि आदानों एवं प्रक्रियाओं तक पहुँच के माध्यम से कृषि में प्रौद्योगिकी के अंगीकरण तथा नवाचार को बढ़ावा दिया जाए।
- उत्पादन जोखिमों को कम करने और बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रति प्रत्यास्थता में सुधार करने के लिये छोटे किसानों को ऋण, बीमा एवं अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच की सुविधा प्रदान की जाए।

- **भूमि एवं जल प्रबंधन में सुधार करना:**
  - प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मृदा क्षरण को रोकने और जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि प्रत्यास्थता को बढ़ाने के लिये संवहनीय भूमि एवं जल प्रबंधन प्रक्रियाओं को क्रियान्वित किया जाए।
  - ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संचयन और जल-दक्षता वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाकर कुशल जल उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।
- **किसानों को सशक्त बनाना:**
  - सामूहिक सौदेबाजी, बाज़ारों तक पहुँच और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी को सक्षम करने के लिये किसान संगठनों, सहकारी समितियों और उत्पादक समूहों को सुदृढ़ किया जाए।
- **सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना:**
  - फसल की विफलता, प्राकृतिक आपदाओं या बाज़ार के असंतुलन जैसे संकट के दौरान कमज़ोर कृषक परिवारों को आय एवं आजीविका सहायता प्रदान करने के लिये सामाजिक सुरक्षा जाल एवं बीमा योजनाओं का विस्तार किया जाए।
- **शासन में सुधार:**
  - कृषि विकास और किसान कल्याण में बाधक बनने वाली नौकरशाही बाधाओं, भ्रष्टाचार एवं बाज़ार विकृतियों को कम करने के लिये शासन एवं नियामक ढाँचे में सुधार किया जाए।

निष्कर्ष:

भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिये भारत में किसानों की आवश्यकता को प्राथमिकता देना महत्त्वपूर्ण है। कृषि में निवेश करने और किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के माध्यम से भारत अपने सभी नागरिकों के लिये अधिक प्रत्यास्थी एवं समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकता है।

■■■

भारत के आर्थिक संवृद्धि मॉडल पर पुनर्विचार

कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य को नया आकार प्रदान किया है, जहाँ वैश्वीकरण से पीछे हटने की स्थिति बनी है। विश्व के देश अब गहन औद्योगीकरण नीतियों और राज्य नेतृत्व वाले आर्थिक हस्तक्षेपों को अपना रहे हैं। अमेरिका के मुद्रास्फीति कटौती अधिनियम (Inflation Reduction Act), यूरोपियन ग्रीन डील (European Green Deal) और भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को इसके उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है।

इस परिदृश्य में, भारत द्वारा भी ऐसी नीतियाँ अपनाये जाने की उम्मीद है जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के तीव्र विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती हों, ताकि जनसांख्यिकी और औद्योगिक क्रांति 4.0 के लाभांश का लाभ उठाया जा सके।

औद्योगीकरण बनाम गहन औद्योगीकरण :

- गहन औद्योगीकरण (Deep Industrialisation) अपने फोकस और दायरे में पारंपरिक औद्योगीकरण से भिन्न है।
- जबकि औद्योगीकरण आमतौर पर किसी क्षेत्र या देश में उद्योगों के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, गहन औद्योगीकरण संवहनीय एवं समावेशी विकास पर बल देते हुए आगे बढ़ता है।
  - इसमें उद्योगों को उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत करना, नवाचार को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय एवं सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना शामिल है।
  - गहन औद्योगीकरण का लक्ष्य केवल तीव्र औद्योगिक विस्तार के बजाय दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण है।

भारत में गहन औद्योगीकरण की आवश्यकता क्यों है ?

- **अप्रभावी विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता:**
  - विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार के लिये हाई-टेक अवसंरचना और कुशल जनशक्ति बेहद महत्त्वपूर्ण है। लेकिन भारत को प्रमुख शहरों के बाहर सीमित दूरसंचार सुविधाओं और घाटे में चल रहे राज्य बिजली बोर्डों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
    - भारत में औद्योगिक नीतियाँ विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने में विफल रही हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान वर्ष 1991 से लगभग 16% के स्तर पर गतिहीन बना हुआ है।

- **पर्याप्त परिवहन सुविधाओं का अभाव:**
  - अति भाराक्रांत रेल नेटवर्क और विभिन्न समस्याओं से घिरे सड़क परिवहन के साथ भारत की परिवहन अवसंरचना दबाव में है। ये चुनौतियाँ माल की कुशल आवाजाही में बाधा डालती हैं और विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित करती हैं।
- **MSME क्षेत्र की बाधाएँ:**
  - मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में MSME क्षेत्र को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। MSME क्षेत्र के विकास को समर्थन देने के लिये इस पूर्वाग्रह में सुधार की आवश्यकता है, जो भारत के आर्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **आयात पर उच्च निर्भरता:**
  - भारत अभी भी परिवहन उपकरण, मशीनरी, लौह एवं इस्पात, रसायन एवं उर्वरक सहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये विदेशी आयात पर निर्भर है। यह निर्भरता आयात प्रतिस्थापन रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
    - भारत में उपभोक्ता वस्तुओं का कुल औद्योगिक उत्पादन 38% योगदान देता है। सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया जैसे नव-औद्योगीकृत देशों में यह प्रतिशत क्रमश: 52%, 29% और 28% है।
- **प्रभावी औद्योगिक नीति सुधारों का अभाव:**
  - ऐतिहासिक रूप से, औद्योगिक स्थानों को प्राय: लागत-प्रभावशीलता के बजाय राजनीतिक कारणों से चुना गया। इसके अतिरिक्त, आरंभिक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने से लालफीताशाही एवं श्रम-प्रबंधन संबंधी मुद्दों के कारण अक्षमता एवं हानि की स्थिति बनी, जिससे उन्हें बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण सरकारी व्यय की आवश्यकता हुई।

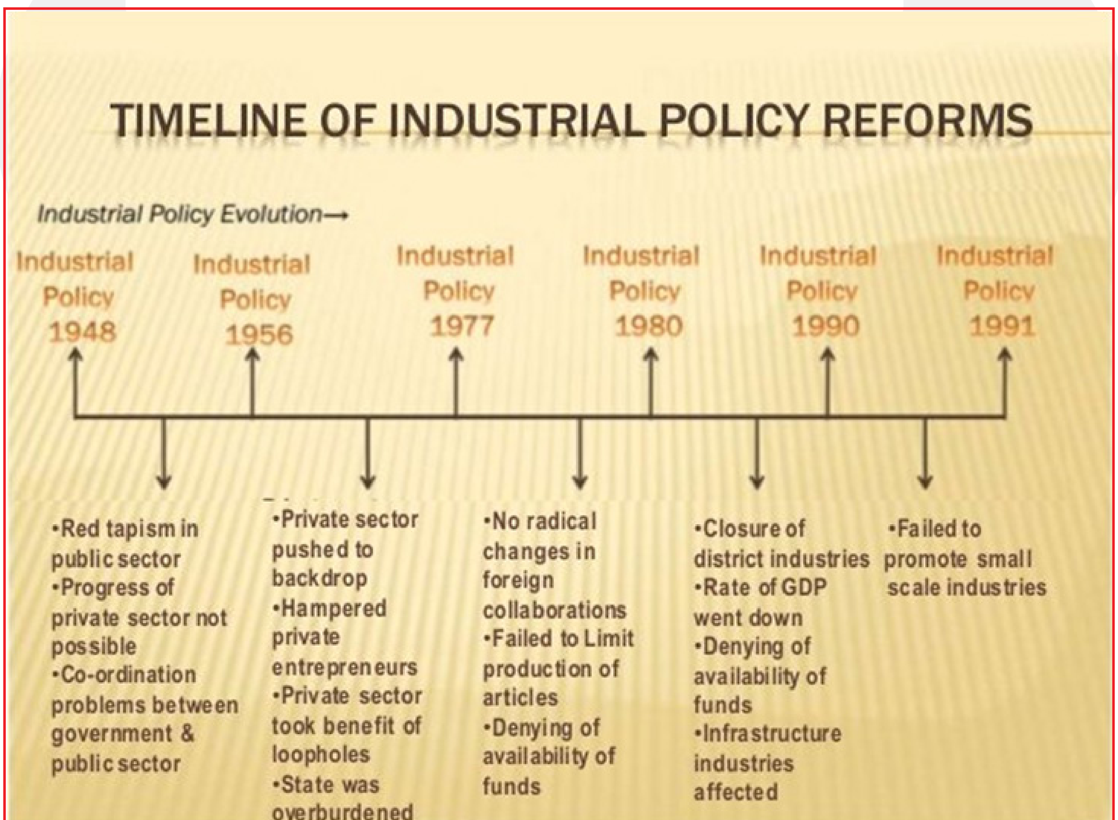

- **निवेश का चयनात्मक प्रवाह:**
  - उदारीकरण के बाद निवेश के वर्तमान चरण में, जबकि कुछ उद्योगों में पर्याप्त निवेश आ रहा है, कई बुनियादी एवं रणनीतिक उद्योगों— जैसे इंजीनियरिंग, बिजली, मशीन टूल्स आदि में निवेश की धीमी गति चिंता का विषय है।

- **विषम उपभोग-प्रेरित विकास:**
  - व्यापार नीति सुधार पर अधिक बल दिये बिना आंतरिक उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप 'निवेश' या 'निर्यात-प्रेरित विकास' के बजाय 'उपभोग-आधारित विकास' की राह खुली।

भारत के औद्योगीकरण से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ:

- **महामारी के बाद भारत का विकृत आर्थिक परिदृश्य:**
  - भारत ने महामारी से अपेक्षाकृत तेज़ी से उबरते हुए अपनी विकास गति को बनाए रखा है। हालाँकि यह 'समय-पूर्व विऔद्योगीकरण' (premature deindustrialization) का अनुभव कर रहा है, जहाँ उच्च विकास से एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग को लाभ होता है, जिससे मौजूदा असमानताएँ बढ़ जाती हैं।
    - जहाँ महंगी कारें धड़ाधड़ बिक रही हैं, वहीं आम लोग उच्च खाद्य कीमतों से जूझ रहे हैं, जो भारत के विकास मॉडल में संरचनात्मक खामियों को उजागर करता है।
- **सेवा-आधारित विकास की कमियाँ:**
  - हालाँकि 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध से सेवा-संचालित विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन इसने कृषि से श्रम को उतने प्रभावी ढंग से अवशोषित नहीं किया है जितना कि विनिर्माण ने किया।
  - इसके अतिरिक्त, सेवा क्षेत्र को अत्यधिक कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है, जिससे गहरी असमानताएँ पैदा होती हैं। उच्च शिक्षा में निवेश ने बुनियादी एवं प्रारंभिक शिक्षा की उपेक्षा में योगदान किया है, जिससे असमानताएँ और बढ़ गई हैं।
- **शैक्षिक असमानताएँ और औद्योगिक गतिहीनता:**
  - भारत की शिक्षा प्रणाली गहरी असमानताओं को परिलक्षित करती है, जहाँ मानव पूंजी में निवेश अभिजात वर्ग के पक्ष में झुका हुआ है। इसके कारण बड़े पैमाने पर उद्यमशीलत उद्यमों का अभाव है जो चीन से उलट स्थिति है।
  - स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा की भिन्न गुणवत्ता असमान श्रम बाज़ार परिणामों में योगदान करती है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के पहली पीढ़ी के स्नातकों को प्रभावित करती है।
- **औद्योगीकरण में सांस्कृतिक कारक:**
  - औद्योगीकरण के लिये एक प्रमुख सांस्कृतिक शर्त है जन शिक्षा, जिसका भारत में अभाव है। जोएल मोकिर (Joel Mokyr) का मानना है कि तकनीकी प्रगति एवं विकास के लिये उपयोगी ज्ञान का उदय महत्त्वपूर्ण है।
  - भारत में विनिर्माण के लिये आवश्यक कुछ व्यवसायों का सांस्कृतिक अवमूल्यन, साथ ही व्यावसायिक कौशल का अवमूल्यन, जैविक नवाचार और औद्योगिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है।
- **रोज़गार सृजन में चुनौतियाँ:**
  - भारत का श्रम बाज़ार निम्न वेतन वाली और अनौपचारिक नौकरियों से चिह्नित होता है। अधिकांश MSMEs असंगठित क्षेत्र में हैं, जिनमें रोज़गार सृजन के लिये लचीलेपन का अभाव है। चीन का अनुभव रोज़गार सृजन के लिये विनिर्माण क्षेत्र में 'स्केल' या पैमाने के महत्त्व को रेखांकित करता है।
    - भारत के 63 मिलियन MSMEs में से 99% से अधिक असंगठित क्षेत्र में हैं जिनमें उत्पादक रोज़गार सृजन के लिये बहुत कम लचीलापन है। उनका निर्वाह अस्तित्व नौकरियों या पैमाने के लिये कोई नुस्खा नहीं है। चीन का उदाहरण अधिक से अधिक नौकरियों के लिये विनिर्माण में पैमाने के प्रभाव का सुझाव देता है।
    - नियमित एवं व्यापक डेटा के अभाव में मेक-इन-इंडिया (MII) के प्रभाव का आकलन करना चुनौतीपूर्ण है। जबकि उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) उच्च-स्तरीय विनिर्माण को लाभ पहुँचाती है, पारंपरिक विनिर्माण क्षेत्र आम लोगों के मध्य रोज़गार सृजन के लिये महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं।
- **संरक्षणवाद की चिंताएँ और अतीत के अनुभव:**
  - 1970 और 1980 के दशक में संरक्षणवाद के पिछले अनुभवों ने कमी और रेंट-सीकिंग (rent-seeking) व्यवहार का रास्ता खोला, जिससे उपभोक्ताओं की तुलना में उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त हुआ। ऐसी आशंकाएँ हैं कि MII के तहत संरक्षणवादी उपायों के सदृश परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
  - वर्ष 2011 की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (National Manufacturing Policy- NMP) ने विनिर्माण क्षेत्र में अवसंरचना, विनियमन एवं जनशक्ति में व्याप्त बाधाओं को उजागर किया। MII का लक्ष्य NMP के उद्देश्यों के आधार पर विनिर्माण के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को 25% तक बढ़ाना और 100 मिलियन नौकरियाँ पैदा करना है, लेकिन स्थिति निराशाजनक बनी हुई है।

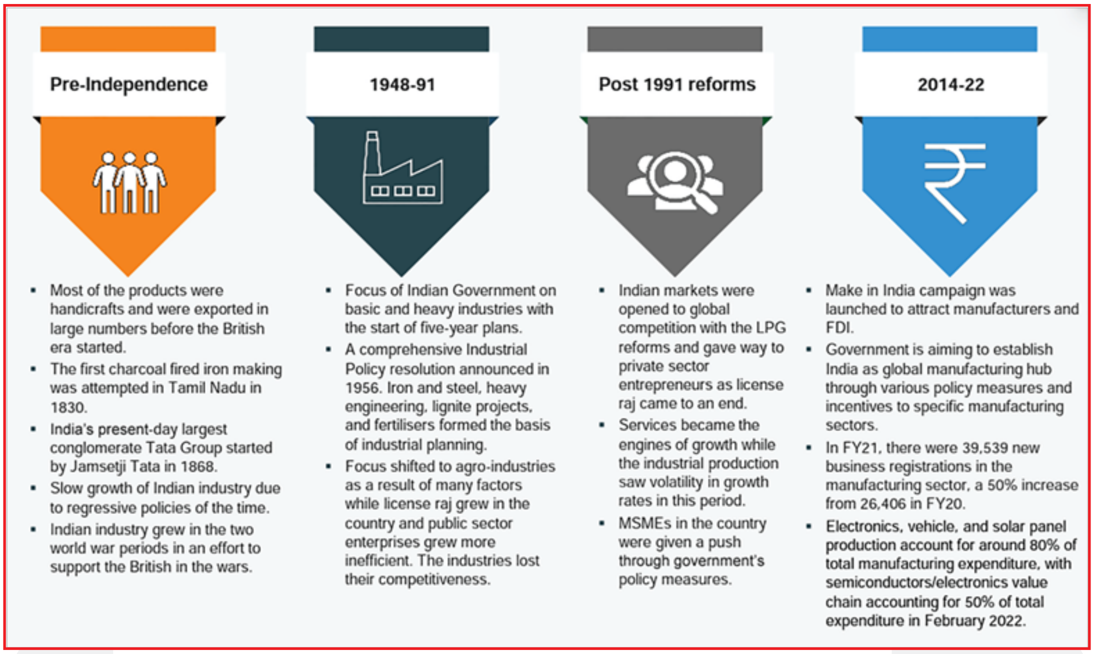

- **सहायक नीतियों को लेकर चिंताएँ:**
  - जबकि MII मुख्य नीति है, 'मेड इन इंडिया' और 'मेक फॉर इंडिया' जैसी सहायक पहलें क्रमश: ब्रांडिंग एवं घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। हालाँकि, ये पहलें MII की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता के व्यापक लक्ष्य के लिये गौण ही हैं।

भारत में गहन औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये सुझाव:

- **आर्थिक विकास रणनीतियों पर पुनर्विचार करना:**
  - रघुराम राजन और रोहित लांबा ने 'ब्रेकिंग द मोल्ड: रीइमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर' में एक अपरंपरागत दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा है। वे विनिर्माण-आधारित विकास से उच्च-कौशल, सेवा-संचालित विकास की ओर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देते हैं।
    - इसके साथ ही, इस दृष्टिकोण को वर्तमान औद्योगिक नीतियों के साथ तालमेल में होना चाहिये ताकि इसकी प्रभावशीलता का प्रभावी ढंग से दोहन किया जा सके।
- **गहन औद्योगीकरण के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण:**
  - भारत को अपने समाज को मौलिक रूप से बदलने के लिये गहन औद्योगीकरण की आवश्यकता है, न कि केवल सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की। इसमें व्यावसायिक कौशल और कारीगर ज्ञान के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव के साथ-साथ श्रम, उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी का पुनर्मूल्यांकन करना शामिल होगा।
  - गहन औद्योगीकरण न केवल आर्थिक विकास को गति देगा बल्कि जाति और वर्ग में निहित सामाजिक विभाजन को भी संबोधित करेगा।
- **श्रम-गहन क्षेत्रों पर बल देना:**
  - भविष्य की औद्योगिक नीतियों में गुणवत्तापूर्ण नौकरियाँ पैदा करने के लिये श्रम-गहन क्षेत्रों को प्राथमिकता देना जारी रहना चाहिये। उच्च-स्तरीय विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, भारत में बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन के लिये पारंपरिक क्षेत्र महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं।
- **नई औद्योगिक नीति (NIP '23) की भूमिका:**
  - NIP का मसौदा (जो फिलहाल रोक कर रखा गया है) उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना को पूरकता प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, दक्षता बढ़ाना और भारतीय निर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाना है (विशेष रूप से खिलौने, परिधान और जूते जैसे क्षेत्रों में)।
  - इसे संबंधित राज्य सरकारों की स्थानीय आधारित आकांक्षाओं और विनिर्माण विशेषज्ञता का अनुसरण करते हुए शामिल एवं कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

- **समावेशी रोज़गार सृजन के लिये औद्योगिक नीति:**
  - भारत जैसे श्रम-प्रचुर देश में, औद्योगिक नीति को आम लोगों, विशेष रूप से महिलाओं के लिये रोज़गार सृजन को प्राथमिकता देनी चाहिये। उत्पादक रोज़गार सृजित करने और 'स्केल' हासिल करने के लिये श्रम-गहन विनिर्माण महत्त्वपूर्ण है।
- **नीति निर्माण में डेटा का महत्त्व:**
  - आर्थिक नीति निर्माण के लिये डेटा व्याख्या और नैतिक दिशा-निर्देश दोनों की आवश्यकता होती है। PLI के प्रभाव पर उच्च-आवृत्ति डेटा के अभाव में, नीति निर्माताओं को औद्योगिक नीति को प्रभावी ढंग से आकार देने के लिये व्यापक सिद्धांतों पर भरोसा करना चाहिये।
- **विकास के लिये औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाना:**
  - रोज़गार सृजन और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये औद्योगिक नीतियों (MII सहित) का लाभ उठाया जाना चाहिये। हालाँकि चुनौतियाँ मौजूद हैं, श्रम-गहन विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने से भारत को सतत वृद्धि और विकास प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
    - MII भारत की आत्मनिर्भरता की पिछली नीतियों— जैसे 1970 के दशक के लाइसेंस राज और आयात-प्रतिस्थापन औद्योगीकरण, से अलग है। जबकि संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के बारे में चिंताएँ मौजूद हैं, MII का लक्ष्य पिछली विफलताओं को दोहराए बिना घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करना है।
    - इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण वस्तुओं के आयात में उच्च टैरिफ बाधाओं जैसी संरक्षणवादी प्रवृत्तियों ने इन निर्माताओं को अपने आधार चीन, वियतनाम आदि देशों में स्थानांतरित करने के लिये प्रेरित किया है। इस नीतिगत विसंगति का निवारण किया जाना चाहिये।
- **आर्थिक विकास में IR 4.0 को एकीकृत करना:**
  - इसकी विशेषता यह है कि डिजिटल, भौतिक एवं जैविक दुनिया के बीच की सीमाओं को धुंधला करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है और यह डेटा द्वारा संचालित होता है।
  - प्रमुख तकनीकों में क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, स्वायत्त रोबोट, साइबर सुरक्षा, सिमुलेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) शामिल हैं।
    - उदाहरण: ज़ेनोबोट्स (Xenobots), जो एक मिलीमीटर से भी कम लंबे होते हैं, 'फर्स्ट लिविंग रोबोट' के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें 2020 में अफ्रीकी क्लॉ मेंढक की स्टेम कोशिकाओं से बनाया गया था और इन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके प्रोग्राम किया जा सकता है।

भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये हाल की सरकारी पहलें:

- उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI)
- पीएम गति शक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान
- भारतमाला परियोजना
- स्टार्ट-अप इंडिया
- मेक इन इंडिया 2.0
- आत्मनिर्भर भारत अभियान
- विनिवेश योजनाएँ
- विशेष आर्थिक क्षेत्र
- एमएसएमई इनोवेटिव योजना

निष्कर्ष:

- भारत के महामारी से अपेक्षाकृत जल्दी उबरने के बावजूद, इसे 'समय-पूर्व विऔद्योगीकरण' और लगातार बनी रहती आर्थिक असमानताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रघुराम राजन और रोहित लांबा ने विनिर्माण के बदले उच्च-कौशल, सेवा-संचालित विकास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव किया है, जिसके बारे में उनका तर्क है कि इससे औद्योगीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। मूल कारण शिक्षा, नवाचार और श्रम के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण में निहित हैं, जो सुझाव देते हैं कि गहन औद्योगीकरण को प्राप्त करने और सामाजिक नींव को संबोधित करने के लिये व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है।

■■■

मासिक धर्म के सवैतनिक अवकाश संबंधी दुविधाएँ

सबरीमाला मंदिर विवाद ने मासिक धर्म से गुज़रती महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को उजागर किया, जहाँ फिर लैंगिक समानता और ऐसी प्रथाओं के उन्मूलन की आवश्यकता पर एक बहस छिड़ गई। हालाँकि, मासिक धर्म के लिये सवैतनिक अवकाश की मांग इस विमर्श को कमज़ोर करती है। मासिक धर्म चक्र चुनौतीपूर्ण हो सकता है, कुछ महिलाओं के मामले में उनके शरीर एवं मन के लिये अत्यंत दुर्बलकारी, लेकिन संभावित प्रतिकूल प्रभावों पर विचार किये बिना एक लिंग से संबंधित सभी लोगों को सामूहिक रूप से लेबल करना, महिला सशक्तीकरण आंदोलन को कमज़ोर कर सकता है।

सबरीमाला मंदिर विवाद:

- पाँच महिला अधिवक्ताओं के एक समूह ने केरल हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल (प्रवेश प्राधिकरण) नियम, 1965 के नियम 3 (b) को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जो मंदिर में 'मासिक धर्म आयु' की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को अधिकृत करता है। केरल उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सदियों पुराने इस प्रतिबंध को बरकरार रखा और यह कहा कि कि परंपराओं पर निर्णय लेने का अधिकार केवल तंत्री (पुरोहित) के पास है। इस निर्णय के बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता), 15 (धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध) और 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) के विरुद्ध है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार, यह निषेध एक प्राकृतिक, शारीरिक प्रक्रिया पर आधारित था। जहाँ यह कहा जा रहा हो कि मासिक धर्म वाली महिलाएँ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं तो वस्तुत: उन्हें उनके लिंग के आधार पर अपमानित किया जा रहा है।
- न्यायालय के बहुमत के निर्णय में कहा गया कि समानता का अधिकार आचरण के अधिकार पर हावी होगा।

सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश लैंगिक असमानता को कैसे बढ़ाएगा?

- **महिलाओं की कार्य-नियुक्ति के मामले में कंपनियों का हतोत्साहित होना:**
  - विश्व आर्थिक मंच (WEF) की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर लिंग अंतराल घटने के बजाय और बढ़ गया है।
  - मौजूदा स्थिति में लैंगिक समानता प्राप्त करने में दुनिया को 135.6 वर्ष लगेंगे। विशेष रूप से कार्यबल स्तर पर देखें तो एक महिला एक पुरुष द्वारा अर्जित प्रत्येक डॉलर की तुलना में 84 सेंट ही कमाती है।
  - श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में पर्याप्त कम है, जबकि नेतृत्व के स्तर पर तो उनका प्रतिनिधित्व और भी कम है।
    - यदि इसमें मासिक धर्म के लिये अनिवार्य सवैतनिक अवकाश को भी जोड़ दिया जाए तो यह कंपनियों को महिलाओं को कार्य पर रखने से हतोत्साहित कर देगा।
- **मासिक धर्म के संबध में विद्यमान सामाजिक कलंक को मान्य करना:**
  - यदि सरकार मासिक धर्म से गुज़रती महिलाओं के लिये 'विशेष दर्जा' की पुष्टि करती है तो यह मासिक धर्म के संबध में विद्यमान सामाजिक कलंक को मान्य करेगा। यह ऐसे देश में 'पीरियड शेमिंग' को और बढ़ाएगा जहाँ बड़ी संख्या में लोग (पुरुष और महिलाएँ दोनों) मासिक धर्म को 'अशुद्ध' मानते हैं।
  - मासिक धर्म के लिये सवैतनिक अवकाश के पक्षकर्ताओं का यह दावा है कि मासिक धर्म को विशेष दर्जा देने का उद्देश्य विषय संबंधी जागरूकता पैदा करना है। लेकिन इससे प्रतिकूल प्रभाव ही उत्पन्न होगा। यह ऐसा कदम साबित हो सकता है जिसकी मंशा तो अच्छी है लेकिन यह अनजाने में लिंग अंतराल को और बढ़ा देगा।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में जापान का उदाहरण:**
  - जापान जैसे कई देश हैं जो पीड़ादायी माहवारी के लिये अवकाश प्रदान करते हैं, लेकिन यह प्राय: अवैतनिक होता है और अप्रयुक्त रहता है। महिलाओं का दावा है कि वे यौन उत्पीड़न के भय से इस अवकाश का लाभ उठाने के प्रति संकोच रखती हैं और यह 'प्रसारित' करती हैं कि वे माहवारी से गुज़र रही हैं।
  - आँकड़े बताते हैं कि जापान में कार्यबल में केवल 0.9% महिलाएँ ही मासिक धर्म अवकाश का का लाभ उठाती हैं। वर्ष 2019 में WEF की रैंकिंग के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में जापान 153 देशों में 121वें स्थान पर था। वर्ष 2023 में वह फिसलकर 125वें स्थान पर पहुँच गया।
  - उल्लेखनीय है कि यद्यपि जापान में युवा महिलाओं का शिक्षा स्तर पुरुषों की तुलना में अधिक है, लेकिन कार्यबल में असमानताएँ नज़र आती हैं। जापान में महिलाओं की पुरुषों की तुलना में नियोजित होने की संभावना कम पाई जाती है (समान योग्यता के साथ भी) और प्राय: उन्हें अपेक्षाकृत कम वेतन दिया जाता है।
- **इसके कार्यान्वयन से जुड़ी चिंताएँ:**
  - मासिक धर्म के लिये सवैतनिक अवकाश की शुरुआत की जाए तो असल चुनौती इसके कार्यान्वयन में है। ऐसे अवकाश का वैध उपयोग निर्धारित करना और संभावित दुरुपयोग को रोकना जटिल होगा।
  - इसके अतिरिक्त, नियोक्ताओं के लिये स्वीकार्य प्रवर्तन तरीकों को परिभाषित करना एक और दुविधा पैदा करता है।

गुजरात के भुज में वर्ष 2020 की घटना जैसे उदाहरण, जहाँ मासिक धर्म की स्थिति को सत्यापित करने के लिये 66 बालिकाओं को कपड़े उतारने के लिये विवश किया गया था या मुजफ्फरनगर में वर्ष 2017 का मामला जहा 70 बालिकाओं को इसी तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ा, मासिक धर्म के संबंध में संवेदनशील एवं सम्मानजनक नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- **सामान्य शारीरिक परिघटना:**
  - मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक परिघटना है और केवल कुछ ही महिलाएँ या बालिकाएँ गंभीर कष्टार्तव (dysmenorrhea) या इस तरह की अन्य पीड़ाओं से गुज़रती हैं; और इनमें से अधिकतर मामलों को दवा द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश का समर्थन करने वाले प्रमुख तर्क:

- **'पीरियड पॉवर्टी':**
  - मासिक धर्म स्वच्छता और संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता की कमी भारत में एक महत्त्वपूर्ण बाधा है। कई बालिकाओं और महिलाओं को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, मासिक धर्म स्वास्थ्य—जिसमें उचित स्वच्छता अभ्यास, स्वच्छता उत्पादों का उपयोग और मासिक धर्म संबंधी असुविधा का प्रबंधन शामिल है, के बारे में सीमित ज्ञान प्राप्त है।
    - ग़ैर-सरकारी संगठन 'चाइल्ड राइट्स एंड यू' (CRY) द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि कई बालिकाओं की सैनिटरी पैड तक पहुँच सीमित थी, जहाँ 44.5% बालिकाओं ने स्वीकार किया कि वे घर में बने अवशोषक या कपड़े का उपयोग करती हैं।
    - रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि लगभग 11.3% लड़कियों को मासिक धर्म का सही कारण नहीं पता था और उन्होंने कहा कि यह भगवान का शाप था या किसी बीमारी का परिणाम था।
  - भारत में मासिक धर्म से गुज़रती 20% महिलाएँ/बालिकाएँ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) की शिकार हैं और लगभग 25 मिलियन एंडोमेट्रियोसिस (endometriosis) से पीड़ित हैं।
- **सस्ते स्वच्छता उत्पादों तक पहुँच का अभाव:**
  - भारत में सस्ते एवं स्वच्छ मासिक धर्म उत्पादों तक पहुँच एक बड़ी चुनौती है। कई महिलाएँ, विशेष रूप से जो निम्न-आय पृष्ठभूमि की हैं, सैनिटरी पैड या टैम्पोन खरीदने का खर्च वहन नहीं कर पाती हैं।
    - नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 15 से 24 आयु वर्ग की लगभग 50% महिलाएँ मासिक धर्म सुरक्षा के लिये कपड़े के उपयोग पर निर्भर रहती हैं।
    - विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि कपड़े का दुहरावपूर्ण उपयोग से कई तरह के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और वे इसके लिये अपर्याप्त जागरूकता एवं मासिक धर्म के बारे में सामाजिक वर्जना के संयोजन को ज़िम्मेदार मानते हैं। बालिकाओं को मासिक धर्म के दौरान स्कूल नहीं जाने या सामाजिक अपवर्जन का सामना करने जैसी स्थिति से गुज़रना होता है।
- **कलंक और शर्म:**
  - भारत के कई भागों में मासिक धर्म अभी भी सामाजिक कलंक और सांस्कृतिक वर्जनाओं से ग्रस्त है। मासिक धर्म से गुज़रती महिलाओं को प्रायः भेदभाव, प्रतिबंध और अलगाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनमें शर्म एवं शर्मिंदगी की भावना पैदा होती है। यह कलंक खुली चर्चा को बाधित कर सकता है, सूचना एवं संसाधनों तक पहुँच को सीमित कर सकता है और मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को कायम बनाये रख सकता है।
    - CRY रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि दुकानों से पैड खरीदने में झिझक या शर्म, पैड के निपटान में कठिनाई, अपर्याप्त उपलब्धता और पैड के बारे में जानकारी का अभाव इसका व्यापक उपयोग न करने के प्रमुख कारण थे।
    - 61.4% बालिकाओं ने स्वीकार किया है कि मासिक धर्म को लेकर समाज में शर्मिंदगी की भावना मौजूद है।
- **अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ:**
  - कई क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालय एवं जल आपूर्ति सहित उचित स्वच्छता सुविधाओं की कमी मासिक धर्म स्वच्छता में एक प्रमुख बाधा उत्पन्न करती है। स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और घरों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये अपने मासिक धर्म को सुरक्षित एवं गरिमा के साथ प्रबंधित करना कठिन सिद्ध हो सकता है।

- अनौपचारिक कार्य (जैसे निर्माण कार्य, घरेलू कार्य आदि) से संलग्न महिलाओं की प्रायः शौचालय, नहाने के लिये साफ पानी और लागत प्रभावी स्वच्छता उत्पादों एवं उनके सुरक्षित निपटान तक पहुँच नहीं होती है। उनके पास प्रायः अपने मासिक धर्म उत्पादों को बदलने के लिये निजता की भी कमी होती है।

- **सीमित स्वास्थ्य सेवाएँ:**
  - ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः ऐसे डॉक्टरों, नर्सों और दाइयों सहित अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की कमी का सामना करना पड़ता है, जिन्हें विशेष रूप से मासिक धर्म स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रशिक्षित किया जाता है।
  - यह कमी महिलाओं की जानकार स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों तक पहुँच को और बाधित करती है। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना की कमी भी मासिक धर्म के बारे में मिथकों एवं गलत धारणाओं के बने रहने में योगदान देती है।
- **सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाएँ:**
  - कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएँ एवं प्रथाएँ मासिक धर्म स्वच्छता में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। उदाहरण के लिये, कुछ समुदाय मासिक धर्म से गुज़रती महिलाओं को अशुद्ध मानते हैं और धार्मिक गतिविधियों या सामाजिक समारोहों में उनकी भागीदारी को प्रतिबंधित करते हैं। इस तरह की प्रथाएँ कलंक को और सुदृढ़ कर सकती हैं तथा उचित मासिक धर्म स्वच्छता अभ्यासों में बाधा डाल सकती हैं।
  - महाराष्ट्र में एक अध्ययन में पाया गया कि मासिक धर्म से गुज़रती बालिकाओं एवं महिलाओं को स्वच्छता एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से रहित 'कूर्मघर' या 'पीरियड हट्स' में अलग करने की प्रथा महिलाओं के बीच अनुकूल यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य परिणामों में एक महत्त्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती है।
- **नीतिगत उपायों का अभाव:**
  - 'महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश का अधिकार और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य उत्पादों तक मुफ्त पहुँच विधेयक', 2022 में महिलाओं एवं ट्रांसवीमन के लिये मासिक धर्म के दौरान तीन दिनों का सवैतनिक अवकाश और छात्राओं के लिये अतिरिक्त निर्दिष्ट किया गया है, जो अभी अधिनियम नहीं बन पाया है। वर्तमान में केवल दो राज्यों केरल और बिहार में महिलाओं के लिये मासिक धर्म अवकाश की नीतियाँ कार्यान्वित हैं।

प्रभावी मासिक धर्म अवकाश नीतियों को अपनाने हेतु सुझाव:

- **मासिक धर्म अवकाश नीतियाँ प्रायः** असफल रही हैं क्योंकि वे भ्रमित समस्या पर ध्यान केंद्रित करती हैं। समस्या मासिक धर्म से गुज़रते मानव शरीर की नहीं है। समस्या यह है कि, विशेष रूप से उन जगहों पर जहाँ मासिक धर्म अवकाश पहले ही लागू किया जा चुका है, महिला कामगारों की सभ्य कार्य दशाओं, आराम या शौचालय अवकाश, बीमारी अवकाश या चिकित्सा उपचार तक अपर्याप्त पहुँच है। इसके अलावा, महिलाएँ अवैतनिक बाल देखभाल जिम्मेदारियों में असमान हिस्सेदारी निभाती रही हैं। इस परिदृश्य में संबंधित नीतियों को निम्नलिखित दृष्टिकोणों को बढ़ावा देना चाहिये:
- **मासिक धर्म स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता को बढ़ावा देना:**
  - अपर्याप्त मासिक धर्म शिक्षा (स्कूलों और चिकित्सा प्रशिक्षण में) के कारण अधिकांश लोग मासिक धर्म के लक्षणों की प्रकृति, व्यापकता या प्रभावी उपचार विकल्पों के बारे में बहुत कम जानते हैं।
  - इसलिये, कार्यस्थल में मासिक धर्म स्वास्थ्य में सुधार का एक महत्त्वपूर्ण अंग यह सुनिश्चित करना होगा कि नियोक्ता, कर्मचारी (और उनके डॉक्टर) सभी की मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में उच्च गुणवत्तापूर्ण सूचना तक पहुँच हो।
- **पर्याप्त विश्राम अवकाश शामिल करना:**
  - मासिक धर्म से गुज़रती कामगारों के लिये 'ब्रेक' ले सकना छुट्टी लेना और शौचालय एवं स्वच्छ जल तक पहुँच रखना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। इसके अलावा, बेहतर कार्य दशाओं से सभी कामगारों को लाभ प्राप्त होगा।
  - यह देखा गया है कि विश्राम अवकाश से कार्यस्थल पर चोट लगने या बीमारी की संभावना कम हो जाती है, साथ ही उत्पादकता एवं दक्षता में भी सुधार होता है। स्वच्छ शौचालय सुविधाएँ प्रदान करने से कार्यबल में खांसी, सर्दी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है।
- **प्रभावी उपचार तक पहुँच:**
  - यूके में अधिकांश कार्यस्थल (और स्कूल आदि) आसानी से मुफ्त 'आपातकालीन' अवधि के उत्पाद (जैसे टैम्पोन और पैड), इबुप्रोफेन (सूजनरोधी दवा), गर्म पैड या गर्म पानी की बोतलें, गर्म पेय आदि प्रदान करते हैं।
  - मासिक धर्म संबंधी गंभीर लक्षणों के मामले में कामगारों को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सलाह एवं उपचार विकल्पों तक पहुँच बनाने के लिये समर्थन एवं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

- **लचीली कार्य दशाएँ:**
  - कार्यस्थल में मासिक धर्म नीतियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिये जहाँ कार्य अभ्यास में अधिक लचीलापन हो, क्योंकि अधिकांश लोगों को पुन: काम पर लौटने से पहले आराम करने/मासिक लक्षणों को प्रबंधित करने के लिये अपेक्षाकृत कम समय की ही आवश्यकता होती है।
  - इस प्रकार, घर से काम करने में सक्षम होना (यदि लागू हो) या कार्य दिवस में 'ब्रेक' लेना पूरे दिन की छुट्टी लेने से बेहतर सिद्ध होगा।
  - लिंग-विशिष्ट नीतियों को नहीं अपनाना:
  - पिछले कई दशकों से अपनाई गई रोज़गार नीतियों के वैश्विक मूल्यांकन से बार-बार पुष्टि हुई है कि लिंग-विशिष्ट नीतियाँ (चाहे उनका इरादा कितना भी अच्छा क्यों न रहा हो) उन्हीं लोगों को अधिक नुकसान पहुँचाती हैं जिनकी वे मदद करना चाहती हैं।
  - बेहतर यह होगा कि महिलाओं (और आदर्शत: हाशिये पर स्थित अन्य समूहों) की ज़रूरतों की पहचान की जाए और सभी कर्मचारियों के लिये नीतियाँ तैयार की जाए जो उन्हें उचित ध्यान में रखती हैं।
  - इस प्रकार, कार्यान्वित नीतियाँ सभी कामगारों की सहायता करेंगी और अनजाने में सहकर्मियों या नियोक्ताओं को महिलाओं (या किसी भी वंचित समूह) के प्रति कोई असंतोष महसूस नहीं कराएँगी।
- **समान वेतन और नौकरी के अवसर सुनिश्चित करना:**
  - यह कोई संयोग नहीं है कि जिन देशों में मासिक धर्म अवकाश लागू किया गया है, वहाँ अपेक्षाकृत बड़ा लैंगिक वेतन अंतराल पाया जाता है। वर्ष 2017 के OECD रिपोर्ट में भारत (56%), कोरिया (37%), इंडोनेशिया (34%) और जापान (26%) के लैंगिक वेतन अंतराल का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि OECD औसत या 'कंट्री एवरेज' 15% है।
  - वृहत लैंगिक वेतन अंतराल क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों लैंगिक अलगाव को दर्शाते हैं। इसका अर्थ यह है कि महिलाएँ एवं पुरुष अलग-अलग तरह की नौकरियों में संलग्न हैं और महिलाओं से जुड़ी नौकरियों में कम वेतन मिलता है। इसके परिणामस्वरूप महिला कामगारों को कार्यस्थल पर और व्यापक समाज में कम शक्ति प्राप्त होती है।
  - समान वेतन और रोज़गार अवसर सुनिश्चित करना कार्यस्थल पर लैंगिक समानता में सुधार लाने में मासिक धर्म अवकाश से कहीं अधिक योगदान करेगा और यह दुर्घटनावश किसी भी मासिक धर्म/लिंग मिथकों को सुदृढ़ नहीं करेगा।
- **कार्य दशाओं और श्रम अधिकारों के लिये उपयुक्त मानक:**
  - मासिक धर्म अवकाश का समर्थन करने वाले अधिकांश देशों में इसका तात्पर्य विशेष रूप से 'स्वेटशॉप लेबर' (sweatshop labour) दशाओं में सुधार या उन्मूलन से है। यूके और इस तरह की अन्य अर्थव्यवस्थाओं में, यह ज़ीरो-आर अनुबंध (zero-hour contracts) वाले लोगों या अन्य कमज़ोर कामकाजी आबादी (जैसे प्रवासी श्रमिक) या कम वेतन पर लंबे समय तक काम करने के लिये विवश या असुविधाजनक या खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा से संबंधित है।
  - यदि वैश्विक न्यूनतम श्रम मानकों में कार्य घंटों (लचीले/अधिकतम), वेतन (उचित एवं निर्वाहक), उचित आराम एवं शौचालय अवकाश, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों (सभी श्रमिकों पर लागू), बीमारी अवकाश और समान अवसरों (माहवारी स्वास्थ्य साक्षरता सहित) के संबंध में सुधार किया जाए तो किसी भी अतिरिक्त 'मासिक धर्म अवकाश' जैसी नीति की आवश्यकता नहीं होगी।
    - वस्तुत: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) यह अपेक्षा रखता भी है कि सरकारों को स्कूलों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक संस्थानों को ऐसा समर्थनकारी बनाना चाहिये जो मासिक धर्म के सहज एवं गरिमापूर्ण प्रबंधन में सहायक हो।

नोट:

- **'स्वेटशॉप लेबर' (Sweatshop Labour):** यह उन कार्य दशाओं को संदर्भित करता है जो कम वेतन, सुदीर्घ कार्य घंटे, खराब कार्य दशाएँ और प्राय: कामगारों के शोषण से चिह्नित होता है। ये स्थितियाँ आम तौर पर कारखानों में पाई जाती हैं, विशेष रूप से विकासशील देशों में, जहाँ कामगारों को (जिनमें प्राय: बच्चे भी शामिल होते हैं) विकसित देशों में निर्यात हेतु माल के उत्पादन के लिये नियोजित किया जाता है।
- **ज़ीरो-आर अनुबंध (Zero-Hour Contracts):** ये ऐसे रोज़गार समझौते हैं जहाँ नियोक्ता कर्मचारी के लिये न्यूनतम कार्य घंटे प्रदान करने के लिये बाध्य नहीं है और कर्मचारी किसी भी प्रस्तावित कार्य को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है। इस प्रकार के अनुबंध की रोज़गार सुरक्षा एवं स्थिरता की कमी के साथ-साथ नियोक्ताओं द्वारा शोषण की संभावना के लिये प्राय: आलोचना की जाती है ।

मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न सरकारी योजनाएँ:

- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मासिक धर्म स्वच्छता योजना
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सबला (SABLA) कार्यक्रम
- ग्रामीण विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- स्वच्छ भारत मिशन और 'स्वच्छ भारत: स्वच्छ विद्यालय' (SB:SV)
- स्वच्छता में लैंगिक मुद्दों पर दिशानिर्देश, 2017
- मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश
- 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समर्थित)

निष्कर्ष:

जबकि कुछ लोग जागरूकता बढ़ाने के लिये सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश की वकालत करते हैं, यह दृष्टिकोण अनजाने में लैंगिक अंतराल को बढ़ा सकता है। मासिक धर्म को एक जैविक अलाभ के रूप में वर्गीकृत करने के बजाय इसके विविध अनुभवों की पहचान करना और उनके अनुकूल समर्थन प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है।

ऐसी नीतियों का कार्यान्वयन संभावित दुरुपयोग के प्रति सचेत हो और व्यक्तिगत निजता एवं गरिमा का सम्मान सुनिश्चित करे। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट लगातार बनी रही असमानताओं को उजागर करती है, जो लैंगिक समानता को आगे बढ़ाते हुए मासिक धर्म संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिये सूक्ष्म, समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देती है।

■■■

17वीं लोकसभा का कामकाज: एक विस्तृत विश्लेषण

17वीं लोक सभा—जिसकी बैठकें जून 2019 से फ़रवरी 2024 तक संपन्न हुईं, ने 1354 घंटों तक चले कुल 274 सत्र आयोजित किये और लगभग 97% की सराहनीय कार्य उत्पादकता दर दर्ज की।

हालाँकि 17वीं लोकसभा के संचालन को कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से शोरगुल के बीच और पर्याप्त बहस के बिना विधेयक पारित करने की सरकार की जल्दबाज़ी के संबंध में, जहाँ सदन की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली प्रभावित होती नज़र आई।

17वीं लोकसभा की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रहीं?

- कई प्रमुख विधेयकों का पारित होना: 17वीं लोकसभा में 179 विधेयक (वित्त और विनियोग विधेयकों को छोड़कर) पारित किये गये। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने सबसे अधिक संख्या में (इनमें से प्रत्येक ने 15%) विधेयक प्रस्तुत किये, जिसके बाद विधि एवं न्याय मंत्रालय (9%) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (9%) का स्थान रहा। इनमें शामिल कुछ प्रमुख विधेयक ये रहे:
  - महिला आरक्षण विधेयक 2023
  - जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019
  - मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023
  - तीन श्रम संहिताएँ
  - डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक, 2023
  - तीन कृषि कानून (जिन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया)।
  - IPC 1860, CrPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करने वाले तीन विधेयक।
- निजी सदस्य विधेयक (Private Member Bills): 17वीं लोकसभा में 729 निजी सदस्य विधेयक पेश किये गए।
- मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किये गए पत्र: 17वीं लोकसभा के दौरान मंत्रियों द्वारा 26,750 पत्र (papers) सदन पटल पर पेश किये गए।
- **संसदीय स्थायी समितियाँ (Parliamentary Standing Committees):** उन्होंने कुल 691 रिपोर्टें प्रस्तुत कीं और समिति की 69% से अधिक अनुशंसाएँ सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गईं।
- **डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग:** 17वीं लोकसभा में 'पेपरलेस ऑफिस' की परिकल्पना को साकार करते हुए संसदीय कार्यों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।
  - वर्तमान में 97 प्रतिशत से अधिक प्रश्न सूचनाएँ (question notices) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा रही हैं।
- **नया संसद भवन:** 19 सितंबर 2023 को संसद एक नए परिसर में स्थानांतरित हो गई। इसने भारत के लोकतंत्र के सदन के रूप में प्रतिष्ठित गोलाकार इमारत से सेंट्रल विस्टा (सिंह शीर्ष युक्त त्रिकोणीय इमारत) में एक ऐतिहासिक बदलाव को चिह्नित किया।

- **तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न:** 17वीं लोकसभा के दौरान 4,663 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 1,116 प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया गया। इसी अवधि में 55,889 अतारांकित प्रश्न भी पूछे गए जिनका सदन में लिखित उत्तर प्राप्त हुआ।

17वीं लोकसभा के कार्यकरण से संबद्ध प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- **17वीं लोकसभा में सभी पूर्णकालिक लोकसभाओं में से सबसे कम बैठकों का आयोजन:** 17वीं लोक सभा की कुल 274 बैठकें हुईं। केवल चार पिछली लोक सभाओं में इससे कम बैठकें हुई थीं, जिनमें से सभी पाँच वर्ष के कार्यकाल से पूर्व ही विघटित हो गई थीं। इस लोकसभा के दौरान आयोजित 15 सत्रों में से 11 समय-पूर्व स्थगित कर दी गईं।

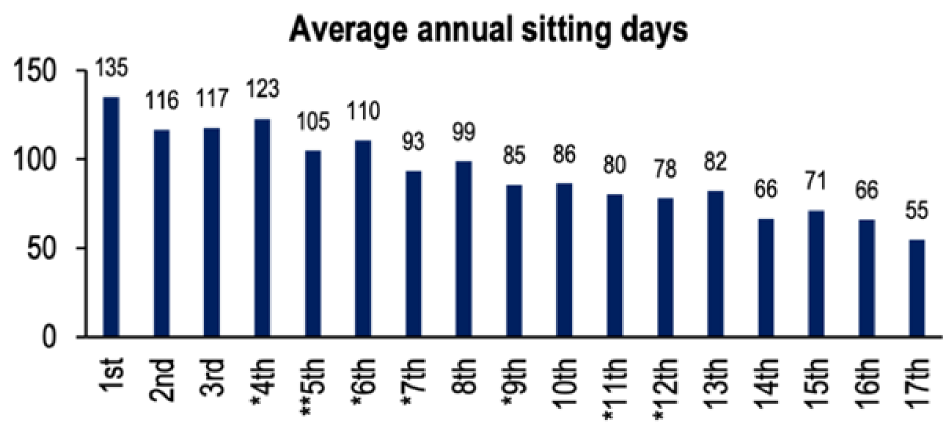

Note: * indicates a term less than five years; ** indicates a six year term.

- **पहली बार उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं:** संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा यथाशक्य शीघ्र एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। यह पहली बार हुआ कि लोकसभा ने अपनी पूरी अवधि में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया।
- **पेश किये जाने के दो सप्ताह के भीतर विधेयकों का पारित हो जाना:** 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान पेश किये गए अधिकांश विधेयक (58% विधेयक) उन्हें पेश किये जाने के दो सप्ताह के भीतर पारित कर दिये गए।
  - जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 और महिला आरक्षण विधेयक 2023 तो पेश होने के दो दिनों के भीतर ही पारित कर दिये गए।
  - 35% विधेयक लोकसभा में एक घंटे से भी कम की चर्चा अवधि के साथ पारित कर दिये गए।

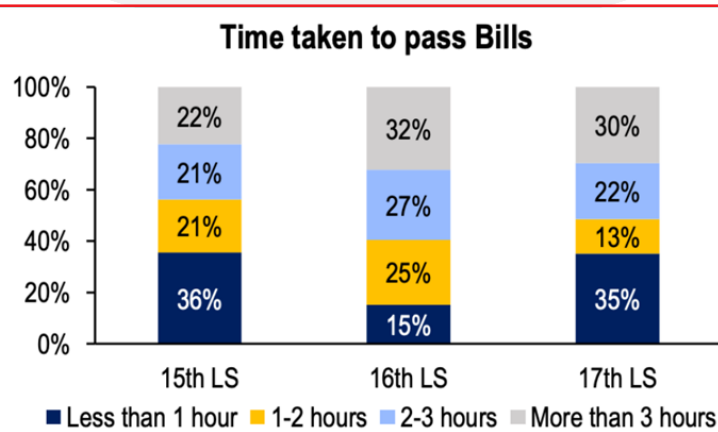

- **20% से भी कम विधेयक समितियों को भेजे गए:** 16% विधेयक ही विस्तृत संवीक्षा के लिये समितियों को भेजे गए। यह पिछली तीन लोकसभाओं के संगत आँकड़ों से निम्न स्तर को प्रदर्शित करता है।

नोट :

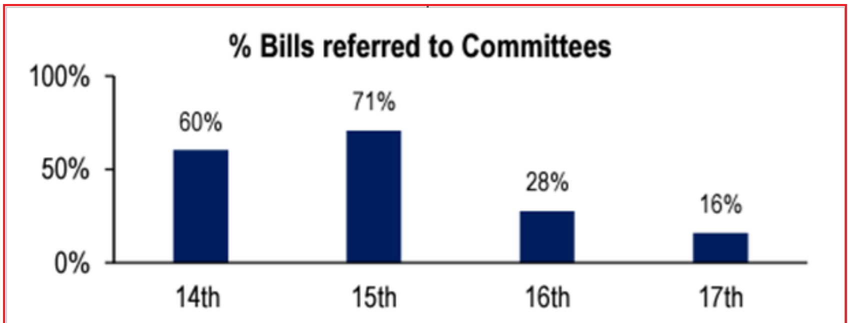

- **कुछ ही निजी सदस्य विधेयकों और प्रस्तावों पर चर्चा:** 17वीं लोकसभा में 729 निजी सदस्य विधेयक पेश किये गए जो 16वीं लोकसभा को छोड़कर अन्य सभी लोकसभाओं से उच्च संख्या को प्रदर्शित करती है। हालाँकि इनमें से केवल दो निजी सदस्य विधेयकों पर ही सदन में चर्चा हुई।
- **बजट चर्चा के लिये कम समय:** गुज़रते वर्षों में लोकसभा में बजट चर्चा का समय कम होता जा रहा है।
  - वर्ष 2019 से 2023 के बीच औसतन लगभग 80% बजट पर बिना चर्चा के ही मतदान हो गया। वर्ष 2023 में तो पूरा बजट ही बिना चर्चा के पारित कर दिया गया।
- **गंभीर सुरक्षा उल्लंघन:** 13 दिसंबर 2023 को संसद पर हमले (13 दिसंबर 2001) की बरसी के अवसर पर गंभीर सुरक्षा उल्लंघन का मामला सामने आया जब लोकसभा में शून्यकाल के दौरान दो व्यक्ति सार्वजनिक दीर्घा से सभा कक्ष में कूद आए और उन्होंने कनस्तरों से पीला धुँआ छोड़ते हुए नारेबाज़ी की।
- **अपराधीकरण की वृद्धि:** भारतीय राजनीति में अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति राजनीतिक क्षेत्र में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की बढ़ती उपस्थिति एवं प्रभाव को दर्शाती है।
  - एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट के अनुसार 17वीं लोकसभा में निर्वाचित संसद सदस्यों में से 43% के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित थे।

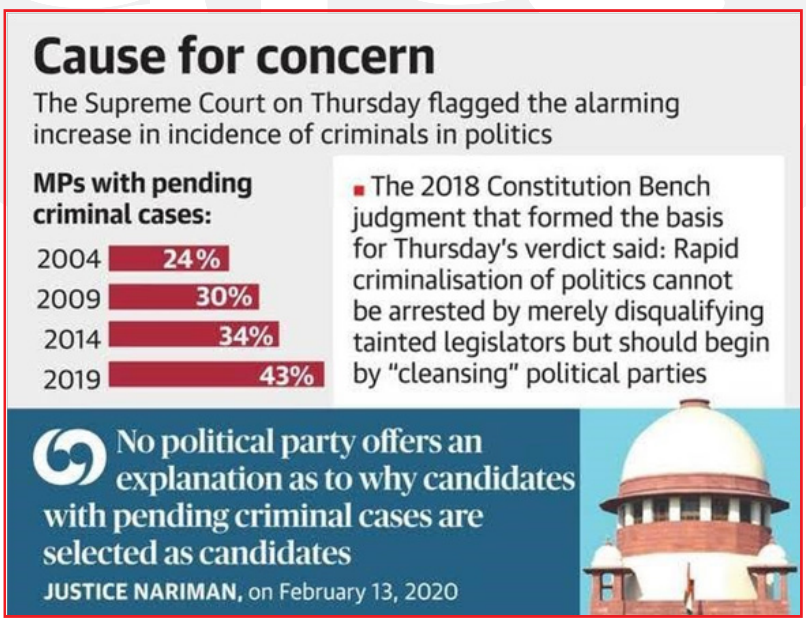

लोकसभा के कार्यकरण में इस गिरावट के क्या निहितार्थ हैं?

- **संस्थागत विश्वसनीयता का कमज़ोर पड़ना:**
  - अपनी विधायी उत्तरदायित्वों को प्रभावी ढंग से निभाने की लोकसभा की असमर्थता संसदीय संस्थाओं की विश्वसनीयता एवं प्राधिकार को कमज़ोर कर सकती है।

- इससे देश का लोकतांत्रिक ताना-बाना कमज़ोर हो सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों की वैधता घट सकती है।

- **जवाबदेही में कमी:**
  - संसदीय सत्रों की कम संख्या और सदस्यों की कम भागीदारी के साथ, सरकार के कार्यकरणों की पर्याप्त संवीक्षा नहीं हो पाती है।
  - इससे जवाबदेही कम हो सकती है क्योंकि विधि निर्माताओं के पास सरकार की नीतियों, निर्णयों एवं व्यय पर सवाल उठाने के कम अवसर होंगे।
- **अपर्याप्त प्रतिनिधित्व:**
  - जनसंख्या के विविध हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये संसदीय सहभागिता महत्त्वपूर्ण है।
  - जब सहभागिता कम हो जाती है तो कुछ आवाज़ें हाशिये पर चली जाती हैं, जिससे फिर कम समावेशी नीति निर्माण एवं विधान की स्थिति बनती है जो सभी संघटकों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल हो सकते हैं।
- **अक्षम नीति गुणवत्ता:**
  - सार्थक संसदीय सहभागिता में आमतौर पर विधि निर्माताओं के बीच गंभीर बहस, विचार-विमर्श और सहयोग शामिल होता है।
  - जब सहभागिता का स्तर कम हो जाता है तो अपर्याप्त आदान, संवीक्षा एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप नीति निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
- **अवरुद्ध नवोन्मेष:**
  - संसदीय सहभागिता प्रायः जटिल चुनौतियों के लिये नवीन समाधानों पर चर्चा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करती है।
  - सहभागिता में गिरावट विचारों के आदान-प्रदान और नवोन्वेषी नीति निर्माण दृष्टिकोण को बाधित कर सकती है, जिससे प्रगति और बदलती परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **भ्रष्टाचार को बढ़ावा:**
  - अपराध और राजनीति के बीच का गठजोड़ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, क्योंकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता अपनी शक्ति एवं प्रभाव को बनाए रखने के लिये रिश्वतखोरी, जबरन वसूली और अन्य अवैध गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं।
  - यह भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता एवं अखंडता को बढ़ावा देने के प्रयासों को कमज़ोर करता है।

आगे की राह

- **संसद की बेहतर छवि का निर्माण करना:**
  - संसद की बेहतर छवि के निर्माण के लिये संसदीय कार्यवाही में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय लागू किये जाएँ, जैसे सत्रों का सीधा प्रसारण, संसदीय दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड तक पहुँच बढ़ाना और संसद सदस्यों की उपस्थिति एवं कार्य-निष्पादन को सार्वजनिक करना।
- **सदस्यों की गुणवत्ता में सुधार:**
  - राजनीतिक दलों को संसदीय चुनावों के लिये उम्मीदवारों के चयन के लिये योग्यता-आधारित मानदंड अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाए, जहाँ योग्यता, अनुभव एवं सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता पर बल दिया जाए।
  - हाशिये पर स्थित समुदायों और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर विविधता एवं समावेशिता को बढ़ावा देना।
- **एक संविधान समिति का गठन करना:**
  - एक संविधान समिति (Constitution Committee) समकालीन चुनौतियों और उभरती सामाजिक आवश्यकताओं को संबोधित करने में इसकी प्रासंगिकता, पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का आकलन करने के लिये संविधान की समय-समय पर समीक्षा कर सकती है।
  - यह सुनिश्चित करेगा कि संविधान बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में सक्षम एक जीवंत दस्तावेज़ बना रहे।
- **विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना:**
  - पक्षपातपूर्ण एजेंडे पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के लिये संसदीय समितियों के भीतर सहयोग एवं द्विदलीय या बहुदलीय सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना उपयुक्त होगा।
  - रचनात्मक संवाद और सर्वसम्मति निर्माण को प्रोत्साहित करने से संवीक्षा प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ सकती है और संसदीय निगरानी सुदृढ़ हो सकती है।
- **संवीक्षा समर्थन को सबल करना:**
  - संसदीय समितियों को उनके संवीक्षा प्रयासों में सहायता के लिये स्वतंत्र अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक सहायता तक पहुँच प्रदान किया जाए।

नोट :

- इसमें संसद के भीतर समर्पित अनुसंधान इकाइयाँ स्थापित करना या जटिल मुद्दों पर विशेषज्ञता प्रदान करने के लिये बाहरी अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग करना शामिल हो सकता है।

- **संभावित प्रभावों का आकलन करना:**
  - विभिन्न क्षेत्रों और हितधारकों पर प्रस्तावित कानून के संभावित प्रभावों का आकलन करने के लिये विभिन्न विश्लेषणात्मक उपकरणों एवं पद्धतियों का उपयोग किया जाए।
  - इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों की पहचान करने के लिये लागत-लाभ विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन और परिदृश्य योजना-निर्माण शामिल हो सकता है।
- **आचरण के नियम स्थापित करना और लागू करना:**
  - संसदीय कार्यवाही के लिये आचरण के स्पष्ट एवं प्रवर्तनीय नियम लागू किये जाएँ, जहाँ शिष्टाचार संबंधी अपेक्षाएँ, भाषणों के लिये समय सीमा, आपत्तियाँ उठाने की प्रक्रिया और व्यवधानकारी व्यवहार के परिणाम को रेखांकित किया जाए।

निष्कर्ष

भारत को सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श और सर्वसम्मति-निर्माण के माध्यम से संसद संबंधी, राजनीतिक दल संबंधी, निर्वाचन संबंधी एवं न्यायिक सुधारों सहित राजनीतिक और आर्थिक सुधार के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। यह सामूहिक प्रयास देश में हमारी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को संवृद्ध करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

■■■

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड पर लगाईं रोक

सर्वोच्च न्यायालय (SC) की पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत निर्णय में चुनावी बॉण्ड मामले में हर पहलू पर हर चुनौती को बरकरार रखा और इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसने SBI को चुनावी बॉण्ड जारी करना तुरंत बंद करने और बिक्री किये गए बॉण्ड से संबंधित सभी जानकारी और सभी दाताओं एवं प्राप्तकर्त्ताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को सौंपने का आदेश दिया।

चुनावी बॉण्ड योजना (Electoral Bond Scheme) क्या है?

- **चुनावी बॉण्ड (Electoral Bonds):**
  - चुनावी बॉण्ड वचन पत्र की तरह के धन साधन हैं, जिन्हें भारत में कंपनियों एवं व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से खरीदा जा सकता है और इन्हें किसी राजनीतिक दल को दान दिया जा सकता है, जो फिर इन बॉण्डों को भुना सकता है।
    - ये बॉण्ड केवल किसी पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं।
  - कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से ये बॉण्ड खरीद सकता है।
- **चुनावी बॉण्ड योजना:**
  - भारत में राजनीतिक फंडिंग को भ्रष्टाचार-मुक्त करने के लिये वर्ष 2018 में चुनावी बॉण्ड योजना शुरू की गई थी।
  - चुनावी बॉण्ड योजना के पीछे का मुख्य विचार भारत में चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता लाना था।
  - सरकार ने इस योजना को 'कैशलेस-डिजिटल अर्थव्यवस्था' की ओर आगे बढ़ रहे देश में एक आवश्यक 'चुनावी सुधार' बताया था।
- केवल नागरिकों के सशक्तीकरण के बारे में नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनर्परिभाषित करता है।" विवेचना कीजिये। (2018)
- **वर्ष 2022 में योजना में किये गए संशोधन:**
  - 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि:
    - इसके तहत एक नया पैरा पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्यों की विधानसभा और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के आम चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा पंद्रह दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट की जाएगी।
    - वर्ष 2018 में जब चुनावी बॉण्ड योजना शुरू की गई थी तो ये बॉण्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में से प्रत्येक में 10 दिनों की अवधि के लिये उपलब्ध कराए गए थे, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
    - लोकसभा के आम चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट की जानी थी।
  - वैधता (Validity):
    - चुनावी बॉण्ड जारी होने की तिथि से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिये वैध होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉण्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतान प्राप्तकर्त्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

- किसी अर्हित राजनीतिक दल द्वारा उसके खाते में जमा किया गया चुनावी बॉण्ड उसी दिन भुना दिया जाएगा।
- पात्रता (Eligibility):
  - केवल वे राजनीतिक दल जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA, 1951) की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में या राज्य विधानसभा के चुनाव में कम से कम 1% मत हासिल किये थे, चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को क्यों निरस्त कर दिया?

- **सूचना के अधिकार का उल्लंघन:**
  - न्यायालय ने माना कि यह योजना गुमनाम या गुप्त राजनीतिक दान की अनुमति देकर संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है।
    - न्यायालय ने कहा कि ऐसा अधिकार केवल वाक् एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की पूर्ति करने तक ही सीमित है, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाकर सहभागी लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, यह केवल साध्य का साधन नहीं है, बल्कि स्वयं में एक साध्य है।
- निर्णय में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि धन एवं राजनीति के बीच गहरे संबंध के कारण आर्थिक असमानता राजनीतिक संलग्नता के विभिन्न स्तरों का निर्माण करती है। इसके परिणामस्वरूप, इस बात की वैध संभावना बनती है कि किसी राजनीतिक दल को वित्तीय दान देने से 'बदले में कुछ प्राप्त करने' या प्रतिदान व्यवस्था (quid pro quo arrangements) का निर्माण होगा।
- **काले धन पर अंकुश लगाने में आनुपातिक रूप से उचित नहीं:**
  - के.एस. पुट्टास्वामी मामले में अपने वर्ष 2017 के निर्णय में निर्दिष्ट आनुपातिकता परीक्षण (proportionality test) पर भरोसा करते हुए—जिसने निजता के अधिकार को बरकरार रखा था, न्यायालय ने रेखांकित किया कि सरकार ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये न्यूनतम प्रतिबंधात्मक तरीका नहीं अपनाया है।
    - ऐसे न्यूनतम प्रतिबंधात्मक तरीकों के उदाहरण के रूप में मुख्य न्यायाधीश ने गुप्त दान पर 20,000 रुपए की सीमा और चुनावी ट्रस्ट (Electoral Trusts) की अवधारणा का हवाला दिया जो दानकर्त्ताओं से राजनीतिक दान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
  - न्यायालय याचिकाकर्त्ताओं की इस दलील से भी सहमत हुआ कि चूँकि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य की पुष्टि अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्दिष्ट किसी भी युक्तियुक्त निर्बंध से नहीं की जा सकती, इसलिये इसे सूचना के मूल अधिकार को प्रतिबंधित करने का वैध उद्देश्य नहीं माना जा सकता है।
- **दानकर्त्ता की गोपनीयता का अधिकार उसके द्वारा दिये गए दान तक विस्तारित नहीं है:**
  - न्यायालय ने माना कि राजनीतिक दलों को वित्तीय दान आम तौर पर दो कारणों से दिया जाता है- समर्थन की अभिव्यक्ति के रूप में और दूसरा, प्रतिदान के उपाय के रूप में।
    - हालाँकि, इसने इस बात पर बल दिया कि कॉर्पोरेशन एवं कंपनियों द्वारा दिये गए भारी राजनीतिक दान को आबादी के किसी अन्य वर्ग- छात्र, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, कलाकार या एक शिक्षक द्वारा किये गए वित्तीय योगदान से अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिये।
  - इस प्रकार, मुख्य न्यायाधीश ने माना कि राजनीतिक संबद्धता की गोपनीयता का अधिकार उन योगदानों तक विस्तारित नहीं है, जो नीतियों को प्रभावित करने के लिये किये जा सकते हैं। इसका विस्तार केवल राजनीतिक समर्थन के वास्तविक रूप में किये गए योगदान तक ही सीमित है।
- **असीमित कॉर्पोरेट दान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की भावना का उल्लंघन करता है:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 में किया गया संशोधन, जो कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान की अनुमति देता है, स्पष्ट रूप से मनमाना है।
    - यह प्रावधान भारतीय कंपनियों को विशिष्ट शर्तों के तहत राजनीतिक दलों को वित्तीय दान देने की अनुमति देता है। हालाँकि, वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान देने की पूर्व-सीमा (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत मुनाफे का 7.5%) को हटाने सहित कई महत्त्वपूर्ण बदलाव पेश किये गए।

- इसके अतिरिक्त, कंपनियों के लिये उन राजनीतिक दलों के नामों का खुलासा अपने लाभ एवं हानि खातों (Profit and Loss accounts) में करने की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई जिन्हें उन्होंने दान दिया है।
- मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 182 व्यक्तियों द्वारा दिये गए राजनीतिक दान को कंपनियों द्वारा दिये गए दान के समान मानने में गलती करती है क्योंकि कंपनियाँ प्राय: प्रतिदान के इरादे से ये दान करते हैं।

- **RPA 1951 की धारा 29C में किये गए संशोधन को रद्द किया गया:**
  - आरंभ में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C में राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से अधिक के सभी दानों की घोषणा करने और यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता थी कि वे कहाँ से प्राप्त हुए (व्यक्तिगत व्यक्तियों की ओर से या कंपनियों की ओर से)।
    - लेकिन वित्त अधिनियम 2017 ने एक अपवाद के निर्माण के लिये इस प्रावधान में संशोधन कर दिया, जिसमें ऐसी आवश्यकता चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान पर लागू नहीं होगी।
  - इस संशोधन को रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा कि 20,000 रुपए से अधिक के दान का खुलासा करने की मूल आवश्यकता ने मतदाताओं के सूचना के अधिकार को दानकर्त्ताओं के गोपनीयता के अधिकार के साथ प्रभावी ढंग से संतुलित किया है, विशेष रूप से जबकि इस सीमा से नीचे के दान राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की बहुत कम संभावना रखते हैं।

- **SC द्वारा की गई अन्य टिप्पणियाँ:**
  - SBI को आदेश दिया गया है कि वह आगे चुनावी बॉण्ड को जारी करने पर तुरंत रोक लगाए और 12 अप्रैल 2019 से राजनीतिक दलों द्वारा खरीदे गए ऐसे सभी बॉण्डों का विवरण 6 मार्च 2024 तक ECI को प्रस्तुत करे।
    - इस तरह के विवरण में प्रत्येक बॉण्ड की खरीद की तिथि, बॉण्ड के खरीदार का नाम और खरीदे गए बॉण्ड का मूल्य शामिल होना चाहिये।
    - ECI भारतीय स्टेट बैंक द्वारा साझा की गई ऐसी सभी सूचनाओं को 13 मार्च 2024 तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करे।
  - वे चुनावी बॉण्ड जो अभी पंद्रह दिनों की वैधता अवधि के भीतर हैं, लेकिन अभी तक राजनीतिक दल द्वारा भुनाए नहीं गए हैं, उन्हें वापस करना होगा, जिसके बाद जारीकर्त्ता बैंक खरीदार के खाते में राशि वापस कर देगा।

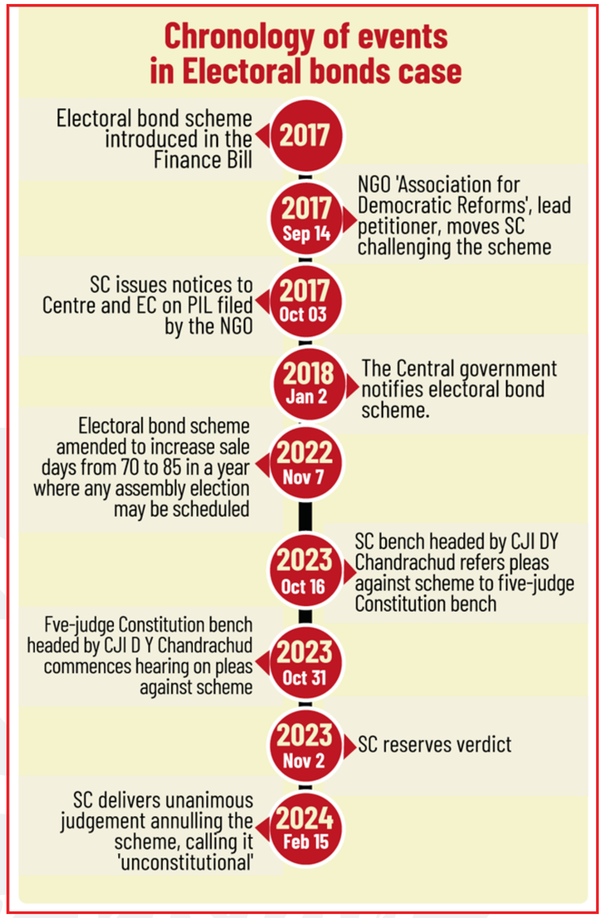

चुनावी बॉण्ड के संबंध में कौन-सी चिंताएँ व्यक्त की गईं?

- **इसे लाए जाने के मूल विचार के विरुद्ध:**
  - चुनावी बॉण्ड योजना की मुख्य आलोचना यह है कि यह जो करने का उद्देश्य रखती है—यानी चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता लाना, उसके ठीक विपरीत काम करती है।
  - उदाहरण के लिये, आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बॉण्ड की गुमनामी या अनामिकता केवल व्यापक जनता और विपक्षी दलों के लिये है।
- **जबरन वसूली की संभावना:**
  - चूँकि ऐसे बॉण्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक (SBI) के माध्यम से बेचे जाते हैं, सरकार के लिये यह जानने का अवसर बनता है कि उसके विरोधियों का वित्तपोषण कौन कर रहा है।
  - यह, बदले में, ऐसी संभावना उत्पन्न करता है कि तत्कालीन सरकार धन की जबरन वसूली करे (विशेष रूप से बड़ी कंपनियों से) या सत्तारूढ़ दल को धन न देने के लिये उन्हें पीड़ित करे, जहाँ इन दोनों ही रूपों में सत्तारूढ़ दल को अनुचित लाभ प्राप्त होता है।

- **लोकतंत्र पर आघात:**
  - वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान का खुलासा करने से छूट दे दी है।
  - इसका अर्थ यह है कि मतदाताओं को यह पता नहीं होगा कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस दल को और कितनी मात्रा में धन दिया है। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक उन लोगों के लिये मतदान करते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे।

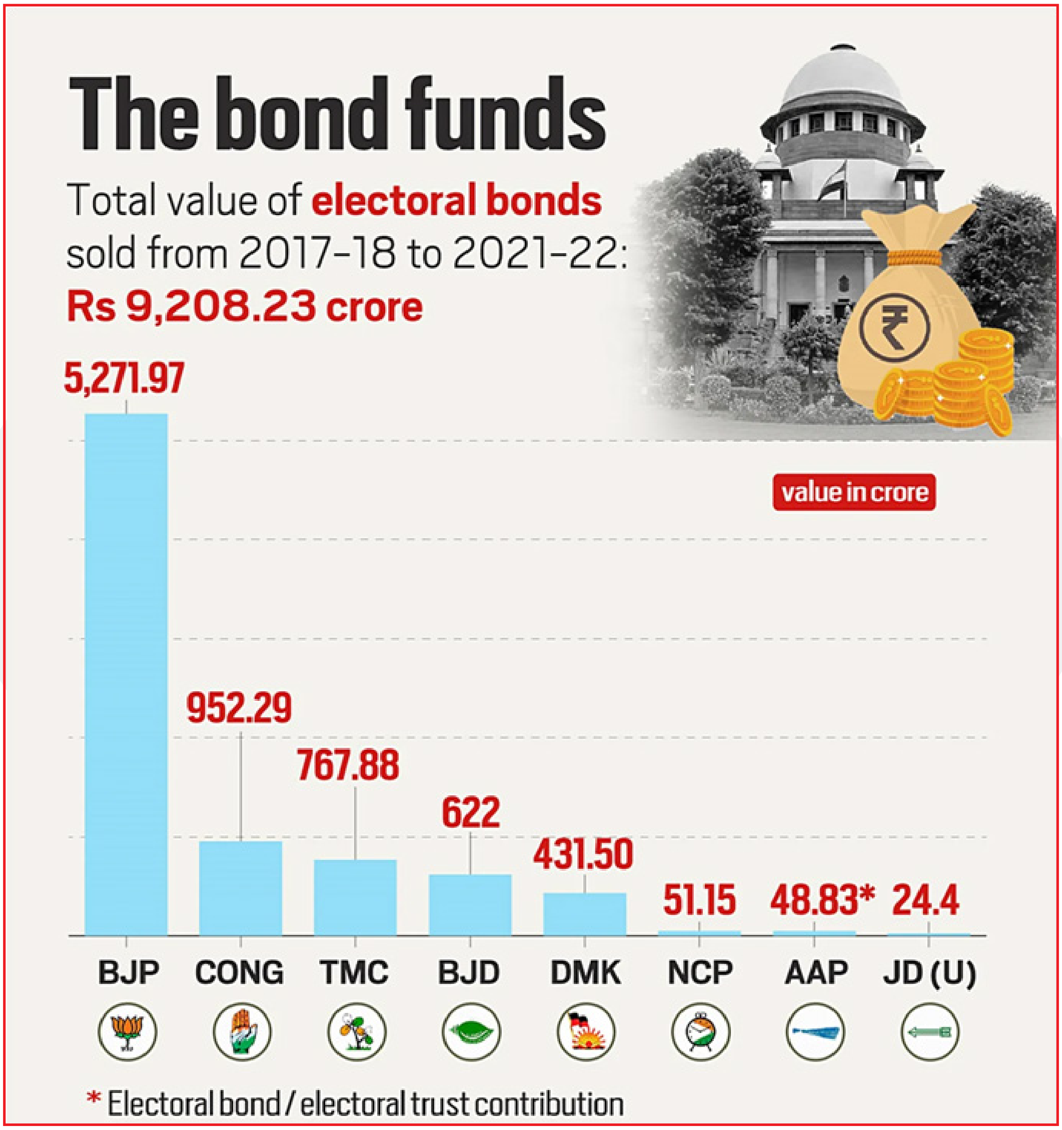

- **जानने के अधिकार (Right to Know) से समझौता:**
  - भारतीय सर्वोच्च न्यायालय लंबे समय से यह मानता रहा है कि 'जानने का अधिकार', विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।
- **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के विरुद्ध:**
  - चुनावी बॉण्ड नागरिकों को कोई विवरण प्रदान नहीं करते हैं। हालाँकि, उक्त गुमनामी तत्कालीन सरकार पर लागू नहीं होती है, जो SBI से डेटा की मांग कर दानकर्त्ता विवरण तक पहुँच सकती है।

नोट :

- इसका तात्पर्य यह है कि सत्तारूढ़ सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को बाधित कर सकती है।

- **'क्रोनी कैपिटलिज्म' (Crony Capitalism):**
  - चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक दान पर सभी पूर्व-मौजूदा सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी रूप से संसाधन-संपन्न निगमों को चुनावों को वित्तपोषित करने की अनुमति देती है, जिससे आगे 'क्रोनी कैपिटलिज्म' का मार्ग प्रशस्त होता है।
  - क्रोनी कैपिटलिज्म: ऐसी आर्थिक प्रणाली जो कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ एवं पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों से चिह्नित होती है।
- **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) रिपोर्ट 2023 में जताई गई चिंताएँ:**
  - दान और धन स्रोतों के विषम अनुपात का विश्लेषण:
    - चुनावी बॉण्ड के माध्यम से सबसे अधिक दान (कुल 3,438.8237 करोड़ रुपए) वर्ष 2019-20 में प्राप्त हुआ जो आम चुनाव का वर्ष था।
    - वर्ष 2021-22 (जिसमें 11 विधानसभा चुनाव संपन्न हुए) में चुनावी बॉण्ड के माध्यम से 2,664.2725 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ।
    - विश्लेषण में शामिल 31 राजनीतिक दलों को प्राप्त कुल 16,437.635 करोड़ रुपए के दान में से 55.90% चुनावी बॉण्ड से, 28.07% कॉर्पोरेट क्षेत्र से और 16.03% अन्य स्रोतों से प्राप्त हुआ।
  - राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल:
    - वित्त वर्ष 2017-18 और 2021-22 के बीच राष्ट्रीय दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान में 743% की वृद्धि हुई।
    - इसके विपरीत, इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय दलों को प्राप्त कॉर्पोरेट दान में केवल 48% की वृद्धि हुई।
    - क्षेत्रीय दलों को भी चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान का बड़ा हिस्सा मिला।
  - चुनावी बॉण्ड का सत्ता-पक्षपाती दान:
    - राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में सत्तारूढ़ दल को सबसे अधिक दान प्राप्त हुआ। सत्तारूढ़ दल को प्राप्त कुल दान का 52% से अधिक भाग चुनावी बॉण्ड से प्राप्त हुआ, जिसकी राशि 5,271.9751 करोड़ रुपए थी।
    - प्रमुख विपक्षी दल 952.2955 करोड़ रुपए के साथ चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान के मामले में दूसरे स्थान पर रहा (उसे प्राप्त कुल दान का 61.54%), जबकि देश की तीसरे सबसे बड़े दल को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से 767.8876 करोड़ रुपए (उसे प्राप्त कुल दान का 93.27%) प्राप्त हुए।

भारत में चुनावी वित्तपोषण के संबंध में कुछ प्रमुख सुझाव

- **दान का विनियमन:**
  - कुछ व्यक्तियों या संगठनों, उदाहरण के लिये विदेशी नागरिकों या कंपनियों के दान पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दान की सीमाएँ भी निर्धारित की जा सकती हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना हो कि किसी दल पर कुछ बड़े दानकर्त्ताओं—चाहे वे व्यक्ति हों, निगम हों या नागरिक समाज संगठन हों, का अतिशय प्रभाव न हो।
  - कुछ देश राजनीति में धन के प्रभाव को विनियमित करने के लिये योगदान सीमा पर भरोसा करते हैं। अमेरिकी संघीय कानून विभिन्न प्रकार के दानदाताओं पर अलग-अलग योगदान सीमाएँ आरोपित करता है। कुछ अन्य देश, जैसे कि यूके, योगदान सीमा तो आरोपित नहीं करते, लेकिन व्यय पर एक सीमा रखते हैं।
- **व्यय की सीमा:**
  - व्यय पर आरोपित सीमाएँ राजनीति को वित्तीय होड़ से बचाती हैं। वे मतों के लिये प्रतिस्पर्द्धा शुरू करने से पहले ही धन के लिये प्रतिस्पर्द्धा करने के दबाव से राजनीतिक दलों को मुक्त कर देती हैं।
  - इसलिये, कुछ देश राजनीतिक दलों पर व्यय सीमा आरोपित करते हैं। उदाहरण के लिये, यूके में राजनीतिक दलों को प्रति सीट 30,000 यूरो (लगभग 30 लाख रुपए) से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रथम संशोधन (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) की व्यापक व्याख्या से व्यय सीमा आरोपित करने के विधायी प्रयासों को बाधा पहुँची है।
- **राजनीतिक दलों को सार्वजनिक धन उपलब्ध कराना:**
  - सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है पूर्व निर्धारित मानदंड निर्धारित करना। उदाहरण के लिये, जर्मनी में राजनीतिक दलों को राजनीतिक व्यवस्था में उनके महत्त्व के आधार पर सार्वजनिक धन प्रदान किया जाता है।

नोट :

- आम तौर पर इसे पिछले चुनावों में उन्हें प्राप्त मतों, सदस्यता शुल्क और निजी स्रोतों से प्राप्त दान के आधार पर मापा जाता है। जर्मन 'पॉलिटिकल पार्टी फ़ाउंडेशन' को दल-संबद्ध पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में अपने कार्य के लिये समर्पित विशेष राज्य निधि प्राप्त होती है।
- सार्वजनिक वित्तपोषण में एक अपेक्षाकृत नवीन प्रयोग 'डेमोक्रेसी वाउचर्स' (democracy vouchers) का है, जिसका उपयोग सिएटल (अमेरिका) में स्थानीय चुनावों में किया जाता है। सरकार पात्र मतदाताओं को एक निश्चित संख्या में वाउचर्स वितरित करती है, जिनमें से प्रत्येक एक निश्चित राशि का मूल्य रखता है।
- मतदाता इन वाउचर्स का उपयोग अपनी पसंद के उम्मीदवार को दान देने के लिये कर सकते हैं। ये वाउचर्स सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित हैं, लेकिन धन आवंटित करने का निर्णय व्यक्तिगत मतदाता का होता है। सरल शब्दों में कहें तो मतदाता बैलेट के रूप में वोट देने से पहले अपने धन के रूप में 'वोट' देते हैं।

प्रकटीकरण आवश्यकताएँ:

- विनियमन उपाय के रूप में प्रकटीकरण (Disclosure) इस धारणा पर आधारित है कि सूचना आपूर्ति एवं सार्वजनिक संवीक्षा राजनेताओं के निर्णयों और मतदाताओं के मतों को प्रभावित कर सकती है। हालाँकि, दलों को दिये गए दान का अनिवार्य प्रकटीकरण हमेशा वांछनीय नहीं होता है।
- कई बार दानकर्त्ता गुमनामी उनकी सुरक्षा के उपयोगी उद्देश्य को पूरा करती है। उदाहरण के लिये, दानकर्त्ताओं को सत्तारूढ़ दलों द्वारा प्रतिशोध या जबरन वसूली के भय का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिशोध का यह खतरा दानकर्त्ताओं को अपनी पसंद के दलों को धन दान करने से हतोत्साहित कर सकता है।
- कई देशों को पारदर्शिता और गुमनामी की इन दो वैध चिंताओं के बीच उचित संतुलन बनाने में संघर्ष का सामना करना पड़ा है। इस मुद्दे को भी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संबोधित किया है।

चिली का प्रयोग:

- 'आरक्षित योगदान' (reserved contributions) की चिली की प्रणाली के तहत, दानकर्त्ता राजनीतिक दलों को दान हेतु इच्छित धनराशि को 'चिली इलेक्टोरल सर्विस' को हस्तांतरित कर सकते हैं जो दाता की पहचान का खुलासा किये बिना दल को वह राशि अग्रेषित कर देता है।
- यदि यह पूरी गुमनामी प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करे तो राजनीतिक दल किसी विशिष्ट दाता द्वारा दान की गई राशि का पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे और फिर प्रतिदान व्यवस्था का निर्माण करना अत्यंत कठिन होगा।
- हालाँकि, यह दानकर्त्ताओं (जो सरकारी संरक्षण चाहते हैं) और राजनीतिक दलों (जिन्हें धन की आवश्यकता है) के हित में होगा कि वे उन दानकर्त्ताओं द्वारा दान की गई राशि का पता लगाने के लिये अनौपचारिक रूप से पहले से ही समन्वय करें। वस्तुतः जैसा कि वर्ष 2014-15 में हुए विभिन्न घोटालों से खुलासा हुआ, चिली के राजनेताओं और दानकर्त्ताओं ने पूर्ण गुमनामी की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से अप्रभावी करने के लिये एक-दूसरे के साथ समन्वय किया था।

पारदर्शिता और गुमनामी को संतुलित करना:

- सबसे प्रमुख प्रतिक्रियाओं में से एक यह होगा कि पारदर्शिता और गुमनामी में वैध सार्वजनिक हितों को संतुलित किया जाए। कई देश छोटे दानकर्त्ताओं को गुमनाम बने रहने की अनुमति देकर इस संतुलन को कायम रखते हैं, जबकि बड़े दान के खुलासे की आवश्यकता होती है।
- यूके में, किसी राजनीतिक दल को एक कैलेंडर वर्ष में एक ही स्रोत से प्राप्त कुल 7,500 पाउंड से अधिक के दान की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। जर्मनी में यह सीमा 10,000 यूरो है।
- इस दृष्टिकोण के पक्ष में तर्क यह है कि छोटे दानकर्त्ताओं की सरकार में सबसे कम प्रभावशाली होने और पक्षपातपूर्ण उत्पीड़न के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होने की संभावना होती है, जबकि बड़े दानकर्त्ताओं द्वारा राजनीतिक दलों के साथ प्रतिदान व्यवस्था का निर्माण करने की अधिक संभावना होती है।

राष्ट्रीय निर्वाचन कोष की स्थापना करना:

- एक अन्य विकल्प यह है कि एक राष्ट्रीय निर्वाचन कोष (National Election Fund) की स्थापना की जाए जिसमें सभी दानकर्त्ता दान दे सकें। राजनीतिक दलों को उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर धन आवंटित किया जा सकता है। इससे दानकर्त्ताओं से प्रतिशोध के बारे में तथाकथित चिंता समाप्त हो जाएगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान एक नए मुद्दे को भी चिह्नित किया जो था आतंक या हिंसक विरोध प्रदर्शन जैसी गतिविधियों के लिये राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन के दुरुपयोग की संभावना और उसने केंद्र से पूछा कि क्या धन के अंतिम उपयोग पर उसका कोई नियंत्रण है।

राजनीतिक दलों के वित्तपोषण पर प्रमुख अनुशंसाएँ

- **चुनाव के राज्य वित्तपोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति, 1998:**
  - कम वित्तीय संसाधनों वाले दलों के लिये निष्पक्ष अवसर के निर्माण के लिये राज्य द्वारा चुनावों के वित्तपोषण का समर्थन किया गया।
  - अनुशंसित सीमाएँ:
    - राज्य वित्त केवल राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय दलों को आवंटित किया जाएगा, स्वतंत्र उम्मीदवारों को नहीं।
    - आरंभ में राज्य वित्तपोषण को साधन के रूप में प्रदान किया जाए जहाँ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को कुछ सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं।
    - समिति ने आर्थिक बाधाओं को स्वीकार किया और पूर्ण राज्य वित्तपोषण के बजाय आंशिक वित्तपोषण की वकालत की।
- **निर्वाचन आयोग की अनुशंसाएँ:**
  - निर्वाचन आयोग की वर्ष 2004 की रिपोर्ट में राजनीतिक दलों के लिये अपने खातों को वार्षिक रूप से प्रकाशित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि आम जनता और संबंधित संस्थाओं द्वारा इसकी संवीक्षा की अनुमति मिल सके।
    - नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा अनुमोदित फर्मों द्वारा ऑडिट किये जाने के साथ, परिशुद्धता सुनिश्चित करते हुए ऑडिट किये गए खातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिये।
- **विधि आयोग, 1999:**
  - इसने चुनावों के लिये कुल राज्य वित्तपोषण को इस शर्त के तहत 'वांछनीय' बताया कि राजनीतिक दलों को अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जाए।
  - विधि आयोग की वर्ष 1999 की रिपोर्ट में राजनीतिक दल के खातों के रखरखाव, ऑडिट एवं प्रकाशन के लिये और ग़ैर-अनुपालन के लिये दंड के साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया (धारा 78A का प्रवेश कराते हुए)।

निष्कर्ष

15 फ़रवरी 2024 भारत के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को निरस्त करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। न्यायालय ने लोकतंत्र को संविधान की मूल संरचना के रूप में बरकरार रखते हुए, इसके समक्ष प्रस्तुत हर चुनौती को संबोधित करते हुए, सर्वसम्मत निर्णय में इस योजना को असंवैधानिक बताया। इस निर्णय के अनुसार सरकार को चुनावी बॉण्ड जारी करना तुरंत बंद करना होगा और भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष सभी प्रासंगिक सूचना का प्रकटीकरण करना होगा। न्यायालय के निर्णय में इस योजना में सूचना के अधिकार के उल्लंघन को उजागर किया गया और सरकार के तर्कों को खारिज कर दिया गया, जहाँ न्यायालय ने बलपूर्वक कहा कि संविधान संभावित दुरुपयोग की अनदेखी नहीं कर सकता है।

■■■

'मेरिटोक्रेसी' पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव

योग्यता तंत्र या 'मेरिटोक्रेसी' (meritocracy) की अवधारणा—जो व्यक्तियों को योग्यता एवं उपलब्धियों के आधार पर पुरस्कृत करती है, समाज पर इसके प्रभाव के संदर्भ में बहस का विषय रही है। आलोचक डिस्टोपियन परिणामों (dystopian consequences) का पूर्वानुमान करते हैं, जबकि योग्यता तंत्र के समर्थक इसमें सुधार की संभावना देखते हैं। इन आलोचनाओं से प्रभावित योग्यता तंत्र के विकास को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) के उभार के साथ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वह योग्यता या 'मेरिट' की अवधारणा को एक नया आकार दे रहा है।

योग्यता तंत्र क्या है ?

- **परिभाषा:**
  - योग्यता तंत्र या मेरिटोक्रेसी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि के बजाय अपनी क्षमताओं, उपलब्धियों एवं कठोर श्रम के आधार पर आगे बढ़ते हैं और पुरस्कृत होते हैं। ऐसे योग्यता तंत्रात्मक समाज में, सफलता व्यक्तिगत प्रयास एवं प्रतिभा के माध्यम से अर्जित की जाती है और अवसर के द्वार सैद्धांतिक रूप से सभी के लिये खुले होते हैं, भले ही जीवन में उनका आरंभिक बिंदु कुछ भी रहा हो।
  - यह अवधारणा मानती है कि जो लोग कठोर श्रम करते हैं और कौशल का प्रदर्शन करते हैं, उन्हें शीर्ष पर पहुँचना चाहिये, जबकि जो ऐसा नहीं करते हैं वे निम्न स्थितियों में बने रहते हैं।
- **सिद्धांत और मूल्य:**
  - योग्यता तंत्र अपने मूल में निष्पक्षता, अवसर की समानता और इस विचार को महत्त्व देता है कि व्यक्तियों का मूल्यांकन

उनके नियंत्रण से परे के बाह्य कारकों के बजाय उनकी अपनी योग्यताओं के आधार पर किया जाना चाहिये।

- यह एक समान अवसर को बढ़ावा देता है जहाँ हर किसी को विरासत में मिले विशेषाधिकार या भाई-भतीजावाद (nepotism) के बजाय अपनी क्षमताओं एवं प्रयासों के आधार पर सफल होने का मौका मिलता है। योग्यता तंत्र शिक्षा एवं व्यक्तिगत विकास के महत्त्व पर भी बल देता है, क्योंकि इन्हें सफलता के प्रमुख मार्ग के रूप में देखा जाता है।

- **आलोचनाएँ और चुनौतियाँ:**
  - योग्यता तंत्र के आलोचकों का तर्क है कि इससे कई नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। उनका सुझाव है कि व्यावहारिक दुनिया में योग्यता प्रायः सभी के लिये समान अवसर प्रदान करने में विफल रहती है, क्योंकि विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के पास बेहतर शिक्षा एवं संसाधनों तक पहुँच हो सकती है, जिससे उन्हें अनुचित लाभ प्राप्त होता है।
  - आलोचकों का यह भी कहना है कि योग्यता तंत्र सफल लोगों के बीच अभिजात्यवाद (elitism) की भावना उत्पन्न कर सकता है, जिससे उन लोगों के प्रति समानुभूति या समझ की कमी की स्थिति बन सकती है जो उतने भाग्यशाली नहीं रहे।
- **विकास और अनुकूलन:**
  - समय के साथ योग्यता तंत्र की अवधारणा का विकास हुआ है और इनमें से कुछ आलोचनाओं एवं चुनौतियों का समाधान करने के लिये इसे अनुकूलित किया गया है। वंचित समूहों के लिये शिक्षा एवं अवसरों तक पहुँच बढ़ाने के प्रयास किये गए हैं ताकि एक समान अवसर का सृजन किया जा सके।
  - इसके अतिरिक्त, योग्यता आधारित प्रणालियों में विविधता एवं समावेशन के महत्त्व की मान्यता बढ़ रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिभाओं एवं परिप्रेक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को चिह्नित और पुरस्कृत किया जाए।

योग्यता तंत्र के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण कौन-से हैं?

योग्यता तंत्र की अवधारणा—जिसमें व्यक्तियों को उनकी सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि के बजाय उनकी क्षमताओं, उपलब्धियों एवं कठोर श्रम के आधार पर पुरस्कृत होने एवं प्रगति करने का अवसर मिलता है—पर व्यापक बहस होती रही है। योग्यता तंत्र के समर्थक और आलोचक इसके गुणों एवं खामियों को उजागर करते हुए, समाज पर इसके प्रभावों के बारे में प्रबल तर्क पेश करते हैं। माइकल यंग, माइकल सैंडल और एड्रियन वूल्ड्रिज जैसे विचारकों की आलोचना एवं विश्लेषण से प्रभावित होकर योग्यता तंत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं।

- **माइकल यंग का दृष्टिकोण:**
  - ब्रिटिश समाजशास्त्री माइकल यंग (Michael Young) ने अपनी व्यंग्यात्मक कृति 'द राइज़ ऑफ़ द मेरिटोक्रेसी' (1958) में एक डिस्टोपियन मेरिटोक्रेटिक वर्ल्ड की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने एक ऐसे भविष्य (विशेष रूप से वर्ष 2034) की कल्पना की, जहाँ समाज में सामाजिक वर्ग और गतिशीलता पूरी तरह से बुद्धि एवं प्रयास द्वारा निर्धारित होंगे, जैसा कि मानकीकृत परीक्षण एवं शैक्षिक उपलब्धि के माध्यम से मापा जाएगा।
  - यह योग्यता-आधारित प्रणाली के प्रति तत्कालीन उभरती प्रवृत्ति की आलोचना थी, जहाँ उन्हें भय था कि इससे सामाजिक स्तरीकरण का एक नया रूप सामने आएगा।
- **माइकल सैंडल का दृष्टिकोण:**
  - माइकल सैंडल (Michael Sandel) की आलोचना विभाजनकारी परिणामों (divisive consequences) पर केंद्रित है, जहाँ उनका तर्क है कि योग्यता सफल लोगों के बीच अधिकार (entitlement) की भावना को बढ़ावा देती है और पीछे छूट गए लोगों के बीच असंतोष बढ़ता है, जिससे सामाजिक एकजुटता का क्षरण होता है।
  - आलोचनात्मक सिद्धांतकार भी गहन शक्ति गतिशीलता एवं असमानताओं को छुपाने में योग्यता तंत्र की आलोचना के लिये इसी तरह का तर्क देते हैं। उनका मानना है कि योग्यता तंत्र निष्पक्षता और तटस्थता की आड़ में अभिजात वर्ग की स्थिति को वैध बनाकर सामाजिक पदानुक्रम को कायम बनाये रख सकता है।
- **उत्तर-संरचनावादियों के दृष्टिकोण:**
  - उत्तर-संरचनावादी (Post-Structuralists) योग्यता की धारणा को चुनौती देते हैं और यह सवाल करते हैं कि योग्यता को परिभाषित कौन करता है और इसकी माप कैसे की जाती है। उनका तर्क है कि योग्यता की अवधारणाएँ सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं और सत्ता में बैठे लोगों के पूर्वाग्रहों एवं हितों को प्रदर्शित करती हैं।
  - उत्तर-संरचनावाद योग्यता की तरलता एवं आकस्मिकता पर प्रकाश डालता है और यह सुझाव देता है कि योग्यता प्रणालियाँ अंतर्निहित रूप से व्यक्तिपरक हैं और विद्यमान असमानताओं को सुदृढ़ कर सकती हैं।

- **एड्रियन वूल्ड्रिज:**
  - मेरिटोक्रेसी पर माइकल यंग के डिस्टोपियन दृष्टिकोण (जो एक कठोर वर्ग प्रणाली की ओर ले जाती है) और इसके नैतिक एवं सामाजिक परिणामों पर माइकल सैंडल द्वारा बल देने के विपरीत एड्रियन वूल्ड्रिज (Adrian Wooldridge) योग्यता तंत्र के व्यावहारिक विकास एवं सुधार ला सकने की इसकी क्षमता पर ज़ोर देते हैं।
  - अपनी कृति 'द एरिस्टोक्रेसी ऑफ टैलेंट' में उन्होंने विचार किया है कि किस प्रकार योग्यता, जो आरंभ में प्रगति एवं सामाजिक गतिशीलता के लिये एक शक्ति थी, ने अनजाने में कुछ हद तक वंशानुगत बनकर नई असमानताओं को बढ़ावा दिया है, जहाँ विशेषाधिकारों का पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरण हो रहा है।
  - योग्यता तंत्र द्वारा एक नवीन अभिजात वर्ग का सृजन कर सकने की संभावना को चिह्नित करने के बावजूद, वूल्ड्रिज इसकी सहज निष्पक्षता में भरोसा रखते हंइ और ऐसे सुधारों का प्रस्ताव करते हैं जिसमें वंचित छात्रों के लिये अभिगम्यता में सुधार एवं बेहतर तकनीकी शिक्षा की वकालत करने के साथ ही चयनात्मक स्कूलों को 'अभिजात वर्ग की ओर सीढ़ी' (escalators into the elite) बनाना शामिल है।

AI क्या है?

- **परिचय:**
  - AI एक कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट द्वारा उन कार्यों को पूरा करने की क्षमता है जो आमतौर पर मानवों द्वारा किये जाते हैं क्योंकि उनके लिये मानव बुद्धि एवं विवेक की आवश्यकता होती है।
  - हालाँकि अभी ऐसा कोई AI नहीं है जो एक सामान्य मानव द्वारा किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्य कर सके, कुछ AI विशिष्ट कार्यों में मानवीय क्षमता की बराबरी कर सकते हैं।
- **विशेषताएँ एवं घटक:**
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की आदर्श विशेषता युक्तिसंगत करने और ऐसे कार्य करने की क्षमता है जिनमें किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने की सबसे अच्छी संभावना होती है। AI का ही एक सब-सेट मशीन लर्निंग (ML) है।
  - डीप लर्निंग (DL) तकनीक टेक्स्ट, इमेज या वीडियो जैसे बड़ी मात्रा में असंरचित डेटा के ग्रहण के माध्यम से इस स्वचालित लर्निंग को सक्षम बनाती है।

- **AI के प्रकार:**

Based on Capabilities	Description
Weak AI or Narrow AI	AI designed for specific tasks like playing chess, recognizing faces, or making recommendations. Examples include Siri, Watson, AlphaGo.
General AI	AI with the ability to perform any intellectual task that a human can, including reasoning, learning, and planning. No current examples, but researchers are working on it.
Super AI	Speculative AI that surpasses human intelligence, excelling in tasks with cognitive abilities like creativity, self-awareness, and emotion. No current examples, only future possibilities.

Based on Functionality	Description
Reactive Machines	AI that reacts to the current situation but lacks memory or past experience storage. Examples include Deep Blue, AlphaGo.
Limited Memory	AI that stores some data or past experience for a short time, using it for decision-making. Examples include self-driving cars, chatbots.
Theory of Mind	AI that understands and simulates the mental states, emotions, and beliefs of others. No current examples, research is ongoing.
Self-Aware	AI with a sense of self, consciousness, and self-reflection. No current examples, subject to philosophical and scientific debates.

योग्यता तंत्र पर AI के विभिन्न प्रभाव कौन-से हैं?

इस समीकरण में AI का प्रवेश योग्यता तंत्र में सुधार के विचार को पूरी तरह से जटिल बना देता है। AI, अपनी तेज़ी से विकसित हो रही क्षमताओं के साथ, निम्नलिखित तरीकों से योग्यता और योग्यता तंत्र के विचार को नया आकार प्रदान करेगा:

- **मानव क्षमताओं की वृद्धि:**
  - सर्वप्रथम, अपनी मूल प्रकृति से ही, AI एक गैर-मानवीय इकाई का प्रवेश करा मानव योग्यता के आधार पर सवाल उठाता है, जहाँ वह कार्य करने, निर्णय लेने और यहाँ तक कि उन स्तरों पर 'सृजन' में सक्षम है जो मानव क्षमताओं को पार कर सकते हैं।
    - यदि मशीनें वे अधिकांश कार्य कर सकती हैं जिनके लिये मानव बुद्धि एवं रचनात्मकता को आवश्यक समझा जाता था तो योग्यता के पारंपरिक मापन तंत्र की प्रासंगिकता घट जाती है। OpenAI का 'Sora' सोरा इस बात का सबूत है कि रचनात्मकता अब कोई अनन्य मानवीय गुण नहीं रह गई है।
  - दूसरा, AI का उभार प्रौद्योगिकी तक पहुँच को प्राथमिकता देकर व्यक्तिगत योग्यता की पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है। AI उपकरणों तक पहुँच रखने वाले व्यक्तियों को महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है, जो आवश्यक रूप से उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के कारण नहीं बल्कि इन उपकरणों की बढ़ी हुई क्षमताओं के कारण हो सकता है।
- **विद्यमान असमानताओं की वृद्धि:**
  - तीसरा, ऐतिहासिक डेटा पर प्रशिक्षित AI प्रणाली उस डेटा में मौजूद पूर्वाग्रहों को कायम रख सकता है और यहाँ तक कि उन्हें बढ़ा भी सकता है, जिससे नियुक्ति, कानून प्रवर्तन और ऋण देने जैसे क्षेत्रों में भेदभावपूर्ण परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। ये पूर्वाग्रह उन समूहों को नुकसान पहुँचा सकते हैं जो पहले से ही हाशिये पर हैं।
  - चौथा, 'नेचर मेडिसिन' में हाल ही में प्रकाशित एक पेपर से पता चला है कि एक AI उपकरण रेडियोलॉजिस्ट द्वारा निदान करने से तीन वर्ष पूर्व एक मरीज में अग्नाशय कैंसर की भविष्यवाणी कर सकता है।
    - इस तरह की क्षमताएँ उन नौकरियों के विस्थापन का कारण बन सकती हैं जिनमें नियमित, पूर्वानुमानित कार्य शामिल होते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि AI उच्च वेतन वाली नौकरियों को प्रभावित करेगा।
    - AI कार्यबल को या तो उच्च-कौशल, उच्च-वेतन वाली नौकरियों (जहाँ जटिल समस्या-समाधान एवं रचनात्मकता की आवश्यकता होती है) अथवा निम्न-कौशल, निम्न-वेतन वाली नौकरियों की ओर धकेल देगा (जहाँ शारीरिक उपस्थिति और व्यक्तिगत अंत:क्रिया की आवश्यकता होती है, जिसका अभी तक AI अनुकरण करने में अक्षम है)।
    - यह ध्रुवीकरण सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ाएगा, क्योंकि उच्च-स्तरीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण तक पहुँच के बिना व्यक्तियों को निम्न-वेतन वाली भूमिकाओं की ओर धकेल दिया जाएगा।
  - पाँचवाँ, विभिन्न AI एल्गोरिदम की अपारदर्शी प्रकृति गिने-चुने तकनीकी दिग्गज कंपनियों में शक्ति की एकाग्रता के साथ संयुक्त होकर जवाबदेही के लिये उल्लेखनीय चुनौतियाँ पैदा करती है। एक योग्यता तंत्रात्मक समाज में, व्यक्तियों को उन मानदंडों को समझना होगा जिनके द्वारा उनके प्रयासों एवं प्रतिभाओं का मूल्यांकन किया जाता है।
    - हालाँकि, विभिन्न AI प्रणालियों की 'ब्लैक बॉक्स' प्रकृति इन मानदंडों को अस्पष्ट बना सकती है, जिससे व्यक्तियों के लिये यह जानना कठिन हो जाता है कि AI द्वारा लिये गए निर्णयों को कैसे आगे बढ़ाया जाए या इसे चुनौती कैसे दी जाए; इस प्रकार योग्यतात्मक आदर्श को नष्ट कर देती है।
  - छठा, संगठनात्मक स्तर पर AI की शक्ति का मूल डेटा एवं इस डेटा को संसाधित करने वाले एल्गोरिदम में निहित है। अभूतपूर्व मात्रा में डेटा तक पहुँच रखने वाले तकनीकी दिग्गज कंपनियों को अधिक परिष्कृत एवं सटीक AI मॉडल के प्रशिक्षण में एक विशिष्ट लाभ प्राप्त है।
    - इस डेटा आधिपत्य का अर्थ है कि ये निकाय डिजिटल युग में 'योग्यता' के लिये मानक निर्धारित कर सकते हैं और उन छोटे खिलाड़ियों को दरकिनार कर सकते हैं जिनके पास नवीन विचार तो हो सकते हैं लेकिन उन्हें समान डेटासेट तक पहुँच की आवश्यकता हो।

AI से संबंधित भारत की विभिन्न पहलें कौन-सी हैं?

- INDIAai
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (GPAI) शिखर सम्मेलन
- यूएस-इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव
- युवाओं के लिये जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

नोट :

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन

निष्कर्ष:

योग्यता तंत्र की अवधारणा ने गहन बहस छेड़ दी है, जहाँ इसके समर्थक क्षमताओं एवं उपलब्धियों को पुरस्कृत करने में इसके गुणों को उजागर करते हैं, जबकि इसके आलोचक अधिकार/पात्रता (entitlement) को बढ़ावा देने एवं सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकने की इसकी क्षमता की ओर संकेत करते हैं। योग्यता तंत्र का विकास, जैसा कि यंग, सैंडल एवं वूल्ड्रिज जैसे विचारकों द्वारा चर्चा की गई है, इसके प्रभावों एवं चुनौतियों पर विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रकट करता है। AI के उभार के साथ योग्यता का विचार और अधिक जटिल हो गया है, जिससे मानव बनाम मशीन योग्यता, प्रौद्योगिकी तक पहुँच, AI प्रणाली में पूर्वाग्रह, नौकरी विस्थापन एवं डेटा आधिपत्य के बारे में सवाल उठ रहे हैं। इन जटिलताओं को संबोधित करने के लिये एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो डिजिटल युग में योग्यता को पुनर्परिभाषित करे और निष्पक्षता सुनिश्चित करे।

■■■

सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका

तेज़ी से विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र (services sector) का उभार एक महत्त्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में हुआ है, जो भारत के सकल मूल्य वर्द्धित (Gross Value Added- GVA) में उद्योग क्षेत्र के 28% की तुलना में 53% का योगदान देता है। सेवाओं का यह प्रभुत्व रोज़गार वितरण में भी स्पष्ट नज़र आता है जहाँ उद्योग क्षेत्र के 25% की तुलना में सेवा क्षेत्र में 31% रोज़गार सृजित होता है। यह भारी वृद्धि सेवा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में प्रवेश स्तर के कर्मचारियों की मांग को बढ़ा रही है। यह वृद्धि केवल आईटी सेवाओं तक ही सीमित नहीं है; संगठित भारतीय सेवा क्षेत्र का भी लगातार विकास हो रहा है जिसमें खुदरा, दूरसंचार, परामर्श, आतिथ्य, बैंकिंग एवं स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के लिये, भारत 'ऑफशोर हब' (offshore hub) भी है, जो कैप्टिव (captive) एवं थर्ड पार्टी शेयर्ड सर्विसेज़ (TPSS) और ग्लोबल बिज़नेस सर्विसेज़ (GBS) के माध्यम से पूरी दुनिया के लिये ये सेवाएँ प्रदान करता है।

नोट

- **थर्ड पार्टी शेयर्ड सर्विसेज़ (TPSS):** यह विशिष्ट व्यावसायिक कार्यों या प्रक्रियाओं को बाह्य सेवा प्रदाताओं को आउटसोर्स करने के अभ्यास को संदर्भित करता है। ये प्रदाता अनुबंध करने वाले संगठन (यानी 'थर्ड पार्टी') से अलग निकाय हैं और वे आमतौर पर कई ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं।
  - साझा सेवाओं (Shared services) में किसी संगठन के विभिन्न भागों या एकाधिक संगठनों से समान कार्यों को एक एकल, विशेष इकाई में समेकित करना शामिल होता है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य आकारिक मितव्ययिता या 'इकॉनोमिज़ ऑफ स्केल' (economies of scale) हासिल करना, दक्षता में सुधार करना और लागत कम करना है।
- **ग्लोबल बिज़नेस सर्विसेज़ (GBS):** शेयर्ड सर्विसेज़ मॉडल का विकास GBS के रूप में हुआ है। इसमें किसी संगठन के वैश्विक संचालन में व्यावसायिक प्रक्रियाओं को केंद्रीकृत एवं मानकीकृत करना शामिल है। GBS उन कार्यों को एकीकृत करने के रूप में पारंपरिक साझा सेवाओं से आगे निकल जाता है जिन्हें पहले विभिन्न क्षेत्रों या प्रभागों में स्वतंत्र रूप से प्रबंधित किया जाता था।
  - GBS केंद्र (GBS centres) प्राय: संचालन को सुव्यवस्थित करने, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये प्रौद्योगिकी एवं स्वचालन का लाभ उठाते हैं।

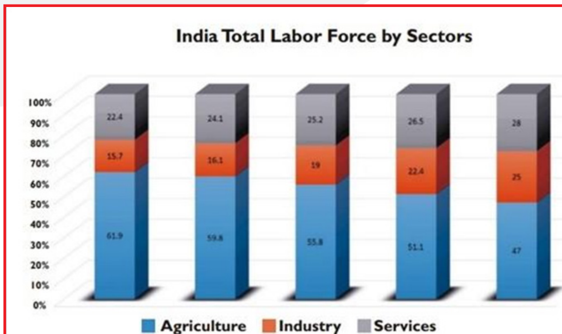

Source : Constructed from World Bank Development Indicators

सेवा क्षेत्र कार्यबल को उन्नत करने की आवश्यकता क्यों है ?

- **कुशल जनशक्ति की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता:**
  - इस विशाल सेवा उद्योग को कुशल जनशक्ति की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता रहती है जो अभी एक असामान्य

शिक्षा धारा इंजीनियरिंग से पूरी हो रही है। स्टेटिस्टिका के अनुसार, केवल 57% इंजीनियरिंग स्नातक ही नियोजनीय या रोज़गार-योग्य (employable) हैं।

- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) की कमीशन रिपोर्ट में बताया गया है कि उपलब्ध इंजीनियरिंग सीटों में से 60% से भी कम पर नामांकन हुआ है। एक अन्य इंडस्ट्री रिपोर्ट का दावा है कि लगभग 80% स्नातक इंजीनियर ऐसे ग़ैर-तकनीकी रोज़गार में संलग्न होते हैं जिनका उनकी शिक्षा के क्षेत्र से संबंध नहीं होता।

- **ग़ैर-तकनीकी क्षेत्रों में इंजीनियरों का नियोजन:**
  - भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग स्नातक सेवा क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा न केवल कौशल एवं रोज़गार मांग के आदर्श संरेखण के कारण बल्कि सेवा-उन्मुख अवसरों की गतिशील एवं तीव्र वृद्धि की प्रकृति और कोर क्षेत्र में उनके कौशल के लिये प्रासंगिक रोज़गार अवसरों की कमी से प्रेरित है।
  - परिणामस्वरूप, पिछले दशक में बड़ी संख्या में इंजीनियर गैर-तकनीकी क्षेत्रों, जैसे बैंकिंग, बीमा, आतिथ्य, स्वास्थ्य देखभाल एवं खुदरा क्षेत्र में बिक्री, ग्राहक सेवा, बैक ऑफिस संचालन, लॉजिस्टिक्स एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसी विभिन्न भूमिकाओं में नियोजित हुए।
- **अनुकूलनीय और समस्या-समाधानकारी मानसिकता की आवश्यकता:**
  - इंजीनियरों को न केवल कौशल के सटीक मिलान के आधार पर बल्कि उनकी शिक्षा में निहित अनुकूलनशीलता एवं समस्या-समाधानकारी मानसिकता के कारण रोज़गार प्राप्त हो रहा है।
  - एक गतिशील बाज़ार का सामना कर रहे नियोक्ता इंजीनियरिंग कौशल की हस्तांतरणीयता को चिह्नित कर रहे हैं, भले ही सौंपी जा रही भूमिकाएँ पारंपरिक रूप से इंजीनियरिंग-केंद्रित न हों।
  - इंजीनियरिंग स्नातकों में निहित विश्लेषणात्मक कौशल, समस्या-समाधान क्षमताएँ और संरचित सोच के कारण उन क्षेत्रों में भी उनकी अत्यधिक मांग की जा रही है जिन्हें पारंपरिक रूप से इंजीनियरिंग-केंद्रित नहीं माना जाता है।

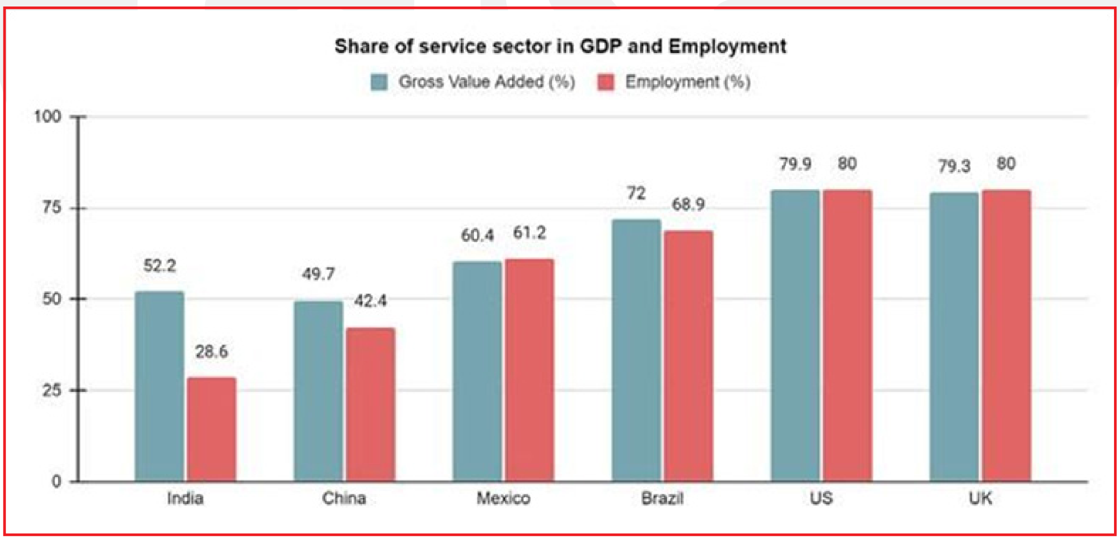

भारत में सेवा-क्षेत्र-विशिष्ट पाठ्यक्रम (Service-Sector-Specific Course) की क्या आवश्यकता है?

- **बाज़ार की बदलती प्रकृति पर चिंतन की आवश्यकता:**
  - यह प्रवृत्ति रोज़गार बाज़ारों की उभरती प्रकृति और विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक चुनौतियों के लिये स्नातकों को तैयार करने में शिक्षा की भूमिका पर एक गंभीर चिंतन को प्रेरित करती है।
  - चूँकि इंजीनियर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में बिक्री, ग्राहक सेवा एवं वित्त जैसी भूमिकाओं में निर्बाध रूप से संक्रमण की क्षमता प्रदर्शित करते रहे हैं, शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिये यह अनिवार्य हो गया है कि वह विकसित हो और सेवा उद्योग की इस आवश्यकता को संबोधित करे तथा पाठ्यक्रम डिज़ाइन एवं शिक्षाशास्त्र के प्रति अपने दृष्टिकोण को पुन:व्यवस्थित करे।

- **सामान्य पाठ्यक्रमों का अभाव:**
  - पाठ्यक्रम केवल स्वास्थ्य देखभाल या आतिथ्य जैसे विशिष्ट डोमेन में उपलब्ध हैं। सेवा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोई सामान्य पाठ्यक्रम (Generic courses) उपलब्ध नहीं है।
    - इसके परिणामस्वरूप, सेवा क्षेत्र इंजीनियरों को और कुछ हद तक प्रबंधन स्नातकों/स्नातकोत्तरों को प्रवेश स्तर की नौकरियों में उपयोग कर रहा है।
  - मौजूदा इंजीनियरिंग शिक्षा और रोज़गार मांग के बीच अंतराल को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ऐसे सामान्य सेवा-उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करने की अत्यधिक आवश्यकता है जो छात्रों को 'वाइट-कॉलर' सेवा वातावरण में आगे बढ़ने के लिये तैयार कर सके।
  - जिस तरह इंजीनियरिंग शिक्षा छात्र को औद्योगिक सेटअप में उपयुक्त रोज़गार पाने के लिये बुनियादी कौशल से लैस करती है, उसी तरह हमें एक समकक्ष सेवा कौशल शिक्षा की आवश्यकता है जो सेवा-उन्मुख परिदृश्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये आवश्यक दक्षताएँ उत्पन्न करे।
- **'सॉफ्ट-स्किल' (Soft-Skills) विकसित करना:**
  - ऐसे सामान्य पाठ्यक्रम सेवा-केंद्रित भूमिकाओं में सफलता पाने के लिये आवश्यक तकनीकी दक्षता, सॉफ्ट-स्किल और उद्योग-विशिष्ट ज्ञान का एक समग्र मिश्रण प्रदान कर सकते हैं।
  - इन पाठ्यक्रमों में न केवल तकनीकी दक्षता पर बल दिया जाना चाहिये, बल्कि सॉफ्ट-स्किल, व्यावसायिक कौशल और उद्योग-विशिष्ट ज्ञान के विकास पर भी बल हो जो सेवा क्षेत्र में सफलता के लिये आवश्यक हैं।
- **विविध प्रौद्योगिकियों का एकीकरण:**
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को पाठ्यक्रम में समेकित करने से ये कार्यक्रम छात्रों की नियोजनीयता या रोज़गार-योग्यता को विशेष रूप से 'फिनटेक' एवं 'एडुटेक' जैसे उभरते क्षेत्रों में बढ़ा सकते हैं।
    - इस तरह का पाठ्यक्रम प्रक्रिया पुनर्रचना (process reengineering), समस्या समाधान और ग्राहक प्रबंधन जैसे कौशल के साथ आधुनिक सेवा-उन्मुख उद्योगों की जटिलताओं को सुलझाने के लिये कुशल पेशेवरों के एक कैडर को बढ़ावा देगा।
- **गतिशील सेवा परिदृश्य की मांगों को पूरा करना:**
  - एक विविध पाठ्यचर्या (curriculum) के आसपास संरचित यह पाठ्यक्रम (course) आज के गतिशील सेवा परिदृश्य की मांगों को पूरा करने के लिये अनुरूप आवश्यक विषयों एवं कौशल को शामिल कर सकता है। इस पाठ्यक्रम में नामांकित पेशेवरों को सेवा वितरण के बुनियादी सिद्धांतों—जिसमें कोर सेक्टर के अवलोकन के साथ ही भौतिक एवं डिजिटल वातावरण में सेवा वितरण की बारीकियाँ शामिल होंगी, के बारे में ठोस ज्ञान प्राप्त होगा।
- **सेवा प्रबंधन में पर्याप्त प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना:**
  - इसके अतिरिक्त, वे सेवा प्रबंधन सिद्धांतों, लीन सिक्स सिग्मा (Lean Six Sigma) जैसी प्रक्रिया सुधार विधियों और आलोचनात्मक समझ ढाँचे में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें सेवा प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और आत्मविश्वास के साथ जटिल चुनौतियों से निपटने के लिये सशक्त बनाएगा।
  - ग्राहक प्रबंधन, संचार कौशल और नैतिक आचरण पर बल देने से पेशेवरों के बीच व्यावसायिकता एवं सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, जो सेवा-उन्मुख भूमिकाओं में सुदृढ़ ग्राहक संबंध बनाने और विश्वास बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

नोट

- लीन सिक्स सिग्मा (Lean Six Sigma) एक ऐसी विधि है जो अपशिष्ट को व्यवस्थित रूप से हटाकर और प्रक्रियाओं में भिन्नता को कम कर प्रदर्शन में सुधार लाने के लिये लीन मैन्युफैक्चरिंग (Lean manufacturing) और सिक्स सिग्मा (Six Sigma) के सिद्धांतों को संयुक्त करती है। इसका उद्देश्य लागत कम करते हुए और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाते हुए दक्षता, उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।
- 'सिक्स सिग्मा' शब्द एक सांख्यिकीय अवधारणा को संदर्भित करता है जो इस बात की माप करती है कि कोई दी गई प्रक्रिया पूर्णता (perfection) से किस हद तक विचलित होती है। सिक्स सिग्मा का लक्ष्य उन प्रक्रियाओं को प्राप्त करना है जो 3.4 दोष प्रति मिलियन अवसर (defects per million opportunities- DPMO) से अधिक पर संचालित नहीं हों।

नोट :

सेवा-क्षेत्र कार्यबल में सुधार के लिये कौन-से कदम आवश्यक हैं?

- **'सर्विस इंजीनियरिंग' के रूप में एक नए विषय की शुरूआत करना:**
  - सेवा अभियांत्रिकी या सर्विस इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रम की शुरूआत परिवर्तनकारी क्षमता रखती है, जो बढ़ी हुई रोज़गार-योग्यता, बेहतर सेवा वितरण और सतत आर्थिक विकास का मार्ग प्रदान करती है।
  - इसमें प्रशिक्षित हुए स्नातक अत्यधिक मांग वाले पेशेवरों के रूप में उभरेंगे, जो विभिन्न उद्योगों में वाइट-कॉलर सेवा वातावरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं मानसिकता से लैस होंगे।
- **पाठ्यक्रमों की वहनीयता और अभिगम्यता सुनिश्चित करना:**
  - इसके अलावा, सर्विस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की वहनीयता और अभिगम्यता उन्हें टियर 2 एवं 3 शहरों के छात्रों के लिये एक आकर्षक विकल्प बनाएगी। नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)-7 में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 37% बताई गई है।
  - चूँकि सेवा क्षेत्र आमतौर पर कर्मचारियों को बेहतर लचीलापन प्रदान करते हैं, इस तरह का पाठ्यक्रम कार्यबल में योगदान करते समय महिलाओं के लिये कार्य एवं पारिवारिक प्रतिबद्धताओं को संतुलित करने हेतु एक सहायक वातावरण सक्षम करने में भी मदद कर सकता है।
- **समावेशिता और नवाचार को बढ़ावा देना:**
  - पारंपरिक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों (जिनके लिये व्यापक सुदृढ़ अवसंरचना की आवश्यकता होती है) के विपरीत, सर्विस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म और वर्चुअल लर्निंग वातावरण का लाभ उठाएँगे, जिससे लागत में पर्याप्त कमी आएगी और शिक्षा में भौगोलिक बाधाएँ दूर होंगी।
  - शिक्षा का यह लोकतंत्रीकरण न केवल समावेशिता को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत की बढ़ती सेवा-संचालित अर्थव्यवस्था में योगदान के लिये विविध पृष्ठभूमि के इच्छुक पेशेवरों की क्षमता को भी साकार करेगा।
  - सेवा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल कार्यबल के विकास में निवेश कर भारत स्वयं को सेवा नवाचार एवं वितरण में वैश्विक अग्रणी देश के रूप में स्थापित कर सकता है, जिससे भविष्य की सेवा-संचालित अर्थव्यवस्था में समृद्धि एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता आएगी।
- **विनियामक और संस्थागत सुधार:**
  - कई सेवा उप-क्षेत्रों में विनियमन या तो पुराने हो चुके हैं या मौजूद ही नहीं हैं। सरकार पुरानी नीतियों से मुक्ति के प्रयास कर रही है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, ई-कॉमर्स एवं क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में नए विनियमनों की भी सख्त ज़रूरत है ताकि इन उप-क्षेत्रों के विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके। नियामक और संस्थागत सुधारों से भारत में सेवा क्षेत्र को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।
- **सेवा क्षेत्र के अनुरूप नीति निर्धारण:**
  - सेवा क्षेत्र को समावेशी विकास की ओर आगे ले जाने के संबंध में कोई सरकारी नीति मौजूद नहीं है। ऐसा आंशिक रूप से इसलिये है क्योंकि अभी तक सरकार का फोकस कृषि एवं विनिर्माण पर रहा है और सेवा क्षेत्र को काफी हद तक स्वयं के भरोसे आगे बढ़ने के लिये छोड़ दिया गया है।
    - खुदरा बिक्री जैसी सेवाओं के लिये कोई नोडल मंत्रालय अस्तित्व में नहीं है, जबकि परिवहन एवं ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिये परस्पर विरोधी हित रखने वाले कई मंत्रालय मौजूद हैं।
  - अर्द्ध-संघीय शासन संरचना ने विविध नियामक निकायों, विविध विनियमों और विविध मंज़ूरी आवश्यकताओं को जन्म दिया है। उदाहरण के लिये, उच्च शिक्षा के लिये लगभग 13 नियामक निकाय मौजूद हैं और उनमें से प्रत्येक पृथक रूप से कार्य करता है।
    - सेवा क्षेत्र पर तत्काल ध्यान केंद्रित करने और विभिन्न प्रकार की सेवाओं के समक्ष विद्यमान प्रमुख बाधाओं की पहचान करने की आवश्यकता है; इसके उपरांत विशिष्ट सुधार किये जाने चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, सड़क परिवहन में किये जाने वाले सुधारों को माल की अंतर-राज्यीय आवाजाही में व्याप्त बाधाओं को दूर कर एक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। राज्य की सीमाओं पर जाँच चौकियों को कम्प्यूटराइज़ करने जैसी तकनीक और एकल वस्तु एवं सेवा कर लागू करने जैसे विनियमों की मदद से ऐसा किया जा सकता है।

निष्कर्ष

सेवा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला बन गया है, जो सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) और रोज़गार में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस विकास के कारण कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ी है, जहाँ कई इंजीनियरिंग स्नातकों को सेवा क्षेत्र में ग़ैर-तकनीकी भूमिकाओं में अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

इस प्रवृत्ति को संबोधित करने के लिये, सामान्य सेवा-उन्मुख पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है जो छात्रों को वाइट-कॉलर सेवा भूमिकाओं के लिये आवश्यक तकनीकी कौशल एवं सॉफ्ट-स्किल से लैस करें। ऐसे पाठ्यक्रम, विशेष रूप से नए उभरते क्षेत्रों में, रोज़गार-योग्यता की वृद्धि कर सकते हैं और व्यावसायिकता एवं सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं।

■■■

पंचायती राज में राजकोषीय हस्तांतरण

73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लागू हुए तीन दशक बीत चुके हैं , जिनके माध्यम से परिकल्पना की गई थी कि भारत में स्थानीय निकाय स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करेंगे। इसके अनुसरण में, ग्रामीण स्थानीय सरकारों को सुदृढ़ करने के लिये वर्ष 2004 में पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया।

इस संवैधानिक संशोधन ने राजकोषीय हस्तांतरण पर विशिष्ट विवरण प्रदान किया है जिसमें स्वयं के राजस्व का सृजन करना शामिल है। केंद्रीय अधिनियम की रूपरेखा पर विभिन्न राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों द्वारा कराधान एवं संग्रह के प्रावधान किये गए। इन अधिनियमों के प्रावधानों के आधार पर पंचायतों ने अपने स्वयं के संसाधन सृजित करने के अधिकतम प्रयास किये।

73वें और 74वें संशोधन की मुख्य बातें क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - इन संशोधनों ने संविधान में दो नए भाग जोड़े, अर्थात् 73वें संशोधन द्वारा भाग IX—जिसका शीर्षक 'पंचायत' है और 74वें संशोधन में भाग IXA—जिसका शीर्षक 'नगरपालिकाएँ' है।
  - लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम सभा (ग्राम में) और वार्ड समितियाँ (नगरपालिकाओं में) का गठन किया गया जिनमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क नागरिक भागीदारी करते हैं।
  - प्रत्येक राज्य में (20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को छोड़कर) ग्राम, मध्यवर्ती स्तर (प्रखंड/तालुक/मंडल) और ज़िला स्तर पर पंचायतों की त्रि-स्तरीय प्रणाली अपनाई गई (अनुच्छेद 243B)।
  - सभी स्तरों पर सीटें प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जानी हैं (अनुच्छेद 243C(2))।
- **आरक्षण का प्रावधान:**
  - अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है और सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद भी SC एवं ST के लिये उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षित किये जा सकते हैं।
  - कुल सीटों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित की जाएँगी।
  - SC और ST के लिये आरक्षित सीटों में से भी एक तिहाई सीटें उनकी महिलाओं के लिये आरक्षित होंगी।
  - सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद के एक तिहाई महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे (अनुच्छेद 243D)।
- **कार्यकाल:**
  - सभी के लिये समान रूप से पाँच वर्ष का कार्यकाल होगा और कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए निकायों के गठन के लिये चुनाव संपन्न करा लिये जाएँगे।
  - कार्यकाल से पूर्व विघटन की स्थिति में छह माह के भीतर अनिवार्य रूप से चुनाव संपन्न करा लिये जाएँगे (अनुच्छेद 243E)।
  - मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिये प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा (अनुच्छेद 243K)।
- **विकासात्मक योजना निर्माण:**
  - ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित विषयों सहित पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर विधि द्वारा सौंपे गए विषयों के संबंध में पंचायतें आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये योजनाएँ तैयार करेंगी (अनुच्छेद 243G)।
  - 74वाँ संशोधन पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिये एक ज़िला योजना समिति का प्रावधान करता है (अनुच्छेद 243ZD)।
  - ग्यारहवीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को रखती है।
- **राजस्व और वित्त:**
  - राज्य सरकारों से बजटीय आवंटन, कुछ करों से प्राप्त राजस्व में हिस्सेदारी, स्वयं द्वारा जुटाए गए राजस्व का संग्रह एवं प्रतिधारण, केंद्र सरकार के कार्यक्रम एवं अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान (अनुच्छेद 243H)।
  - एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी जिसके आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित किये जाएँगे (अनुच्छेद 243I)।

पंचायती राज संस्थाओं के वित्त की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **राजस्व संबंधी आँकड़े:**
  - RBI के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में पंचायतों ने कुल 35,354 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया।
    - हालाँकि, उनके स्वयं के कर राजस्व से केवल 737 करोड़ रुपए उत्पन्न हुए, जो पेशे एवं व्यापार पर कर, भूमि राजस्व, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, संपत्ति कर और सेवा कर के माध्यम से अर्जित हुए।
  - ग़ैर-कर राजस्व 1,494 करोड़ रुपए रहा, जो मुख्य रूप से ब्याज भुगतान और पंचायती राज कार्यक्रमों से प्राप्त हुआ।
  - उल्लेखनीय है कि पंचायतों को केंद्र सरकार से 24,699 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों से 8,148 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ।

Chart 1 | *The chart shows the revenue receipts of panchayats in 2022-23. Figures in %*

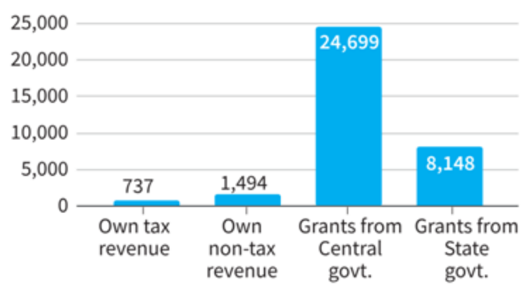

Chart 2 | *The chart shows the average revenue per panchayat in 2022-23. Figures in ₹ thousand*

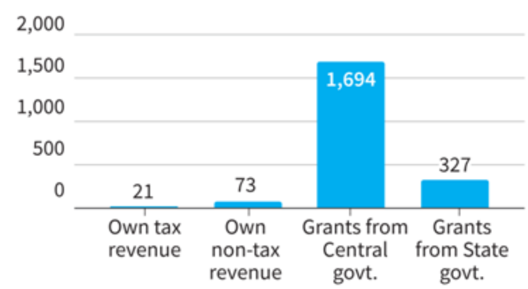

Chart 3 | *The chart shows the revenue per panchayat in percentage terms in 2022-23.*

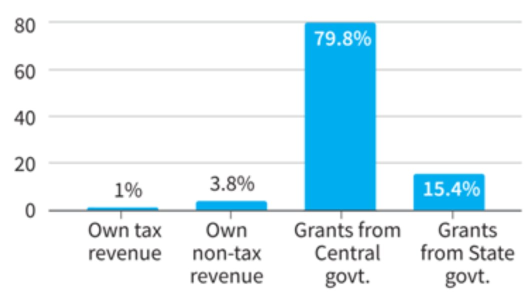

Chart 4 | *The chart shows the average revenue per panchayat across States in 2022-23. Figures in ₹ lakh.*

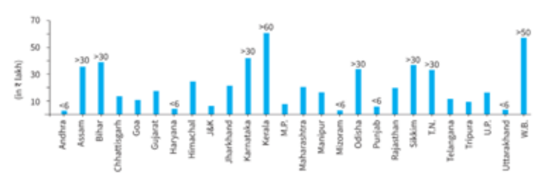

Chart 5 | *The chart shows the revenue of panchayats as a share of the State's own revenue in 2022-2023. Figures in %.*

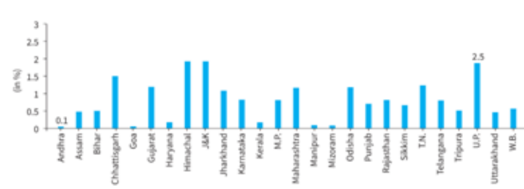

- **राजस्व प्रति पंचायत:**
  - औसतन प्रत्येक पंचायत ने अपने स्वयं के कर राजस्व से केवल 21,000 रुपए और ग़ैर-कर राजस्व से 73,000 रुपए अर्जित किये।
  - इसके विपरीत, केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्रति पंचायत लगभग 17 लाख रुपए रहा, जबकि राज्य सरकार का अनुदान प्रति पंचायत 3.25 लाख रुपए से अधिक रहा।
- **राज्य राजस्व हिस्सेदारी और अंतर-राज्य असमानताएँ:**
  - संबद्ध राज्य के राजस्व में पंचायतों की हिस्सेदारी न्यूनतम बनी हुई है।

नोट :

- उदाहरण के लिये, आंध्र प्रदेश में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वयं के राजस्व का केवल 0.1% है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 2.5% है जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है।
- प्रति पंचायत अर्जित औसत राजस्व के संबंध में राज्यों में व्यापक भिन्नताएँ मौजूद हैं।
  - केरल और पश्चिम बंगाल क्रमश: 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए प्रति पंचायत के औसत राजस्व के साथ सबसे आगे हैं।
  - असम, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम और तमिलनाडु में प्रति पंचायत राजस्व 30 लाख रुपए से अधिक था।
  - आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिज़ोरम, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों का औसत राजस्व प्रति पंचायत 6 लाख रुपए से भी कम है।

पंचायतों द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है ?

हाल ही में RBI द्वारा वित्त वर्ष 22-23 के लिये जारी 'पंचायती राज संस्थाओं का वित्त' शीर्षक रिपोर्ट भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की वित्तीय गतिशीलता पर प्रकाश डालती है।

- **अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता:**
  - पंचायतें करों के माध्यम से राजस्व का केवल 1% अर्जित करती हैं, शेष भाग राज्य और केंद्र से अनुदान के रूप में जुटाया जाता है। यह विशेष रूप से बताता है कि इन्हें 80% राजस्व केंद्र से और 15% राज्यों से प्राप्त होता है।
  - यह विकेंद्रीकरण के समर्थकों के लिये आँखें खोलने वाली बात है क्योंकि इसका परिणाम यह है कि हस्तांतरण पहलों की शुरूआत के 30 वर्षों के बाद भी पंचायतों द्वारा जुटाया जा रहा राजस्व बहुत कम है।
- **राज्यों के बीच भिन्नताएँ:**
  - जब हस्तांतरण की स्थिति के विश्लेषण की बात आती है तो यह स्पष्ट होता है कि कुछ राज्य आगे निकल गए हैं जबकि कई पीछे रह गए हैं। विकेंद्रीकरण के प्रति राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता PRIs को ज़मीनी स्तर पर एक प्रभावी स्थानीय शासन तंत्र बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण रही है।
    - कई राज्यों में ग्राम पंचायतों के पास कर संग्रहण का अधिकार नहीं है, जबकि कई अन्य राज्यों में मध्यवर्ती और ज़िला पंचायतों को कर संग्रहण की ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी गई है।
    - जबकि ग्राम पंचायतें अपने स्वयं के करों का 89% एकत्र करती हैं, मध्यवर्ती पंचायतें महज 7% और ज़िला पंचायतें महज 5% ही एकत्र करती हैं। समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिये संपूर्ण त्रि-स्तरीय पंचायतों हेतु राजस्व के अपने स्रोत (Own Source of Revenue- OSR) का सीमांकन करने की आवश्यकता है।
- **स्वयं की आय सृजित करने के प्रति सामान्य अरुचि:**
  - केंद्रीय वित्त आयोग (CFC) के अनुदान के आवंटन में वृद्धि के साथ, पंचायतें OSR के संग्रहण में कम रुचि दिखा रही हैं। 10वें और 11वें CFC से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये आवंटन क्रमश: 4,380 करोड़ रुपए और 8,000 करोड़ रुपए रहा था।
    - लेकिन 14वें और 15वें CFC द्वारा प्रदत्त अनुदान में भारी वृद्धि हुई जहाँ यह क्रमश: 2,00,202 करोड़ रुपए और 2,80,733 करोड़ रुपए रहा।
    - वर्ष 2018-19 में 3,12,075 लाख रुपए का कर संग्रहण हुआ जो वर्ष 2021-2022 में घटकर 2,71,386 लाख रुपए हो गया। इसी अवधि में संग्रहित ग़ैर-कर राजस्व 2,33,863 लाख रुपए और 2,09,864 लाख रुपए रहा।
- **राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन :**
  - एक समय पंचायतें बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की अपनी प्रतिबद्धता के लिये OSR जुटाने की होड़ में रहती थीं। वह होड़ अब विभिन्न वित्त आयोगों के माध्यम से आवंटन एवं प्रतिपूर्ति पर निर्भरता से प्रतिस्थापित हो गया है।
  - कुछ राज्यों ने संगत अनुदान प्रदान करने के माध्यम से प्रोत्साहन (incentivisation) की नीति अपनाई है, लेकिन इसे बहुत कम लागू किया गया। पंचायतों को डिफॉल्टरों को दंडित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि OSR को एक आय के रूप में नहीं माना गया है जो पंचायत वित्त से जुड़ा हुआ है।
- **'फ्रीबीज़ कल्चर' के कारण बाधाएँ:**
  - राजस्व बढ़ाने के हर सक्षम कारक के बावजूद, पंचायतें संसाधन जुटाने में कई बाधाओं का सामना करती हैं; समाज में व्याप्त मुफ्तखोरी की संस्कृति (Freebies Culture) करों के भुगतान में व्याप्त उदासीनता का कारण है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को लगता है कि कर अधिरोपण से उनकी लोकप्रियता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

PRIs के वित्तीय संसाधनों को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक सुझाव क्या हैं?

- **विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट:**
  - पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट राज्य अधिनियमों के विवरण पर विस्तार से चर्चा करती है जिसमें कर एवं ग़ैर-कर राजस्व शामिल किया गया है जिसे पंचायतों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया जा सकता है ।
    - संपत्ति कर, भूमि राजस्व पर उपकर, अतिरिक्त स्टांप शुल्क पर अधिभार, टोल, पेशे पर कर, विज्ञापन, जल एवं स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था के लिये उपयोगकर्त्ता शुल्क ऐसे प्रमुख OSRs हैं जहाँ पंचायतें अधिकतम आय अर्जित कर सकती हैं।
- **अनुकूल वातावरण की स्थापना करना:**
  - पंचायतों से अपेक्षा की जाती है कि वे उचित वित्तीय विनियमनों को लागू कर कराधान के लिये अनुकूल वातावरण स्थापित करें। इसमें कर एवं ग़ैर-कर आधारों के संबंध में निर्णय लेना, उनकी दरें निर्धारित करना, आवधिक संशोधन के लिये प्रावधान स्थापित करना, छूट क्षेत्रों को परिभाषित करना और संग्रह के लिये प्रभावी कर प्रबंधन एवं प्रवर्तन कानून बनाना शामिल है।
- **ग़ैर-कर राजस्व के लिये स्रोतों का विविधीकरण:**
  - ग़ैर-कर राजस्व की विशाल संभावनाओं में शुल्क, किराया और निवेश बिक्री से प्राप्त आय तथा किराया प्रभार (hires charges) एवं प्राप्तियाँ शामिल हैं। ऐसी नवोन्मेषी परियोजनाएँ भी हैं जो OSR सृजित कर सकती हैं। इसमें ग्रामीण व्यापार केंद्रों,नवोन्मेषी वाणिज्यिक उद्यमों, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, कार्बन क्रेडिट, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि और दान शामिल हैं।
- **स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाना:**
  - राजस्व सृजन के लिये स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाकर ज़मीनी स्तर पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने में ग्राम सभाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
    - वे कृषि और पर्यटन से लेकर लघु-स्तरीय उद्योगों तक की राजस्व-सृजन पहलों के योजना निर्माण, निर्णयन और कार्यान्वयन में संलग्न हो सकते हैं।
    - उनके पास कर, शुल्क एवं लेवी अधिरोपित करने और प्राप्त धन को स्थानीय विकास परियोजनाओं, सार्वजनिक सेवाओं एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की ओर निर्देशित करने का प्राधिकार है।
- **भागीदारी को बढ़ावा देना:**
  - पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन और समावेशी भागीदारी के माध्यम से, ग्राम सभाएँ जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं तथा सामुदायिक भरोसे को बढ़ावा देती हैं; इस प्रकार, अंततः ग्रामों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं प्रत्यास्थी बनने के लिये सशक्त करती हैं।
  - इस प्रकार, ग्राम सभाओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और राजस्व सृजन प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये बाहरी हितधारकों के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- **RBI की सिफ़ारिशें:**
  - RBI वृहत विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने और स्थानीय नेताओं एवं अधिकारियों को सशक्त करने का सुझाव देता है। यह पंचायती राज की वित्तीय स्वायत्तता एवं संवहनीयता को बढ़ाने के उपायों की वकालत करता है ।
  - रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि PRIs पारदर्शी बजटिंग, राजकोषीय अनुशासन, विकास प्राथमिकता में सामुदायिक भागीदारी, कर्मचारी प्रशिक्षण और कठोर निगरानी एवं मूल्यांकन को अपनाकर संसाधन उपयोग को बेहतर बना सकते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, इसने पंचायती राज्य संस्थाओं के कार्यों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और प्रभावी स्थानीय शासन के लिये नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- **निर्वाचित प्रतिनिधियों और आम लोगों को शिक्षित करना:**
  - पंचायतों को स्वशासी संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिये राजस्व जुटाने के महत्त्व पर निर्वाचित प्रतिनिधियों और आम लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है।
    - अंततः, अनुदान के लिये 'डिपेंडेंसी सिंड्रोम' को कम करना होगा और समय के साथ पंचायतें अपने स्वयं के संसाधनों पर अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होंगी। पंचायतें ऐसी स्थिति तभी प्राप्त कर सकती हैं जब शासन के सभी स्तरों पर समर्पित प्रयास हों, जिसमें राज्य-स्तर और केंद्रीय स्तर भी शामिल हैं।

संबंधित पहलें कौन-सी हैं?

- **स्वामित्व योजना:**
  - प्रत्येक ग्रामीण परिवार के स्वामी को 'स्वामित्व का रिकॉर्ड' प्रदान कर ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम करने के लिये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (2020) के अवसर

पर ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas- SVAMITVA) योजना, यानी स्वामित्व योजना शुरू की गई।

- **ई-ग्राम स्वराज ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली:**
  - ई-ग्राम स्वराज पंचायती राज के लिये एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखांकन ऐप (Simplified Work Based Accounting Application) है।
- **परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग:**
  - पंचायती राज मंत्रालय ने 'mActionSoft' विकसित किया है, जो उन कार्यों के लिये जियो-टैग (Geo-Tags, i.e. GPS Coordinates) के साथ फोटो खींचने में मदद करने के लिये एक मोबाइल-बेस्ड सोल्यूशन है, जिसमें आउटपुट के रूप में परिसंपत्ति होती है।
- **सिटीज़न चार्टर:**
  - सेवाओं के मानक के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति PRIs की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये पंचायती राज मंत्रालय ने 'मेरी पंचायत मेरा अधिकार - जन सेवाएँ हमारे द्वार' के नारे के साथ सिटीज़न चार्टर दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिये एक मंच प्रदान किया है।
- **संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (वर्ष 2022-23 से 2025-26):**
  - संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना का प्राथमिक उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन के सक्रिय केंद्रों में बदलना है जहाँ ज़मीनी स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (Localisation of Sustainable Development Goals- LSDGs) पर विशेष बल दिया गया है। इसे एक विषयगत दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त किया जाना है जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य लाइन विभागों और विभिन्न हितधारकों के समन्वित प्रयास शामिल होंगे। यह रणनीति 'समग्र सरकार और समग्र समाज' (Whole of Government and Whole of Society) के व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होगी।

निष्कर्ष

संवैधानिक संशोधनों के अनुसार राजकोषीय हस्तांतरण में स्वयं का राजस्व सृजित करना शामिल है, जहाँ पंचायतें अपने संसाधनों को अधिकतम करने का प्रयास करेंगी। हालाँकि, हाल के आँकड़ों से पता चलता है कि पंचायतें करों के माध्यम से केवल 1% राजस्व ही अर्जित करती हैं, जो राज्य और केंद्र से प्राप्त अनुदान पर निरंतर निर्भरता को उजागर करता है। OSR पर रिपोर्ट पंचायतों के लिये संपत्ति कर, उपयोगकर्त्ता शुल्क और नवोन्मेषी परियोजनाओं जैसे विभिन्न तरीकों से आय अर्जित करने की संभावना पर बल देती है। 'फ्रीबीज़ कल्चर' और कर लगाने की अनिच्छा जैसी चुनौतियों के बावजूद, निर्वाचित प्रतिनिधियों और आम लोगों को राजस्व सृजन के महत्त्व पर शिक्षित करने से पंचायतों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सकती है।

■■■

संधारणीयता के साथ आवास विस्तार का संतुलन

अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY- G) के तहत अगले पाँच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण और मध्यम वर्ग के लिये एक नई आवास योजना की शुरूआत की घोषणा की। यह 'सभी के लिये आवास' (Housing for All) के महत्त्वाकांक्षी पहल के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है और PMAY की सफलता से प्रेरित है, जिसने वर्ष 2015 से अब तक लगभग तीन करोड़ ग्रामीण और 80 लाख शहरी सस्ते आवासों के निर्माण को सुगम बनाया है।

यह घोषणा हमें आवास क्षेत्र के तेज़ी से विस्तार के परिणामस्वरूप जीवन की गुणवत्ता एवं पर्यावरणीय चिंताओं के साथ संभावित समझौते या 'ट्रेड-ऑफ' के बारे में गंभीरता से सोचने के लिये प्रेरित करती है। यह किफायती या सस्ते आवास के मामले में स्पष्ट है, जहाँ बड़े पैमाने के उत्पादन पर बल दिया गया है और 'थर्मल कंफर्ट' एवं निम्न-कार्बन अवसंरचना के कार्यान्वयन जैसे कारकों की तुलना में गति, लागत एवं निर्माण सुगमता को प्राथमिकता दी गई है।

PMAY क्या है?

- **प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G):**
  - शुभारंभ: वर्ष 2022 तक 'सभी के लिये आवास' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना 'इंदिरा आवास योजना' (IAY) को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के रूप में पुनर्गठित किया गया है जो 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी हुआ है।
  - संलग्न मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय
  - लक्ष्य: मार्च 2022 के अंत तक उन सभी ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराना, जो बेघर हैं अथवा कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं।

- पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान कर आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे घरों के उन्नयन में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रह रहे ग्रामीण लोगों की मदद करना।
- लाभार्थी: SC/ST से संबंधित लोग, मुक्त कराये गए बंधुआ मज़दूर एवं ग़ैर-SC/ST वर्ग, कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए रक्षाकर्मियों की विधवाएँ या निकट संबंधी, पूर्व सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, दिव्यांगजन और अल्पसंख्यक वर्ग।
- लाभार्थियों का चयन: तीन चरणों के सत्यापन— सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना 2011, ग्राम सभा और जियो-टैगिंग, के माध्यम से।
- लागत साझेदारी: इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U):**
  - शुभारंभ: इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ जो वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिये आवास उपलब्ध कराने पर लक्षित था।
  - संलग्न मंत्रालय: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
  - मुख्य बातें:
    - पात्र शहरी गरीबों के लिये पक्का घर सुनिश्चित कर झुग्गी निवासियों सहित शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर किया जाना है।
    - यह मिशन संपूर्ण शहरी क्षेत्र को दायरे में लेता है जिसमें सांविधिक क़स्बे (Statutory Towns), अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के तहत कोई भी ऐसा प्राधिकरण शामिल है जिसे शहरी नियोजन एवं विनियमन के कार्य सौंपे गए हैं।
    - यह मिशन महिला सदस्यों के नाम पर या संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान कर महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।
  - चार कार्यक्षेत्रों में विभाजन:
    - निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग कर मौजूदा झुग्गीवासियों का स्व-स्थाने पुनर्वास
    - क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (Credit Linked Subsidy)
    - भागीदारी में किफायती आवास
    - लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत आवास का निर्माण/संवर्द्धन।

Category	Household Income	Maximum House Area	Govt Subsidy	NPV of subsidy
Economically Weaker Section (EWS)	<3 lacs	30 sqm	6.5% for loan up to 6 lacs	2.67 lacs
Lower Income Group (LIG)	3-6 lacs	60 sqm	6.5% for loan up to 6 lacs	2.67 lacs
Medium Income Group 1 (MIG1)	6-12 lacs	160 sqm	4% for loan up to 9 lacs	2.35 lacs
Medium Income Group 2 (MIG2)	12-18 lacs	200 sqm	3% for loan up to 12 lacs	2.3 lacs

आवास क्षेत्र में प्रयुक्त विभिन्न आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ कौन-सी हैं?

PMAY मिशन के ढाँचे के भीतर, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (GHTC) के एक भाग के रूप में लाइटहाउस प्रोजेक्ट्स (LHPs) क्रियान्वित हो रहे हैं जो छह राज्यों में छह साइटों तक विस्तृत हैं। यहाँ मिवान टेक्नोलॉजी (Mivan Technology) के अलावा अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेषी प्रक्रियाओं का लाभ उठाया जा रहा है ताकि निर्माण समय को कम किया जा सके और वंचितों के लिये अधिक प्रत्यास्थी एवं वहनीय आवास बनाए जा सकें।

नोट :

- **GHTC-India:**
  - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज- इंडिया (GHTC-India) की संकल्पना की है, जिसका उद्देश्य आवास निर्माण क्षेत्र के लिये दुनिया भर से ऐसी नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के एक समूह की पहचान करना और उनका प्रमुखता से उपयोग करना है जो संवहनीय, पर्यावरण-अनुकूल एवं आपदा-प्रत्यास्थी हों।
  - मार्च 2019 में GHTC-India का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019-20 को 'निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष' घोषित किया था।
- **छह स्थलों पर लाइटहाउस परियोजनाएँ:**
  - देश भर में छह स्थानों- इंदौर (मध्य प्रदेश), राजकोट (गुजरात), चेन्नई (तमिलनाडु), रांची (झारखंड), अगरतला (त्रिपुरा) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना से संपन्न लगभग 1,000 आवासों (प्रत्येक में) वाले छह LHPs का निर्माण किया जा रहा है।
  - LHPs पारंपरिक ईंट एवं मोर्टार निर्माण की तुलना में त्वरित गति से तैयार बड़े पैमाने के आवास का प्रदर्शन एवं वितरण करेगा और यह अधिक किफायती, संवहनीय, उच्च गुणवत्ता एवं स्थायित्व से युक्त होगा।
- **मिवान निर्माण प्रौद्योगिकी:**
  - इसके साथ ही, मिवान (Mivan) जैसी वैकल्पिक निर्माण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के प्रयास चल रहे हैं। यह प्रौद्योगिकी विभिन्न भवन तत्त्वों को ढालने और बनाने के लिये उन्नत एल्यूमीनियम फॉर्मवर्क का उपयोग करती है, जो पुनर्चक्रण योग्य एवं पुन: प्रयोज्य (recyclable and reusable) है।
  - यह दृष्टिकोण गति और गुणवत्ता के मामले में पारंपरिक निर्माण विधियों से व्यापक रूप से बेहतर है और निर्माण चरण में अपव्यय या वेस्टेज की कमी के कारण अपेक्षाकृत कम पर्यावरणीय प्रभाव रखता है।
- **इंसुलेटिंग कंक्रीट फॉर्मवर्क (ICF) प्रौद्योगिकी:**
  - इंसुलेटिंग कंक्रीट फॉर्मवर्क (Insulating Concrete Formwork- ICF) दृष्टिकोण के साथ भवन-निर्माता भवन की दीवारों के आधार के रूप में दोहरे-दीवार वाले पॉलीस्टीरिन पैनल का उपयोग करते हैं।
  - एक सुदृढ़, टिकाऊ संरचना सुनिश्चित करने के लिये खाली पैनल को कंस्ट्रक्शन-ग्रेड रेडी-मिक्स्ड कंक्रीट से भरा जाता है। एयरटाइट ICF सिस्टम गर्मी और ध्वनि दोनों के लिये उत्कृष्ट इंसुलेशन प्रदान करते हैं और भवनों को स्थिर तापीय द्रव्यमान ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं।
- **हाइब्रिड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन:**
  - जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, हाइब्रिड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन विभिन्न निर्माण विधियों का एक संयोजन है। हाइब्रिड कंक्रीट निर्माण में विशेष रूप से इस्पात या कंक्रीट इकाइयों जैसी अन्य प्री-कास्ट सामग्रियों के साथ कास्ट-इन-प्लेस कंक्रीट का उपयोग किया जाता है।
  - स्व-स्थाने निर्माण और प्री-कास्ट सामग्री दोनों का उपयोग करने वाली हाइब्रिड विधि निर्माण प्रक्रिया की समग्र गुणवत्ता को नियंत्रित करते हुए संरचना निर्माण में तेज़ी लाने और परियोजना लागत को कम करने में मदद करती है।

आवास क्षेत्र के विकास में संवहनीयता संबंधी कौन-सी चिंताएँ मौजूद हैं?

- **विभिन्न निर्माण प्रौद्योगिकियों के कारण चिंताएँ:**
  - तापीय संकट के मुद्दे:
    - उपयुक्त इंसुलेशन के बिना सीमेंट एवं इस्पात (स्टील) के व्यापक उपयोग के परिणामस्वरूप भवन आवरण द्वारा ऊष्मा ग्रहण बढ़ जाता है, जिससे तापीय संकट (Thermal Distress) पैदा होता है।
  - ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन की वृद्धि:
    - अपर्याप्त इंसुलेशन के कारण भवन में रहने वाले लोग एयर कंडीशनर जैसे शीतलन उपकरणों के उपयोग के लिये विवश होते हैं। शीतलन उपकरणों पर इस निर्भरता से बिजली की खपत में वृद्धि होती है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है।
  - बिजली की खपत में वृद्धि:
    - कम खरीद लागत के कारण निम्न दक्षता वाले उपकरणों के अधिक उपयोग से बिजली की खपत बढ़ती है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है।
    - यह एक गंभीर विरोधाभास को रेखांकित करता है, जहाँ निम्न-कार्बन विकल्प की पेशकश करने वाली प्रौद्योगिकी परिचालन चरण के दौरान अनजाने में ही उच्च उत्सर्जन में योगदान करती है।

- **आवास परियोजनाओं में बाधा डालने वाले स्थानीय कारक:**
  - PMAY-U को किफायती आवास के लिये मास्टर प्लान में भूमि चिन्हित करने की आवश्यकता होती है। सैद्धांतिक रूप से, इससे शहरों और क़स्बों को यह सुनिश्चित करने की अनुमति मिलनी चाहिए कि निम्न-आय आबादी की दैनिक यात्रा की दूरी एवं लागत न्यूनतम रखी जाए।
  - हालाँकि, भारत के 7,953 जनगणना क़स्बों (census towns) में से 76.2% के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। दिल्ली में कई नव निर्मित आवास क्षेत्र की अवस्थिति और सार्वजनिक परिवहन की भारी कमी के कारण इन्हें खरीदार नहीं मिल रहा।
- **'बिल्डिंग टाइपोलॉजी' में विसंगतियाँ:**
  - PMAY-U के तहत, राज्यों और शहरों को अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात (FAR), फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) या हस्तांतरणीय विकास अधिकार (TDR) प्रदान करना होगा और मलिन बस्तियों एवं कम लागत वाले आवास के लिये घनत्व नियमों में ढील देनी होगी, जिससे सघन, हाई-राइज़ विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
    - यह दृष्टिकोण भूमि उपयोग दक्षता में सुधार करता है, लेकिन ऊँची इमारतों के साथ प्रति इकाई क्षेत्र में उत्सर्जन की वृद्धि के कारण स्थिरता एवं वहनीयता संबंधी चिंताओं को भी बढ़ाता है।
- **केंद्रीकृत प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता:**
  - भारत की उपयोगिता एवं सेवा अवसंरचना अत्यधिक बोझग्रस्त केंद्रीकृत प्रणालियों पर निर्भर करती है, जिससे कई शहरों में 50% तक की कमी उत्पन्न होती है। केंद्रीकृत प्रणालियाँ, जबकि महंगी हैं, PMAY-U दिशानिर्देशों में वर्षा जल संचयन, विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन एवं अपशिष्ट जल उपचार के प्रावधानों का अभाव रखती हैं और इन्हें विभिन्न भवन एवं पर्यावरण नियमों द्वारा निर्देशित किया जाता है।
- **अक्षम लाभार्थी-आधारित निर्माण:**
  - लगभग 63% PMAY-U परियोजनाएँ लाभार्थियों द्वारा स्व-निर्मित हैं, जो लचीली निर्माण गति की अनुमति देती हैं। हालाँकि, इस अनौपचारिक निर्माण में संवहनीयता मार्गदर्शन तक सीमित पहुँच के साथ भवन मानदंडों एवं सुरक्षा संहिता का पालन नहीं किया जाता है।
    - यह दृष्टिकोण, जो निम्न-आय समूहों के बीच प्रमुखता रखता है, बेहतर वास-योग्यता के लिये किफायती संवहनीयता मानदंड और तकनीकी सहायता को एकीकृत करने की आवश्यकता को उजागर करता है।
- **बहु-हितधारक प्रकृति के कारण जागरूकता की कमी:**
  - अलग-अलग प्राथमिकता और जागरूकता स्तर वाले विभिन्न हितधारकों को शामिल करने वाली जटिल भवन मूल्य श्रृंखला के कारण पैसिव डिज़ाइनों को लागू करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - अंतिम-उपयोगकर्ताओं में लाभों के बारे में जागरूकता की कमी इसे अपनाने में और बाधा उत्पन्न करती है, जो हितधारकों के बीच बढ़ती जागरूकता एवं सहयोग की आवश्यकता को उजागर करती है।

आवास क्षेत्र को अधिक संवहनीय बनाने के लिये कौन-से कदम आवश्यक हैं?

- **'थर्मल कंफर्ट' को प्राथमिकता देना:**
  - दुनिया भर में बढ़ते 'हीट स्ट्रेस' से विभिन्न आबादी क्षेत्रों पर असर पड़ने का अनुमान है, जिससे शीतलन की मांग में व्यापक वृद्धि होगी।
    - हालाँकि, इस बढ़ती मांग का प्रभाव शीतलन सुविधाओं तक सीमित पहुँच रखने वाले निम्न-आय वर्ग के समुदायों के बीच अधिक प्रकट होगा।
  - इस परिदृश्य में, कमज़ोर समुदायों को हीट स्ट्रेस के प्रति प्रत्यास्थी बनाने के लिये यह ज़रूरी है कि आवासों का निर्माण थर्मल कंफर्ट के लिये पैसिव डिज़ाइन रणनीतियों को एकीकृत करने के रूप में बुनियादी सुविधाओं के प्रावधानीकरण तक ही सीमित न हो।
- **भवन संहिता को सुदृढ़ करना:**
  - कई लक्ष्यों के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन प्राप्त करने का मार्ग भवन संहिता के भीतर अंतर्निहित दिशानिर्देशों के अनिवार्य कार्यान्वयन में निहित है, जैसा कि 'इको निवास संहिता' (Eco Niwas Samhita) जैसी पहलों द्वारा प्रकट किया गया है।
    - स्मार्ट घर III परियोजना (Smart Ghar III project)—जो PMAY अनटेनेबल स्लम पुनर्विकास परियोजना (PMAY Untenable Slum Redevelopment project) के तहत एक किफायती आवास पहल है, पैसिव डिज़ाइन कार्यान्वयन के माध्यम से इनडोर थर्मल कंफर्ट प्राप्त करने का एक प्रमुख उदाहरण है।

- चूँकि LHPs के लिये विभिन्न निर्माण प्रौद्योगिकियों का परीक्षण किया जा रहा है, संहिता एवं दिशानिर्देशों को अपनाने के लिये भवन डिज़ाइन में विस्तृत पैसिव डिज़ाइन पहलुओं को शामिल करने के लिये यह सबसे उपयुक्त समय है।

- **पैसिव डिज़ाइन (Passive Designs) के बारे में जागरूकता बढ़ाना:**
  - जबकि पैसिव डिज़ाइन कम ऊर्जा बिल और बेहतर आराम या कंफर्ट जैसे दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हैं, ये लाभ हमेशा घर के मालिकों के लिये तुरंत प्रकट नहीं होते हैं।
  - इसलिये, संहिता को अपनाने और सही कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिये संपूर्ण मूल्य शृंखला में एक पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तन की आवश्यकता है।
    - इसके लिये हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने और सहयोग को बढ़ावा देने तथा पैसिव डिज़ाइनों को प्राथमिकता देने के लिये डेवलपर्स को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- **हरित भवनों को बढ़ावा देना:**
  - वर्तमान में भारत में 'हरित भवनों' (Green Buildings) की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकी ये भवन बाज़ार में मात्र 5% हिस्सेदारी रखते हैं। हालाँकि, वर्तमान साक्ष्य उचित नीतियों और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा की खपत एवं उत्सर्जन में कमी लाने की आशाजनक क्षमता को प्रदर्शित करते हैं।
  - मैकिन्से (McKinsey) के एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि भवन निर्माण एवं संचालन की ऊर्जा दक्षता में सुधार कर वर्ष 2030 तक बिजली की राष्ट्रीय मांग को 25% तक कम किया जा सकता है।
    - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के आकलन से पता चलता है कि मौजूदा भवनों में भी बेहतर दक्षता के लिये 'रेट्रोफिट' उपायों (पुराने में नए साधनों के योग) के माध्यम से अपनी ऊर्जा का 30-50% तक बचाने की क्षमता है।
- **स्थान अनुरूप परियोजनाएँ आरंभ करना:**
  - शहरी संकुल में निम्न-आय वर्ग के आजीविका स्वरूप को समझने के लिये सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित किया जाए।
    - शहरी संकुल में पारगमन नेटवर्क के साथ प्रमुख आर्थिक हॉटस्पॉट और उपयुक्त स्थानों की पहचान की जाए ताकि उस क्षेत्र में अधिकतम किफायती आवास प्रदान कर मिश्रित आय आवासन को बढ़ावा दिया जाए।
  - क्षेत्रवार-आधारित समावेशन (Zoning-based inclusion) लक्षित आबादी के लिये रणनीतिक रूप से उपयुक्त स्थानों में किफायती आवास के लिये भूमि निर्धारित करने में सक्षम बना सकता है।
    - उदाहरण के लिये, सुनिश्चित किया जाए कि कार्यात्मक प्राथमिक विद्यालय, सार्वजनिक चिकित्सा क्लीनिक और अन्य बुनियादी सुविधाएँ किफायती आवास स्थल के निकट मौजूद हों।
- **सुदृढ़ लेआउट और बिल्डिंग डिज़ाइन का अनुसरण करना:**
  - आवरण डिज़ाइन (Envelope design) और छाया साधन (shading devices) किसी भवन में ऊष्मा के ग्रहण या निर्मुक्ति के लिये प्रमुख रूप से ज़िम्मेदार होते हैं और इसलिये उस स्थान को ठंडा करने या गर्म करने की आवश्यकता निर्धारित करते हैं।
    - इको निवास संहिता 2018 का सुझाव है कि सभी जलवायु क्षेत्रों में (शीत जलवायु को छोड़कर) भवन के आवरण (छत को छोड़कर) के माध्यम से शुद्ध ऊष्मा ग्रहण 15 वाट प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - आवरण की दक्षता आवास इकाई के उजागर सतह क्षेत्र और निर्मित क्षेत्र के अनुपात से भी निर्धारित की जा सकती है। विभिन्न राज्यों की आवास परियोजना के नमूनों पर CSE के एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि यदि यह अनुपात 0.92 से अधिक है तो आवरण को दक्ष नहीं माना जा सकता।

निष्कर्ष

अंतरिम बजट 2024 का आवासन पर विशेष रूप से ध्यान देना 'सभी के लिये आवास' की दिशा में एक सराहनीय कदम है। यद्यपि ये प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन ये जीवन की गुणवत्ता एवं पर्यावरण के साथ तालमेल के आलोचनात्मक परीक्षण के लिये भी प्रेरित करते हैं। संवहनीय अभ्यासों की ओर आगे बढ़ने के लिये पैसिव डिज़ाइनों को एकीकृत करने हेतु सहयोगात्मक प्रयास एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता है। चूँकि भवन निर्माण क्षेत्र का पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ता जा रहा है, भविष्य के लिये प्रत्यास्थी संरचनाओं के निर्माण हेतु सन्निहित एवं परिचालनात्मक उत्सर्जन को संतुलित करना महत्त्वपूर्ण है। आवासन पहलों में पर्यावरणीय चेतना को अपनाकर, हम न केवल 'घर' का निर्माण कर सकेंगे, बल्कि अधिक समावेशी भविष्य के लिये संवहनीयता के मॉडल भी प्रस्तुत कर सकेंगे।

■■■

रक्षा भर्ती में सुधार

अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून, 2022 को की गई थी और 'अग्निवीर' (जिस नाम से इन युवा पुरुष-महिलाओं को जाना जाता है) के पहले बैच को भर्ती प्रशिक्षण पूरा करने के साथ सशस्त्र बल इकाइयों में शामिल कर लिया गया है।

इस योजना की कई आधारों का हवाला देते हुए विशेष रूप से पूर्व-सैनिक समुदाय द्वारा आलोचना की गई है। पूर्व-सैनिकों ने मुख्य रूप से उस संगठन के प्रति अपनेपन की भावना के कारण अस्वीकृति व्यक्त की है जिसमें उन्होंने सेवा दी थी।

अग्निपथ योजना क्या है ?

- **परिचय:**
  - यह देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण एवं प्रेरित युवाओं को चार वर्ष की अवधि के लिये सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर देता है। सेना में शामिल होने वाले इन युवाओं को 'अग्निवीर' के रूप में जाना जाता है।
  - इस नई योजना के तहत प्रतिवर्ष लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी और इनमें से अधिकांश चार वर्षों के बाद सेवानिवृत्त कर दिये जाएँगे।
  - चार वर्षों की अवधि के बाद बैच के केवल 25% अग्निवीरों को ही अगले 15 वर्षों की अवधि के लिये उनकी संबंधित सेवाओं में वापस नियुक्त किया जाएगा।
- **पात्रता मापदंड:**
  - यह केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिये है (यानी वे जो कमीशन अधिकारी के रूप में सैन्य बलों में शामिल नहीं होते हैं)।
    - कमीशन प्राप्त अधिकारी भारतीय सशस्त्र बलों में एक विशिष्ट रैंक रखते हैं। वे प्राय: राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति के तहत कमीशन रखते हैं और उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का निर्देश दिया जाता है।
  - 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के उम्मीदवार अग्निपथ योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
- **उद्देश्य:**
  - इससे भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफ़ाइल में लगभग 4 से 5 वर्ष की कमी आने की उम्मीद है।
  - योजना की परिकल्पना के अनुसार सैन्य बलों की औसत आयु, जो वर्तमान में 32 वर्ष है, छह-सात वर्षों में घटकर 26 वर्ष हो जाएगी।

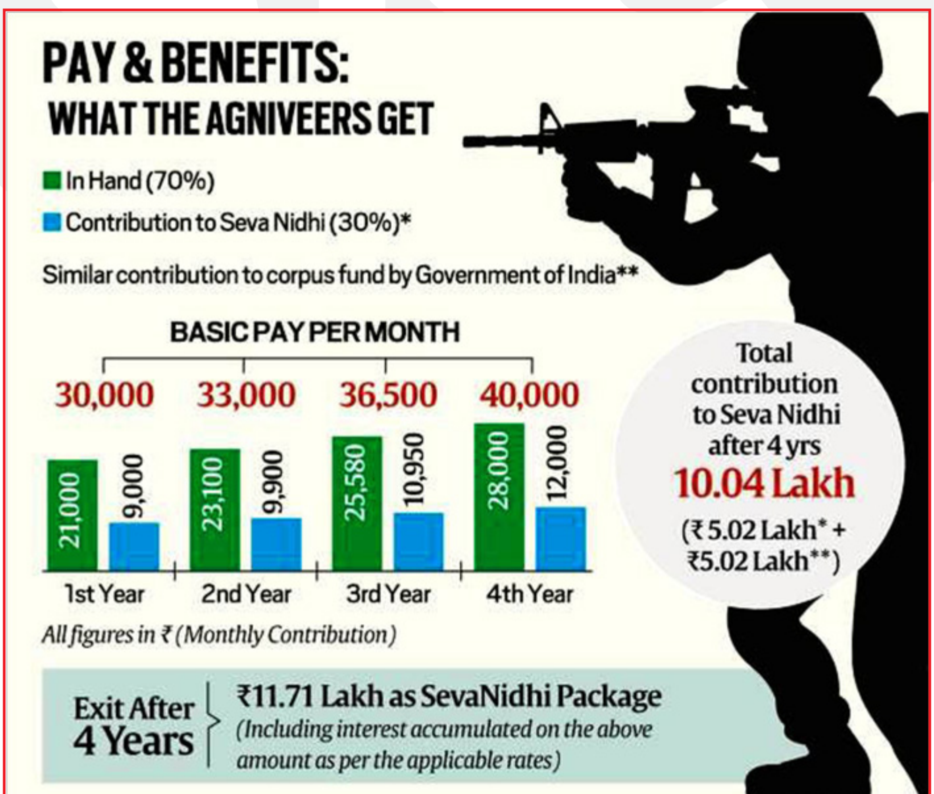

अग्निपथ योजना के संबंध में विभिन्न चिंताएँ क्या हैं?

- अग्निवीरों को सैन्य इकाइयों में निर्बाध रूप से शामिल करने के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि संबंधित यूनिट कमांडरों के समक्ष आगे की चुनौतियों के बारे में पर्याप्त स्पष्टता हो। ये चुनौतियाँ अग्निवीरों की व्यक्तिगत क्षमताओं से परे हैं और उम्मीद की जाती है कि सैन्य बल में बने रहने के लिये वे उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। ये चुनौतियाँ अपनी प्रकृति में अधिक अमूर्त हैं और नेतृत्वकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करती हैं।
- **पेशेवर क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव:**
  - युवा सैनिकों की बहुत अधिक संख्या, प्रशिक्षण क्षमताओं एवं अवसंरचना की वृद्धि और सैनिकों की अधिकाधिक भर्ती, निर्मुक्ति एवं प्रतिधारण के लिये प्रशासनिक व्यवस्था के आवर्द्धन से प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होगा।
- **परिचालन क्षमता का ह्रास:**
  - खराब 'टीथ-टू-टेल' अनुपात (teeth-to-tail ratio- T3R) रखने वाला सशस्त्र बल 'टेल' को बढ़ा रहा है। भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना अपने वायुसैनिकों एवं नौसैनिकों को अत्यंत विशिष्ट भूमिकाओं में नियुक्त करती है जिनके लिये तकनीकी कौशल और उच्च स्तर के प्रशिक्षण एवं अनुभव की आवश्यकता होती है।
    - चूँकि अल्पकालिक संविदा सैनिक मॉडल (अग्निपथ योजना) को संगठनात्मक स्तर पर पूरी तरह से लागू होने में कुछ वर्ष लगेंगे, इस योजना से T3R अनुपात के और बढ़ने का जोखिम है।

नोट

- टीथ-टू-टेल अनुपात (T3R) सैन्य रणनीति एवं योजना निर्माण में प्रयुक्त एक अवधारणा है जो लड़ाकू बलों (teeth) और सहायक कर्मियों (tail) के अनुपात को प्रकट करता है।
  - 'टीथ' पैदल सेना, लड़ाकू पायलटों और लड़ाकू वाहनों सहित अग्रिम पंक्ति की लड़ाकू सेनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 'टेल' में लॉजिस्टिक्स, प्रशासन एवं चिकित्सा इकाइयों जैसे सहायक तत्त्व शामिल हैं।
- उच्च T3R लड़ाकू बलों की तुलना में सहायक कर्मियों के एक बड़े अनुपात को इंगित करता है, जो एक अच्छी तरह से समर्थित एवं संवहनीय सैन्य परिचालन का संकेत हो सकता है।
- **वर्ग-आधारित भर्ती को अखिल भारतीय सर्व-श्रेणी भर्ती से प्रतिस्थापित किया जाना:**
  - स्वरूप में ऐसा भारी परिवर्तन सशस्त्र बल के लिये उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि यह भारतीय सेना के संगठनात्मक प्रबंधन, नेतृत्व संरचनाओं एवं परिचालन दर्शन के आधार पर चोट करेगा।
    - भले ही भारतीय सेना में सैनिक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित होते हैं, वे अपनी सामाजिक पहचान से भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं जहाँ प्रत्येक सैनिक अपने जाति समूह या अपने ग्राम या अपने सामाजिक परिवेश में समकक्षों के बीच अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता है।
- **भरोसे और सहयोग की कमी को बढ़ावा:**
  - विभिन्न स्तरों के अनुभव और प्रेरणा रखने वाले सैनिकों के प्रशिक्षण, एकीकरण एवं तैनाती में बड़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी। 25% अल्पकालिक अनुबंधित सैनिकों को सेवा में बनाये रखने हेतु उनकी पहचान के मानदंड के परिणामस्वरूप अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति बन सकती है।
    - एक संगठन जो विश्वास, सौहार्द एवं बंधुत्व की भावना पर निर्भर करता है, वह विजेताओं एवं पराजितों (जो सेवा में बने रहते हैं और जो सेवामुक्त कर दिये जाते हैं) के बीच प्रतिद्वंद्विता एवं ईर्ष्या से जूझने के लिये विवश हो सकता है (विशेष रूप से अनुबंध के अंतिम वर्ष में)।
- **राज्यवार कोटा की समाप्ति:**
  - अग्निपथ योजना सेना में भर्ती के लिये किसी राज्य की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर राज्य-वार कोटा के उस विचार को भी समाप्त कर देती है, जिसे वर्ष 1966 से लागू किया गया था।
    - इस कोटा प्रणाली ने सेना में असंतुलन पर नियंत्रण किया ताकि किसी एक राज्य, भाषाई समुदाय या जातीयता का वर्चस्व न हो, जैसा कि पाकिस्तान के मामले में दिखता है जहाँ पंजाब का प्रभुत्व है।
    - अकादमिक शोध से पता चलता है कि उच्च स्तर का जातीय असंतुलन लोकतंत्र की गंभीर समस्याओं और गृह युद्ध की बढ़ती संभावना से जुड़ा हुआ है, जो आज के भारत के लिये एक चिंताजनक परिदृश्य है जहाँ सत्तारूढ़ दल की विचारधारा द्वारा 'संघवाद' (federalism) की कड़ी परीक्षा ली जा रही है।
- **पर्याप्त प्रेरक पहलुओं का अभाव:**
  - भारत में, भारतीय सेना ने अब तक वेतन, वर्दी और प्रतिष्ठा प्रदान की है, जो अंग्रेज़ों से विरासत के रूप में ग्रहण की गई, जो जीवन दशाओं, सैनिकों के परिवारों के लिये सुविधाओं और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ एवं पुरस्कार (जैसे भूमि अनुदान) का ध्यान रखते थे।
    - एक अल्पकालिक संविदा सैनिक, जिसे पेंशन भी नहीं मिलेगा, अपनी सैन्य सेवा के बाद ऐसी नौकरियाँ करते

हुए देखा जाएगा जो स्थिति एवं प्रतिष्ठा में सैन्य सेवा जैसे सम्मान के पेशे के अनुरूप नहीं होगा। इससे अल्पकालिक अनुबंधों पर शामिल होने वालों की प्रेरणा कम हो जाएगी।

- **आवश्यकता और भर्ती के बीच भारी असंगति:**
  - वर्तमान में तीनो सैन्य सेवाओं में लगभग 1,55,000 कर्मियों की कमी है, जहाँ थल सेना में सर्वाधिक 1,36,000 रिक्तियाँ हैं। इनमें से 90% से अधिक रिक्त पद ग़ैर-अधिकारी लड़ाकू रैंक के हैं जिन्हें अग्निपथ योजना भरने का लक्ष्य रखती है। इस परिदृश्य में, चार वर्ष की सेवा के बाद 75% प्रशिक्षित रंगरूटों को सेवामुक्त करना एक बड़ा अपव्यय होगा।
- **बिगड़ता भू-राजनीतिक परिदृश्य:**
  - भारत-चीन सीमा पर शांति के भंग होने का अर्थ यह कि भारत को अब चीन, पाकिस्तान के साथ ही कश्मीर में विद्रोहियों पर नज़र रखने के लिये सैन्यबलों के उच्च स्तर की आवश्यकता है।
  - पहले आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल रही राष्ट्रीय राइफल्स (RR) इकाइयों में से कुछ की चीन के मोर्चे पर तैनाती से यह असंगति प्रकट हो रही है।
    - इसके अतिरिक्त, उभरती सुरक्षा चुनौतियों (जैसे वर्तमान मणिपुर संकट) की अनदेखी नहीं की जा सकती, जहाँ स्थिति के प्रबंधन के लिये सेना सहायक बल के रूप में कार्य करती है।
- **सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिये अपर्याप्त अवसर:**
  - अर्थव्यवस्था सेवानिवृत्त अग्निवीरों को किस हद तक आत्मसात करेगी या उनका स्वागत करेगी, यह उनके कौशल और उन्हें प्राप्त प्रशिक्षण पर निर्भर करेगा।
  - यह स्थिति चुनौतीपूर्ण होगी, विशेष रूप से जबकि उल्लेखनीय या पर्याप्त संख्या में सार्थक रोज़गार के अवसर अभी भी स्नातकों की बढ़ती संख्या से दूर हैं। चूँकि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित है, इसलिये यह स्थिति महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ खड़ी करती है।

भर्ती प्रक्रिया में कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

- **आयु सीमा और स्थायी प्रतिधारण कोटा बढ़ाना:**
  - सरकार आयु सीमा और स्थायी प्रतिधारण कोटा को 50% तक बढ़ाकर प्रतिबद्ध एवं कुशल व्यक्तियों को आकर्षित कर सकती है, सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता सुनिश्चित कर सकती है और युवा उत्साह एवं अनुभव का एक संतुलित मिश्रण प्राप्त कर सकती है।
    - ये संशोधन सरकार की ओर से स्वागतयोग्य सुधार होंगे जहाँ यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सशस्त्र बल अपनी समग्र परिचालन तत्परता से समझौता किए बिना समय के साथ प्रभावी ढंग से आकार में कमी एवं आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ें।
- **सैन्य इकाइयों के दायरे में मनोवैज्ञानिक आत्मसातीकरण:**
  - जब एक सैन्य इकाई युद्ध में होती है तो उससे अंततः परिणाम की उम्मीद की जाती है। किसी प्रतिद्वंद्वी के समक्ष वांछित परिणाम के लिये तैयारी लगातार जारी रहनी चाहिए और चुनौतीपूर्ण युद्ध स्थितियों के उभरने तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।
    - इसी तरह, यूनिट कमांडरों को अग्निवीरों को यूनिट संरचना में मनोवैज्ञानिक रूप से समाहित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें प्रभावी दल सदस्य बनने के लिये तैयार किया जाए।
- **सैन्य इकाई सामंजस्य को बढ़ावा देना:**
  - इकाई गौरव इकाई एकजुटता से उत्पन्न होता है, जो एक उत्कृष्ट सैन्य इकाई की पहचान है, जो फिर व्यक्तिगत सैनिक के मानवीय तत्त्व पर निर्भर होता है।
  - सैनिक अनुशासन का आधार और इस प्रकार एक दल सदस्य के रूप में उसकी प्रेरणा एवं मनोविज्ञान हमेशा उसके व्यक्तिगत विवेक एवं चरित्र से संबंधित होता है। यही चरित्र संबंधों में सामंजस्य स्थापित करता है और इकाई सौहार्द का निर्माण करता है जो किसी सैनिक को युद्ध के मैदान में शक्ति प्रदान करता है।
- **मानवीय तत्त्व और युद्ध के पारंपरिक तरीकों की पहचान करना:**
  - जारी रूस-यूक्रेन संघर्ष या संभवतः इज़राइल रक्षा बलों (IDF) की इज़राइल-हमास संघर्ष में असफलताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि मानवीय तत्त्व और युद्ध के पारंपरिक तरीके आधुनिक तकनीक से अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी पुराने तरीकों और रणनीतियों को केवल पूरकता ही प्रदान कर सकती है।
    - भले ही अग्निवीरों के पास दूसरों की तुलना में बेहतर तकनीकी कौशल या ज्ञान हो, विशेष रूप से विशिष्ट क्षेत्र या संदर्भ में, इससे उनके नेतृत्वकर्त्ताओं को अधिक संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। जब तक इन पुरुषों और महिलाओं को सौहार्दपूर्ण जीवन जीने के लिये प्रशिक्षित नहीं किया जाता, तब तक उक्त गुण निरर्थक सिद्ध होंगे।

- **अग्निवीरों का मूल्य-आधारित पोषण और प्रशिक्षण :**
  - सैन्य इकाई के लोकाचार पर आधारित मूल्य-आधारित पोषण को तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है और इसके योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन का दायित्व इकाई के नेतृत्वकर्ता पर है। युद्ध क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के बावजूद, एक सैनिक के अपने साथी के साथ खड़े रहने के चरित्र को कभी कम नहीं आँका जा सकता।
- **प्रतिस्पर्द्धी सहयोग की भावना को बढ़ावा देना:**
  - प्रतिधारण बनाम सेवामुक्ति के लिये प्रतिस्पर्द्धा के विषय में निश्चित रूप से अग्निवीर एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अग्निवीरों के बीच दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रवृत्ति एकीकृत बल विकसित करने के लक्ष्य के विपरीत होगी।
    - चूँकि 25% अग्निवीर ही सेवा में बने रहेंगे, उनके बीच अवांछित व्यक्तित्व लक्षण के किसी भी अंकुरण को रोकना कठिन चुनौती होगी। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह गंभीर रूप धारण कर सकता है और दीर्घावधि में सैन्य इकाई के हित को प्रभावित कर सकता है।
- **मनोवैज्ञानिक परीक्षण को शामिल करना:**
  - सरकार को सेना में अधिकारियों के चयन में इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति के अनुरूप ही अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को शामिल करने पर विचार करना चाहिए।
    - इससे यूनिट कमांडर को उपलब्ध मानव संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी और अग्निवीरों को बेहतर रूप से तैयार करने एवं उनका मूल्यांकन करने की सुविधा प्राप्त होगी।
- **सैन्य-असैन्य विभाजन को दूर करना:**
  - सेना एक ऐसी संस्था बनी रही है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा में निभाई गई भूमिका के लिये अत्यंत सम्मान दिया जाता है। अग्निवीरों की भर्ती की शुरुआत का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू और प्रभाव यह है कि इससे सेना नागरिक सेना बनने की दिशा में एक छोटा कदम उठाएगी। अग्निपथ योजना को युवाओं को सेना के बारे में जानने एवं समझने में मदद करनी चाहिए, जिससे सैन्य-असैन्य विभाजन कम हो सके।
- **भविष्योन्मुख युद्ध के लिये तैयार सैन्यबल के रूप में भूमिका:**
  - यूक्रेन युद्ध ने रक्षा प्रणाली के एक अंग के रूप में प्रशिक्षित नागरिकों के महत्त्व को सिद्ध किया है। अग्निपथ में भारत के लिये एक भविष्योन्मुख युद्ध के लिये तैयार सैन्यबल प्रदान करने की क्षमता है जो युद्ध एवं शांति काल, विशेष रूप से आपदा राहत एवं बचाव जैसी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है।
    - यहाँ तक कि उनमें आतंकी हमलों के दौरान भी एक प्रतिरोध शक्ति बनने की संभावना है। सशस्त्र बलों में प्रशिक्षित होने के बाद सेवामुक्त हुए अग्निवीरों को नागरिकों के बीच संभावित आरक्षित युवा सेना के रूप में शामिल किया जा सकता है।

निष्कर्ष

अग्निपथ योजना की शुरूआत भारत की रक्षा नीति में एक महत्त्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है, जो सशस्त्र बलों के लिये भर्ती प्रक्रिया में बदलाव लाती है। जबकि इस योजना ने ध्यान आकर्षित किया है और एक बहस भी छिड़ गई है, इसके आरंभिक कार्यान्वयन ने भर्ती किए गए अग्निवीरों की प्रेरणा, बुद्धिमत्ता एवं शारीरिक मानकों के संबंध में आशाजनक संकेतक दिखाए हैं। सैन्य अभियानों में मानवीय तत्त्व सर्वोपरि रहता है और यह तकनीकी प्रगति से भी अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है। इसलिये, नेतृत्वकर्ताओं को अग्निवीरों के चरित्र विकास एवं मनोवैज्ञानिक कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए, जहाँ यह सुनिश्चित किया जाए कि वे इकाई गौरव एवं एकजुटता के लोकाचार के साथ संरेखित हों।

■■■

सर्वोच्च न्यायालय सुधार: क्षेत्रीय पीठों का मामला

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में लोकसभा को अवगत कराया कि विधि मंत्रालय ने देश भर में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने के उसके प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय पीठों की स्थापना के विचार को बार-बार अस्वीकृत किया गया है और यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

भारत में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों पर भिन्न-भिन्न विधिक स्थितियाँ:

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130:** इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे।
- **विधि आयोग की रिपोर्ट:** न्यायालय को और अधिक अभिगम्य बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट (2009) ने गैर-संवैधानिक मुद्दों की सुनवाई के

लिये दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में चार क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने की सिफ़ारिश की थी।

- **बार काउंसिल:** जुलाई 2021 में दक्षिण भारत के बार काउंसिल्स (Bar Councils) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें मांग की गई कि दक्षिण भारत में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित की जाए।
- **संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट:** कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 'विधि एवं न्याय मंत्रालय की अनुदान मांग (2021-22)' पर अपनी 107वीं रिपोर्ट पेश की और विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की वकालत की।
- **भारत के मुख्य न्यायाधीश:** अभी तक, भारत के किसी भी मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली से बाहर अधिविष्ट करना उचित नहीं समझा है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने क्षेत्रीय पीठों की अवधारणा में बहुत कम रुचि दिखाई, जहाँ उन्होंने यह चिंता प्रकट की कि इससे सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा कम हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों के पक्ष में तर्क:

- **बेहतर अभिगम्यता:**
  - संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय राजधानी में न्याय तक अभिगम्यता में उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - क्षेत्रीय पीठें दूर-दराज के इलाकों या राजधानी से दूर रहने वाले लोगों के लिये न्याय को और अधिक सुलभ या अभिगम्य बनाएँगी। इससे व्यक्तियों के लिये, विशेष रूप से वित्तीय या लॉजिस्टिकल चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिये, विधिक मामले हेतु दिल्ली जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
- **संवैधानिक मामलों पर अधिक ध्यान दे सकना:**
  - इससे नई दिल्ली में अवस्थित प्राथमिक पीठ द्वारा विशेष रूप से संवैधानिक मुद्दों को संबोधित करने के साथ, अन्य अपीलीय मामलों के विचलन के बिना जटिल संवैधानिक मामलों के न्यायनिर्णयन के लिये एक समर्पित मंच का निर्माण हो सकेगा।
  - क्षेत्रीय पीठें अपीलीय मामलों के प्रबंधन में विशेषज्ञता रख सकती हैं, जिससे न्यायाधीशों को अपने संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित कानून के विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने की अनुमति मिल सकती है। इस विशेषज्ञता से अधिक सूचना-संपन्न निर्णय लिये जा सकते हैं।
- **बेहतर न्यायिक प्रभावशीलता:**
  - क्षेत्रीय पीठें उन स्थानीय मुद्दों और चिंताओं को संबोधित करने के लिये बेहतर स्थिति में होंगी जिन पर राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सकता है। क्षेत्रीय संदर्भों से परिचित न्यायाधीश अधिक प्रासंगिक एवं प्रभावी निर्णय दे सकते हैं।
  - क्षेत्रीय पीठें स्थानीय कानूनों और रीति-रिवाजों से परिचित न्यायाधीशों द्वारा मामलों को अधिक कुशलता से संभालने की अनुमति देंगी। इस विशेषज्ञता से त्वरित और अधिक सूचना-संपन्न निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।
- **वृहत अवसर:**
  - क्षेत्रीय पीठों की स्थापना से देश के विभिन्न हिस्सों में कानूनी अवसंरचना एवं विशेषज्ञता के विकास को बढ़ावा मिल सकता है, स्थानीय कानूनी पेशेवरों को सशक्त बनाया जा सकता है और ज़मीनी स्तर पर कानूनी जागरूकता बढ़ाई जा सकती है।
  - क्षेत्रीय पीठों की स्थापना से वृहत अवसरों के द्वार खुलेंगे और 'बार' (Bar) का लोकतंत्रीकरण होगा।
- **लंबित मामलों में कमी:**
  - वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2022 की तुलना में मामलों के निपटान में 31% की वृद्धि देखी गई। वर्तमान में 80,000 से अधिक मामले निर्णय के लिये लंबित हैं, जिनमें से 60,000 दीवानी मामले हैं।
  - क्षेत्रीय पीठों की स्थापना से न्यायाधीशों के साथ-साथ अधिवक्ताओं की संख्या मं् भी वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप हमारी न्यायिक प्रणाली को अत्यंत आवश्यक बढ़ावा मिल सकेगा।
  - क्षेत्रीय पीठें सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार को विकेंद्रीकृत कर दिल्ली में मुख्य पीठ पर के बोझ को कम करने में मदद कर सकती हैं। इससे मामलों का द्रुत समाधान हो सकेगा और लंबित मामलों में कमी आएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों के विपक्ष में तर्क:

- **न्यायशास्त्र का विखंडन:**
  - क्षेत्रीय पीठें कानूनों और कानूनी सिद्धांतों की भिन्न-भिन्न व्याख्याओं को जन्म दे सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न क्षेत्रों में न्यायिक निर्णयों में विसंगतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने तो यहाँ तक आशंका जताई थी कि इससे संस्था का ही विघटन हो सकता है।

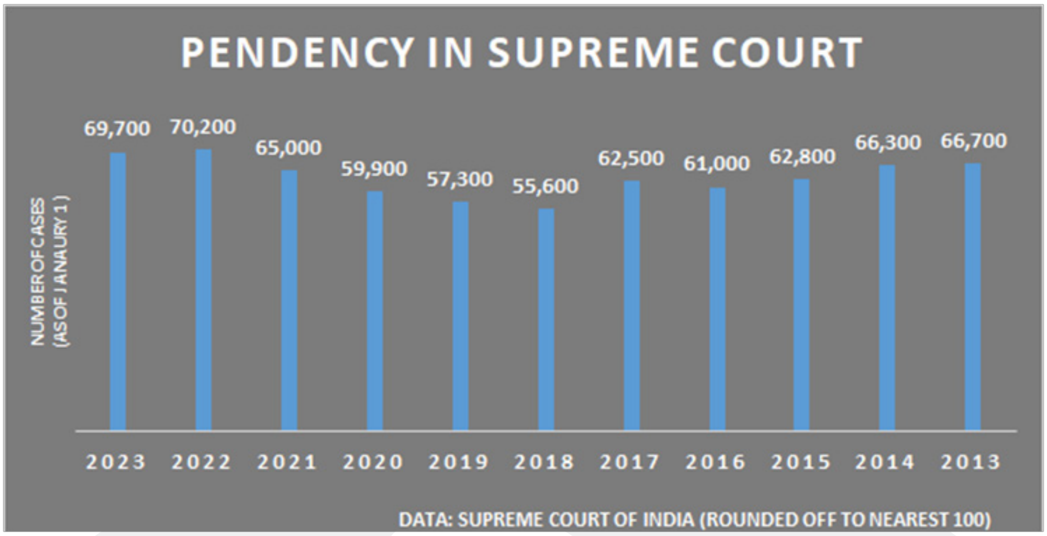

- **वाद या मुकदमेबाजी की वृद्धि:**
  - जबकि सर्वोच्च न्यायालय में दायर अधिकांश मामले दिल्ली के निकट स्थित उच्च न्यायालयों से आते हैं, केवल क्षेत्रीय पीठों के गठन से इस असंतुलन को दूर नहीं किया जा सकेगा।
  - क्षेत्रीय पीठ संभावित रूप से निरर्थक या फोरम-शॉपिंग लिटिगेशन (forum-shopping litigation) को बढ़ा सकती हैं क्योंकि वादी ऐसी पीठों से अनुकूल परिणाम की इच्छा रखेंगे जिनके बारे में धारणा हो कि वे उनके मामलों के प्रति अधिक सहानुभूति रखेंगी।
- **संभावित पूर्वाग्रह और प्रभाव:**
  - क्षेत्रीय पीठों में न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने में क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों या राजनीतिक प्रभाव की संभावना के बारे में भी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ प्रबल स्थानीय हित या राजनीतिक दबाव मौजूद हों।
  - क्षेत्रीय पीठों में नियुक्त न्यायाधीशों की गुणवत्ता एवं विशेषज्ञता, विशेष रूप से दिल्ली में मुख्य पीठ के अनुभवी न्यायाधीशों की तुलना में, को लेकर भी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इससे न्यायिक निर्णयों की सुसंगति एवं विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है।
- **संसाधनों और अवसंरचना पर व्यय की वृद्धि:**
  - क्षेत्रीय पीठों की स्थापना एवं रखरखाव के लिये अदालती सुविधाओं और सहायक कर्मचारियों सहित अवसंरचना में उल्लेखनीय वित्तीय संसाधनों एवं निवेश की आवश्यकता होगी। इससे पहले से ही सीमित न्यायिक संसाधनों और बजट पर दबाव पड़ सकता है।
  - उल्लेखनीय है कि देश भर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत 1,114 पदों की तुलना में 347 पद रिक्त हैं।
  - इसी प्रकार, ज़िला न्यायपालिका में, न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत 25,081 पदों में से केवल 19,781 पद ही कार्यशील थे। ज़िला जजों के 5,300 पद रिक्त बने हुए हैं।

आगे की राह:

- **अपीलीय क्षेत्राधिकार पीठों से संवैधानिक क्षेत्राधिकार पीठों का पृथक्करण:** भारत के 10वें विधि आयोग ने प्रस्ताव किया था कि सर्वोच्च न्यायालय को दो प्रभागों में विभाजित किया जाए: संवैधानिक प्रभाग और विधिक प्रभाग।
  - प्रस्ताव में कहा गया है कि केवल संवैधानिक कानून से संबंधित मुद्दों को प्रस्तावित संवैधानिक प्रभाग में लाया जाए।
- **विशेष अनुमति याचिकाओं (Special Leave Petitions- SLPs) के लिये एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना करना:** 'बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी बनाम भारत के मुख्य न्यायाधीश' मामले (1986) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय (National Court of Appeal) की स्थापना करना 'वांछनीय' है जो विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने में सक्षम होगा।
  - इससे सर्वोच्च न्यायालय को केवल संवैधानिक एवं सार्वजनिक कानून से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने का अवसर मिल सकेगा।

नोट :

- **कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाना:** मलिमथ समिति (Malimath Committee) ने सुझाव दिया कि सर्वोच्च न्यायालय को 206 दिनों के लिये कार्य करना चाहिये और सिफ़ारिश की कि लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए अवकाश की अवधि को 21 दिनों तक कम कर दिया जाना चाहिये।
  - वर्ष 2009 के विधि आयोग ने अपनी 230वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया कि लंबित मामलों के निपटान के लिये न्यायपालिका के सभी स्तरों पर न्यायालय के अवकाश में 10-15 दिनों की कटौती की जानी चाहिये।
- **मौजूदा अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** न्याय तक पहुँच में सुधार और मामलों के 'बैकलॉग' को कम करने के लिये उच्च न्यायालयों एवं ज़िला न्यायालय सहित मौजूदा न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने एवं उनके आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जाए।
  - भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (National Judicial Infrastructure Authority of India- NJIAI) की स्थापना का प्रस्ताव किया था, जो न्यायिक अवसंरचना को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
- **व्यवहार्यता अध्ययन का आयोजन करना:** क्षेत्रीय पीठों की स्थापना के संभावित लाभों, चुनौतियों और निहितार्थों का आकलन करने के लिये संपूर्ण व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित किये जाएँ। इन अध्ययनों में विधिक, लॉजिस्टिकल, वित्तीय एवं संवैधानिक पहलुओं जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिये।
  - न्याय तक पहुँच, न्यायिक दक्षता और निर्णयों की सुसंगति पर क्षेत्रीय पीठों की प्रभावशीलता एवं असर का मूल्यांकन करने के लिये चुनिंदा स्थानों पर पायलट परियोजनाओं या प्रायोगिक क्षेत्रीय पीठों को क्रियान्वित करने पर विचार करें।
- **अनन्य शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखना:** भले ही क्षेत्रीय पीठ स्थापित की जाएँ, सर्वोच्च न्यायालय की कुछ अनन्य या विशिष्ट शक्तियाँ अक्षुण्ण रखी जानी चाहिये। इनमें संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इसका मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 143 के तहत इसका सलाहकारी क्षेत्राधिकार और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इसका रिट क्षेत्राधिकार शामिल हैं।
- **व्यापक न्यायिक सुधार:** न्यायिक बैकलॉग, न्याय वितरण में देरी और न्यायिक रिक्तियों जैसे प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से व्यापक न्यायिक सुधार की ओर आगे बढ़ा जाए, जो कानूनी प्रणाली के समग्र कार्यकरण में सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - न्याय तक पहुँच बढ़ाने और दूरस्थ न्यायनिर्णयन को सुगम बनाने (विशेष रूप से दूरदराज या वंचित क्षेत्रों में) के लिये 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग' और 'वर्चुअल कोर्ट रूम' जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार किया जाए।

निष्कर्ष:

- भारतीय न्यायपालिका के भविष्य की कल्पना करते समय हमें एक साहसिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जो परंपरा को नवाचार के साथ, क्षेत्रीय विविधता को राष्ट्रीय एकता के साथ और अभिगम्यता को उत्कृष्टता के साथ संतुलित करता हो।
- सर्वोच्च न्यायालय के लिये क्षेत्रीय पीठों की स्थापना इस दृष्टिकोण को साकार करने में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का संकेत दे सकती है, जो सभी नागरिकों के लिये अधिक समावेशी, उत्तरदायी एवं प्रभावी न्याय प्रणाली प्रदान करने की क्षमता रखती है।

■■■

उत्तराखंड के UCC विधेयक का विश्लेषण

उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) विधेयक, 2024 विवाह एवं संपत्ति उत्तराधिकार के संबंध में कानूनों को सुदृढ़ करने का उद्देश्य रखता है। इस विधेयक के प्रवर्तनीय कानून में परिणत होने के लिये बस राष्ट्रपति की मंज़ूरी की प्रतीक्षा रह गई है। हालाँकि, विधेयक में एक चिंताजनक बात 'लिव-इन रिलेशनशिप' के अनिवार्य पंजीकरण को लेकर है, जहाँ यदि कुछ शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो उन्हें अपराध घोषित किया जा सकता है। यह कदम न केवल व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन करता है बल्कि व्यक्तिगत संबंधों को विनियमित करने में राज्य की भूमिका पर भी सवाल उठाता है।

समान नागरिक संहिता (UCC):

- **परिचय:**
  - UCC का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DPSP) के एक हिस्से के रूप में किया गया है, जहाँ कहा गया है कि राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।
  - हालाँकि, संविधान निर्माताओं ने UCC को लागू करना सरकार के विवेक पर छोड़ दिया।
  - गोवा UCC रखने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जो पुर्तगाली सिविल संहिता 1867 का पालन करता है।

- **UCC पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख:**
  - मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामला (1985): न्यायालय ने टिप्पणी की कि "यह खेद का विषय है कि अनुच्छेद 44 एक 'डेड लेटर' (निष्प्रभावी) बना रहा है" और उसने इसके परिपालन का आह्वान किया।
    - सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) और जॉन वल्लामट्टम बनाम भारत संघ (2003) जैसे अन्य मामलों में भी इसकी मांग दुहराई गई।
- **जोस पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा मामला (2019):** न्यायालय ने गोवा की एक "शानदार उदाहरण" के रूप में सराहना की, जहाँ "समान नागरिक संहिता, कुछ सीमित अधिकारों की रक्षा को छोड़कर, धर्म पर विचार किये बिना सभी पर लागू होती है" और तदनुसार इसके अखिल भारतीय कार्यान्वयन का आग्रह किया।
- **विधि आयोग का रुख:**
  - सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग ने वर्ष 2018 में 'पारिवारिक कानून में सुधार' पर एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने मत प्रकट किया कि "अभी समान नागरिक संहिता का निर्माण करना न तो आवश्यक है, न ही वांछनीय।"

विधेयक को राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिये क्यों भेजा गया?

- **विषय-वस्तु की अस्पष्ट प्रकृति:**
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 इंगित करता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तृत है जिनके संबंध में राज्य विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है।
  - सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, समान नागरिक संहिता को लाने और लागू करने के लिये एक समिति के गठन को अधिकारातीत (ultra vires) के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
    - समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 "विवाह एवं तलाक; शिशु एवं अवयस्क; दत्तक ग्रहण; वसीयत (Will), निर्वसीयतता एवं उत्तराधिकार; संयुक्त परिवार एवं उसका विभाजन; वे सभी विषय जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्षकार इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अपनी स्वीय (व्यक्तिगत)विधि के अधीन थे" से संबंधित है।
- **विधेयक को आरक्षित रखने की राज्यपाल की शक्ति:**
  - राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकते हैं। यह आरक्षण उस स्थिति में अनिवार्य है जहाँ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। हालाँकि, राज्यपाल किसी विधेयक को तब भी आरक्षित कर सकता है जब वे निम्नलिखित प्रकृति के हों:
  - संविधान के उपबंधों के विरुद्ध
  - राज्य की नीति के निदेशक तत्व के विरुद्ध
  - देश के व्यापक हित के विरुद्ध
  - वे गंभीर राष्ट्रीय महत्त्व रखते हों
  - संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो।
    - उत्तराखंड का UCC विधेयक कई राष्ट्रीय कानूनों- जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, शरीयत अधिनियम 1937 आदि का अधिरोहण (ओवरराइड) करता है और इसलिये इसे लागू किये जाने से पहले राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिये भेजा गया है।

उत्तराखंड के UCC विधेयक 2024 की मुख्य बातें

- **परिचय:**
  - UCC संविधान के अनुच्छेद 44 से प्रेरित है और विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण एवं उत्तराधिकार पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक धर्म के अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखता है। यह संहिता व्यक्तिगत कानूनों का एकल समुच्चय होगी जो धर्म पर विचार किये बिना सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होगी।
  - समिति द्वारा प्रस्तुत किये गए कुछ प्रमुख प्रस्तावों में बहुविवाह (polygamy), निकाह हलाला, इद्दत (मुस्लिम विवाह के विघटन के बाद महिलाओं द्वारा पालन की जाने वाली एक अनिवार्य अवधि), तीन तलाक़ आदि पर प्रतिबंध लगाना, सभी धर्मों में बालिकाओं के विवाह के लिये एक समान आयु घोषित करना और 'लिव-इन रिलेशनशिप' का अनिवार्य पंजीकरण कराना शामिल है।
- **महत्त्व:**
  - UCC विधेयक 2024 का उद्देश्य उत्तराधिकार एवं विवाह जैसे मामलों में पुरुषों और महिलाओं के प्रति समान व्यवहार रखते हुए लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना है।

नोट :

- यह संहिता मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के तहत प्रदत्त मौजूदा 25% हिस्सेदारी के मुकाबले समान संपत्ति हिस्सेदारी का भी विस्तार कर सकती है।
- **छूट:**
  - अनुसूचित जनजातियों (ST) को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड की जनजातीय आबादी (जो कुल आबादी की लगभग 3% है) उन्हें प्राप्त विशेष दर्जे के मद्देनजर UCC के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त कर रही थी।
- **संबद्ध चिंताएँ:**
  - विवाह की न्यूनतम आयु पूर्ववत रहेगी, यानी महिलाओं के लिये 18 वर्ष और पुरुषों के लिये 21 वर्ष।
  - 'लिव-इन रिलेशनशिप' का अनिवार्य पंजीकरण और कुछ शर्तों का अनुपालन नहीं होने पर इसे अपराध घोषित करना, विधेयक में मौजूद विवादास्पद विषयों में से एक है।
  - इस निर्देश के साथ, प्रस्तावित कानून राज्य को सहमति से बने संबंधों को दंडित करने और व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन करने की असंगत शक्ति प्रदान कर देगा।

₹10K FINE IF MARRIAGE NOT REGISTERED

➤ Minimum marriage age 18 yrs for women, 21 yrs for men. **Up to 6 months jail and/or ₹25,000 fine** for breach	**₹50,000 fine for violating norms**
➤ **Mandatory registration within 60 days** or ₹10,000 fine for marriages solemnised after UCC implementation	➤ Live-in couples to register within a month of relationship. **Details to be verified by registrar who can conduct inquiry** to establish validity of relationship
➤ Dissolution of marriage in contravention of UCC norms to be punishable with **up to 3 years in jail**	➤ **Cannot rent or buy property** without registration
➤ **Polygamy, bigamy prohibited.** Halala, iddat, triple talaq banned	➤ Child born of relationship **will be considered legitimate**
➤ **Up to 3 years in jail** and/or	➤ **Must inform officials** on termination of relationship
	➤ Woman deserted by partner **entitled to maintenance**

सहमति से बने संबंधों को विनियमित करने से संबद्ध क्या चिंताएं हैं?

- **रजिस्ट्रारों को प्राप्त अधिभावी शक्तियाँ:**
  - विधेयक में 'लिव-इन पार्टनर्स' के लिये संबंधित रजिस्ट्रार के पास एक बयान या स्टेटमेंटदर्ज कराने की आवश्यकता रखी गई है। रजिस्ट्रार के पास इस बयान की जाँच करने और संबंध के बारे में पूछताछ करने की शक्तियाँ हैं।
  - इसके अलावा, 'लिव-इन पार्टनर्स' को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता हो सकती है और रजिस्ट्रार इस संबंध को पंजीकृत करने से इनकार भी कर सकता है। ऐसे किसी संबंध के समापन के लिये 'नोटिस' देना भी आवश्यक है।
- **आपराधिक दंड आरोपित करना:**
  - विधेयक की एक और अवांछित विशेषता है इसमें आपराधिक दंड—कारावास या जुर्माना (या दोनों) की व्यवस्था, जो बयान दर्ज नहीं करने की स्थिति में आरोपित किया जा सकता है।
  - गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिये लिव-इन युगल को दंडित किया जाएगा। रजिस्ट्रार ऐसे लिव-इन संबंधों के विवरण संबद्ध क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस स्टेशन को सौंपेगा।
- **व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन:**
  - विधेयक 'लिव-इन रिलेशनशिप' के मूलभूत कारण को नज़रअंदाज़ करता है, जो यह है कि इसमें विवाह की औपचारिक संरचना एवं दायित्वों का अभाव होता है। इसलिये, लिव-इन संबंध में शामिल लोग अपने सहमत संबंध में स्वायत्तता का उपभोग करते हैं, जैसा एक विनियमित विवाह में नहीं होता है। इन दोनों संस्थाओं (विवाह एवं लिव-इन) के बीच इस अति-आवश्यक अंतर को विलोपित करना न्यायसंगत नहीं है।

- **अत्यधिक 'मोरल पुलिसिंग':**
  - एक ऐसे समाज में जो पहले से ही युवा जोड़ों की 'मोरल पुलिसिंग' करता रहा है, इस विधेयक के प्रावधान 'लिव-इन पार्टनर्स' के लिये भयावह प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं और ऐसे संबंधों को हतोत्साहित कर सकते हैं।
  - मामले में पुलिस की संलग्नता इस चिंता को और बढ़ा देती है। इससे युगल वास्तविक संबंधों में प्रवेश करने के प्रति संकोच या सतर्कता रखेंगे क्योंकि अनुपालन की कमी न केवल नागरिक परिणामों को बल्कि आपराधिक परिणामों को भी (जैसा कि नियामक कानूनों की नियमित आवश्यकता होती है) आमंत्रित करती है।
- **गरिमामय जीवन के अधिकार का उल्लंघन:**
  - एक माह की समय-सीमा (जहाँ कहा गया है कि जो कोई भी बयान दर्ज कराये बिना ऐसे संबंध में प्रवेश करने की तिथि से एक माह से अधिक समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहेगा, उसे दंडित किया जाएगा) भी प्रत्यक्षतम तरीकों से अंतरंगता को निषिद्ध करने का एक प्रयास है। यह गरिमामय जीवन के अधिकार पर बल देने वाले अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित स्वतंत्र निर्णय लेने और भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के अधिकार का उल्लंघन करता है।
  - विधेयक के प्रावधानों द्वारा व्यक्तियों को 'लिव-इन रिलेशनशिप' में प्रवेश करने से निषिद्ध किया जाता है, जो गहनतम व्यक्तिगत विकल्प चुनने की क्षमता में बाधाकारी है।

सहमति से बने संबंधों को विनियमित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिये?

- **संविधान के अनुरूप स्पष्ट नीति अपनाना:**
  - एक लोकतांत्रिक उदार राज्य के पास इस संबंध में स्पष्ट नीति होनी चाहिये कि वह किस विषय को अपराध घोषित करना चाहता है और किसे नहीं। यह नीति संविधान द्वारा संरक्षित विषयों के अनुरूप होनी चाहिये। यह तथ्य कि कुछ सामाजिक अभ्यास रूढ़िवादी बहुमत द्वारा अवांछित हैं, इनके अपराधीकरण के लिये एक अपर्याप्त कारण ही हो सकता है।
  - जैसा कि दार्शनिक जोएल फीनबर्ग (Joel Feinberg) मानते हैं, "वास्तव में, किसी व्यक्ति के बारे में वह सब कुछ जिसके बारे में आपराधिक कानून को चिंतित होना चाहिये, उसकी नैतिकता में शामिल है। लेकिन किसी व्यक्ति की नैतिकता की हर बात कानून की चिंता का विषय नहीं होनी चाहिये।"
- **'व्यभिचार- यौन गोपनीयता के अधिकार'(Adultery- the Right to Sexual Privacy) पर सर्वोच्च न्यायालय के विचारों का अनुसरण करना:**
  - व्यभिचार पर कानून तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 497 में शामिल था। यह कानून अपने तत्समय रूप में केवल पुरुषों को दंडित कर लिंग के आधार पर भेदभाव करता था। लेकिन इस कानून की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि यह सहमति से बने यौन संबंधों को भी अपराध घोषित करता था।
  - जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) मामले में, इस कानून को निरस्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बलपूर्वक कहा कि "व्यभिचार को अपराध मानना राज्य द्वारा वास्तविक निजी/व्यक्तिगत क्षेत्र में प्रवेश करने के समान होगा।"
    - इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि यह राज्य का कार्य नहीं है कि व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करे जो स्वयं "उन व्यक्तियों की निजता एवं आत्मनिर्णय के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों के दायरे में है।"
- **निजता के अधिकार के सिद्धांतों का पालन:**
  - इसके अलावा, के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले (2017) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि "राज्य द्वारा पवित्र 'पर्सनल स्पेस' का विनाश, चाहे वह देह का हो या मन का, राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध गारंटी का उल्लंघन है। दैहिक गोपनीयता किसी व्यक्ति को व्यक्तित्व के भौतिक पहलुओं की अखंडता का अधिकार प्रदान करती है।"
- **भेदभाव को रोकना और समावेशन को बढ़ावा देना:**
  - हमारे देश में अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक युगलों को अधिकारियों द्वारा गंभीर उत्पीड़न और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। आँकड़ों से पता चलता है कि ये युगल प्रायः हिंसा का अनुभव करते हैं, जिसमें 'ऑनर किलिंग' भी शामिल है।
  - लिव-इन संबंधों पर उच्च नियामक प्रावधान वाला प्रस्तावित कानून सबसे पहले भेद्य या संवेदनशील युगलों को प्रभावित करेगा। विधेयक के प्रावधान समस्या को कम करने के बजाय और अधिक बढ़ाएँगे। राज्यों को अपनी जनसंख्या की शारीरिक अखंडता का समर्थन करने के लिये एक समावेशी विनियमन अपनाना चाहिये।

नोट :

- **विवाह के अधिकार को समझना, जो जीवन का अभिन्न अंग है:**
  - व्यक्तियों के पास अपना जीवन साथी चुनने का अंतर्निहित अधिकार है और न तो राज्य या समाज के पास, न ही व्यक्तियों के माता-पिता के पास इस अधिकार में हस्तक्षेप करने या इसे प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार होना चाहिये जब यह 'दो सहमत वयस्कों' से संबंधित हो।
  - विवाह का अधिकार मानवीय स्वतंत्रता का विषय है। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार न केवल मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) में रेखांकित किया गया है, बल्कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न पहलू भी है जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है।
- **अपनी देह पर महिलाओं की स्वायत्तता का सम्मान करना:**
  - आधुनिक समाज निजता के अधिकार के एक अंग के रूप में अपनी देह और यौनिकता (sexuality) पर महिलाओं की स्वायत्तता को बढ़ावा देता है, जिसमें महिलाओं का रात्रिकालीन कार्य करने का अधिकार, प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा, दैहिक अखंडता का अधिकार, अविवाहित माताओं के अधिकार, जबरन वंध्याकरण के विरुद्ध अधिकार और विवाह, संतानोत्पत्ति एवं पारिवारिक जीवन के चुनाव पर निर्णय लेने का अधिकार शामिल हैं।
  - ये किसी के सबसे अंतरंग एवं व्यक्तिगत विकल्पों के मामले हैं और 'ख़ुशी की तलाश' (pursuit of happiness) में आवश्यक हैं, जो स्वायत्तता एवं गरिमा पर आधारित हैं।
- **निजता के अधिकार का क्षैतिज अनुप्रयोग सुनिश्चित करना:**
  - यह ग़ैर-राज्य अभिकर्ताओं के विरुद्ध अधिकार की सुरक्षा को संदर्भित करता है, जहाँ यह माना जाता है कि इस बात के विनियमन की आवश्यकता है कि ग़ैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा सूचना का किस प्रकार संग्रहण, प्रसंस्करण एवं उपयोग किया जा सकता है।
  - यह मानता है कि निजता/गोपनीयता व्यक्ति को राज्य एवं ग़ैर-राज्य दोनों तत्वों के हस्तक्षेप से बचाती है और व्यक्तियों को स्वायत्त जीवन विकल्प चुनने की अनुमति देती है।
- **आनुपातिकता परीक्षण को शामिल करना:**
  - आनुपातिकता परीक्षण (Proportionality Test), जैसा कि सर्वविदित है, में चार चरण शामिल होते हैं: वैध लक्ष्य (legitimate goal), तर्कसंगत संबंध (rational connection), आवश्यकता (necessity) (यानी न्यूनतम प्रतिबंधात्मक एवं प्रभावी उपाय) और संतुलन-निर्माण (balancing)।
  - ऐसे विनियमों को प्रभाव में लाने से पहले उन्हें इन सिद्धांतों की कसौटी पर परखा जाना चाहिये।

निष्कर्ष

उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 द्वारा निर्धारित लिव-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण और संभावित अपराधीकरण व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। विवाह और लिव-इन संबंधों के बीच के अंतर को मिटाने के रूप में यह विधेयक लिव-इन संबंधों की अनूठी प्रकृति को पहचानने में विफल रहता है। यह कदम न केवल युगलों के लिये भयावह प्रभाव उत्पन्न कर सकता है बल्कि उनकी निजता एवं पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। यह आवश्यक है कि एक लोकतांत्रिक समाज व्यक्तिगत संबंधों पर मनमाने प्रतिबंध लगाने के बजाय स्वायत्तता, निजता एवं समानता के सिद्धांतों को अक्षुण्ण बनाये रखे।

■■■

सतत् विकास हेतु भूमि प्रबंधन की पुनर्कल्पना

भूमि सभी मानवीय गतिविधियों के मूल में है। यह पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सेवाएँ प्रदान करती है। लेकिन भूमि प्रबंधन अभ्यासों में भूमि के इस बहुआयामी चरित्र की प्रायः अनदेखी की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक तनाव, भूमि क्षरण या निम्नीकरण एवं पर्यावरण की क्षति की स्थिति बनती है।

वैश्विक स्तर पर, भूमि क्षरण के कारण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की वार्षिक क्षति 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (United Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD) के 14वें पक्षकार सम्मेलन (COP 14) में विभिन्न देशों द्वारा अनुभव की जा रही भूमि क्षरण की समस्या और भूमि क्षरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality-LDN) की प्राप्ति के उपाय खोजने की आवश्यकता पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

भूमि क्षरण की वर्तमान स्थिति:

- **वैश्विक परिदृश्य:**
  - प्रति क्षेत्र निम्नीकृत भूमि के अनुपात (proportion of degraded land per region) की बात

करें तो इसमें विश्व के अलग-अलग हिस्सों में व्यापक असमानताएँ नज़र आती हैं। उप-सहारा अफ्रीका, पश्चिमी एवं दक्षिणी एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में वर्ष 2015-2019 के दौरान वैश्विक औसत की तुलना में अधिक द्रुत गति से भूमि क्षरण का अनुभव हुआ।

- पूर्वी एवं मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्रों में सबसे गंभीर क्षरण का अनुभव हुआ, जहाँ वर्ष 2019 तक उनके कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम 20% प्रभावित हुआ था।
  - हालाँकि, वर्ष 2015 के बाद से उप-सहारा अफ्रीका में भूमि क्षरण का अनुपात 6.7% से बढ़कर 14.63% हो गया है और पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में यह 3.78% से बढ़कर 7.18% हो गया है।

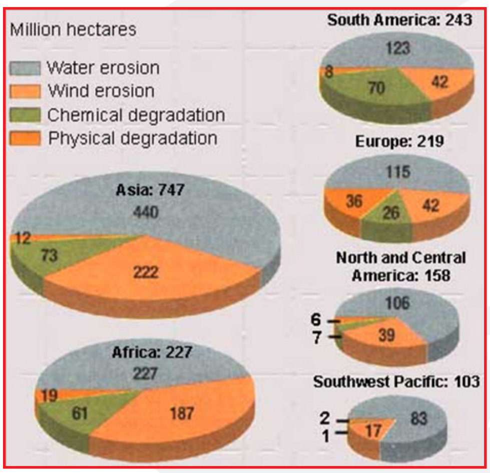

- **भारत के संबंध में UNCCD आँकड़ा:**
  - UNCCD के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015-2019 से भारत की कुल रिपोर्ट की गई भूमि में से 30.51 मिलियन हेक्टेयर भूमि का क्षरण हुआ है। इसका अर्थ है कि वर्ष 2019 तक देश का 9.45% भूभाग क्षरण का शिकार हो गया था जबकि वर्ष 2015 में यह 4.42% के स्तर पर रहा था।
  - UNCCD आँकड़े ने यह भी दर्शाया कि 251.71 मिलियन भारतीय, जो देश की आबादी का 18.39% हैं, इसी अवधि के दौरान भूमि क्षरण के जोखिम में थे।
    - इसके अलावा, वर्ष 2015-2018 तक देश के 854.4 मिलियन लोग सूखे की चपेट में थे।
- **भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस के अनुसार:**
  - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC) द्वारा प्रकाशित 'भारत का मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस'—जो भारत में भूमि क्षरण एवं मरुस्थलीकरण की स्थिति प्रदान करता है, ने वर्ष 2018-19 में देश में 97.84 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षरण एवं मरुस्थलीकरण का अनुमान लगाया।
  - यह क्षरित या निम्नीकृत भूमि का राज्य-वार क्षेत्र प्रदान करता है जो महत्त्वपूर्ण डेटा एवं तकनीकी इनपुट प्रदान कर भूमि की पुनर्बहाली पर लक्षित योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहायक है।

भूमि क्षरण के विभिन्न कारण:

मानव-प्रेरित मृदा क्षरण की स्थिति के पहले व्यवस्थित मूल्यांकन के रूप में विश्व मानचित्र तैयार करने में मृदा क्षरण के वैश्विक आकलन (Global Assessment of Soil Degradation- GLASOD) ने मानवीय हस्तक्षेपों के सात अलग-अलग कारणों की पहचान की है, जिसके परिणामस्वरूप विश्व भर में मृदा क्षरण हुआ है:

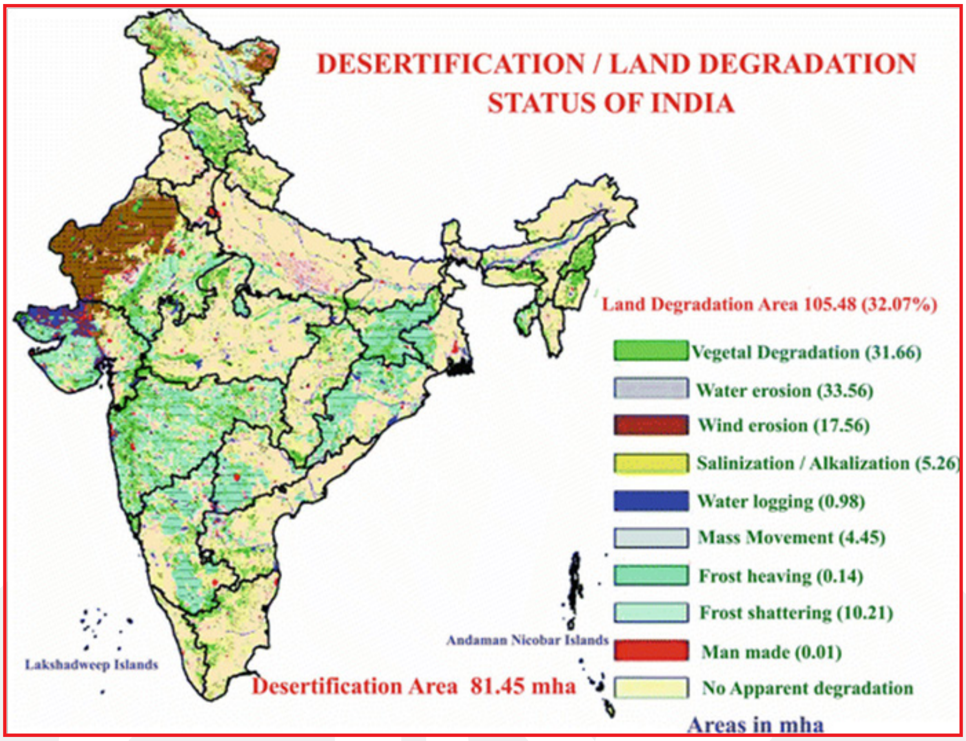

- **मृदा अपरदन और पोषक तत्वों की कमी:**
  - मृदा अपरदन (Soil Erosion) फसल भूमि में भूमि क्षरण का एक गंभीर रूप है जो जलवायु मापदंडों के साथ संयोजन में असंवहनीय भूमि प्रबंधन से निकटता से संबद्ध है, जिनमें से कुछ जलवायु परिवर्तन के अधीन हैं।
  - तेज़ पवनें (High winds) समतल, पहाड़ी इलाकों से ढीली मिट्टी को उड़ा सकती हैं। जल अपरदन आम तौर पर ढलानों पर होता है और इसकी गंभीरता ढलान की गंभीरता के साथ बढ़ती जाती है।
  - मृदा अपरदन मुख्य रूप से फसल भूमि विस्तार के क्षेत्रों में होता है, विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में। मृदा का कटाव पवन और जल से भी हो सकता है।

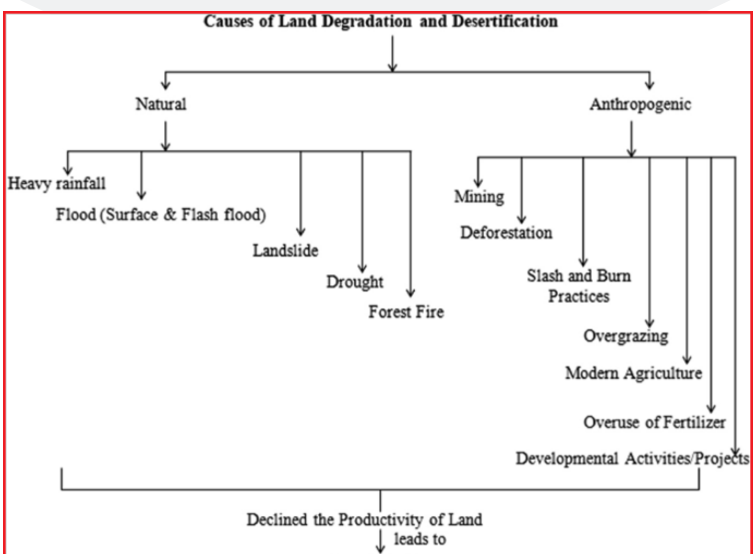

- **वनों की कटाई/निर्वनीकरण (Deforestation):**
  - ईंधन की लकड़ी, कृषि एवं उद्योग के लिये वनों और प्राकृतिक वनस्पति की कटाई चिंताजनक दर से बढ़ रही है। इससे 579 मिलियन हेक्टेयर में गंभीर भूमि क्षरण हो रहा है, जिसमें से 50% एशिया में स्थित है, जबकि 17% के साथ दक्षिण अमेरिका दूसरे स्थान पर है।
  - विश्व बैंक का अनुमान है कि 20वीं सदी की शुरुआत से लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर वन नष्ट हो चुके हैं। पिछले 25 वर्षों में वन क्षेत्र में 1.3 मिलियन वर्ग किमी की कमी आई है जो आकार में दक्षिण अफ्रीका से बड़ा क्षेत्र है।
- **पशुधन द्वारा अत्यधिक चराई:**
  - मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई से पौध आवरण कम हो जाता है, जिससे सबसे पहले वांछनीय चारा प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं। इससे फिर भूमि अवांछित खर-पतवारों, झाड़ियों एवं पेड़ों के लिये खुल जाती है, जिससे मृदा का कटाव बढ़ जाता है और मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। भूमि की उत्पादकता लगातार घटती जाती है।
  - दक्षिण अमेरिका में घरेलू उपयोग के लिये वनस्पति का अत्यधिक दोहन मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम अर्जेंटीना और दक्षिणी बोलीविया के शुष्क भूमि क्षेत्रों तक ही सीमित है जहाँ जलावन लकड़ी के लिये झाड़ियाँ एकत्र की जाती हैं।
- **पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ:**
  - यह एक प्रकार की कृषि पद्धति को संदर्भित करता है जिसका अभ्यास किसान फसल एवं मृदा आवश्यकता के बीच संबंध की उचित पहचान किए बिना और विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण उपायों का पालन किए बिना कर रहे हैं—जबकि भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिये ये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं, और इससे भविष्य की पीढ़ी के लाभों से समझौता हो रहा है।
  - इस पिछड़ी कृषि प्रणाली के कारण ऊपरी मृदा (topsoil) नामक सुरक्षात्मक परत नष्ट हो जाती है, जिससे भूमि अनुत्पादक हो जाती है।
- **वनस्पति आवरण की हानि:**
  - कुछ स्थानों पर स्थायी वनस्पति आवरण की कमी के परिणामस्वरूप व्यापक वायु अपरदन होता है। ढीली, सूखी, वनस्पति-विहीन मृदा सबसे अधिक संवेदनशील होती है; जबकि जो फसलें निम्न स्तर के अवशेष पैदा करती हैं (उदाहरण के लिये सोयाबीन और विभिन्न सब्जियों की फसलें), वे पर्याप्त प्रतिरोध नहीं प्रदान कर पाती हैं।
- **जनसंख्या वृद्धि:**
  - भारत कृषि भूमि पर गंभीर दबाव का सामना कर रहा है। पिछले पचास वर्षों में, जबकि भारत की कुल जनसंख्या लगभग 3 गुना बढ़ गई है, खेती के तहत भूमि का कुल क्षेत्रफल 118.75 मिलियन हेक्टेयर से मात्र 15.92% बढ़कर 141.23 मिलियन हेक्टेयर ही हुआ है।
  - खेती के तहत भूमि क्षेत्र के पिछले विस्तार के बावजूद भारत में प्रत्येक व्यक्ति का पेट भर सकने के लिये कम कृषि भूमि उपलब्ध है। कृषि गहनीकरण और विस्तारीकरण (intensification and extensification) की हद फसल एवं सिंचाई की तीव्रता में वृद्धि और रासायनिक उर्वरकों , खर-पतवारनाशकों एवं कीटनाशकों के उच्च उपयोग से चिह्नित होती है।
  - कृषि विस्तारीकरण एवं गहनीकरण की प्रक्रिया से भूमि क्षरण, भूमिगत जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि हो रही है।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:**
  - वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन (जैसे समय एवं स्थान में वितरण) और वर्षण तीव्रता से भूमि क्षरण का खतरा बढ़ जाता है।
    - भूस्खलन (Landslides) अत्यधिक वर्षा की घटनाओं से प्रेरित भूमि क्षरण का एक रूप है। वर्षा की तीव्रता के कारण भूस्खलन गतिविधि में वृद्धि का एक प्रबल सैद्धांतिक कारण पाया जाता है।
  - समुद्र के स्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप विश्व भर में तटीय क्षेत्रों का क्षरण बढ़ेगा। चक्रवात प्रवण क्षेत्रों (जैसे कि कैरेबियाई क्षेत्र, दक्षिण-पूर्व एशिया और बंगाल की खाड़ी) में समुद्र के स्तर में वृद्धि और अधिक तीव्र चक्रवातों के संयोजन से क्षेत्रों में भू-धंसाव (land subsidence) की स्थिति बनेगी।

भारत में भूमि क्षरण के प्रबंधन में मौजूद विभिन्न चुनौतियाँ:

- **भूमि क्षेत्र और जनसंख्या के बीच तीव्र विषमता:**
  - विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल के मात्र 2.4% और विश्व की आबादी के 17% के साथ भारत विभिन्न भूमि प्रबंधन चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत में कृषि योग्य भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग 55% है, जबकि 22% क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत है। शेष भूमि क्षेत्र में मरुस्थल, पहाड़ आदि हैं।

- कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% निम्नीकृत भूमि है। कृषि भूमि तक पहुँच एक महत्त्वपूर्ण आजीविका का मुद्दा बनी हुई है क्योंकि आबादी का एक बड़ा भाग अपनी जीविका के लिये कृषि पर निर्भर करता है।

- विकास लक्ष्य और बढ़ती आबादी, अवसंरचना, तीव्र शहरीकरण को समायोजित करने के लिये भूमि की मांग तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय पहलू भूमि पर अभूतपूर्व दबाव डाल रहे हैं।

- **कृषि और अन्य भूमि-संसाधन आधारित क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्द्धा:**
  - भूमि पर लगातार बढ़ते तनाव के परिणामस्वरूप किसानों और कृषि एवं अन्य भूमि संसाधन-आधारित क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्द्धा बढ़ रही है। इसके साथ ही भूमि उपयोग संघर्ष, भूमि की कीमतों में वृद्धि और भूमि अधिकारों में बदलाव भी हो रहा है। देश भर में प्राकृतिक क्षेत्रों को निचोड़ा जा रहा है और पारिस्थितिक क्रियाएँ नष्ट हो रही हैं।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव:**
  - भूमि क्षरण न केवल उन लोगों की आजीविका के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरणीय संसाधनों पर निर्भर हैं, बल्कि बाढ़ एवं सूखे, तापमान वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण जैसी आपदाओं की स्थिति में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के 'बफरिंग' प्रभावों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
- **भूमि प्रबंधन के लिये क्षेत्रीय दृष्टिकोण (Sectoral Approach to Land Management):**
  - भारत में वर्तमान भूमि प्रबंधन अभ्यास क्षेत्रीय प्रकृति के हैं जहाँ प्रत्येक विभाग अपने स्वयं के दृष्टिकोण का पालन करता है। भूमि प्रबंधन राज्य सरकारों के दायरे में आता है। इसके अलावा, सांस्कृतिक भूमि निजी स्वामित्व में है और भूमि-उपयोग निर्णय संवैधानिक रूप से स्वामी के पास निहित हैं जो फिर समकालिक दृष्टिकोण अपनाने में बाधाकारी है।
- **अनुपयुक्त भूमि प्रबंधन:**
  - प्रशासनिक जटिलता के अलावा, देश में उचित भूमि प्रबंधन अभ्यासों को अपनाने और लागू करने से संबद्ध चुनौतियों में ज्ञान की कमी, लघु-आवधिक योजना निर्माण संबंधी पूर्वाग्रह, खंडित दृष्टिकोण, अप्रत्याशित घटनाओं के लिये कार्रवाई की कमी, नियामक बाधाएँ आदि शामिल हैं।

भूमि क्षरण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिये सुझाव:

- **बहु-हितधारक मंच की स्थापना करना:**
  - क्षेत्रीय एकीकरण (sectoral integration) प्राप्त करने और चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण तंत्र के रूप में ज़िला एवं उप-ज़िला स्तर पर एक बहु-हितधारक मंच की स्थापना करना आवश्यक है, ताकि किसानों, अन्य भूमि प्रबंधकों, नीति निर्माताओं, नागरिक समाज संगठनों, कारोबारी नेताओं और निवेशकों को एक साझा मंच के अंतर्गत लाया जा सके।
  - संविधान का अनुच्छेद 243ZD (1) ज़िला योजना समितियों द्वारा पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की योजनाओं के समेकन का प्रावधान करता है। इस समिति को कृषि और ग़ैर-कृषि दोनों क्षेत्रों को दायरे में लेते हुए भूमि प्रबंधन योजना तैयार करने की दिशा में सक्रिय किया जा सकता है।
- **जलवायु-कुशल भूदृश्य दृष्टिकोण (Climate-Smart Landscape Approach) का पालन:**
  - इस संदर्भ में एक भूदृश्य दृष्टिकोण उपयोगी होगा क्योंकि यह भूमि की क्षमता और उचित उपयोग के लिये भूमि के आवंटन एवं पुनः आवंटन के दायरे का आकलन करने के लिये गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इससे मूल्यांकन, वार्ता, समझौताकारी तालमेल (ट्रेड ऑफ) और निर्णय निर्माण में मदद मिलेगी।
  - जलवायु-कुशल भूदृश्य दृष्टिकोण जलवायु लक्ष्यों, कृषि उत्पादन में वृद्धि, स्थानीय आजीविका में सुधार और जैव विविधता के संरक्षण में योगदान देगा।
- **एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन को बढ़ावा देना:**
  - विज्ञान ने भूमि को एक प्रणाली के रूप में देखने और एकीकृत भूदृश्य प्रबंधन (integrated landscape management) को बढ़ावा देने के महत्त्व को दर्शाया है। इस दृष्टिकोण का पालन करने के लिये ज़मीनी स्तर पर व्यापक अनुभव मौजूद है, लेकिन व्यवस्थित संस्थागत समर्थन का लगभग संपूर्ण अभाव है।
    - 'यूरोपीयन लैंडस्केप कन्वेंशन' ने घोषणा की है कि भूदृश्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण का एक प्रमुख तत्व है।
    - यूके संसदीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय (UK Parliamentary Office of Science and Technology) ने अपने 'सतत भूमि

प्रबंधन: पर्यावरणीय लाभों के लिये भूमि का बेहतर प्रबंधन' शीर्षक ब्रीफ-42 (वर्ष 2021) में यह राय प्रकट की कि जैव विविधता संकट से निपटना इस बात में अंतर्निहित है और इस पर निर्भर करता है कि भूमि का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है।

- **विभिन्न अभिकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना:**
  - भारत के संसद सदस्य एकीकृत भूमि प्रबंधन अभ्यासों की उभरती चुनौतियों पर विचार-विमर्श शुरू कर सकते हैं और क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों स्तरों पर सभी अभिकर्ताओं को शामिल करते हुए दीर्घकालिक संवहनीयता के लिये उचित नीतियाँ तैयार करने में मदद कर सकते हैं।
- **भूमि प्रबंधन का देश-स्तरीय स्टॉक-टेकिंग:**
  - जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की 'जलवायु परिवर्तन और भूमि' (2019) शीर्षक विशेष रिपोर्ट में भूमि प्रबंधन अभ्यासों के देश-स्तरीय स्टॉक-टेकिंग (Stock-Taking) का सुझाव दिया गया है।
  - इसने भूमि प्रबंधन विकल्पों पर बल देने के साथ ऐसी कई अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कार्रवाइयों का भी प्रस्ताव रखा है जो सह-लाभ के साथ भूमि के लिये प्रतिस्पर्द्धा को कम करती हैं और प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।
- **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) का रुख:**
  - FAO की 'खाद्य और कृषि के लिये विश्व की भूमि एवं जल संसाधनों की स्थिति: अत्यंत तनावग्रस्त प्रणाली' (State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture: The System at Breaking Point) शीर्षक रिपोर्ट (वर्ष 2021) में तर्क दिया गया है कि सार्वजनिक नीति और मानव कल्याण के अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्र पर तात्कालिकता की भावना को हावी करने की ज़रूरत है, यानी भूमि, मृदा एवं जल के दीर्घकालिक भविष्य पर विचार करने की त्वरित आवश्यकता है।

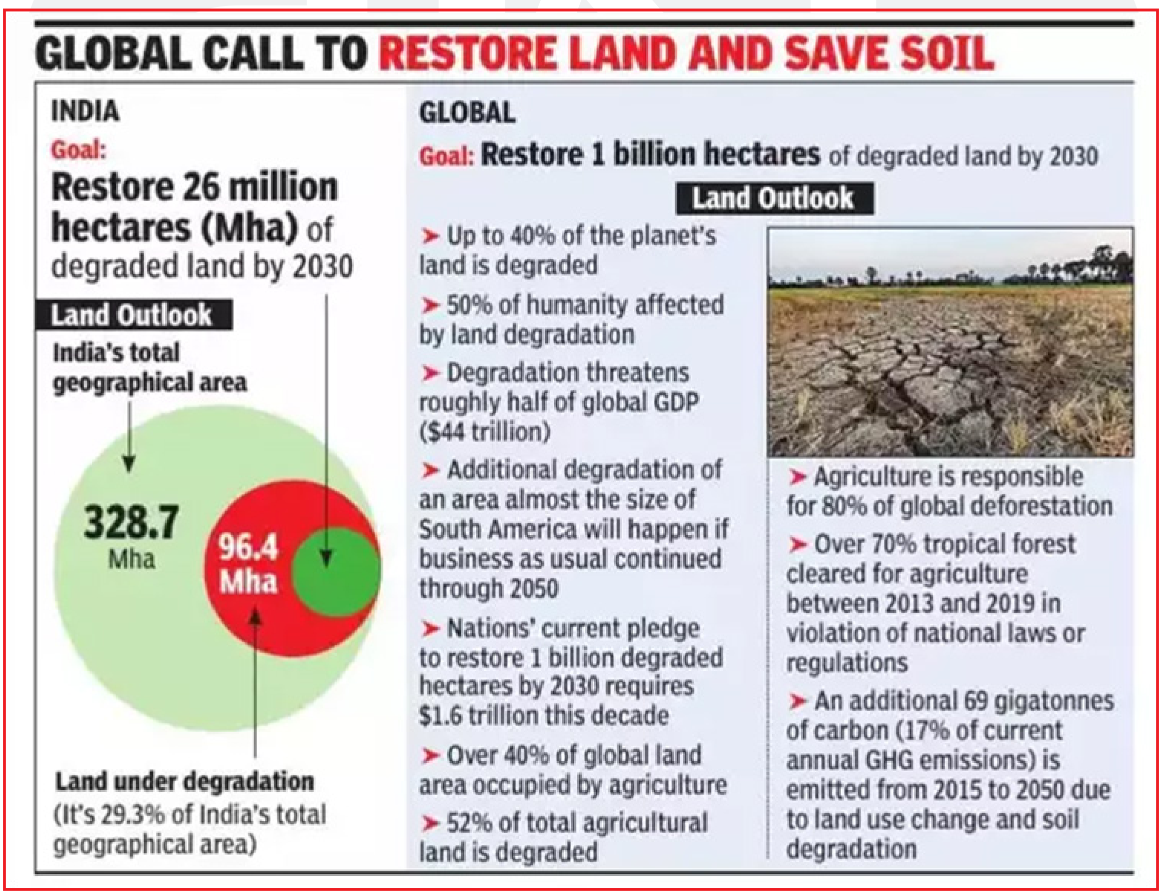

भूमि क्षरण को नियंत्रित करने के लिये कौन-सी पहलें की गई हैं?

- **वैश्विक पहलें:**
    - मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिये संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCCD) – COP-14 और COP-15
    - UNCCD 2018-2030 स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क
    - बॉन चैलेंज
    - ग्रेट ग्रीन वाल
    - भूमि क्षरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality)
- **राष्ट्रीय पहलें:**
    - एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)
    - मरुस्थल विकास कार्यक्रम
    - राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAP)
    - राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM)
    - मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय कार्रवाई कार्यक्रम
    - इसरो का 'मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस'
    - मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

निष्कर्ष:

भूमि पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाएँ प्रदान करने के रूप में विभिन्न मानवीय गतिविधियों का समर्थन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, भूमि की बहुआयामी प्रकृति की प्राय: अनदेखी की जाती है, जिससे अत्यधिक तनाव, क्षरण एवं पर्यावरणीय क्षति की स्थिति बनती है।

भारत में, इसके सीमित भौगोलिक क्षेत्र और कृषि पर निर्भर एक बड़ी आबादी के साथ, भूमि के स्थायी प्रबंधन की राह में उल्लेखनीय चुनौतियाँ मौजूद हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिये, एक भूदृश्य दृष्टिकोण को अपनाने के साथ ही ज़िला एवं उप-ज़िला स्तर पर एक बहु-हितधारक मंच की स्थापना करना क्षेत्रीय हितों को एकीकृत करने तथा भूमि संसाधनों की दीर्घकालिक संवहनीयता सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

■■■

महासचिव द्वारा संयुक्त राष्ट्र के अनिश्चित भविष्य की चेतावनी

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council- UNHRC) के 55वें नियमित सत्र के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने टिप्पणी की कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council- UNSC) के सदस्यों के बीच एकता की कमी ने संभवत: इसके प्राधिकार को कमज़ोर कर दिया है। संगठन में सुधार आवश्यक है, लेकिन मतभेदों को देखते हुए कोई भी सतही परिवर्तन पर्याप्त सिद्ध नहीं होगा।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC):

- **परिचय:**
    - संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर-सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के प्रसार एवं संरक्षण को प्रबल करने के लिये ज़िम्मेदार है।
- **गठन:**
    - इसका गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा किया गया था। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग नामक पूर्ववर्ती संस्था को प्रतिस्थापित किया।
    - मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय (Office of the High Commissioner for Human Rights- OHCHR) UNHRC के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
    - OHCHR का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- **सदस्य:**
    - इसमें 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश शामिल होते हैं जो UNGA द्वारा चुने जाते हैं।
    - परिषद की सदस्यता समतामूलक भौगोलिक वितरण पर आधारित है।

वैश्विक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में संयुक्त राष्ट्र भूमिका:

- **विभिन्न राष्ट्रों के बीच शक्ति प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन:**
    - विश्व युद्ध के बाद की यह व्यवस्था संकट में है, जिसकी नींव तब रखी गई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध जारी था। यह एक ऐसी संरचना को परिलक्षित करता है जिसके बारे में मित्र देशों (Allied powers) को अपेक्षा थी कि यह भविष्य के वैश्विक टकराव पर लगाम रखेगा।
        - यह व्यवस्था अपनी विशेष एजेंसियों, निधियों और कार्यक्रमों के साथ स्वयं संयुक्त राष्ट्र में ही स्थापित है।

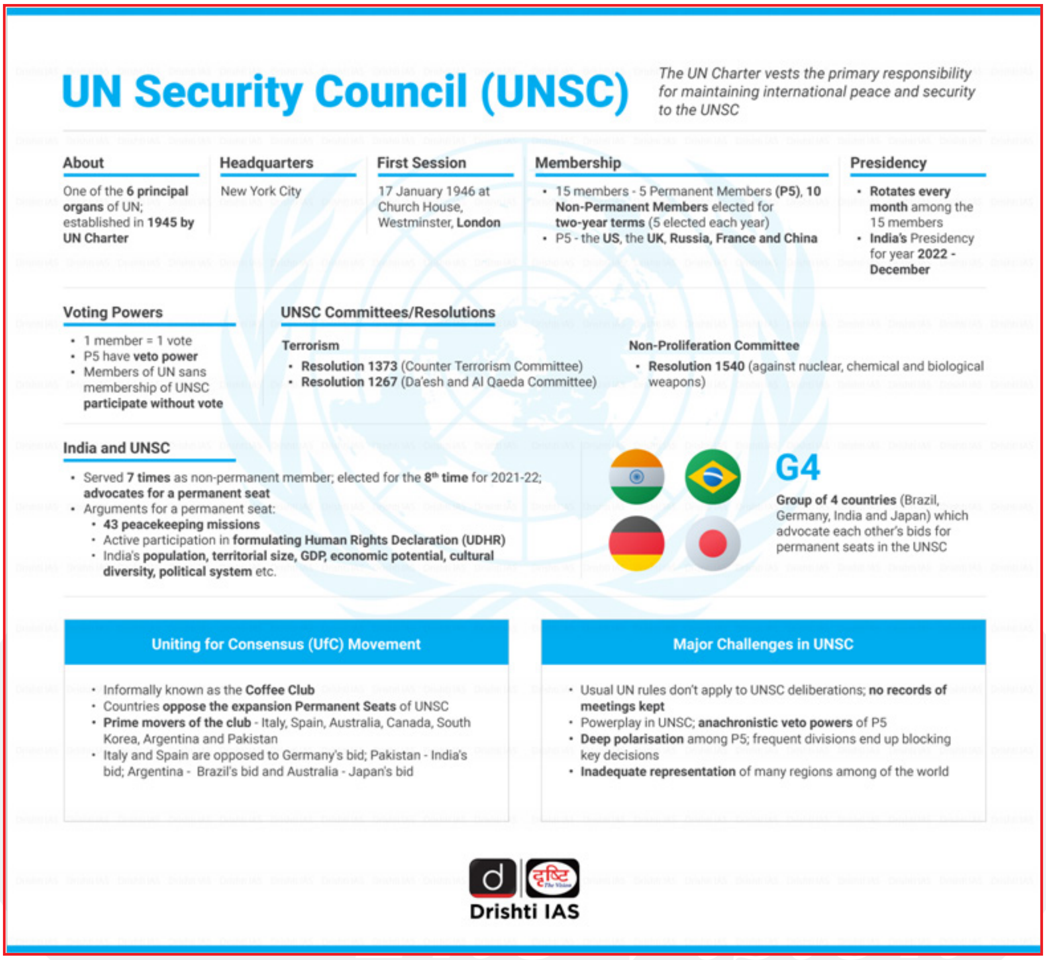

- यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक प्रणाली है जो लगभग तीन चौथाई सदी पहले अस्तित्व में रही वृहत शक्ति प्रतिद्वंद्विता को प्रबंधित करने के लिये बनाई गई थी।
  - उत्तरवर्ती वर्षों में राष्ट्रों की शक्ति एवं समृद्धि इसके मूल हस्ताक्षरकर्ताओं से और उनके बीच प्रवाहित एवं स्थानांतरित हुई है तथा राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चार गुना से अधिक बड़ा हो गया है।

- **संप्रभु समानता को कायम रखना:**
  - संयुक्त राष्ट्र को सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले सभी देशों की संप्रभु समानता (Sovereign Equality) को कायम रखते हुए भविष्य के एक और वैश्विक युद्ध को रोकने के लिये स्थापित किया गया था।
  - लेकिन सुरक्षा परिषद के दरवाजे पर संप्रभु समानता लड़खड़ा गई, जहाँ इसके पाँच स्थायी सदस्यों को अन्य संप्रभु सदस्यों की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान की गई। ये सभी मित्र देश थे और इनमें दो प्रमुख औपनिवेशिक शक्तियाँ (यूके, फ्राँस) भी शामिल थीं।
    - द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था (bipolar world order) के उद्भव ने संप्रभु समानता की जड़ों पर और प्रहार किया।
- **बहुपक्षीय संस्थानों को सुदृढ़ बनाना:**
  - जुलाई 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) और पुनर्निर्माण एवं विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD) या विश्व बैंक की स्थापना की। वर्ष 1947 में टैरिफ एवं व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) संपन्न हुआ जो वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

नोट :

- इस वित्तीय और व्यापार संबंधी संरचना ने एक साझा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जो वर्ष 1920 और 1930 के दशक की गलतियों के दुहराव से बचते हुए युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण की योजना बनाने और वैश्विक व्यापार को उदार बनाने पर लक्षित थी।

- **अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार:**
  - संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार मानकों के विकास एवं अनुपालन को बढ़ावा देता है। संगठन ने कई संधियाँ, अभिसमय एवं घोषणाएँ स्थापित की हैं जो मानवाधिकार, मानवीय कानून, पर्यावरण संरक्षण और निरस्त्रीकरण जैसे क्षेत्रों को नियंत्रित करती हैं।
  - UNHRC और अन्य विभिन्न विशिष्ट एजेंसियाँ वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के दुरुपयोग की निगरानी एवं समाधान के लिये कार्य करती हैं।
- **सतत् विकास:**
  - संयुक्त राष्ट्र विश्व भर में सतत् विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया सतत् विकास के लिये एजेंडा 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय क्षति सहित विभिन्न वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।
  - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) जैसी संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसियाँ सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में विश्व के देशों के समर्थन के लिये कार्य करती हैं।
- **मानवीय सहायता:**
  - संयुक्त राष्ट्र संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों से प्रभावित आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNISEF), विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और मानवीय कार्यों के समन्वयन के लिये कार्यालय (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs- OCHA) जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से सहायता (aid) के समन्वयन एवं वितरण में भूमिका निभाता है, शरणार्थियों एवं आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करता है और पीड़ित एवं कमज़ोर आबादी की रक्षा करने एवं उन्हें राहत प्रदान करने में योगदान करता है।

21वीं सदी में बहुपक्षवाद/बहुपक्षीयता (Multilateralism) के समक्ष चुनौतियाँ:

- **बहुपक्षवाद में सुधार करना एक कठिन कार्य:**
  - बहुपक्षवाद में सुधार करना विभिन्न कारणों से एक कठिन कार्य है क्योंकि यह वैश्विक शक्ति राजनीति में गहराई से उलझा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, बहुपक्षीय संस्थानों और ढाँचों में सुधार की कोई भी कार्रवाई स्वत: एक ऐसे कदम में बदल जाती है जो शक्ति/सत्ता के वर्तमान वितरण में बदलाव की मांग करती है।
  - वैश्विक व्यवस्था में शक्ति वितरण में संशोधन करना न तो आसान है और न ही सामान्य। इसके अलावा, यदि इसे सतर्कता से नहीं किया गया तो इसके प्रतिकूल प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं।
- **यथास्थितिवादी शक्तियों के बीच आम सहमति का अभाव:**
  - यथास्थितिवादी शक्तियाँ (Status Quo Powers) बहुपक्षीय सुधारों को एक 'ज़ीरो-सम गेम' के रूप में देखती हैं। उदाहरण के लिये, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के संदर्भ में, अमेरिका और यूरोप का मानना था कि सुधार से उनका प्रभाव और प्रभुत्व कम हो जाएगा।
  - इससे इन संस्थानों में सर्वसम्मति या मतदान से सुधार के बारे में निर्णय लेना कठिन हो जाता है। बहुपक्षवाद उभरती 'मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर' की वास्तविकताओं के विपरीत प्रतीत होता है। उभरता हुई विश्व व्यवस्था अधिक बहुध्रुवीय और बहुकेंद्रित नज़र आती है।
- **चीनी और अमेरिकी मूल्यों का टकराव:**
  - चीन और अमेरिका के बीच टकराव पिछले 70 वर्षों के बहुपक्षवाद के अंत का प्रतीक है। यह संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक और भूकंपीय बदलाव को चिह्नित करता है। अमेरिका को एक नई बहुआयामी संस्था का नेतृत्व करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि चीन का पुन:उभार प्रौद्योगिकी, नवाचार और व्यापार संतुलन पर आधारित है जो पश्चिमी सभ्यता के मूल में रहे मुक्त-बाज़ार उदारवाद में वैश्विक भरोसे की गिरावट के वर्तमान समय में अमेरिकी सैन्य श्रेष्ठता को संतुलित करता है।
- **बहुपक्षवाद के समक्ष विद्यमान विभिन्न संकट:**
  - बहुपक्षीय सहयोग को वर्तमान में कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वप्रथम, लगातार गतिरोध के कारण बहुपक्षवाद ने बहुमत का भरोसा खो दिया है। दूसरा, बहुपक्षवाद उपयोगिता संकट (utility crisis) का सामना कर रहा है, जहाँ शक्तिशाली सदस्य-राज्य इसे अब अपने लिये उपयोगी नहीं मानते हैं।

- इसके अलावा, महाशक्तियों के बीच बढ़ते तनाव, विवैश्वीकरण (de-globalisation), लोकलुभावनवादी राष्ट्रवाद (populist nationalism), महामारी के उभार और जलवायु आपात स्थितियों ने कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है।
- इस गतिरोध ने विश्व के देशों को बाई-लैटेरल, प्लूरी-लैटेरल और मिनी-लैटेरल जैसे अन्य समूहन में आगे बढ़ने के लिये प्रेरित किया है, जो फिर वैश्विक राजनीति के और अधिक ध्रुवीकरण में योगदान करता है।

- **अवधारणाओं, पद्धतियों और संस्थानों के संदर्भ में बहुपक्षवाद के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ:**
  - बहुपक्षवाद की अवधारणाएँ वैश्विक आयाम की समस्याओं—जिन्हें राष्ट्रीय सीमाओं पर प्रबंधित करना पड़ता है, के कारण अस्थिर होती जा रही हैं। इसके उदाहरणों में राष्ट्रीय संप्रभुता बनाम मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय निर्णयन, पर्यावरण और स्वास्थ्य समस्याएँ शामिल हैं।
  - वार्ता के तरीके और तकनीक आधुनिक समाज की जटिलता को संबोधित नहीं कर पाते हैं।
    - संगठन, योगदान, वार्ता और निर्णयन के संदर्भ में आईटी ओपन सॉफ्टवेयर मोड जैसे उपाय आधुनिक चुनौतियों के लिये बेहतर अनुकूल हो सकते हैं।
  - वैज्ञानिक और तकनीकी समुदायों से वार्ता का अनुभव उन चुनौतियों से निपटने के तरीके सीखने में सहायक जानकारी प्रदान कर सकता है जो पूरी तरह से राजनीतिक नहीं हैं।
    - क्षेत्रीय दृष्टिकोण का उपयोग व्यवहार में सतत विकास जैसी अंतर्निहित रूप से 'ट्रांसवर्सल' अवधारणाओं के विपरीत है।
  - मौजूदा संस्थाएँ क्षेत्रवाद (regionalism) की बढ़ती भूमिका और शक्ति के बदलते संतुलन को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। सुरक्षा परिषद में सुधार पर पिछले कुछ दशकों से चर्चा चल रही है और हालिया प्रगति के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं एवं अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं के अपर्याप्त मतदान अधिकार की समस्या बनी हुई है।
    - ब्रिक्स (BRICS) जैसे नए वैश्विक खिलाड़ियों के तेज़ी से उभरने का वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय शासन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। उभरती शक्तियाँ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गठबंधन और साझा दृष्टिकोण का निर्माण कर रही हैं। अफ्रीकी देशों को यह एहसास हो रहा है कि वे साझा स्वर में अभिव्यक्ति से अपने हितों की बेहतर रक्षा कर सकते हैं।

UNSC के कार्यकरण से संबद्ध विभिन्न मुद्दे:

- **औपनिवेशिक मानसिकता:**
  - संयुक्त राष्ट्र ने प्रमुख सहयोगी शक्तियों को स्थायी वीटो शक्ति प्रदान की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका ने सामाजिक-आर्थिक विकास की अनदेखी करते हुए व्यापार, पूंजी और प्रौद्योगिकी निर्भरता को बढ़ावा देने वाली इन वैश्विक संस्थाओं को थोपना शुरू किया तो नए स्वतंत्र राज्यों से कोई परामर्श नहीं किया गया। यह ऐसे समय में घटित हुआ जब उपनिवेशवाद के उन्मूलन की बढ़ती मांग और वैश्विक संघर्ष के प्रभाव शाही शक्तियों के प्रभुत्व को समाप्त कर रहे थे।
- **कुछ देशों के पास असंगत शक्तियाँ:**
  - पुरानी दुनिया ही नई संस्थाओं की शक्ति संरचनाओं पर नियंत्रण बनाये रहीं, जैसा कि 'बैंक' और 'कोष' के प्रशासन में परिलक्षित होता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा एक अमेरिकी नागरिक होता है जबकि IMF के प्रमुख को मनोनीत करने में यूरोप (पश्चिमी यूरोप) वर्चस्व रखता है।
  - मतदान अधिकार:
    - कुछ सीमित सुधारों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य-राज्यों के मतदान अधिकार वस्तुत: गतिहीन बने हुए हैं। वर्तमान में इस संस्था में मूल ब्रिक्स सदस्यों के लिये मतदान अधिकार का प्रतिशत 2.22, 2.59, 2.63, 6.08 और 0.63 है।
    - अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका 16.5 प्रतिशत मतदान अधिकार रखता है, जबकि यूके (4.03), जर्मनी (5.31) और G-7 के अन्य सदस्य देशों (जो अमेरिका के साथ मिलकर मतदान करते हैं) के प्रतिशत को भी जोड़ें तो यह 30 प्रतिशत तक पहुँच जाता है।
  - निधियों का संवितरण:
    - विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights) आवंटित करने और अधिकांश सुधार लागू करने के लिये 85% बहुमत वोट की आवश्यकता होती है, जो प्रभावी रूप से अमेरिका को एक शक्तिशाली वीटो सौंपता है।

- IMF वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने, सलाह देने और वित्तीय कठिनाई झेल रहे देशों को निर्धारित शर्तों पर धन प्रदान करने के रूप में वैश्विक स्थिरता बनाए रखता है।

- **विकासशील देशों के हितों के विरुद्ध:**
  - अंतर्राष्ट्रीय संधियों (जिन्हें अब कानूनी ढाँचा प्राप्त है) पर आधारित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली ने वैश्विक संबंधों को सुविधाजनक बनाया, हालाँकि यह मूल संयुक्त राष्ट्र चार्टर हस्ताक्षरकर्ताओं के पक्ष में झुका हुआ है। उपनिवेशवाद के अंत, शीत युद्ध और सोवियत संघ के विघटन ने इस ढाँचे को चुनौती दी।
  - विकासशील देश (पूर्व-उपनिवेशों सहित) सुरक्षा परिषद के वीटो और ब्रेटन वुड्स की मतदान संरचनाओं के विरुद्ध संघर्षरत रहे हैं। उल्लेखनीय रूप से चीन ने किसी एक विषय में नियम निर्माता के रूप में प्रभाव का इस्तेमाल किया है तो दूसरे विषय में नियम उल्लंघनकर्ता के रूप में।
- **विभिन्न समसामयिक खामियाँ:**
  - कोविड-19 के दौरान लोगों के लिये, वस्तुओं के लिये और टीकों के लिये सीमाएँ बंद कर दी गई थीं, जिससे व्यापक सहयोग पर आधारित साझा वैश्विक समृद्धि का वादा कमज़ोर पड़ा।
  - यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने एक प्रमुख शक्ति के पाखंड को उजागर कर दिया, जिससे वैश्विक नियमों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, गाजा में जारी संघर्ष ने विकसित और विकासशील देशों के बीच के विभाजन को उजागर किया है।
    - यह संघर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ स्थायी सदस्यों के संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से मानवाधिकारों और नरसंहार अभिसमय (genocide convention) के संबंध में, के प्रति प्रतिबद्धता चुनौती दे रहा है।

UNSC में सुधार के लिये सुझाव:

- **G-20 की भूमिका:**
  - G-20 को सर्वप्रथम बहुपक्षीय सुधार का उचित आख्यान स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। यह एक सहभागिता समूह का गठन कर सकता है जो आख्यान को वैश्विक चर्चा में सबसे आगे लाने के लिये समर्पित हो।
    - भारत को समूह के आगामी अध्यक्षों ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आग्रह करना चाहिये कि वे UNSC में बहुपक्षीय सुधारों को अपने अध्यक्षीय कार्यकाल की प्राथमिकता में शामिल करना चाहिये।
  - G-20 को बहुपक्षीय सहयोग का समर्थन करते हुए भी बहुपक्षवाद के एक नए रूप के रूप में मिनी-लैटेरल समूहों को प्रोत्साहित करना जारी रखना चाहिये और उन्हें बहु-हितधारक भागीदारी में बदलने का प्रयास करना चाहिये।
    - विशेष रूप से 'ग्लोबल कॉमन्स' के शासन से संबंधित क्षेत्रों में मुद्दा-आधारित मिनी-लैटेरल नेटवर्क का निर्माण करना प्रतिस्पर्द्धी गठबंधनों को रोकने में सहायक होगा जहाँ अन्य अभिकर्ता अपने लाभ के लिये वही खेल खेलते हैं, जिससे विश्व व्यवस्था और अधिक खंडित हो जाती है।
- **व्यापक सुधारों की आवश्यकता:**
  - विश्व को एक सर्वव्यापी एवं व्यापक सुधार प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसमें सुरक्षा परिषद की सदस्यता की स्थायी एवं ग़ैर-स्थायी श्रेणियों में विस्तार, वीटो का प्रश्न, महासभा एवं सुरक्षा परिषद के बीच संबंध और कार्य पद्धति में सुधार शामिल हो।
    - भारत ने इस बात पर बल दिया है कि UNGA की प्रधानता एवं वैधता इसकी सदस्यता की समावेशी प्रकृति और इसके सभी घटकों की संप्रभु समानता के सिद्धांत से तय होगी।
- **भारत की अपेक्षित भूमिका:**
  - वैश्विक शून्यता, सापेक्ष शक्ति में बदलाव और भारत का अपना सामर्थ्य उसे NAM-Plus के रूप में एक सौम्य बहुपक्षवाद को व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करता है जो विश्व के एक बड़े हिस्से के साथ प्रतिध्वनित होता है और ब्रिक्स एवं G-7 दोनों को एक साथ लाता है।
  - भारत लंबे समय से ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ UNSC में सुधार की मांग करता रहा है और इस बात पर बल देता है कि वह स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र के उच्च पटल पर जगह पाने का सही हक़दार है।
    - G-4 देश (ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत) UNSC में स्थायी सीटों के लिये एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं।
- **UNSC सुधारों में एशियाई सदी को समझना:**
  - एशियाई सदी (Asian Century) को उत्तर-औपनिवेशिक संप्रभुता को निष्प्रभावी करते हुए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिये। दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के उदय के दृष्टिकोण से भी एक महत्त्वपूर्ण सबक है।

नोट :

- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ठीक ही कहा था कि जहाँ अमेरिका ने सैन्य व्यय पर 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किये, वहीं चीन ने युद्ध पर एक पैसा भी बर्बाद नहीं किया।

- **उभरती चिंताओं को समायोजित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की आवश्यकता:**
  - परिषद के आकार, सदस्यों के लिये शर्तों, प्रस्तावों को मंज़ूरी देने की सीमा या स्थायी सदस्यों की शक्तियों में बदलाव के लिये चार्टर में संशोधन की आवश्यकता है।
    - ये संशोधन तब लागू होंगे जब उन्हें UNGA में समर्थन के दो-तिहाई मत प्राप्त होंगे और महासभा के दो-तिहाई सदस्य देश (जिनमें UNSC के पाँच स्थायी सदस्य देश भी शामिल हैं) उनकी पुष्टि (ratify) करेंगे।
  - ऐसी बाधाओं के रहते हुए संशोधन करना अत्यंत कठिन है। वर्ष 1945 में अंगीकरण के बाद से संयुक्त राष्ट्र चार्टर में केवल पाँच बार संशोधन किया गया है, जिनमें सबसे हालिया परिवर्तन वर्ष 1973 में लागू हुआ था।
    - इन संशोधनों ने चार अतिरिक्त निर्वाचित सदस्यों को जोड़कर सुरक्षा परिषद का आकार 11 से 15 सदस्यों तक बढ़ा दिया। वर्तमान वास्तविकताओं का प्रतिबिंबित करने के लिये इसी तरह के संशोधनों पर विचार करने की आवश्यकता है।

Key UN reforms

- **1997** Kofi Annan announces his plan for United Nations reform with two reform packages: "Track One" and "Track Two"
- **2004** Two models proposed for expanding the Security Council
- **2005** Kofi Annan presents his most comprehensive reform and policy agenda with his report "In Larger Freedom"
  The Peacebuilding Commission (PBC) is established
- **2006** The Human Rights Council replaces the former United Nations Commission
- **2007-2016** Reforms continues during Ban Ki-moon's term with the launch of the 2030 Agenda for Sustainable Development and adoption of the Paris Climate Agreement
- **2017-2020** Reforms envisioned by UN Secretary-General Antonio Guterres have been ongoing which focus on the UN's peace and security pillar

निष्कर्ष:

- संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों पर आधारित वर्तमान वैश्विक व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक और वैश्विक संघर्ष को रोकने के लक्ष्य से स्थापित की गई थी, लेकिन अब इसे महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के भीतर शक्ति की गतिशीलता, विशेष रूप से UNSC के P5 की वीटो शक्ति, एक पुरानी पड़ चुकी संरचना को परिलक्षित करती है जो बदलते वैश्विक परिदृश्य को संबोधित नहीं करती है।
- चूँकि विश्व नई चुनौतियों (जैसे कि COVID-19 महामारी और बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्ष) से जूझ रहा है, वर्तमान वैश्विक संरचना का पुनर्मूल्यांकन करने और इसमें संभावित सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह समसामयिक वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में प्रासंगिक एवं प्रभावशील बना रहे।

■■■

दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न

1. तकनीकी प्रगति, वैश्विक साझेदारी और सतत् विकास रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विश्व आर्थिक मंच के दावोस शिखर सम्मेलन, 2024 में भारत की भूमिका के साथ इसके प्रमुख परिणामों के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
2. महामारी के बाद राजकोषीय नीति के विकास और वैश्विक अनिश्चितताओं से उत्पन्न चुनौतियों पर विचार करते हुए, आर्थिक प्रत्यास्थता बढ़ाने में राजकोषीय नीति की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
3. आर्थिक प्रबंधन में प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति के महत्त्व, इसकी चुनौतियों और सतत विकास पर इसके प्रभाव पर विचार कीजिये।
4. भारत और म्याँमार के बीच द्विपक्षीय संबंधों में विद्यमान चुनौतियों पर विचार कीजिये और इन्हें दूर करने के उपाय सुझाइये।
5. चुनौतियों को संबोधित करने के लिये, विशेष रूप से विवाद निपटान तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विश्व व्यापार संगठन (WTO) में आवश्यक सुधारों और वैश्विक व्यापार प्रशासन पर इसके प्रभाव के बारे में चर्चा कीजिये।
6. स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (SBM-G) ने ग्रामीण स्वच्छता प्रक्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित किया है और भारत में संवहनीय स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिये अब भी कौन-सी चुनौतियाँ बनी हुई हैं?
7. भारत में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को होने वाले कम वित्तीय हस्तांतरण के, राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव का विश्लेषण करते हुए इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिये।
8. विधायी उपायों, सामाजिक दृष्टिकोण एवं निवारक रणनीतियों को संबोधित करते हुए बाल यौन शोषण और पोर्नोग्राफी के विधिक एवं सामाजिक निहितार्थों की चर्चा कीजिये।
9. समावेशी और सतत विकास के लिये भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने में एक उच्चाधिकार प्राप्त जनसंख्या समिति की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
10. भारत की विकास रणनीति में लद्दाख को पर्याप्त लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सौंपना शामिल होना चाहिये। टिप्पणी कीजिये।
11. भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंधों के संदर्भ में, हाल के विकास एवं भविष्य की संभावनाओं पर बल देते हुए रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
12. भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी ढाँचा प्रदान करने की आवश्यकता और व्यवहार्यता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
13. गहन औद्योगीकरण पर चर्चा करते हुए इसके महत्त्व, चुनौतियों एवं आर्थिक तथा सामाजिक विकास पर इसके संभावित प्रभाव की चर्चा कीजिये।
14. वैश्विक उदाहरणों का हवाला देते हुए लैंगिक समानता और कार्यबल की गतिशीलता पर सवैतनिक मासिक अवकाश लागू करने के निहितार्थ पर चर्चा कीजिये। कौन-से उपाय इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सकते हैं?
15. भारत में संसदीय कार्यकरण के मानकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। भारतीय संसद के भीतर जवाबदेही और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय भी सुझाइये।
16. चुनावी बॉण्ड योजना को निरस्त करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के महत्त्व और भारत में राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता के लिये इसके निहितार्थ के संबंध में चर्चा कीजिये।

17. सामाजिक स्तरीकरण, पूर्वाग्रहों और कार्यबल गतिशीलता पर योग्यता तंत्र के प्रभाव पर विचार करते हुए योग्यता तंत्र की अवधारणा पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निहितार्थों की चर्चा कीजिये। संभावित सुधारों पर भी विचार कीजिये।
18. शिक्षा और रोज़गार मांग के बीच असंगति के परिदृश्य में, भारत सेवा क्षेत्र में इंजीनियरिंग स्नातकों की रोज़गार-योग्यता को किस प्रकार बढ़ा सकता है ? समाधान सुझाते हुए चर्चा कीजिये।
19. अपने स्वयं के राजस्व सृजित करने में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये और उनकी वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने के उपाय सुझाइये।
20. किफायती आवास पर प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभाव और इसकी संवहनीयता संबंधी चुनौतियों की चर्चा कीजिये। दीर्घकालिक पर्यावरणीय लाभों के लिये इन्हें किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है ?
21. सशस्त्र बलों में भर्ती के लिये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के महत्त्व एवं चुनौतियों की चर्चा कीजिये। कौन-से उपाय इसकी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं ?
22. भारत में सर्वोच्च न्यायालय के लिये क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
23. व्यक्तिगत संबंधों और सामाजिक गतिशीलता पर समान नागरिक संहिता (UCC) के संभावित प्रभाव पर विचार करते हुए व्यक्तिगत स्वायत्तता एवं निजता के लिये इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिये।
24. भारत में भूमि क्षरण की चुनौतियों और कृषि, पर्यावरण एवं आजीविका पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये, साथ ही संवहनीय भूमि प्रबंधन के लिये उपाय सुझाइये।
25. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की वर्तमान संरचना और इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों के आलोक में इसमें सुधार की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। इस संदर्भ में आप किन सुधारों का प्रस्ताव करेंगे ?

■■■